

THE BOOK WAS DRENCHED

Tight Binding Book

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_176241

UNIVERSAL
LIBRARY


Osmania University Library

Call No H 321.01
H 41 S
Accession No. (97) 2119
Author శ్రీమంతులయ్య దొడ్డి
Title శాస్త్రములు గురించి (1911) -
(114)

This book should be returned on or before the date marked below.

साम्राज्यशाही के कर्णधार

(अंग्रेजी की साइमन हैकमी द्वारा लिखित 'Tory M. P.'
नामक पुस्तक का संक्षिप्त अनुवाद)



अनुवादक—

'इंग्लैंड का इतिहास', 'राजनैतिक भारत', 'संसार के चुने रत्न',
'दूध ही अमृत है', 'रति रंगरहस्य', 'साहित्य मंजरी'
इत्यादि इत्यादि ग्रंथों के रचयिता

हनुमानसाद गोयल, बी. ए., एल-एल. बी.

विक्रेता—

मातृ - भाषा - मन्दिर,
दारागंज, प्रयाग ।

प्रकाशक—

राष्ट्र - भाषा - मन्दिर

दारागंज, प्रयाग ।

मुद्रक—

एम. के. सिद्दीकी,

स्टार प्रेस, प्रयाग ।

भूमिका

प्रस्तुत पुस्तक श्री माइमन हैकली द्वारा लिखित “Tory M.P.” नामक अंग्रेजी ग्रंथ का संक्षिप्त अनुवाद है। इसमें वर्तमान ब्रिटिश पार्लियामेंट के उम दल का वर्णन मिलेगा, जिसके हाथ में इस समय संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य का शासनाधिकार है। यह दल अपने को “राष्ट्रीय दल” (National Party) के नाम से पुकारता है, किंतु इसमें किस प्रकार के लोग भरें हैं और उनके विचार एवं सिद्धांत किस प्रकार के हैं यह पुस्तक को पढ़ने से ही मालूम होगा। उसे यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं। इस दल का संगठन और नामकरण सन् १९३१ में किया गया था। अस्तु, इसी “राष्ट्रीय दल” का नग्न स्वरूप और इसी के तमाम सदस्यों की सच्ची-सच्ची हुलिया इस पुस्तक में चित्रित की गयी है।

अंग्रेजी की मूल पुस्तक इंग्लैंड में जुलाई सन् १९३६ में प्रकाशित हुई थी। छपते ही यह वहाँ इतनी अधिक लोकप्रिय हुई, कि इसकी कुल कापियाँ तत्काल हाथों-हाथ बिक गईं। चार ही महीने में अर्थात् नवम्बर मास तक इसके तीन संस्करण निकल चुके। हम भारतवासियों के लिए भी इस पुस्तक को उपयोगिता कुछ कम नहीं कही जा सकती, कारण कि इस देश के भी भाग्य-विधाता वे ही लोग हैं, जिन के हाथ में ब्रिटिश शासन की इस समय नकेल है। जिन लोगों से हमें स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करना है वे कैसे हैं और उनके विचार एवं व्यवहार किस प्रकार के हैं इसका ज्ञान हमारे स्वातन्त्र्य युद्ध की सफलता के लिए उपयोगी ही नहीं, बल्कि आवश्यक भी कहा जा सकता है। अस्तु इन्हीं विषय का ज्ञान कराने के लिए यह अनुवाद सामने है।

पुस्तक में बृटिश शामक-दल को राष्ट्रीय दल के नाम से नहीं पुकारा गया है, बल्कि 'टोरी' (या 'अगुसर दल') के नाम से पुकारा गया है, कारण, जैसा कि पुस्तक को पढ़ने से मालूम होगा, यह दल वास्तव में पुराने टोरी-दल का ही एक परिवर्तित रूप मात्र है। अब यह पुराना टोरी दल क्या था इसे समझने के लिए इंग्लैंड के पुराने इतिहास में जाना पड़ेगा। साथ ही बृटिश पार्लिमेंट के सम्बंध में भी थोड़ा सा हाल जान लेना पुस्तक के अध्ययन में सुविधाजनक होगा। अतएव नीचे संक्षेप में हम वही बतलाने जा रहे हैं।

हम जानते हैं कि अंग्रेजी शासन का संपूर्ण आधिकार इस समय बृटिश पार्लिमेंट के हाथों में है। यह पार्लिमेंट दो सभाओं से मिल कर बनी है, जिनमें से पहली सभा का नाम 'हाउस आफ़ लार्ड्स' है और दूसरी का नाम 'हाउस आफ़ कामन्स' है। हाउस आफ़ लार्ड्स में देश के तमाम बड़े-बड़े खानदानी सरदार, सामंत एवं लार्ड उपाधिवारी अमोर लोग बैठते हैं, और हाउस आफ़ कामन्स में केवल प्रजा के चुने हुए सदस्य बैठते हैं। मंत्रियों का चुनाव इन्हीं सदस्यों द्वारा किया जाता है, और प्रत्येक मंत्री अपने कार्य के लिए पूर्ण रूप से पार्लिमेंट के प्रति उत्तरदायी रहता है।

इस बृटिश पार्लिमेंट का जन्म और विकास तेरहवीं शताब्दी से दिखाई देता है। उस समय इंग्लिस्तान में राजा और सामंतों के बीच राजनैतिक शक्ति के लिए नित्य ही लड़ भगड़ रहा करती थी कभी राजा शक्तिशाली हो जाता था, तब सामंतों को दबना पड़ता था। और कभी सामंतों की शक्ति बढ़ जाती थी, तब राजा को दबना पड़ता था। सन् १२१५ में राजा की शक्ति कमज़ोर पड़ी और सामंतों की शक्ति प्रबल हो गई। अतएव उसे मजबूर हो कर सामंतों के सामने एक प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ा, जो इंग्लैंड के इतिहास में एक बड़ी प्रसिद्ध घटना थी। प्रत्येक अंग्रेज़ इस प्रतिज्ञा

पत्र को आज तक बड़े सम्मान की दृष्टि से देखता है और इतिहास में यह 'महास्वतंत्रता-पत्र' (Magna-Charter) के नाम से पुकारा गया है। इसके द्वारा राजा की निरंकुश शक्ति पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाये गये थे। उदाहरणार्थ उसकी एक भाग यह थी कि 'किसी भी स्वतंत्र पुरुष को नियम के विरुद्ध बंदी नहीं किया जायगा।' एक दूसरी महत्वपूर्ण धारा के द्वारा राजा को जनता की स्वीकृति के बिना किसी प्रकार का कर लगाने अथवा आर्थिक सहायता लेने की मनाही की गयी थी। इन तत्त्वम नियमों का राजा से पालन कगने के लिए २५ लाइवें अर्थात् सामंतों की एक सभा भी नियत की गई, जो हाउस आफ लार्ड्स के नाम से विख्यात हुई। फिर शीघ्र ही सन १२५२ के क्लानून से इसमें एक प्रजा की प्रतिनिधि-सभा भी जोड़ दी गई, जो आगे चल कर हाउस आफ कामन्स के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार इंग्लैंड में पार्लियमेंट की दोनों सभाओं की नींव पड़ी।

किंतु इस समय हाउस आफ कामन्स को राजनैतिक अधिकार प्रायः कुछ भी नहीं प्राप्त थे। केवल राजा के सामने वह अपनी मुसीबतों का रोना भर रो सकती थी और उसके पास प्रार्थनाएँ भेज सकती थी। धीरे-धीरे इस कामन्स सभा ने प्रजा पर कर लगाये जाने के काम में हस्तक्षेप करना आरंभ किया। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, महास्वतंत्रता-पत्र की एक धारा यह थी कि 'राजा जनता की बिना स्वीकृति के किसी प्रकार का कर प्रजा पर नहीं लगा सकता और न उसके कोई आर्थिक सहायता ही ले सकता है।' अस्तु, राजा को नया कर लगाने के संधार में बाधा मिलने लगी और उसे अब कामन्स सभा की पूर्व-स्वीकृति लेना आवश्यक हो गया। राज्य-शासन के काम में धैर्य का अधिकार एक नष्ट बड़ा अधिकार समझा जाता है। अस्तु, इसी अधिकार के बल पर पार्लियमेंट की, और विशेष कर हाउस आफ कामन्स की शक्ति और अधिकार

बराबर बढ़ते गये, यहाँ तक कि आगे चल कर राजा एक दिखावटी खिलौना मात्र रह गया।

किंग् पार्लिमेंट की यह शक्ति महज ही इतनी आधिक नहीं बढ़ गयी। इसके लिए उसे राजाओं के साथ बहुत दिनों तक झगड़े और लड़ाइयां करनी पड़ीं, जिसका विवरण इंग्लैंड के इतिहास से मालूम किया जा सकता है। ट्यूडर राजवंश के समय तक पार्लिमेंट की शक्ति कुछ आधिक नहीं बढ़ पायी थी। इस वंश के प्रायः सभी शासक एक प्रकार से बिल्कुल निरंकुश थे। साथ ही उनमें इतनी समझ भी थी कि उन्हें ने कम पार्लिमेंट से झुल कर झगड़ा नहीं किया। किंतु स्टुअर्ट वंश का राज्यकाल आते ही झगड़ा-बगड़ा शुरू हो गया। इस वंश का पहला राजा, जेम्स प्रथम, आरंभ में केवल स्कॉटलैंड का शासक था, किंतु रानी एलिज़बेथ के मरते ही वह इंग्लैंड का भी राजा बना दिया गया। इसका दावा था कि राजा को प्रजा पर राज्य करने का ईश्वरदत्त अधिकार है और कोई व्यक्ति उसके इस अधिकार पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। निदान पार्लिमेंट के साथ उसका झगड़ा शुरू हो गया। यह झगड़ा उसके जीवन पश्च्यंत बराबर बढ़ता ही गया। सन् १६२५ में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जब उसका पुत्र चार्ल्स प्रथम गद्दी पर बैठा, उस समय इस झगड़े ने और गंभीर रूप धारण किया। सन् १६२८ में पार्लिमेंट ने इस राजा की सेवा में एक निवेदन पत्र पेश किया, जो इतिहास में 'पीटिशन ऑफ राइट' (Petition of Right) या 'अधिकार पत्र' के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें राजा को यह रखाया गया कि वह निरंकुश शासक नहीं बन सकता और बिना पार्लिमेंट की स्वीकृति के प्रजा पर कोई टैक्स लगाना अथवा कानून के विरुद्ध किसी को गिरफ्तार करना उसके लिए बिल्कुल अनुचित है। चार्ल्स पार्लिमेंट की इस गुस्ताखी पर नाराज़ हो गया और उसने तुरंत पार्लिमेंट को बर्खास्त करा दिया।

इसके बाद यह झगड़ा विकराल रूप धारण करने लगा, जिसके परिणामस्वरूप सन् १६४२ में राजा और पार्लियामेंट के बीच एक भयंकर गृहयुद्ध छिड़ गया। राजा के पक्ष में बहुत से सामन्त और सदायथ तथा सेना के अधिकांश सिपाही थे। और पार्लियामेंट के पक्ष में लंदन के नागरिक तथा अनेक बड़े-बड़े अमीर व्यापारी पार्लियामेंट-पक्ष का नेता अलिबर क्रामवेल था, जो एक बहादुर और बड़ा योग्य व्यक्ति था। यह युद्ध कई वर्ष तक चलता रहा। अन्त में जीत पार्लियामेंट की हुई और चार्ल्स कैद कर लिया गया। सन् १६४९ ई० में उस पर न्यायालय में मुकदमा चलाया गया और पश्चात् उसे फाँसी दे दी गयी। यह खबर योरोप के देशों में जिस समय पहुँची तो सर्वत्र एक भयंकर सनसनी सी फैल गई और वहाँ के तमाम राज-सिंहासन एकवारगी भय से हिल उठे।

इसके बाद इंग्लैण्ड में आलिबर क्रामवेल के अधीन एक प्रजातंत्र की स्थापना की गई। किन्तु सन् १६५८ में क्रामवेल का मृत्यु हो गई और उसके दो वर्ष पश्चात् वह प्रजातंत्र भी समाप्त हो गई। अब अंग्रेजों का राजप्रेम फिर जाग उठा और उन्होंने स्वर्गीय चार्ल्स के पुत्र चार्ल्स द्वितीय को फ्रांस से बुला कर राजगद्दी पर बैठाया। किन्तु यह व्यक्ति केवल एक विलासी पुरुष था और अपने भोग-विलास के आगे किसी दूसरी बात की चिन्ता ही नहीं करता था। अतएव इसके राज्यकाल में कोई नई बात नहीं हुई। किन्तु उसके मरते ही जब उसका भाई जेम्स द्वितीय गद्दी पर बैठा, तब राजा और पार्लियामेंट के बीच झगड़ा फिर आरम्भ हो गया। यह झगड़ा धार्मिक और साम्प्रदायिक प्रश्नों पर था। किन्तु पार्लियामेंट के आगे जेम्स की कुछ भी न चली और उसे अपने प्राण लेकर फ्रांस भाग जाना पड़ा। अब पार्लियामेंट ने एक दूसरे व्यक्ति को राजपद के लिए चुना। इसका नाम विलियम था। इसका विवाह राजघराने की एक कन्या 'मेरी' के साथ हुआ था। अतएव विलियम और मेरी

अब संयुक्त रूप से राजसिंहासन पर बैठाये गये। इस प्रकार राजा पर पार्लिमेंट की यह दूमरी ज़बर्दस्त जीत हुई। इसके बाद फिर किसी राजा को आज तक पार्लिमेंट के अधिकार और शक्ति पर शंका या प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। देश में अब निर्विवाद रूप से पार्लिमेंट का ही एकाधिकार स्थापित हो गया।

किन्तु यह पार्लिमेंट उन दिनों जैसी थी और जिस ढंग से इसका चुनाव किया जाता था उसे देखते हुए कोई भी व्यक्ति उसे प्रजा की प्रतिनिधि-संस्था के नाम से नहीं पुकार सकता। वास्तव में वह प्रजा के एक बहुत ही सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करती थी। अभी सौ वर्ष से कुछ ही ज़्यादा हुए जब इंग्लैण्ड में 'जेबो निर्वाचन क्षेत्रों' (Pocket-boroughs) की कमी न थी। ये निर्वाचन-क्षेत्र ऐसे होते थे, जिनमें एक या दो से ज़्यादा आदमी को वोट देने का अधिकार नहीं रहता था। कहते हैं सन् १७६३ ई० में हाउस आफ़ कामन्स के ३०६ मेम्बर्स को केवल १६० आदमियों ने चुना था। इस प्रकार प्रत्यन्त है कि प्रजावर्ग के अधिकांश आदमियों को पार्लिमेंट के निर्वाचन में उस समय कुछ भी अधिकार न था। लार्ड्स सभा में तो लार्ड उपाधिधारी बड़े-बड़े सामंत ज़मींदार और पादरी लोग थे ही, किन्तु कामन्स सभा में भी अधिकतर सदस्य प्रभावशाली ज़मींदार और रईम ही लोग हुआ करते थे। गरीबों और मध्यश्रेणी वालों का उसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिखाई देता था। चुनाव में वेईमानी और गिशतवाज़ी का बाज़ार भी उस समय खूब गर्म था। अन्त में प्रजा के बहुत दिनों तक आन्दोलन करते रहने पर सन् १८३२ ई० में एक सुधार क़ानून पार किया गया, जिससे निर्वाचकों की संख्या में वृद्धि की गयी। आगे चल कर समय-समय पर यह संख्या और अधिक बढ़ायी गई और अब इस समय वहाँ पार्लिमेंट के चुनाव में वोट देने का अधिकार प्रत्येक बालिग़ स्त्री और पुरुष को प्राप्त हो गया है।

यहाँ तक तो ब्रिटिश पार्लिमेंट के जन्म और विकास का वर्णन हुआ। अब कुछ थोड़ा सा परिचय टोरी दल का भी देना जरूरी है। 'टोरी' शब्द का व्यवहार इंग्लैण्ड में किमी राजनैतिक दल के लिए पहले-पहल सन् १६७८ ई० के करीब किया गया था। उस समय राजा और पार्लिमेंट के झगड़े में तिन लोगों ने राजा का साथ दिया था उन्हीं के समूह को टोरी दल का नाम मिला था। ये लोग वे थे जो राजा की दरबारदारी किया करते थे और जिन्हें राजा की ओर से ज़मीन, जायदाद, ऊँची-ऊँची पदधियाँ और सनदें प्राप्त थीं। इस प्रकार प्रायः तमाम बड़े-बड़े खान्दानी सामंत, सदाँर, पदवी धारी रईम और ताल्लुकदार लोग इभी टोरी दल के सदस्य दिखाई देते थे। ये राजा के ईश्वर-दत्त अधिकारों का समर्थन करते थे और प्रायः सभी प्रकार के राजनैतिक परिवर्तनों के विरुद्ध थे। जो लोग इन विचारों को नहीं मानते थे और इनके विरोधी थे वे 'विहग पार्टी' (Whig Party) के नाम से प्रसिद्ध थे। इस प्रकार पार्लिमेंट के तमाम सदस्य 'विहग' और 'टोरी' दो दलों में विभक्त हो गये थे।

सन् १८३२ के सुधार क़ानून के समय इन दोनों दलों का नाम बदल दिया गया। टोरी दल अपने को 'कन्ज़र्वेटिव पार्टी' (Conservative Party) के नाम से पुकारने लगा और विहग पार्टी का नाम 'लिबरल' (या 'उदार') पार्टी पड़ गया। आगे चल कर सन् १८८६ ई० में कन्ज़र्वेटिव पार्टी, का नामकरण फिर से किया गया। उस समय प्रधान मंत्री मिस्टर ग्लेडस्टन के होमरूल बिल का विरोध करने के लिए कुछ उदार दल वाले अपने दल से अलग होकर कन्ज़र्वेटिव दल वालों के साथ जा मिले थे। अतएव अब उस दल का नाम कन्ज़र्वेटिव दल के बजाय 'यूनिवर्सिटि दल' रक्खा गया। इसके पश्चात् बीसवीं शताब्दी का आरम्भ होते ही एक तीसरा दल राजनैतिक क्षेत्र में उतरा। इसका नाम 'लेबर पार्टी'

अर्थात् मजदूर दल था। यह दल गरीबों, मजदूरों और साधारण श्रेणी के लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। कुछ समय बाद इस दल के दो विभाग हो गये :—(१) दक्षिण-पन्थी, और (२) वाम-पन्थी। वाम पन्थ वालों ने अपना नाम 'इन्डिपेन्डेन्ट लेबर पार्टी' अर्थात् 'स्वतंत्र मजदूर दल' रख लिया। यह स्वतंत्र मजदूर दल दक्षिण पन्थियों की अपेक्षा विचारों और सिद्धांतों में अधिक प्रगतिशील है और साम्राज्यवाद का स्पष्ट विरोधी है। इंग्लैण्ड में भारतवर्ष के अनेक हितैषी इसी दल के लोगों में पाये जाते हैं। किन्तु इस दल के सदस्यों की संख्या कामन्स सभा में अभी बहुत थोड़ी है, जिससे यह अभी वहाँ कुछ कर नहीं पाते।

सन् १९३१ में अधिकांश कंज़र्वेटिव और यूनियनिस्ट पार्टी के लोगों के साथ बहुत से लिबरल एवं लेबर पार्टी के सदस्यों ने मिलकर एक नया दल स्थापित किया, जिसका नाम 'नैशनल पार्टी' अर्थात् 'राष्ट्रीय दल' रखा गया। तब में पार्लिमेंट में इसी 'राष्ट्रीय दल' का बहुमत रहता आया है और इसलिए इसी के हाथ में साम्राज्य की कुकुमत भी है। प्रस्तुत पुस्तक में इसी दल की आलोचना की गई है और इसी के सदस्यों का 'टारी' के नाम से पुकारा गया है, क्योंकि, जैसा पुस्तक को पढ़ने से मालूम होगा, इस दल के विचार और सिद्धांत अपनी संकीर्णता और स्वार्थपूर्णता में प्राचीन टोरा दल के विचारों से किसी प्रकार भिन्न नहीं है। ग्रंथकार के शब्दों में—

“यूनियनिस्ट, कंज़र्वेटिव, नैशनल (या राष्ट्रीय) लिबरल-नैशनल और नैशनल-लेबर में इतना कम भेद दिखाई देता है कि किसी गंभीर राजनैतिक अध्ययन के लिए इनका अलग-अलग विचार करना बिल्कुल अनुपयुक्त होगा। जिस मंत्रि-मंडल में ठेठ कंज़र्वेटिव दल के लोगों का प्राधान्य है, उसी में लिबरल-राष्ट्रीय और मजदूर-राष्ट्रीय राजनीतिज्ञ भी बैठ करते हैं। यह मंत्रि-मंडल पार्लिमेंट में एक ऐसे बहुमत पर आश्रित है, जिसके ६० फ्री सदी सदस्य ठेठ कंज़र्वेटिव दल के ही

लोग हैं। कितने ही मज़दूर-राष्ट्रीय और लिबरल-राष्ट्रीय सदस्य इस टोरी सरकार के पक्ष में अपना वोट देने से एक बार भी पीछे नहीं हटे हैं।”

अस्तु, वर्तमान सरकारी पक्ष को (जो अपने को ‘राष्ट्रीय पक्ष’ के नाम से पुकारता है), पुस्तक में ‘टोरी’ के नाम से पुकारा गया है। हिन्दी में हमने ‘टोरी’ शब्द के वजाय अनेक स्थानों पर ‘अनुदार’ शब्द का भी व्यवहार किया है। पाठकगण कृपया उससे ‘टोरी’ शब्द का ही मतलब समझेंगे। साथ ही जहाँ मूल पुस्तक में ‘लार्ड’, नोबुलमैन, पियर (Peers) और बेरन (Baron) लोगों का जिक्र आया है वहाँ हमने इनके लिए ‘नवाब’ शब्द का प्रयोग किया है, कारण कि इनके रहन-सहन, विचार और सिद्धांत हमारे यहाँ के नवाबों से बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं, और इससे अधिक उपयुक्त कोई दूसरा शब्द हमें हिन्दी में नहीं समझ पड़ा।


अंत में इतना और बतला देना आवश्यक जान पड़ता है कि पार्लिमेंट और मंत्रि-मंडल का जो स्वरूप दिसम्बर सन् १९३८ में था, उसी का वर्णन इस पुस्तक में दिया गया है। तब से उस में कुछ छोटे-माटे परिवर्तन भी हुए हैं और आगे हो भी सकते हैं उदाहरणार्थ मिस्टर चेम्बरलेन, जो उस समय प्रधान मंत्री थे, अब इस संसार में नहीं रह गये और उनके स्थान पर एक दूसरे अनुदार सदस्य मिस्टर चार्चल प्रधान मंत्री हैं। किंतु इस प्रकार के परिवर्तनों और घटनाओं से पुस्तक के उन परिणामों में कोई अंतर नहीं पड़ सकता, जो इस में निकाल कर दिखाये गये हैं, और जिन्हें दिखाने के उद्देश से ही यह पुस्तक लिखी गई है। दो चार व्यक्तियों के आने या जाने से संपूर्ण दल के उद्देशों और सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं पड़ता।

विषय-सूची

	पृष्ठ
अध्याय १—जनसत्तात्मक शासन अनुदार दल वालों के हाथ में	१
“ २—व्यापारियों के हाथ में बृटिश राज्य का शासन ...	१७
“ ३—गोला-बारूद के कारखाने वाले पार्लिमेंट के मेम्बर हैं।	३६
“ ४—पार्लिमेंट और परिवारिक पूँजी ...	४३
“ ५—बृटिश साम्राज्य में अनुदार दल वालों का स्वार्थ	५०
“ ६—हाउस आफ़ कामन्स में अँग्रेज़ी सामंतों या नवाबों का घराना	८१
“ ७—अनुदार राजनीतियों की सामाजिक व्यूत्पत्ति ...	१०६
“ ८—अनुदार दक्षिण पार्श्व	१८८
“ ९—सम्पत्ति और स्वदेश	१६२



साम्राज्यशाही के कर्णधार



प्रथम अध्याय

जनसत्तात्मक शासन अनुदार दल के हाथ में

“जैसे-जैसे समय बीतता जाता है मेरी राय बड़े-बड़े मामलों के सुलझाने में पार्लिमेंट के बाबत गिरती ही जा रही है।”

-- स्वर्गीय लार्ड रन्सोमैन ।

जनतंत्रवाद का जो प्रचार अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में तथा बीसवीं शताब्दी के आरंभकाल तक योरोप तथा समस्त मसूर में फैल रहा था, उसका बहाव आज एकवारगी और बड़ी तेज़ी के साथ पीछे की ओर ढकेला जा रहा है। कितने ही देशों की पार्लिमेंट संस्थाएँ इस समय तक समाप्त हो चुकी हैं, अथवा बिल्कुल निकर्मी बना दी गयी हैं। ऐंम ऐंम शक्तिशाली दलों का उदय इस समय राजनैतिक आकाश में दिखाई दे रहा है, जिनका स्पष्ट उद्देश ही यह है कि जनसत्तात्मक शासन-विधान को उखाड़ फेंका जाय और उसके स्थान पर अपने दल का केवल एकतंत्र शासन स्थापित किया जाय। इटली, जर्मनी, जापान, स्पेन तथा अन्य बहुत से छोटे-छोटे राष्ट्रों में आज इसी प्रकार के राजनैतिक दल अपने उपरोक्त उद्देश को प्राप्त करने में सफल सिद्ध हुए हैं।

वर्तमान पृँ जीवादी समाज में जनसत्तात्मक शासन का प्रायः सब से मुख्य अंग पार्लिमेंट ही हुआ करता है। विना किसी ऐसी निर्वाचित संस्था के, जैसी कि इंग्लैंड में हाउस आफ़ कामन्स है, जनसत्तात्मक शासन प्रायः संभव ही नहीं हो सकता। फिर भी केवल पार्लिमेंट की उपस्थिति ही इस बात की गारन्टी नहीं कही जा सकती कि उसका काम भी सदा जनसत्तात्मक रूप में हुआ करेगा। उदाहरणार्थ यदि पार्लिमेंट के निर्वाचन में केवल थोड़े ही से लोगों को मताधिकार दिया गया हो, जैसा कि उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में इंग्लैंड में था, तो ऐसी पार्लिमेंट वास्तविक रूप में जनतंत्रात्मक संस्था नहीं कही जा सकती। इसी प्रकार यदि प्रजा को केवल कुछ ऐसे व्यक्तियों में से अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया जाय जो सरकारी तौर पर नामजद किये गये हों, जैसा कि आज कल जर्मनी में होता है, तो वह चुनी हुई पार्लिमेंट भी प्रजा की इच्छाओं का सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती।

इसके अतिरिक्त जहाँ प्रजा को तमाम वे कानूनी अधिकार प्राप्त भी हों, जिन्हें हम जनतंत्रात्मक विधान के लिए आवश्यक समझते हैं, जैसे, सब के लिए समान मताधिकार, हर एक को विना किसी धन या जायदाद की शर्त के मन्सूरी के लिये खड़े होने का हक इत्यादि, तो ऐसी दशा में भी एक निर्वाचित पार्लिमेंट के बहुत से काम व्यवहारिक दृष्टि से ऐसे हो सकते हैं जो वास्तव में किसी प्रकार भी जनतंत्रवादी न कहे जा सकें। उदाहरण के तौर पर जर्मनी में जो शासन का अधिकार सन १९३३ में नाजीदल के हाथ आया था, वह केवल प्रजा की नियमानुकूल चुनी हुई पार्लिमेंट की ही सहायता से तथा उसके प्रति जिम्मेदार हाकिमों के ही सहयोग से संभव हो सका था। इसी प्रकार फ़ासिस्ट दल की सफलता भी पार्लिमेंटरी बहुमत की सहायता से ही संभव हुई थी। एक मात्र स्पेन के जनरल फ़्रांको को छोड़ कर शेष सभी जगह, जहाँ जहाँ जनतंत्रवादी शासन को नष्ट करने का कोई भी प्रयास किया गया है, वहाँ केवल पार्लिमेंट के बहुमत की ही सहायता अथवा

उदासीनता का सहारा लिया गया है। हाँ, स्पेन में अवश्य ही प्रजा तंत्रवादी सरकार को उलटने के लिए मशरूम क्रान्ति की ज़रूरत पड़ी थी।

किंतु इसका कारण था। जनरल फ्रांको के वशावत करने के पहिले स्पेन की पार्लिमेंट एक ज़वर्दस्त प्रतिनिधि मंस्था थी। उसके प्रजातंत्र शासन में ऐसे ऐसे कानूनी मुधार किये गये, जिनकी आवश्यकता सदियों पहिले से महसूस की जा रही थी। विरोधियों की उसके सामने एक भी न चली। निदान जब उनके लिए कायदे और कानून से जीतना असंभव हो गया, तब उन्होंने मशरूम क्रान्ति का महारा पकड़ा और विदेशों में मदद मँगवा भेजी। इस प्रकार योगेश की आधुनिक घटनाओं में हमें जो एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है वह यह कि जन सत्तात्मक शासन की सुरक्षा बहुत अधिक अण में उस बात पर निर्भर है कि प्रजा के चुने हुए पार्लिमेंटी प्रतिनिधियों प्रजातंत्र के आधि कारों को कुचलने वाली तमाम चेष्टाओं का सामना करने के लिए पूर्णतया तैयार और दृढ़प्रतिज्ञ बने रहें। अस्तु, यदि ब्रिटिश शासन-विधान को योगेश की ज़हरीली छूत से बचाये रखना आवश्यक समझा जाय, तो ब्रिटिश प्रजा के लिए यह ज़रूरी होगा कि वह अपनी पार्लिमेंट के मेम्बरो पर अच्छी तरह निगाह रखें। विशेष कर उस दल के मेम्बरो पर तो सब से ज्यादा निगाह रखना होगा, जिसके हाथ में इस समय शासन की बाग डोर है। *

अभी हाल की घटनाओं ने सिद्ध कर दिया है कि पार्लिमेंट में अनुदार दल के सदस्यों का अधिकतर भाग पार्लिमेंट के आधि

नोट :— ब्रिटिश पार्लिमेंट के मेम्बरो के चुनाव में हम भारतीयों का कोई हाथ नहीं है। अतएव इस दृष्टि में हमारे लिए इन पर निगाह रखने का कोई मवाल ही नहीं पैदा होता। फिर भी अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमें निम्न ब्रिटिश शासक दल से पाला पड़ रहा और पड़ेगा उसके वास्तविक स्वरूप को समझना और अध्ययन करना हमारे लिए भी कम उपयोगी न होगा—इ० प्र० गोयल।

कारों के कुचले जाने पर अपनी आँखें चुपचाप बंद रख सकता है। सन् १९३८ की छठवाँ अक्तूबर को जर्मनी के साथ म्यूनिख का जो समझौता किया गया था, उसके सम्बंध में पार्लिमेंट से पहिले कोई राय नहीं ली गई थी। बाद को इस सम्बंध में पार्लिमेंट में जो बहस हुई, उसमें मिस्टर विन्स्टन चर्चिल, श्री हेरल्ड मैकमिलन, मेजर मिलनर, मेजर एटली आदि कुछ अनुदार दल के प्रमुख नेताओं तक ने सरकार के इस व्यवहार की कड़ी अलांचना की। किंतु फिर भी पार्लिमेंट का इस प्रकार निरादर करने की जो हिम्मत सरकार को हो सकी थी वह केवल इसलिए कि जिस दल के बहुमत पर वह खड़ी है उस दल के सदस्य उसकी इन ज़्यादातियों पर आँख मूँदने को तैयार हैं।

दूसरा प्रमाण इस दल के मंत्रियों की ग़ैरजिम्मेदारी का महत्वपूर्ण अवसरों पर उनकी ग़ैर हाज़िरी के आँकड़ों से भी मिल सकता है। अस्तु, उनमें इस प्रकार की ग़ैरजिम्मेदारियाँ क्योंकर पैदा हो सकीं, इसके कारणों पर विचार करने के पहले अच्छा यह होगा कि कुछ थोड़े से शब्दों में यह भी मालूम कर लिया जाय कि बृटिश जनता के लिए इस समय पार्लिमेंट जैसी संस्था का मूल्य क्या है।

इस समय केवल कुछ थोड़े से छोटे-मोटे अपवादों को छोड़ कर बृटिश प्रजावर्ग के प्रायः प्रत्येक बालिश मनुष्य को पार्लिमेंट के निर्वाचन में वोट देने का अधिकार प्राप्त है। यह सार्वजनिक मताधिकार यहाँ के लोगों को केवल उन्नीसवीं शताब्दी से ही प्राप्त हुआ है। सन् १८३२ ई० के पूर्व वोट देने का यह अधिकार वहाँ के दो या अढ़ाई लाख आदमियों को भी मुश्किल से प्राप्त था। किंतु आज यह करीब तीन करोड़ निवासियों को प्राप्त है।

सन् १८३२ ई० के सुधार-क़ानून से मतदाताओं की संख्या लगभग ४,५०,००० की गई थी। सन् १८६७ में यह संख्या दस लाख तक पहुँची, और सन् १८८४ में यह २०,००,००० तक हो गई।

पश्चात् सन् १९१८ में यह सिद्धांत रक्खा गया कि हर एक मनुष्य को एक वोट देने का अधिकार होगा और तीस वर्ष से ऊपर अवस्था वाली स्त्रियों को भी वोट देने का अधिकार प्राप्त रहेगा। इस प्रकार मतदाताओं की संख्या इस समय २ करोड़ १० लाख तक पहुँच गई। अंत में सन् १९२९ ई० में स्त्रियों को भी पुरुषों ही की तरह अधिकार मिल गया, जिससे यह संख्या २ करोड़ ८८ लाख ५० हजार तक जा पहुँची। अब इस समय प्रत्येक ब्रिटिश नागरिक को पार्लिमेन्ट के निर्वाचन में न केवल वोट देने का ही अधिकार है, वरन उसे मेम्बरी के लिए भी खड़े होने का पूरा हक शामिल है। धन या जायदाद इत्यादि रखने की जो शर्तें किमी जमाने में मौजूद थीं वे अब एकवारगी उठा दी गयी हैं। अस्तु, अब हर एक आदमी, जिसके पास केवल डिपॉजिट भर जमा करने के लिए रकम मौजूद हो, पार्लिमेन्ट की मेम्बरी का उम्मीदवार हो सकता है।

आज मे लगभग डेढ़ सौ वर्ष पहले ब्रिटिश शासन का प्रायः सम्पूर्ण अधिकार उस देश के ज़मीन्दारों और ताल्लुकेदारों के ही हाथ में था। आगे चलकर उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ से कुछ थोड़ा-थोड़ा हिस्सा महाजन और व्यापारी वर्ग को भी इसमें दिया जाने लगा। उदाहरणार्थ, सन् १८१६ में हाउस आफ़ कामन्स के ६०० सदस्यों में से ५० सदस्य व्यापारी और महाजन थे। इस प्रकार प्रकट है कि सन् १८१७ में ब्रिटिश द्वीप के अन्दर केवल जमींदारों और पूँजीपतियों की ही नंगी और निर्लज्ज हुकूमत मौजूद थी। देश के मुट्ठी भर अमीरों का ही समुदाय सम्पूर्ण समाज पर अपना शासन-चक्र अपनी स्वार्थपूर्णा नीति के अनुसार चला रहा था। उसके मार्ग में यथेच्छ मनमानी करने के लिए यदि कुछ भी रूकावट इस समय थी तो वह केवल जनता के विद्रोह करने का ही थोड़ा बहुत भय था।

आगे चलकर जब निर्वाचन का अधिकार जनता को मिला तो उस समय भी कोई विशेष परिवर्तन इस अवस्था में एकवारगी नहीं हो

पाया। न पार्लिमेंट के निर्माण में ही कोई महत्वपूर्ण काया-पलट दिखाई दी। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि जनता में मताधिकार की बृद्धि के साथ-साथ तथा पार्लिमेंट की मंजरी के लिए धन और जायदाद की क़ैद उठ जाने से अब राजनीतियों को, चाहे वह उदार दल के हों अथवा अनुदार दल के, अपना कार्यक्रम बनाने में जनता की माँगों का पहले से अधिक ध्यान रहने लगा।

बहुत समय तक इंग्लैंड में केवल दो ही राजनैतिक दल काम करते थे:—(१) लिबरल अर्थात् उदारदल; और (२) टोरी अर्थात् अनुदार दल। इन्हीं दोनों दलों में से जनता को अपने प्रतिनिधि पार्लिमेंट के लिए चुनने पड़ते थे। यद्यपि ये दोनों दल वहाँ की गरीब जनता की दृष्टि में अपनी अपनी स्वार्थ पूर्ण नीति से नित्य प्रेरित रहा करते थे, जिससे उनके विषय में यह कहा जा सकता था कि:—

जैसे लिबरल वैसे टोरी।

जैसे नाला वैसे मोरी ॥

किंतु फिर भी इन दोनों दलों की पारस्परिक प्रतिद्वन्दिता और लड़ाई प्रजा के हक में लाभदायक ही सिद्ध हुई, कारण कि दोनों ही के लिए जनता को अपने पक्ष में लाने और उसकी वोट को अपनाने की ज़रूरत रहती थी। अतएव दोनों ही को अपना ध्यान सार्वजनिक हित की ओर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता था।

पश्चात् बीसवीं शताब्दी के आरंभ से मजदूर-दल भी मैदान में आगया। इसका निर्माण ट्रेड-यूनियन-आन्दोलन की उस ज़बरदस्त बाढ़ के कारण सम्भव हो सका, जो इंगलिस्तान के अन्दर उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में दिखाई दी थी। यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि प्रजा के बहुत कुछ हाय-तोबा मचाने से कितने ही महत्वपूर्ण सुधार पुराने राजनैतिक दलों से भी प्राप्त किये जा चुके थे, तोभी अब लोगों को धीरे-धीरे यह बात विदित हो चली कि बिना किसी प्रजातंत्रात्मक ढंग पर राजनैतिक

दल का निर्माण हुए देश और जाति की सर्वांगीण उन्नति नहीं की जा सकती। निदान मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार पर जो कानूनी बाधाएँ उस समय वहाँ उपस्थित थीं और जिनके विषय में दोनों पुराने दलों के राजनीतिज्ञ टस से मस नहीं हो रहे थे, उसी सवाल को लेकर एक ज़बर्दस्त आन्दोलन खड़ा कर दिया गया और फिर उसी के परिणाम स्वरूप मजदूरों के एक स्थायी राजनैतिक दल का भी संगठन हो गया।

मजदूर दल के राजनैतिक क्षेत्र में आते ही वोटों के लिए यकायक प्रतिद्वन्द्विता भयंकर रूप से बढ़ गई। अनुदार दल को अब अपने ऊपर प्रजा की सहानुभूति बनाए रखने के लिये ऐसे-ऐसे मुधारों पर स्वीकृति देनी पड़ी, जिनका उन्नीसवीं शताब्दी में कहीं नाम तक नहीं सुनाई देता था। साथ ही सन् १९१३ से ले कर सन् १९३० तक में शिक्षा के विषय में सरकारी खर्च १,७०,००००० पाँड से बढ़ करीब पाँच करोड़ पाँड तक पहुँच गया। उसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग आदि अन्य लोकोपयोगी विषयों पर भी खर्च की अत्यधिक वृद्धि की गई, यह मारी उन्नति केवल इसलिए हो सकी कि प्रजा में से हर एक। व्यक्ति के हाथ में इस समय पार्लिमेंट के निर्वाचन का अधिकार मौजूद है। यदि आज यह अधिकार उनसे छीन कर केवल कुछ थोड़े से व्यक्तियों में सीमित कर दिया जाय, तो निश्चय है कि आज ही से इन लोकोपयोगी कामों में खर्च की कंजूसी की जाने लगे। इसी प्रकार मजदूरों के संघटित होने और अपना स्वतंत्र ट्रेड यूनियन बनाने की स्वाधीनता भी इसी जनतंत्रवाद का परिणाम है। बिना ऐसी ट्रेड यूनियनों के मजदूरों की वह मजदूरी क्लायम नहीं रह सकती जो आज उन्हें मिल रही है।

किन्तु सन् १९३१ में ब्रिटेन की शासन-नीति में एक गंभीर प्रतिक्रिया उत्पन्न हो गयी है, जो इसके पहले सौ वर्षों में भी कभी नहीं दिखाई पड़ी थी। उदाहरणार्थ, मजदूरों के शिर पर कर का बोझ अब अत्यधिक बढ़ा दिया गया है, जो पिछले सौ वर्ष की पहली घटना कही जा सकती है। इसी प्रकार खाद्यपदार्थों पर भी अब भारी

महसूल लाद दिया गया है, जिसका परिणाम गरीबों को ही भुगतना पड़ता है, और जो पिछले सौ वर्षों में कभी नहीं हुआ था। शिक्षा के विषय में हर एक व्यक्ति के लिए माध्यमिक शिक्षा का जो आदर्श सामने लाया जा रहा था, वह अब यकायक उठा कर ताक पर रख दिया गया है और अब माध्यमिक स्कूलों में फ्रीस लगाने की भी घोषणा कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त सरकारी भेद को खोलने तथा अराजकता को उभाड़ने के सम्बन्ध में जो नये-नये कानून (Official Secrets Act;* and Incitement to Disaffection Act) सन् १९३४ में पत्रकारों के विरुद्ध पास किये गये हैं तथा सार्वजनिक सभाओं और जलूमों पर जो नयी-नयी पाबन्दियाँ लगायी गयी हैं वे सभी ब्रिटिश जनता के अनुभव में पिछले एक सौ वर्षों में आज पहली ही बार दिखाई दी हैं। अंग्रेजों की सार्वजनिक स्वाधीनता पर इतने दिनों से इस प्रकार की क़ैद कभी नहीं लगायी गयी थी।

किन्तु इस उलटी नीति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उस अनुदार दल के ऊपर है, जो सन् १९३१ से ब्रिटिश राज्य का शासन-कार्य चला रहा है। अनुदार दल के वे सदस्य जो आज पार्लिमेंट के मेम्बर हैं यदि उसका समर्थन न करते तो सरकार यह उल्टा रास्ता कभी न पकड़ती। और यदि पकड़ती भी तो मंत्रिमंडल को तत्काल बदल देना या उसमें अपने नये आदमियों को नियुक्त करना उस दल के हाथ में था। वास्तव में सम्पूर्ण अनुदार दल की ही इसमें सहमति है। अस्तु, अब देखना यह होगा कि ये अनुदार दल के मेम्बर किस साँचे में ढले हैं और उनकी इस अनुदार नीति का वास्तविक रहस्य क्या है। वस, इसी उद्देश्य को लेकर यह पुस्तक लिखी गयी।

यहाँ हम सरकारी पत्र के पार्लिमेंटी मेम्बरों के व्यक्तिगत विचारों के विषय में कुछ नहीं कहना चाहते। बात यह है कि पार्लिमेंट का कोई

* जनता के विरोध के कारण इस कानून में अब कुछ सुधार कर दिया गया है।

भी सदस्य ऐसा नहीं है जिसके सम्बन्ध में यह कहा जा सके कि वह अपना निर्णय देने में अपनी नीति और अपने विचारों को संपूर्ण स्वतंत्रता के साथ काम में लाता है। बहुत कुछ उसके विचार उन परिस्थितियों से प्रभावित हुआ करते हैं, जिनके बीच में उसे नित्य रहना पड़ता है। इस बात को स्वयं एक अनुदार दल के पार्लिमेंटी सदस्य मिस्टर हेली हचिन्सन इस प्रकार स्वीकार करते हैं:—

“राजनैतिक पुरुषों का आज जैसा कुछ व्यवसाय चल रहा है उसका दोष उन्हें नहीं दिया जा सकता, वास्तव में उनके व्यवसाय के सच्चे स्वरूप को भी हमें समझना चाहिए। राजनैतिक पुरुष वास्तव में किसी एक ऐसे पक्ष के स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैदान में आता है, जिसको कुछ अपने खाम उद्देश या उद्देशों को ही पूरा करने की चिंता रहती है और जो उंग दूरे पक्ष वालों के साथ अपनी तरफ़ की बातचीत या मोलभाव करने वाला केवल वकील या दल्लाल समझता है ।....”

हमें यह याद रखना चाहिए कि पार्लिमेंट के सदस्य पहिले अपने-अपने पक्ष की ओर से नामज़द कर दिये जाते हैं और तब जनता उन्हें चुनती है। जनता को यदि किसी भी अनुदार दल वाले को चुनना है तो वह केवल इन्हीं नामज़द किये हुए व्यक्तियों को अपना वोट दे सकती है, दूसरे को नहीं। ये नामज़द व्यक्ति भी अनुदार दल की ओर से केवल इसलिए नामज़द किये जाते हैं, क्योंकि वे अनुदार दल के अधिक शक्तिपूर्ण भाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त समझे जाते हैं। अतएव उनका हाथ इस शक्तिपूर्ण भाग का स्वार्थ-साधन करने के लिए हर प्रकार से बंधा सा रहता है।

अब वे लोग कौन हैं जो उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाते हैं और उनके स्वार्थ क्या हैं? यदि इन प्रश्नों का हम सही-मही जवाब लेवें

तो हमें उनकी ओर से पार्लिमेंट में बैठने वाले सदस्यों के भी आचरणों तथा व्यवहारों का सही एवं सच्चा ज्ञान हो जायगा। अस्तु, अनुदार दल वालों की सामाजिक रचना और स्थिति का ही अध्ययन करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है, और इसी के लिए इस पुस्तक में आगे चेष्टा की जायगी। साथ ही इस दल के पार्लिमेंटी प्रतिनिधियों की लिखी हुई पुस्तकों में से भी कुछ अंश यथास्थान उद्धृत किये जायेंगे, जिनसे उनके आन्तरिक विचारों का सच्चा और असली चित्र प्राप्त हो जायगा, कारण कि पार्लिमेंटी भाषणों में उनकी ज़बान उतनी खुली हुई नहीं रहती, जितनी कि उनकी पुस्तकों में, और इसलिए उनकी पुस्तकें ही उनके विचारों का सच्चा दिग्दर्शन कराने वाली कही जा सकती हैं।

जनसत्तात्मक शासन का यथोचित रूप से क़ायम रहना प्रजा की उस योग्यता पर निर्भर है, जिसके द्वारा वह अपने पार्लिमेंटी सदस्यों को अपनी इच्छानुसार चलने के लिए प्रेरित कर सकती है। इसमें संदेह नहीं कि ब्रिटिश जनता के हाथ में यह शक्ति मौजूद है कि वह जिन लोगों के काम को नापसंद करे उन्हें भविष्य में पार्लिमेंट का मेम्बर न चुने। किंतु फिर भी एक ओर दजें को अंग्रेज़ को इस बात की अभिज्ञता नहीं होती कि उसकी पार्लिमेंट के अथवा हाउस आफ़ कामन्स के सदस्य कौन और कैसे हैं और उनका आचार-व्यवहार कैसा है। उसको जानकारी इस विषय में बिल्कुल ही न-कुछ सी रहा करती है।

इस समय पार्लिमेंट में कितने ही ऐसे अनुदार दल के सदस्य मौजूद हैं, जिन्हें वहाँ जनतंत्रवाद की दृष्टि से हर्गिज़ स्थान नहीं मिलना चाहिए था। अनुदार दल साधारणतः अपने को जनतंत्रवाद का पोषक बतलाता है और जनसत्तात्मक शासन का हिमायती होने का दावा करता है। किंतु फिर भी उसके हेड आफ़िस से पार्लिमेंट की मेम्बरी के लिए ऐसे-ऐसे उम्मीदवार खड़े किये जाते हैं, जो इंग्लिस्तान में फ़्रांसिस्ट राज्य अर्थात् तानाशाही हुकूमत क़ायम करने के खुले

आम पक्षपाती बन रहे हैं। उदाहरणार्थ, २५ अप्रैल सन् १९३४ के डेली मेल नामक पत्र में सर टामस मोर का लिखा एक लेख निकला था, जिसका शीर्षक था—

“अनुदार दल में जो कुछ कमी है उसे पूरा करने की सामग्री काली कुर्ती वालों के (अर्थात् फ्रासिस्ट दल के) पास मौजूद है ।” इसी प्रकार १० अक्तूबर सन् १९३६ के मैन्चेस्टर गार्जियन (Manchester Guardian) में सर आर्नल्ड विल्सन ने लिखा था, “मैं हिटलर से कितनी ही बार मिल चुका हूँ। मेरा विश्वास है कि वह विश्व-शांति के लिए एक बहुत बड़ा साधन सिद्ध होगा।” ये दोनों ही व्यक्ति पार्लियामेंट के सदस्य हैं और अनुदार दल के एक बहुत बड़े भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एक अन्य पार्लियामेंटी अनुदार सदस्य इंगलिस्तान में प्रचलित मुफ्त और अनिवार्य शिक्षानीति के बड़े खिलाफ हैं। एक दूसरे सदस्य (Mr. Austin Hopkinson M. P.) बेकारों को दी जाने वाली सरकारी सहायता पर अपना रोप दिखलाते हैं। इसी प्रकार और भी कितने ही ऐसे उद्धरण इन पार्लियामेंटी अनुदार सदस्यों के लेखों और ग्रंथों से दिये जा सकते हैं, जिनसे इनकी निर्लज्ज प्रतिक्रियात्मक नीति का भरपूर परिचय मिलता है। अत्र यह सोचने की बात है क्या ऐसे-ऐसे व्यक्तियों से भी बने हुए दल के हाथ में कभी जनतंत्रवाद सुरक्षित रह सकता है।

हम यह पहिले बता चुके हैं कि हर एक राजनैतिक दल के लिए अपनी ओर से पार्लियामेंट के उम्मीदवार नामजद करना कितने बड़े महत्व का विषय है। आगे चल कर हम यह भी बतलावेंगे कि ये उम्मीदवार खड़े किस ढंग पर किये जाते हैं। किंतु हम यहाँ एक उदाहरण इस बात का दे देना चाहते हैं, जिससे यह मालूम होगा कि अनुदार दल अपने निर्वाचन-कार्य में जनतंत्रात्मक सिद्धांतों की कभी-कभी किस

प्रकार हत्या कर डालता है। अर्ल विंस्टन सन् १९३२ में ब्रिटिश मंत्रि-मंडल के एक सदस्य थे। उन्होंने सन् १९३२ में अपना पूर्व जीवन वृत्तांत लिखते हुए, “महायुद्ध से पहले” शीर्षक देकर एक लेख में यह बतलाया है कि अनुदार दल की ओर से वह पहले-पहल उम्मीदवार किस प्रकार बनाये गये थे। वह लिखते हैं:—

“अक्टूबर सन् १९०४ के आरंभ में मैं युनिवर्सिटी के तीसरे साल का अध्ययन आरंभ करने के लिए आक्सफोर्ड गया। यहाँ बहुतों से मेरी दोस्ती हुई, खूब घुड़मवारी की गयी, जाड़े के दिनों में खूब शिकार खेला और गर्मी में खूब पोलो। किंतु मानसिक उन्नति के विचार से दुर्भाग्यवश भरे ये दो वर्ष बिल्कुल ही बेकार बीते, जिसका सारा दोष मुझपर ही है। अक्टूबर लगते ही होशम डिवीजन की ओर से पार्लिमेंटी सदस्य मिस्टर हेउड जान्स्टन (Heywood Johnstone) की मृत्यु हो गयी और बुधवार १९ अक्टूबर को स्थानीय अनुदार दल के एसोसियेशन की निर्वाचक कमेटी ने उनकी जगह पर मुझे अनुदार दल का उम्मीदवार बना दिया। फिर लार्ड लेकन फील्ड की सहायता से मैं पार्लिमेंट का सदस्य चुन भी लिया गया। उस समय मेरी अवस्था एककीसदर्प और छः मास की थी।”

अब यह एकहीस साल का बालक अनुदार दल की ओर से क्यों खड़ा किया गया इस बात को भी जान लेना जरूरी है, कारण कि यही सिद्धांत वास्तव में तमाम दूसरे अनुदार सदस्यों के लिए भी लागू हुआ करते हैं। उसे पार्लिमेंट की मेम्बरी के योग्य केवल इसलिए समझा गया कि वह एक बहुत बड़े रईस और ताल्लुकेदार घराने का लड़का था। उसकी गिनती साधारण प्रजावर्ग में न थी, बल्कि उमरावों में थी। उसकी योग्यता की सब से बड़ी दलील उसकी सम्पत्ति ही थी।

सच पूँछिए तो यही कारण है कि अनुदार दल वालों में हम साधारण जनता के प्रति न केवल सहानुभूति का अभाव ही देखते हैं, बल्कि प्रत्यक्ष घृणा और उपेक्षा की भी बहुत कुछ मात्रा मौजूद पाते हैं।

ऊपर हम जितने अनुदार दल के सदस्यों का उल्लेख कर आये हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं है, जिसे साधारण जनता का आदमी कहा जा सके।

इस समय हाउस आफ़ कामन्स में सरकारी पक्ष के कुल सदस्यों की संख्या ४०० है। इनमें से अभी तक केवल दो ही चार का उल्लेख ऊपर किया गया है। किंतु इस दल का हाल-चाल वास्तविक रूप से समझने के लिए उन सबों का ही रंग-ढंग मालूम करना ज़रूरी होगा। आगे चलकर हम धीरे-धीरे इसे दिखलायेंगे। यहाँ केवल हम इन सदस्यों की अमीरी के ही कुछ थोड़े से रुबूत पेश कर देना चाहते हैं

सन् १९३१ से लेकर सन् १९३८ तक में अनुदार दल के कुल ४३ पार्लिमेंटी सदस्य मर चुके हैं। इनमें से ३३ सदस्यों की सम्पत्ति और जायदाद के आँकड़ें तो प्राप्त हो चुके हैं, किंतु शेष १० सदस्यों के अभी तक नहीं मिल सके। जो आँकड़ें प्राप्त हो चुके हैं, वे इस प्रकार हैं :—

२ पार्लिमेंटी सदस्य १०,००००० पाँड से भी अधिक छोड़ गया।

१२ पार्लिमेंटी सदस्य १,००००० पाँड से लेकर १०,००००० पाँड तक छोड़ गया।

७ पार्लिमेंटी सदस्य ४०,००० पाँड से लेकर १०,०००० पाँड तक छोड़ गया।

७ पार्लिमेंटी सदस्य २०,००० पाँड से लेकर ४०,००० पाँड तक छोड़ गया।

५ पार्लिमेंटी सदस्य १०,००० पाँड से लेकर २०,००० पाँड तक छोड़ गया।

उपरोक्त लेखा अनुदार पार्लिमेंटी सदस्यों की अमीरी का बहुत ही सच्चा नमूना है। इससे जान पड़ेगा कि अनुदार दल का एक बहुत

बड़ा भाग बेहद अमीर है। ३३ सदस्यों में से १४ सदस्य—अर्थात् करीब ४२%— एक लाख पौंड से भी अधिक सम्पत्ति छोड़ गये। इतनी सम्पत्ति सारी बृटिश जनता में केवल १ प्रतिशत व्यक्तियों के पास है।

इन आँकड़ों से यह भी जान पड़ता है कि प्रायः हर एक अनुदार पार्लिमेंटरी सदस्य को सर्टैक्स (Surtax) ज़रूर अदा करना पड़ता होगा। अनेक भागों से होने वाली इनकी आमदनी प्रायः प्रत्येक अनुदार सदस्य को कम से कम दो हज़ार पौंड सालाना आमदनी वाले व्यक्तियों की श्रेणी में ज़रूर पहुँचा देती है। किंतु अधिकांश करीब दस हज़ार पौंड तक की सालाना आमदनी पर इनकमटैक्स देते हैं; और जैसा कि हम आगे चल कर देखेंगे, कुछ अनुदार सदस्य ऐसे भी हैं जो तीस हज़ार, चालीस हज़ार अथवा एक-एक लाख पौंड तक की सालाना आमदनी पर इनकम टैक्स अदा किया करते हैं।

केवल वे ही व्यक्ति (अनुदार) दल की ओर से पार्लिमेंट की उम्मीदवारी के लिए खड़े होने की आशा रख सकते हैं जो काफ़ी धनवान हैं। इस बात के एक नहीं, अनेकों प्रमाण दिये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, स्वयं अनुदार दल की ओर से एक उम्मीदवार मिस्टर आयन हार्वे (Mr. Ian Harvey) ने ४ जनवरी सन् १९३६ को 'ईवनिंग स्टैन्डर्ड' नामक पत्र में इसी विषय की चर्चा करते हुए अनुदार दल के तमाम उम्मीदवारों को तीन श्रेणी में विभाजित किया था, जो इस प्रकार हैं :—

(१) प्रथम श्रेणी में वे लोग रखे जा सकते हैं, जो चुनाव सम्बंधी अपना संपूर्ण व्यय (४००, पौंड से लेकर १२०० पौंड तक) स्वयं उठाने को तैयार हैं और साथ ही पाँच सौ पौंड से लेकर एक हज़ार पौंड तक अपने स्थानीय एसोसियेशन को चन्दा भी देते हैं।

इस श्रेणी के लोगों को अनुदार दल की ओर से पार्लिमेंट के लिए खड़े किये जाने की सब से अधिक आशा रहती है।

इस प्रकार के उम्मीदवार केवल वे ही लोग कहे जा सकते हैं जिनकी वार्षिक आमदनी दस हजार पाँड से ऊपर है।

(२) दूसरी श्रेणी के लोग वे हैं जो चुनाव-सम्बन्धी आधा खर्च बर्दाशत कर सकते हैं और एमोमियेशन को २५० पाँड से लेकर ४०० पाँड तक चन्दा दे सकते हैं। इस श्रेणी के व्यक्तियों को उम्मीदवारी के हेतु लिये जाने की आशा केवल सोधारण दर्जे तक की जा सकती है।

(३) तीसरी श्रेणी में वे लोग शामिल हैं जो अपना चुनाव-सम्बन्धी खर्च विलकुल नहीं उठा सकते और चन्दा भी केवल १०० पाँड या इससे कम दे सकते हैं। इस प्रकार के लोगों के लिए पार्लिमेंट की उम्मीदवारी की संभावना बहुत ही कम रहा करती है।

३० मार्च मिन १९३६ को एक दूसरे लेख में यही मिस्टर हार्वे, जिनका उपर उल्लेख किया जा चुका है, इस सम्बन्ध में फिर लिखते हैं कि “प्रत्येक उम्मीदवार से सबसे पहिले अनुदार दल की ओर से जो सवाल किया जाता है वह केवल यही कि तुम्हारे पास धन कितना है।.....”

अस्तु, इन सब बातों का निष्कर्ष केवल यह निकलता है कि जो लोग कम से कम २००० पाँड की आमदनी या इससे अधिक पर सटैक्स देने वाले नहीं हैं, उनके लिए अनुदार दल की ओर से पार्लिमेंट का सेदस्य बन सकना बहुत ही कठिन है। जो सबसे उत्तम निर्वाचन-क्षेत्र सम्भजे जाते हैं वे सदा उन्हीं लोगों को दिये जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा धनवान हैं, अर्थात् जिनकी सालाना आमदनी १०,००० पाँड से भी अधिक रहा करती है।

ब्रिटिश द्वीप में कुल मिलाकर लगभग २ करोड़ १० लाख प्राणी ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार की आमदनी रखते हैं। इनमें से

केवल एक ही लाख व्यक्ति (अर्थात् ५ प्रतिशत) ऐसे कहे जा सकते हैं, जिनकी सालाना आमदनी दो हज़ार पाँड या इससे अधिक है। और जिनकी आमदनी दस हज़ार पाँड से भी अधिक है ऐसे लोगों की संख्या दस हज़ार से ज्यादा नहीं कही जा सकती। करीब ८८ प्रतिशत मनुष्यों की सालाना आमदनी २५० पाँड से भी कम है।*

ये आँकड़े इस बात को सिद्ध करते हैं कि अनुदार दल के पार्लिमेंटी सदस्य समाज के उस अंग के कल-पुर्जे हैं, जिनका साधारण जनता के साथ किसी बात में भी मेल नहीं बैठ सकता। वे अमीरों और पूंजीपतियों की जाति-वाले हैं। अतएव उनमें अपनी जाति के हितसाधन और स्वार्थ-रक्षा की चिंता होना स्वाभाविक ही है। यह उनके दल का कोई दोष नहीं, बल्कि प्रकृतिजन्य राजनैतिक स्वभाव ही है। जैसा कि सर टामस अर्स्किन मे (Sir Thomas Erskine May) ने सन् १८७८ में लिखा था, आज भी उन्हीं के शब्दों में “धन, रूतबा और मज़दूरों को गुलाम बना रखने वाली शक्ति का पूर्ववत् बोल बाला है।”

आगे के अध्यायों में हम अभी और स्पष्ट रूप से देखेंगे कि इस धन, रूतबा और मज़दूरों को गुलाम बना रखने वाली शक्ति से अनुदार दल कहाँ तक ओत-प्रोत तथा नियंत्रित है। मज़दूर दल बस इसी शक्ति का मुकाबला करने के लिए दुनिया में पैदा हुआ है। अतएव उसके निर्माण की आधार शिला इससे बिल्कुल ही विपरीत ढंग की दिखाई देती है।

* गरीब भारतीयों की आमदनी का इन लोगों की आमदनी से क्या मुकाबला किया जा सकता है! यहाँ तो अधिकांश प्राणियों को साल में एक मास भी भरपेट अन्न नहीं नसीब होता—६० प्र० गोयल।

दूसरा अध्याय

व्यापारियों के हाथ में बृटिश राज्य का शासन

सन् १६३६ में प्रति रविवार को प्रकाशित होने वाले एक बृटिश पत्र में निम्न-लिखित पंक्तियाँ छपी थीं :—

“माननीय वाल्टर रन्सीमैन पहिले ‘रायल मेल स्टीम पैकेट कं०, के डायरेक्टर थं । उनके पिता लार्ड रंसीमैन भी पाँच जहाज़ी कंपनियों के डायरेक्टर हैं और बृटिश स्टीमशिप अनॉर्स एसोसियेशन (अर्थात् जहाज़ी मालिकों के संघ) में सदस्य हैं । साथ ही उनके पुत्र, वाल्टर लेस्ली रन्सीमैन भी लायड बैंक के अतिरिक्त चार जहाज़ी कंपनियों के डायरेक्टर हैं ।”

“स्वयं उनके पास ‘मूर लाइन लिमिटेड’ (एक जहाज़ी कंपनी) के २१००० पाँड के शेयर हैं । तां भी बोर्ड आफ़ ट्रेड के प्रेसिडेंट की हैसियत से उन्हीं के हाथ में यह काम सौंपा गया है कि वे सरकार की ओर से हाउस आफ़ कामन्स में जहाज़ी व्यवसाय के लिए बीस लाख पाँड की सहायता का प्रस्ताव रखें और मंजूरी मिल जाने पर उसका प्रबंध भी स्वयं ही करें ।”

न्याय का एक बहुत प्राचीन सिद्धांत है कि “कोई व्यक्ति अपने पक्ष में स्वयं निर्णय नहीं कर सकता ।” इस सर्व-स्वीकृत सिद्धांत की सरकारी राजनीतिज्ञों द्वारा किस प्रकार हत्या की जाती है इसका एक बहुत साधारण दृष्टांत ऊपर के उद्धरण में मौजूद है ।

सर्भा अदालतों के जज और जूरी पर उपरोक्त सिद्धांत का पालन लाजिमी समझा जाता है । प्राचीन रोमन-काल से उसका प्रयोग निरंतर होता आ रहा है । एक बार सन् १८५२ ई० में लार्ड चान्सलर काटनहम

ने अपना पैसला किसी ऐसी कंपनी के पक्ष में दे दिया था जिसके वह स्वयं हिस्सेदार थे। निदान उनका यह पैसला हाउस आफ़ लार्ड्स ने रद्द कर दिया।

किन्तु राज्य की सब से बड़ी न्याय-सभा पार्लिमेंट में इस सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया जाता। केवल लार्ड रन्सीमैन के सम्बंध में दिया हुआ ऊपर का उदाहरण अकेला नहीं है। कोड़ियों ऐसे उदाहरण अन्य अनुदार सदस्यों के भी दिये जा सकते हैं, जिनमें उन्होंने अपने पक्ष का पैसला स्वयं कर लिया है और कानूनन इसके वे हकदार भी समझे जाते हैं।

अब उनके वास्तव उपाय क्या है? कौन उन्हें इस सिद्धांत का पालन करने के लिए मजबूर कर सकता है? पार्लिमेंट से ऊँची कोई दूसरी अदालत तो देश में है ही नहीं। हाँ, जनता यदि चाहे तो उन्हें अवश्य रास्ते पर ला सकती है। एक जज यदि आज अपनी कंपनी के पक्ष में पैसला देता है तो उसका वह पैसला ऊँची अदालत से अवश्य रद्द कर दिया जायगा। किंतु यदि पार्लिमेंट अपने कुछ मेम्बरों को लाभ पहुँचाने के लिए कोई कानून बनाना तय करती है तो उसका हाथ रोकने वाला देश में कोई नहीं। एक मात्र इसका इलाज केवल उस जनता के हाथ में है जो उन्हें चुनकर पार्लिमेंट में भेजा करती है।

किसी जज के लिए अपने पक्ष में निर्णय करना इसलिए अनुचित समझा जाता है कि उससे मुकदमों के दूसरे फ़रीक़ पर ज्यादाती होती है। इसी प्रकार पार्लिमेंट के लिए भी अपने कुछ मेम्बरों को लाभ पहुँचाने का निर्णय करना बिल्कुल अनुचित और निरंकुशता पूर्ण कार्य है, कारण कि उससे भी जनता के अन्य समूहों पर ज्यादाती हो सकती है। अस्तु पूर्वोक्त न्याय-सिद्धांत पर चलने के लिए पार्लिमेंट को मजबूर करना जनता के हक़ में उतना ही आवश्यक है जितना कि अदालतों द्वारा इस सिद्धांत का पालन किया जाना।

एक प्रसिद्ध जर्मन कानूनी विशेषज्ञ इस सम्बंध में लिखता है :—

“जब कभी पार्लिमेंट का कोई सदस्य अपना सम्बंध बाहर की व्यापारिक दुनिया से रखता है, विशेष कर जब उसका ताल्लुक किसी खास फ़र्म से रहा करता है, तो यह निर्विवाद है कि उसके निजी स्वार्थों और उसके राजनैतिक कर्तव्यों की आपस में सदैव टक्कर होते रहने का भय उपस्थित रहेगा और जब-जब ऐसा समय आयेगा तो वह नित्य अपने स्वार्थों के ही पक्ष में फ़ैसला करेगा।”

यह केवल एक विद्वान की राय है। इसी प्रकार और भी अनेकों विद्वानों की राय इस विषय में उद्धृत की जा सकती है। सबों का निष्कर्ष केवल यह है कि पार्लिमेंट के मंत्रियों के लिए व्यापारी या व्यवसायी होना उनके राजनैतिक कर्तव्यों के पालन में बाधक है। एक कोयले की खदान का मालिक यदि कोयले की खदान सम्बंधी बिल पर बोलता है या राय देता है, अथवा यदि किसी जहाज का मालिक जहाज़-सम्बंधी बिल पर बोलता या राय देता है तो ऐसी दशा में दोनों ही अपने अपने पक्ष का स्वयं निर्णय करने के अपराधी हैं और इस सम्बंध का अलिखित कानून तोड़ रहे हैं। किंतु यह कानून केवल अपने व्यवसाय को सार्वजनिक पैसे से सहायता दिलाने से ही नहीं तोड़ा जाता, अपने वर्ग या समूह के लाभार्थ कार्यवाही करके भी यह तोड़ा जा सकता है। उदाहरणार्थ, सट्टेंक्स अदा करने वाला एक रईस मेम्बर यदि सट्टेंक्स की वृद्धि के विपक्ष में वोट देता है अथवा एक ज़मींदार म गुज़ारी बढ़ाने के विरुद्ध बोलता है तो उस अवस्था में भी उपरोक्त कानूनी सिद्धांत का अपहनन ही होता है, कारण कि इस प्रकार वह न केवल अपने ही स्वार्थ के पक्ष में फ़ैसला करता है, बल्कि अपने उस छोटे से समूह के पक्ष में भी फ़ैसला देता है, जिसकी संख्या संपूर्ण प्रजा में केवल एक प्रतिशत है।

प्रथम अध्याय में हम देख आये हैं कि अनुदार दल के पार्लिमेंटी मेम्बरों में एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जो उन्हें साधारण प्रजा से

बिल्कुल अलग किये रहती है। अर्थात् वे साधारण नागरिकों की अपेक्षा अत्यधिक धनवान हैं। अब इस अध्याय में उनकी एक दूसरी विशेषता का दिग्दर्शन होगा। वह यह कि एक बहुत बड़ी संख्या में पार्लिमेंटी सदस्य व्यापारी दुनिया के महारथी और मजदूरों के मालिक हैं। कामन्स सभा के इस समय ४१५ सरकारी सदस्यों में से कम से कम १८१ अर्थात् करीब ४४ प्रतिशत सदस्य ऐसे हैं जो कम्पनियों के डायरेक्टर और मजदूरों के मालिक बने हुए हैं। पहिले इनकी संख्या इससे अधिक थी।

समस्त बृटिश जनता में यदि हिसाब लगा कर देखा जाय तो कुल कम्पनी-डायरेक्टरों की संख्या उसके ०.१% प्रतिशत भाग से अधिक नहीं है। अस्तु, यह चित्र देखने ही योग्य है कि—

निर्वाचकों में तो कम्पनी-डायरेक्टर केवल ०.१% हैं, किंतु

अनुदार दल में कम्पनी-डायरेक्टर ४४% हैं।

यह हिसाब भी वास्तविक स्थिति से कुछ कम ही करके दिखाया गया है, कारण कि इसमें मंत्रिमंडल के सदस्यों की गणना नहीं की गयी है। मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए एक कानून है कि वे मंत्री-पद पर होते हुए कम्पनी-डायरेक्टर नहीं रह सकते। अस्तु, उतने समय के लिए उन्हें डायरेक्टर पद से अलग हो जाना पड़ता है, किंतु बाद में वे फिर डायरेक्टर बन सकते हैं। इस प्रकार यदि देखा जाय तो मंत्रिमंडल के भी अधिकांश सदस्य किसी न किसी समय कम्पनी-डायरेक्टर जरूर रह चुके हैं। इन्हें शामिल करने से उपरोक्त ४४% का आंकड़ा और अधिक बढ़ जायगा। मंत्रियों को डायरेक्टर-पद से अलग रखने वाला यह कानून भी उसी सिद्धांत का पोषक है जिसका पहिले उल्लेख किया जा चुका है, अर्थात् “किसी व्यक्ति को अपने पक्ष में निर्णय करने का अधिकार नहीं।”

अधिकांश अनुदार सदस्य ऐसे हैं जो यद्यपि किसी कंपनी के डायरेक्टर तो नहीं, किंतु हिस्सेदार बड़े ज़बर्दस्त हैं। फिर भी एक

भारी हिस्सेदार का महत्व भी डायरेक्टर से कम नहीं कहा जा सकता। उदाहरणार्थ, जब सन् १९२६ में इंग्लैंड के कोयले की खानों का ऋगड़ा छिड़ा था उस समय तत्कालीन प्रधान मंत्री बाल्डविन साहब के पास बाल्डविन लिमिटेड नामक कोयले की एक बहुत बड़ी कंपनी के १,९४,५२६ साधारण शेयर और ३७,५९१ प्रिफ़रेन्स शेयर मौजूद थे। तब क्या वे अपने मामले में फैसला करने के उमी प्रकार अपराधी नहीं कहे जा सकते, जिसे प्रकार कि यदि वे उस कंपनी के डायरेक्टर, हुए होते तो कहे जा सकते ?

ध्यान रहे कि व्यवहारिक दृष्टि से किसी कंपनी की नीति अथवा कार्यवाहियों पर उसके छोटे-छोटे हिस्सेदारों का कोई प्रभाव नहीं हुआ करता। केवल बड़े ही हिस्सेदार उनमें प्रभावित किया करते हैं। फिर भी हम यहाँ हिस्सेदारों को अपने ध्यान से अलग रख कर केवल कंपनी-डायरेक्टरों का ही जिक्र करेंगे, कारण कि हर एक सदस्य के विषय में यह पता लगाना प्रायः असंभव सा है कि किसके पास कितने हिस्से हैं।

पार्लिमेंट के अनुदार सदस्यों में से १८१ व्यक्तियों को कंपनी-डायरेक्टर का पद प्राप्त है और ये कुल मिला कर इस समय कम से कम ७७५ कंपनियों के डायरेक्टर हैं। व्यौरा नीचे की सूची में दिया जाता है :—

सरकारी सदस्यों में कंपनी-डायरेक्टर

व्यवसाय	सदस्यों की संख्या	उन कंपनियों की संख्या जिसके वे डायरेक्टर हैं
बैंक ...	१६	१८
जान बीमा ...	४३	४६
फाइनेंस कंपनी तथा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ...	२७	४२
रेल तथा हवाई जहाज़	१८	३१
जहाज़ ...	६	१६
रोड ट्रान्सपोर्ट तथा नहर ...	५	१०
मर्चेंट्स शिपिंग और फार्वर्डिंग एजेन्ट्स ...	११	२०
केबुल (cables), तार तथा बेतार का तार	१	१५
लोहा, इस्पात और कोयला } (जिसमें शस्त्रास्त्र इंजीनियरिंग के काम और हवाई विद्या भी शामिल है)	१७ ४२	२६ ८०
शराब बनाना ...	११	२०
खाद्यपदार्थों का बनाना ...	६	१३
तम्बाकू बनाना ...	२	२
पेटेन्ट दवाएँ ...	३	२३
सूत और कपड़े के कारखाने ...	१६	३७
छपाई तथा कागज़ बनाना ...	८	१७
अन्य कारखाने ...	२६	४०
होटल और भोजनालय ...	१०	१६
फुटकर स्टोर ...	१२	१८
समाचार पत्र तथा अन्य प्रकाशन ...	१७	२४
सिनेमा, थियेटर, कुत्तों की दौड़ कराना इत्यादि	१३	१५
बिजली-घर ...	७	४५

व्यवसाय	सदस्यों की संख्या	उन कंपनियों की संख्या जिसके डायरेक्टर हैं
गैस और पानी के कारखाने ...	१०	१२
मकान और इमारतों का निर्माण ...	१४	२६
जमीन जायदाद रखने वाली कंपनियाँ ...	२०	५२
तेल ...	७	६
सोने की खान का काम ...	१३	२५
दूसरे प्रकार की खानें ...	१२	१७
खर के इलाक़े ...	३	१५
चाय तथा क़हवा ...	७	६
अन्य प्रकार ...	१६	२१
टोटल	१८१	७७५

इस प्रकार १८१ अनुदार पार्लिमेंटी सदस्य तो स्वयं ७७५ कम्पनियों के डायरेक्टर हैं। इनके अतिरिक्त अनेकों ऐसे भी हैं जिनके कुटुम्बी-जन अथवा निकट-संबन्धी लोग किसी न किरमी बड़ी व्यापारी कंपनी के डायरेक्टर या मालिक हैं। साथ ही उनके बहुत से घरवाले और नातदार लोग इन कम्पनियों में नौकर भी हैं। अस्तु, प्रकट है कि अनुदार ५९ के पार्लिमेंटी सदस्यों का एक बहुत बड़ा भाग देश की व्यापारिक संस्थाओं में अपना ज़बर्दस्त हाथ रखता है और उसका स्वार्थ इन संस्थाओं के स्वार्थ के साथ अत्यंत अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है।

राष्ट्र की सम्पत्ति पर शासन करने वाला प्रायः सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समुदाय बैंक तथा जान बीमा कंपनी है। इनके जितने डायरेक्टर पार्लिमेंट में बैठते हैं वह संख्या भी ध्यान देने योग्य है।

सरकारी शासन पर ये बैंक अपने इन डायरेक्टरों द्वारा भले ही कोई प्रभाव न डालें, किंतु इनका प्रतिनिधित्व तो सीधा सरकार में मौजूद रहता ही है और सरकारी अर्थनीति तथा सरकारी खजाने के साथ भी इनका सीधा सम्पर्क हो जाता है। एक बार जब किसी मामले में सरकार और बैंकों के बीच कुछ मतभेद पैदा हो गया था तो विलायत के 'फैनेन्शियल टाइम्स' (Financial Times) नामक पत्र ने सरकारी मंत्री से सवाल करते हुए, इस प्रकार लिखा था :—

“क्या मंत्री महोदय और उनके साथीगण इस बात को महसूस करते हैं कि पांच बड़े-बड़े बैंकों के करीब आधे दर्जन कर्णधार यदि चाहें तो परस्पर मिलकर 'ट्रेजरी बिल' को नया करने से इनकार कर दें और इस प्रकार सरकारी अर्थनीति के तमाम ताने-बाने को उलट-पुलट दें ?”

जिन पांच मुख्य बैंकों का यहाँ उल्लेख है वे ब्रिटिश राष्ट्र की प्रायः सारी सम्पत्ति पर अपना एकछत्र शासन रखते हैं। उनकी कुल पूँजी करीब २०,५०,०००००० पाँड हैं; और जो रकम उनके यहाँ करेन्ट डिपॉज़िट (Current deposit) तथा अन्य विविध खातों में जमा है उसकी तादाद तो २ अरब, १ करोड़ पाँड से भी ऊपर पहुँच जाती है। समस्त ब्रिटिश प्रजा की सम्पत्ति का यह एक बहुत बड़ा हिस्सा समझा जा सकता है। अस्तु इसमें संदेह नहीं कि, जैसा कि फ़ैनेन्शियल टाइम्स का कहना है, ये बैंक यदि चाहें तो एक कमजोर सरकार की नौबत को जड़ से हिला डालने की पूरी क्षमता रखते हैं।

बैंक के डायरेक्टर लोग साधारणतः किस श्रेणी के मनुष्यों में से हुआ करते हैं इसका परिचय उनकी उस संख्या से मिल सकता है जिसे सन् १९३१ से लेकर आजतक वर्तमान 'राष्ट्रीय सरकार' के प्रधान मंत्रियों द्वारा 'लार्ड' की उपाधि दिलवाइ जा चुकी है :—

बैंक आफ़ इंग्लैंड २
बांक्ज़ बैंक १

लयाँड बैंक	४
मिडलैंड बैंक	३
नैशनल प्राविन्शल बैंक	३
वेस्ट मिनिस्टर बैंक	२

ये बैंक देश के धन और व्यापार पर अपनी पूँजी के लिहाज से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हाथ रखते हैं। इनका अधिकार न केवल अपने हिस्सेदारों के ही धन पर रहता है, बल्कि करोड़ों अन्य व्यक्तियों की सम्पत्ति पर भी रहा करता है।

यही कारण है कि कुछ प्रजातंत्रवादी देशों में बैंकों के राजनैतिक आचरणों पर प्रतिबंध लगा दिये गये हैं। उदाहरणार्थ ३० दिसम्बर सन् १९२८ को फ्रांस में एक क्लानून इसी प्रकार का बना था, जिसमें फ्रेंच पार्लिमेंट के मेम्बरों को अपनी मंभरी के समय तक किसी बैंक अथवा अन्य किसी महाजन-पेशा कंपनी के डायरेक्टर होने की मनाही करदी गई थी। इस क्लानून के पाम होने में ५७५ वोट पक्ष में मिले थे और केवल ३ वोट विपक्ष में, जो इस बात को मिद्ध करता है कि जनता के विचार इस विषय में कितने ज़ोरदार थे।

इंग्लैंड में इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ कोई भी पार्लिमेंट का सदस्य, बैंक का डायरेक्टर बन सकता है और कोई भी बैंक का डायरेक्टर पार्लिमेंट का सदस्य हो सकता है। उदाहरणार्थ, इस समय भी एक डायरेक्टर बैंक आफ इंग्लैंड का, एक डायरेक्टर मिडलैंड बैंक का तथा दो डायरेक्टर नैशनल प्राविन्शल बैंक के पार्लिमेंट की मेम्बरी कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त पूर्वोक्त पाँचों मुख्य बैंकों के अनेक डायरेक्टर ऐसे भी हैं, जो पार्लिमेंट के भूतपूर्व सदस्य रह चुके हैं। और कुछ तो मंत्रिमंडल तक के भूतपूर्व पदाधिकारी रह चुके हैं।

उदाहरणार्थ, वाईकाउन्ट रन्सीमैन (Viscount Runciman) जो सन् १९२४ से १९३१ तक वेस्ट मिनिस्टर बैंक के

डायरेक्टर थे पार्लिमेंट में भी सन् १९२४ से सन् १९३७ तक मेम्बरी कर रहे थे। सन् १९३१ में वह मंत्रीमंडल में दाखिल हुए। अतएव उक्त डायरेक्टरी से उन्हें इस्तीफा दे देना पड़ा। सन् १९३७ में वह 'पीयर' (Peer) के पद पर चढ़ा दिये गये और वे फिर उसी बैंक के डायरेक्टर निर्णय हुए। अंत में १९३८ में जब वे पुनः मंत्रीमंडल में पहुँचे तब उन्हें फिर अपनी इस डायरेक्टरी से इस्तीफा देना पड़ा।

इसी प्रकार वाइकाउन्ट हार्न (Viscount Horne), जो इस समय लायड बैंक के डायरेक्टर हैं, सन् १९१९ में मजदूर विभाग के मंत्री (Minister of Labour) थे, सन् १९२०-२१ में बोर्ड आफ़ ट्रेड के प्रेसिडेन्ट थे तथा सन् १९२१-२२ में चान्सलर आफ़ एक्सचिंजर थे। ये सब पदाधिकार उन्हें स्वभावतः मंत्रीमंडल के सदस्य की ही हैसियत से मिले थे। इनके अतिरिक्त वह सन् १९१८ से १९३७ तक अनुदार दल की ओर से पार्लिमेंट के मन्वर भी रह चुके हैं।

इसी प्रकार और भी कितने ही बैंक डायरेक्टरों के उदाहरण दिये जा सकते हैं। ये तमाम बड़े बड़े बैंक डायरेक्टर अनुदार दल में तथा देश के शासन में भी समय समय पर अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग लेते रहे हैं।

इनके अतिरिक्त अनेकों बैंक डायरेक्टरों तथा पार्लिमेंट के मेम्बरों में कौटुंबिक सम्बन्ध भी स्थापित है। उदाहरणार्थ, अनुदार पार्लिमेंटी मेम्बर, वाइकाउन्ट उल्मर (Viscount Wolmer M. P.) के पिता लायड बैंक के डायरेक्टर हैं। इसी प्रकार लार्ड रिचार्ड कैवेनडिश (Lord Richard Cavendish) भी जो स्वयं किसी समय में पार्लिमेंट के सदस्य रह चुके हैं, इस समय दो अनुदार पार्लिमेंटी सदस्यों के श्वसुर होते हैं।

अभी तक जिन बैंक डायरेक्टरों का उल्लेख किया गया है वे सब इंगलिस्तान के केवल पाँच सबसे बड़े बैंकों के ही डायरेक्टर थे। इनके अतिरिक्त लगभग ग्यारह और भी ऐसे बैंक हैं जिनके डायरेक्टर

पार्लिमेन्ट के मेम्बर हैं। इन सबों का अलग-अलग व्यौरा देने के लिए बहुत ज्यादा स्थान की ज़रूरत होगी। अतएव संक्षेप में केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि इस समय कामन्स सभा (House of Commons) में सरकारी पक्ष के करीब सांलह मेम्बर ऐसे हैं जो भिन्न-भिन्न बैंकों के डायरेक्टर हैं। इनमें से जो लोग बड़े बैंकों के डायरेक्टर हैं वे देश के शासन में मुख्यरूप से भाग लेना अपना स्वाभाविक अधिकार मानते हैं, और यही लोग अनुदार दल के नेताओं में भी समझे जाते हैं।

बीमा कंपनियों का भी महत्व आर्थिक जगत् में बैंकों से किसी प्रकार कम नहीं रहता। वे भी अपार धन-भंडार की स्वामिनी होती हैं और उनका सरकार पर बड़ा भारी ऋण रहता है। इस समय करीब ३५ करोड़ पाँड का सरकारी कागज़ केवल उनके ही अधिकार में है। यदि धन के विचार से मिलान करके प्रति लाख पाँड देखा जाय तो जान बीमा कंपनियों की आर्थिक शक्ति बैंकों की अपेक्षा भी अधिक रहती है, कारण कि उनके फंड का एक बहुत बड़ा भाग साधारण शेयरों और स्टॉकों में लगा रहता है, जिससे उनका प्रभुत्व देश के वाणिज्य और व्यवसाय के एक बहुत बड़े अंश पर क़ायम हो जाता है।

वर्तमान सरकारी पक्ष में इनका प्राधान्य कितना ज़बरदस्त रहा करता है इसका राज़ा केवल इन्हीं से किया जा सकता है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के अनेकानेक सदस्य किसी न किसी जान बीमा कंपनी से अवश्य सम्बंध रखते हैं और उनके भूतपूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं। उदाहरणार्थ, लार्ड हेल्शम, अर्ल विंटरटन, सर मैमथ्रल होर आदि सभी मंत्री-गण जान बीमा कंपनियों के भूतपूर्व डायरेक्टर कहे जा सकते हैं। तारीख २७ अक्टूबर सन् १९३८ को विलायत के इविनिंग स्टैन्डर्ड (Evening Standard) नामक पत्र ने लार्ड हेल्शम के मंत्रिमंडल से अलग होने की संभावना पर टिप्पणी करते हुए लिखा था:—

“हमारा खयाल है कि अब वह बड़ी-बड़ी जान बीमा कंपनियों की कौन्सिल में चुसँगे” ।

इसके अतिरिक्त बैंकों के बोर्ड आफ़ डायरेक्टर्स और जान बीमा कंपनियों के बोर्ड आफ़ डायरेक्टर्स में भी बड़ा घना सम्बन्ध रहा करता है । एक के डायरेक्टर बहुधा दूसरे के भी डायरेक्टर बने दिखाई देते हैं । साथ ही लगभग २७ अनुदार पार्लिमेन्टी मंबर ऐसे भी हैं जो करीब ४२ महाजन-पेशा कंपनियों (Finance Companies) में भी डायरेक्टर हैं । इनमें से कुछ कंपनियाँ तो इतनी बड़ी हैं कि उनकी पूँजी तथा कारवार करोड़ों पाँड तक पहुँचती है ।

पूर्व कथित पाँच मुख्य ब्रिटिश बैंकों तथा कुछ सबसे बड़ी जान बीमा कंपनियों के बोर्ड में जो लोग सदस्य हैं उन्हीं में से अधिकांश लोग ब्रिटिश द्वीप की मुख्य-मुख्य व्यवसायी कंपनियों के भी प्रधान बने हुए हैं । उदाहरणार्थ बैंक-डायरेक्टरों में से लार्ड पेरी (Lord Perry), जिन्हें विलायत की वर्तमान राष्ट्रीय गवर्नमेंट की ओर से अभी हाल में लार्ड की उपाधि दी गई है, इस समय ब्रटेन में तथा अन्य नौ देशों में स्थापित फोर्ड मोटर कंपनी के भी चेयरमैन हैं । इसी प्रकार लार्ड स्टाम्प, लार्ड पेन्डर, लार्ड डेविस, लार्ड मेकगाउन (Lord McGowan, Chairman of Imperial Chemical Industries), लार्ड एमेन्डन आदि कितने ही व्यक्तियों के नाम गिनाये जा सकते हैं । ये सब लोग बैंकों के डायरेक्टर होने के साथ ही विलायत की बड़ी से बड़ी व्यापारी कंपनियों के भी चेयरमैन अथवा मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ।

अस्तु, विलायत के बड़े-बड़े बैंकों की जो नीति स्थिर होती है वही वास्तव में वहाँ के सबसे बड़े व्यापारी मंडल की सामूहिक नीति कही जा सकती है । बैंकों तथा अन्य बड़ी व्यापारी कंपनियों में किसी प्रकार का मतभेद अथवा स्वार्थों की टक्कर नहीं दिखाई देती, कारण कि दोनों ही का शासन-सूत्र वास्तव में एक ही व्यक्तियों के हाथ में है ।

इस प्रकार बैंक तथा जान-बीमा कंपनियाँ विलायत के उस व्यवसायि-मंडल के साथ अभिन्नरूप से मिली हुई हैं, जो कि वहाँ के मज़दूरों का सबसे बड़ा मालिक-वर्ग कहा जा सकता है; और यही लोग अधिकतर अपने-अपने संघों (Employers Organisations) द्वारा व्यवसायिक नीति को निश्चित करने में भी पूरा हाथ रखते हैं। इस प्रकार के बड़े-बड़े संघों में से एक का नाम “फ़ेडरेशन आफ़ ब्रिटिश इन्डस्ट्रीज़” है। यह संघ सन् १९१६ में स्थापित किया गया था और इस समय इसमें व्यक्तिगत रूप से लगभग २६०० व्यापारिक संस्थाएँ सदस्य हैं तथा करीब १८० व्यापारिक-मंडल इसमें सामूहिक रूप से भी शामिल हैं।

यह फ़ेडरेशन समय-समय पर ब्रिटिश समाज के लिए कई आवश्यक क़ानूनों के बनते समय पार्लिमेंट पर अपना प्रभाव साबित कर चुका है। सब से पहिले इसने सन् १९१८ के शिक्षा-सम्बंधी क़ानून तथा ‘अतिरिक्त लाभ-कर’ (Excess Profits Tax) के विरुद्ध आन्दोलन उठाया था। प्रत्यक्ष कर (direct taxation) की वृद्धि के विरुद्ध इसका विरोध मदा से देखा जाता रहा है।

प्रति वर्ष सरकारी बजट पेश होने के पहिले इसकी ओर से एक मेमोरेन्डम तैयार किया जाता है, जिसमें टैक्सों के सम्बंध में तथा दूसरे सुधारों के बाबत व्यापारी मंडल की क्या राय है इसका वर्णन रहता है। यह मेमोरेन्डम अर्थ-मंत्री (Chancellor of the Exchequer) के पास भेज दिया जाता है। पश्चात् इस के साथ सम्बंध रखने वाले तमाम पार्लिमेंटी सदस्य तथा उनके सहायक लोग बजट को उसी मेमोरेन्डम के अनुकूल तैयार करने के लिए सरकारी मंत्रियों पर अपना-अपना दबाव डाला करते हैं।

अभी हाल की बात है कि सरकार की ओर से पार्लिमेंट में एक बिल प्रस्ताव के रूप में रखा गया था, जिसका मतलब यह था कि ब्रिटिश सैनिक तैयारियों के लिए जो खर्च की आवश्यकता आ पड़ी

है उमका कुछ हिस्सा बड़े व्यापारियों पर टैक्स लगा कर वसूल किया जाय। इसपर उपरोक्त फेडरेशन ने अन्य कई व्यापारी-मंडलों के साथ मिलकर तारीख २७ मई सन १९३७ को यह प्रस्ताव पास किया कि जब तक उक्त सरकारी बिल में “भरपूर संशोधन” (drastic amendments) न किया जाय तब तक वह ‘कर देने वालों को किसी प्रकार स्वीकार नहीं हो सकती।’ अंत में सरकार को झुक जाना पड़ा और फेडरेशन की पूरी पूरी विजय हुई। बिल वापस ले लिया गया, और उमके स्थान पर जो नया बिल बाद में पेश हुआ उसमें फेडरेशन की इच्छानुसार ही तमाम बातों में संशोधन कर दिया गया था।

यह ‘फेडरेशन’ व्यवसाय मालिकों की केवल एक संस्था है। इसके अतिरिक्त अलग अलग प्रकार के व्यवसायों के और भी बहुत से अलग अलग संघ कायम हैं, जिनमें से अधिकांश के कोई न कोई कार्य कर्ता पार्लियामेंट में अनुदार-दल की ओर से सदस्य बने हुए हैं। नीचे इन पार्लियामेंटी सदस्यों के नाम सहित केवल कुछ थोड़े से उक्त संघों की एक सूची दी जा रही है, जिनमें पाठकों को प्रत्यक्ष हो जायगा कि वर्तमान सरकारी अनुदार पक्ष में बड़े-बड़े व्यापारियों का कैसा प्रतिनिधित्व है :—

संघों के नाम

सन् १९३८ में सदस्यों के नाम जो पार्लिमेंट में अनुदार दल की ओर से बैठते हैं

१—फेडरेशन आफ़ ब्रिटिश इन्डस्ट्रीज़	... सर पैट्रिक हैनन (वाइस प्रेसिडेन्ट)
२—नैशनल यूनियन आफ़ मैन्युफ़ैक्चरर्स	... सर पैट्रिक हैनन (प्रेसिडेन्ट)
३—नैशनल चैम्बर आफ़ ट्रेड	... सर जार्ज मिट्चेलसन (Sir George Mitcheson) } (वाइस प्रेसीडेन्ट)
४—एसोसियेशन आफ़ ब्रिटिश चैम्बर आफ़ कामर्स	सर एलन एन्डर्मन—(भूतपूर्व सभापति) सर चार्ल्स गिब्सन—(डिप्टी प्रेसिडेन्ट) लेफ्ट० कर्नल राइट आनरेबुल } (भूतपूर्व आनररी जानकाल विल (अब आप़ वाइस प्रेसिडेन्ट) स्काटलैंड के मेक्रेटरी आफ़ स्टेट हैं) जे० एस० डाइ (मंत्री)
५—फेडरेशन आफ़ चैम्बर्स आफ़ कामर्स आफ़ दि ब्रिटिश इम्पायर	... सर चार्ल्स गिब्सन—(कार्य-कारिणी समिति के सदस्य) सर पैट्रिक हैनन—(सन १९३० की कान्फ़रेंस के सभापति)
६—इंटरनैशनल चैम्बर आफ़ कामर्स	... सर एलन एन्डर्मन—(आनर्गी प्रेसीडेन्ट)
७—ब्रिटिश जूनियर चैम्बर आफ़ कामर्स	सर चार्ल्स गिब्सन—(ब्रिटिश कमेटी के मेम्बर) ... जे० एस० डाइ—(सेन्ट्रल कमेटी के भूतपूर्व चैयरमैन)

तमाम व्यवसाय-संघों की सम्पूर्ण सूची देने में कई पृष्ठ भर जाँयगे। इमालिए इतने ही में मंतोष करते हैं। इसी प्रकार जागीरदारों के भी कई एक संघ ऐसे हैं, जिनके चुने-चुने कार्य-कर्ता लोग अनुदार भग्नाग्रे दल की ओर से पार्लिमेंट में बैठते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पार्लिमेंट में सरकारी अनुदार पक्ष का एक बड़ा ज़बर्दस्त हिस्सा बृटिश समाज के उस वर्ग से लिया गया है जो या तो ज़मीन और जायदाद का मालिक है अथवा अपने कारखानों में मजदूरों से काम लेता है। इस वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति का मुख्य निजी स्वार्थ केवल इस बात में है कि अधिक से अधिक अपनी आमदनी करने और डिवीडेंड वटोरने के लिए सरकार से किस प्रकार भाति भाति की सहूलियतें प्राप्त की जाय। मिस्टर मारिस हेली हचिन्सन (Mr. Maurice Hely Hutchinson, M. P.) ने अत्यंत एक बार कहा था कि,

“धन का ढेर फेर ही मेरा पेशा है। मैं जानता हूँ कि यही समस्त व्यापार की जगती है, जिसका पिता मुनाफ़े का प्रेम है।”

यह उक्त उग्रेक्त वर्ग के तमाम अनुदार पार्लिमेंटी सदस्यों पर लागू कही जा सकती है, और चूँकि इस प्रकार के सदस्यों की ही सरकारी पक्ष में प्रधानता है, अतएव सरकार को नीति और आदर्शों पर भी इसकी गहरी छाप पड़े बिना नहीं रह सकती। यही कारण है कि सन् १९२६ में ‘डिरेटिंग ऐक्ट’ (De-rating Act, 1929) नामक क़ानून बनाया गया था। इस क़ानून के द्वारा व्यापारियों पर लगा हुआ रेट्स ७५% कर माफ़ कर दिया गया, जिससे सन् १९३० में लेकर सन् १९३७ तक में व्यापारियों की जेब के करीब १७ करोड़ पाँड बच गये। इस क़ानून की सारी ज़िम्मेदारी मिस्टर चेम्बरलेन पर ही थी, जो इस बात का एक दूसरा उदाहरण है कि अनुदार सरकारी दल किस प्रकार अपने पक्ष फा पैसला अपने ही हाथों से कर लिया करता है। न्यान रहे कि अधिकांश अनुदार पार्लिमेंटी सदस्यों

की भाँति मिस्टर चेम्बरलेन भी स्वयं बड़ी-बड़ी व्यापारी कंपनियों के हिस्सेदार हैं। उपरोक्त कानून के बनने से सरकारी आय में जो भारी घाटा हुआ उसकी पूर्ति के लिए दूसरे प्रकार के टैक्स गरीब जनता पर लाद दिये गये। अर्थात् गरीब जनता की गाँठ कतर कर अमीर व्यापारियों के भरें हुए जेब को और अधिक भरा गया।

यही दशा सरकारी टैक्सों के सम्बन्ध में भी दिखाई देती है। सन् १९३१ से १९३६ तक अमीरों पर लगे हुए टैक्स की रकम तो करीब-करीब एक ही सी बनी रही, किंतु गरीबों पर टैक्स की बहुत ज्यादा वृद्धि कर दी गई। प्रमाण स्वरूप सन् १९२९-३० में इनकम टैक्स और सर्टैक्स से होने वाली आमदनी की रकम करीब २९ करोड़ ४० लाख पाँड थी, और सन् १९३५-३६ में भी यह रकम केवल २८ करोड़ ९० लाख पाँड ही रही, किंतु इन्हीं वर्षों में सरकारी चुगी की आमदनी १२ करोड़ पाँड से बढ़ कर १९ करोड़ ६० लाख पाँड तक पहुँच गई। कहना न होगा कि यह चुगी की आमदनी का अधिकांश बोझ वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाने से सदा गरीबों के ही शिर पर लदता है।

इस प्रकार गरीबों की गाँठ से दिन पर दिन अधिक पैसा निकालने की नीति का अवलम्बन सन् १९३१ से किया जा रहा है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी उस अनुदार सरकारी बहुमत पर है, जिसके अधिकांश सदस्य सर्टैक्स अदा करने वाले बेहद अमीर हैं। सन् १९३७ के बाद सैनिक तैयारियों के कारण खर्च बढ़ जाने से अवश्य ही सरकार को मजबूर हो कर अमीरों पर भी कुछ टैक्स बढ़ाने पड़ गये हैं, किंतु फिर भी यह नये टैक्स की रकम उस रकम के मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो अमीर व्यापारियों के समूह ने सैनिक तैयारियों के लिए नये-नये आर्डर सझाई करने में पैदा कर ली है।

टैक्स-सम्बन्धी कानूनों का गरीबों और अमीरों का आपेक्षिक स्थिति पर बिल्कुल सीधा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार समाज पर ऐसे कानूनों

का प्रभाव भी कम महत्वपूर्ण नहीं होता, जिनके द्वारा लोगों की आर्थिक स्थिति तथा रहन सहन में सुधार किया जाता है। अस्तु, अब तक मज़दूर सम्बंधी कानूनों के विषय में व्यापारी मालिकों से भरी हुई इस सरकार ने क्या किया है यह प्रश्न ध्यान देने योग्य है। डाक्टर डब्लू० ए० गबन, जो कि इस सम्बंध में एक विशेषज्ञ कहे जा सकते हैं, अपनी राय इस प्रकार देते हैं:—

“जहा तक मज़दूरों के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा का प्रश्न है, तथा उनके काम करने के घंटों को निश्चित करने एवं उनके बच्चों को काम में लगाने का मवाल है, हम यह कह सकते हैं कि हमारा 'मज़दूर कानून' बिल्कुल मर्दा हो गया है अथवा बहुत ही वृद्धिपूर्ण बन गया है, इस सम्बंध में हमारी कानूनी ऊँचाई पिछले तीस साल में बगवर नीचे ही की ओर गिरती जा रही है। उन्नीसवीं शताब्दी में जो कुछ हमने इस सम्बंध में कर दिखाया था उसमें भी हम इस समय पीछे हट गये हैं और दूसरे देशों की अपेक्षा हम बहुत पिछड़े हुए दिखाई देते हैं।”

मज़दूरों के दिनों की रक्षा का कानून स्वभावतः कारखाने के मालिकों की निरंकुशता पर एक प्रकार का बंधन सा सिद्ध होता है। यह मालिकों को अपने मज़दूरों से एक निश्चित समय से अधिक काम नहीं लेने देता, एक निश्चित उम्र से काम अवस्था वाले बच्चों को भी कुछ विशेष प्रकार के कामों में लगाने से रोकता है, तथा मज़दूरों की मज़दूरी भी एक निश्चित दर से कम नहीं देने देता। इस प्रकार देश के व्यवसाय पर जनतंत्र शासन का यह एक प्रकार से श्रीगणेश सा कहा जा सकता है। अतएव कारखाने वालों को स्वभावतः यह सब नापमंद होना ही चाहिए। उनकी ममत्त में ये सब मामले हर एक फ़ैक्टरी मालिक के लिए व्यक्तिगत रूप से स्वयं तय करने के हैं। सरकार को उनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि समय के प्रवाह से ये लोग भी मज़दूरों के हक में इस समय कुछ थोड़ी बहुत कानूनी गुंजाइश करने को तैयार हैं, किंतु अधिक पतितबंध ये अपनी निरंकुश

शक्ति पर किसी प्रकार नहीं लगने देना चाहते। अस्तु, यही कारण है कि जिस समय प्रजातंत्रवादी फ्रांस में मजदूरों से अधिक से अधिक चालीस घंटे प्रति सप्ताह काम लिये जाने का कानून बना था, इंग्लैंड में उस समय कितने ही प्रकार के कारखानों में ६०-६० घंटे तक काम लेने की प्रथा मौजूद थी।

इसी प्रकार मजदूरों के खेमारे से सम्बंध रखने वाले कानूनों (Laws for workmen's compensation) के विषय में भी ब्रिटिश ट्रेड यूनियनों की शिकायत एक जमाने में चली आ रही है। उसके अतिरिक्त अभी हाल में जातीय स्वास्थ्य बीमा (National Health Insurance) सम्बंधी कानून में कुछ सुधार करने के लिए विलायत के ब्रिटिश मंत्रिकन एसासिभेशन ने कुछ सिफारिशों की थीं, किंतु मिल मालिकों को इसमें अपने मजदूरों के वास्ते और पैसों खर्च करने पड़ते इसलिए उनकी अनुदार सरकार ने उन सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं दिया।

वास्तव में जब तक देश में जनसत्तात्मक शासन न कायम हो, तब तक वहां सार्वजनिक हित के कामों की कोई विशेष आशा नहीं की जा सकती। ग्लैडस्टन (Gladstone) ने एक बार कहा था:—

“हम यह हर्षित् मानने को तैयार नहीं कि देश का कोई भी विशिष्ट वर्ग, जनता की इच्छा के विरुद्ध इस राष्ट्र के भाग्य का नियंत्रण करने का अधिकारी हो सकता है, चाहे वह वर्ग अमीरों का हो अथवा शरीफों का अथवा किंगी दूसरे प्रकार का हो।”

वास्तव में जनतंत्रवाद का यही सच्चा आदर्श है जो ब्रिटिश अनुदार दल के राजनीतिज्ञों के विचारों में बिल्कुल भिन्न है। इन राजनीतिज्ञों का तो एकमात्र आदर्श केवल अपने व्यापार को ही बढ़ाना तथा उसके द्वारा धन प्राप्त कर के अपनी शक्ति एवं अधिकार में उत्तरोत्तर वृद्धि करने जाना है। जनतंत्रवादी भावों को भना ऐसी के पाम कैमे स्थान मिल सकता है।

तीसरा अध्याय

गोला-बारूद के कारखाने वाले पार्लिमेंट के मेम्बर हैं

“लार्ड वेमिस (Lord Wemyss) को विश्वास था कि लड़ाई के असली पैदा करने वाले वे लोग हैं जो एक बहुत ही अलग स्थान में पाये जाते हैं। लड़ाई छिड़ने से वषों पहले उन्होंने युद्ध-सामग्री ट्रस्टों (Armament trusts) की घृणित कारवाइयों को देखा; उन्होंने देखा कि किस प्रकार ये ट्रस्ट वाले पत्रकारों की मुट्टी गरम करके भिन्न-भिन्न देशों के सार्वजनिक मत को प्रभावित किया करते हैं और फिर किस प्रकार राष्ट्रों के बीच वे सन्देहात्मक भावों को उत्पन्न करके आपस में द्रोह तथा शत्रुतापूर्ण वातावरण फैलाते हैं और फिर किस प्रकार अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को वे लोग उभाड़ दिया करते हैं।” (Biography of Lord Wester Wemyss, First Sea Lord, 1917-19).

जार्ज तृतीय के राज्य काल में पार्लिमेंट में एक क्रान्त पाम हुआ था, जिसके अनुसार किमी सरकारी कन्ट्राक्टर (अर्थात् ठेकेदार) के लिए पार्लिमेंट में बैठना जर्म बतलाया गया था। उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि ऐसा व्यक्ति यदि पार्लिमेंट का सदस्य बनेगा तो स्वभावतः उसके निजी स्वार्थों का उसके सार्वजनिक कर्तव्यों के साथ विरोध पड़ेगा; अतएव इसके लिए ऐसा अवसर आने ही न दिया जाय। वास्तव में यही अकेली एक ऐसी मिसाल है जिसमें पार्लिमेंट की ओर से उसके सदस्यों पर यह सिद्धांत लागू करने की चेष्टा की गयी है कि “कोई व्यक्ति अपने हाथ से स्वयं अपने पद में फैसला नहीं दे सकता।”

किंतु इस कानून में भी दुर्भाग्यवश कुछ त्रुटि बनी ही रह गयी, कारण कि यह सामूहिक रूप से काम करने वाली कम्पनियों पर लागू नहीं होता, जिसमें सरकारी ठेका लेने वाली कंपनियों के हिस्सेदार और डायरेक्टर लोग बिना किसी रुकावट के पार्लिमेंट में बैठ सकते हैं। अन्तु, युद्ध सामग्री तैयार करने वाली कम्पनियों के भी हर एक हिस्सेदार और डायरेक्टरगण पार्लिमेंट की मेम्बरी कराने के हकदार समझे जाते हैं।

सन् १९३६ के रायल कमीशन की एक सिफारिश यह थी कि युद्ध-सामग्री बनाने वाली कम्पनी में कोई भी सरकारी अफसर, चाहे वह सरकारी नौकरी पर हो या नौकरी से अलग हो चुका हो, बिना उस विभाग के मंत्री की आज्ञा प्राप्त किसे कोई नौकरी न कर सकेगा, जिसमें वह काम कर रहा हो। इस प्रकार की सिफारिश का एक मुख्य कारण यह था कि सरकारी अफसरों को यदि किसी कम्पनी की ओर से एक भारी तन्त्रबाह पर नियुक्ति पाने की लाञ्छ मिल जाती थी तो वे संभवतः उस कम्पनी पर अपनी अर्नायन कृपा दिखला सकते थे। फिर भी ये सरकारी अफसर अपने विभाग के मुख्य अधिकारी के प्रति सदा उत्तरदायी रहा करते हैं। अतएव बिना किसी विशेष कानून के भी उनका यह पदपातपूर्ण व्यवहार विभाग के अधिकारी द्वारा हर समय रोका जा सकता है। परन्तु पार्लिमेंटी सदस्य के ऊपर तो कोई भी ऐसी रुकावट नहीं है। वह तो सरकार की युद्ध-व्यय मध्यस्थी संपूर्ण नीति को भी अपने अनुकूल बनाने के लिए हर प्रकार की कुच्यष्टार्थ कर सकता है। उदाहरण के तौर पर वह युद्ध-सामग्री के खर्च का एस्टिमेट (Estimate) बढ़वाने के लिए जोर दे सकता है, जिसमें उसका निजी लाभ है, मैनिक ठेके में मनमाना लाभ कमाने के लिये सरकारी प्रबंध में ढील डलवा सकता है तथा सरकारी परगणनीति की गति में भी इस प्रकार के प्रभाव पैदा कर सकता है, जिसमें युद्ध-

सामग्री की मांग यकायक बढ़ जाय और उसको अपनी जेब भरने का मौक़ा मिले ।

इसी कारण योरोप के अन्य कई देशों के शामन विधान में इस प्रकार के कुछ शब्द जोड़ दिये गये हैं जिससे युद्ध सामग्री तैयार करने वाले कारखानों के डायरेक्टर लोग वहाँ की पार्लिमेंट में नहीं जा सकते । च्चकोस्लेवाकिया, पुर्चगाल, हंगरी, जुगोस्लाविया, पौलैंड, लैटविया तथा ग्रीस सभी के शामन विधान में इस प्रकार के नियम पाये जाते हैं । इंग्लैंड के लोकल ऐक्ट में भी इसी प्रकार का एक नियम मौजूद है, किन्तु, कामन्स सभा के लिए कोई भी ऐसा नियम नहीं ।

इस गंवन्ध में पिछले महायुद्ध (सन १९१४) के छिड़ने में कुछ ही महीने पहिले एक लेखक ने अपनी गय इस प्रकार लिखी थी :—

“यदि आज कोई मंत्री अपनी भूमि का एक टुकड़ा उस सरकार के हाथ बेच दे जिसका वह पदाधिकारी है, तो चार्ज और निंदा की जीभ चटकने लग जाय ।.....किन्तु लड़ाई के जहाज़, तोप, बंदूक, गोला-बारूद तथा अन्य तमाम मैनिफेस्ट वस्तुओं की खरीदारी ऐसी कम्पनियों से करना जिनमें इन्हीं मंत्रियों के दोस्त, सहायक और रिश्तेदार लोग मैनेजर, डायरेक्टर अथवा हिस्सेदार बने हैं, ब्रिटिश शासन-विधि का एक साधारण अंग दिखाई देता है ।.....यह बात बिल्कुल क्लानून के अंदर समझी जाती है कि इन कम्पनियों का कोई भी डायरेक्टर कामन्स सभा में बैठ कर उस व्यय में वृद्धि की मांग पेश करे जिसका कुछ हिस्सा उसके कारखाने को मिलता है । केवल क्लानून के अंदर ही नहीं, बल्कि यह देशभक्ति का एक प्रबल प्रमाण भी समझा जाता है कि किसी बड़े दल के नेता लोग देश में श्वराहट का वह नूफ़ान पैदा करें, जिसके परिणाम में उनके साथियों के घर आमदनी की बरसात हो जाय ।”

इसी प्रकार सन् १९१४ की कामन्स सभा में इसी सम्बन्ध में बोलते हुए मिस्टर फिलिप स्नोडन ने भी कहा था :—

“अब, हिस्मेदार कौन लोग हैं ? इनकी पूरी सूची बतलाने में तो बहुत समय लग जायगा। केवल थोड़े से चुने हुए नाम दे देता हूँ। किंतु मैं देखता हूँ कि इस सभा के माननीय सदस्यगण ही इस सूची में अधिकतर मौजूद हैं। मच तो यह है कि ऐसा कोई पत्थर विरोधी बेंचों की तरफ फेंकना असंभव है जो किसी ऐसे सदस्य को लगे जो इन्हीं में से किसी न किसी फर्म का हिस्मेदार न हो।”

अब जरा देखिए कि सन् १९१४ से वर्तमान अवस्था में क्या अंतर पड़ा है ? इस समय युद्ध सामग्री की माग बढ़ने में तिन पार्लिमेंटी अनुदार सदस्यों का स्वार्थ है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण नाम ये हैं :—

पार्लिमेंटी सदस्यों के नाम युद्ध-सामग्री के कारखाने जिनके वह डायरेक्टर हैं

राइट आनरेबुल सर जॉन एन्डर्सन वाइकर्स कं० (Vickers Co.)	
	(मंत्रिमंडल में पदचने के समय तक)
राइट आनरेबुल एल० एम० एम० कैमेल लैरड (Cammell Laird)	
सर यूजीन रैम्सेन	बी० एम० ए०
सर पैट्रिक हैनन	बी० एम० ए०

यह केवल कुछ अन्यत महत्वपूर्ण कर्पनी डायरेक्टरों के थोड़े से नाम हैं। हवाए ज़रा ज़ सम्बन्धी कंपनियों के जो लोग डायरेक्टर हैं ऐसे अनुदार सदस्यों की संख्या कम से कम २३ है। इनके अतिरिक्त बहुत सी ऐसी कंपनियों के भी डायरेक्टर पार्लिमेंट के सदस्य हैं, जिनका स्वार्थ युद्ध सामग्री तैयार करने वाले कारखानों के साथ जुड़ा हुआ है। उदाहरणार्थ, बहुत से इन्जीनियरिंग फर्म कुछ अंशों में अपने काम के लिए केवल सैनिक तैयारियों पर ही निर्भर हैं। इनके अतिरिक्त लोहे, कोयले, और फौलाद का काम करने वाले कारखाने भी इन्हीं के साथ

शामिल हैं। इन सबों की सूची उनके पार्लिमेंट में बैठने वाले डायरेक्टरों के साथ प्रथम अध्याय में दी जा चुकी है।

वाइकर्म कंपनी का कारखाना युद्ध सामग्री तैयार करने के लिए दुनिया में सबसे बड़ा समझा जाता है। इंग्लैंड के अतिरिक्त स्पेन, जापान आदि दूसरे देशों में भी इसका बड़ा भारी कारखाना फैला है। सन १९३१ और १९३८ में, जिस समय राष्ट्रों के निःशस्त्रीकरण की वास्तविक आशा की जा रही थी, इस कंपनी की आमदनी को काफी धक्का पहुंचा, जिसका गेना उसके चेयरमैन के मूढ़ से सन १९३२ की वार्षिक जनरल मीटिंग में इस प्रकार सुनाई देता था:—

“संसार भर में पैली हुई व्यापार की मंदी और मार्चवादीक मत के दबाव में पड़कर निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी होने वाला चर्चा दोनों ही ने मिल कर आपके व्यापार को बहुत अधिक धक्का पहुंचाया है।”

किंतु अब उन्हें स्वयं होना चाहिये। निःशस्त्रीकरण कान्फ्रेंस बिल्कुल असफल सिद्ध हुई और लीग आफ नेशन्स भी, जिसे उक्त चेयरमैन साहब वृणापूर्वक ‘एक झुझटी मग्था’ तथा ‘तमाशे की चीज’ कह कर पुकारते थे, अब एक कोने में डाल दी गई। साथ ही इंग्लैंड तथा अन्य कितने ही राष्ट्र एक दूसरे की शक्ति को आज़माने के लिए अब मैनिक तैयारियों की दौड़ में अपनी अपनी जान की बाजितिया लगा रहे हैं।

मैनिक तैयारियों के सम्बन्ध में सरकारी स्वयं जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे ही वैसे वाइकर्म कंपनी के डिबिडेंड की रकम भी तेजी के साथ बढ़ने लगी। सन १९३३ में यह डिबिडेंड ४% बढ़ा गया था, सन १९३५ में यह बढ़ कर ८% हो गया और फिर सन १९३६ तथा १९३७ में यह १०% हो गया।*

*अब तो युद्ध छिट्ट गया है। इसलिए अब इसके मुनाफे का क्या करना है। बीसो उँगली धी में है। —६० प्र० गोयल

सन् १९३६ में शास्त्रास्त्रों की तैयारी एवं व्यापार के सम्बंध में जाँच करने के लिए जो शाही कमीशन नियुक्त हुआ था उसकी एक बैठक में सर फिलिप गिब्स ने वाइकर्म कंपनी के सर हर्बर्ट लारेन्स साहब से प्रश्न किया था कि:—

“अब जापान में जो बड़ी त्वरदस्त नौभौगिक नीति अति तैयार की जा रही है उसमें तो आप को जरूर कुछ वास्तविक लाभ होगा ?”

लारेन्स साहब ने जवाब दिया, “जरूर।”

वाइकर्म के समान कैमेल लेयर्ड क० (Cammel Laird & Co. Ltd.) के भी डिपार्टमेंट ब्रिटिश नौभौगिक तैयारियों के समय से तेजी के साथ बढ़े, जैसा कि नीचे देगने से मालूम होगा:

सन् १९३३ ३४	...	डिपार्टमेंट कुछ नहीं
„ १९३५	...	३३%
„ १९३६	...	५%
„ १९३७	...	८३%

कैमेल लेयर्ड एन्ड क० तैयार करने का काम करती है और उसमें इन्जीनियरिंग का काम भी होता है। सन् १९३४ में उसके चेयरमैन ने ब्रिटिश नौ भेना विभाग के तैयारी सम्बन्धी कार्यक्रम की प्रशंसा करने हुए कहा था कि:—

“हमारी कंपनी इस कार्यक्रम के लिए नौ भेना विभाग की अत्यंत आभारी है, जिसने उसे नष्ट होने होने नया जीवन दे दिया।”

बी० एम० ए० कंपनी भी विलायत की एक बड़ी शक्तिशाली कंपनी है। इसका पूरा नाम ‘बर्मिंघम स्माल आर्म्स’ (Birmingham Small Arms) है। यह फौजी चीने, ज्वेल की चीने, मशीन गन, वायुयान के पुर्जे, वाइमिकिल, मोटरकार इत्यादि अनेकों प्रकार के सामान तैयार करती है। पार्लिमेंट में इस समय इसके दो डायरेक्टर अनुदार दल की ओर से सदस्य हैं। उनके अतिरिक्त मिस्टर चैम्बरलेन

भी पहिले इस कंपनी के डायरेक्टर रह चुके हैं। ये सब लोग अनुदार दल के शक्तिशाली

यह केवल कुछ इनी-गिनी सबसे ज़बरस्त कंपनियों की चर्चा की गई है। इनके अतिरिक्त, जैसा कि पहिले कहा जा चुका है, २३ पार्लिमंटी सदस्य हवाई जहाज़ सम्बंधी कंपनियों के भी डायरेक्टर हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ केवल दो नाम लिख दिये जाते हैं: एल्विस लिमिटेड (Alvis Ltd.) हवाई जहाज़ के एंजिन तैयार किया करती है और सेना के लिए मशीन तथा सामान सप्लाई करती है। इसके एक डायरेक्टर मिस्टर एडगर ग्रैन्विल राष्ट्रीय उदार दल की ओर से पार्लिमंट के सदस्य हैं। इसी प्रकार पेटर्स लिमिटेडे (Petters Ltd.) भी एक दूसरी हवाई जहाज़ बनाने वाली क० की आधी सम्पत्ति की हिस्सदार है। इसके भी एक डायरेक्टर मिस्टर फ्रेवेन एलिस पार्लिमंट के मम्बर हैं।

किं० केवल हवाई जहाज़ और युद्ध-सामग्री तैयार करने वाली कंपनी ही नहीं, बीमा कंपनियाँ, फिनान्स कंपनियाँ, और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आदि भी सैनिक तैयारियों से और लड़ाई से बहुत कुछ आशाएँ रख सकती हैं। इनकी भी पार्लिमंट में जैसी प्रधानता है वह पहले ही बतलाई जा चुकी है। हम यह नहीं कहते कि इस समय इंग्लैंड की सैनिक तैयारियाँ अथवा युद्ध का निश्चय केवल व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश से ही किया गया है। अवश्य ही परिस्थितियाँ भी इस समय कुछ ऐसी पैदा हो गयी थीं, जिससे इस प्रकार का निश्चय आवश्यक था। फिर भी जहाँ सरकार-पक्ष के इतने अधिक सदस्यों का युद्ध से होने वाली आमदनी में अपना निजी स्वार्थ मौजूद हो, वहा उनके सम्बंध में लोगों के मन में संदेह उठना स्वाभाविक ही है।

चौथा अध्याय

पार्लिमेंट और पारिवारिक पूँजी

पिछली शताब्दी का पूँजीपति केवल अपने कुटुम्ब के एक छोटे से कारबार का प्रबंधक था, किंतु आज का पूँजीपति बड़े-बड़े ज़बर्दस्त व्यापार-संघों का डायरेक्टर है। कुछ अवस्थाओं में तो किसी एक व्यवसाय में केवल एक ही कंपनी का संपूर्ण बृटिश द्वीप पर प्रभुत्व है। उदाहरणार्थ इम्पीरियल केमिकल कंपनी ही को लीजिए; प्रायः सम्पूर्ण बृटिश रासायनिक द्रव्यों का व्यवसाय एक मात्र इसी कंपनी के हाथ में दिखाई देता है। बहुतेरी कंपनियाँ ऐसी भी हैं जो अपने-अपने ढंग के व्यवसाय में संपूर्ण बृटिश साम्राज्य तक पर अपना अधिकार रखती हैं। उदाहरणार्थ “लिवर ब्रदर्स” तथा “यूनिलिवर” इस समय साबुन और मारग्रीन के व्यवसाय में प्रायः सम्पूर्ण बृटिश साम्राज्य को अपने पंजे में दबाये हुए हैं। अनेकों व्यवसायों पर कई एक फ़र्म आपस में मिलकर अपना आधिपत्य रखते हैं।

प्रोफेसर लेवी (Levy), इस सम्बंध में लिखते हैं :—

“पूँजीवाद के आरंभ से आज पहले-पहल यह देखने में आया है कि अंग्रेज़ी व्यापार के एक बहुत बड़े भाग पर एकाधिकारी (monopolist) संघों का दौर-दौरा हो रहा है।”

यह ‘एकाधिकारी संघ’ है क्या चीज़? देश में जब एक ही फ़िस्म का व्यापार करने वाले बहुत से फ़र्म होते हैं तो उनमें आपस की लागडाँट लगी रहती है, जिससे माल का भाव अधिक बढ़ने नहीं पाता। किंतु ये सब फ़र्म आपस में मिल कर यदि लागडाँट बंद कर दें, तो माल का भाव आसानी से बढ़ाया जा सकता है। अस्तु, भाव

बढ़ाने की इसी एक इच्छा के कारण व्यापार में एकाधिकार का विकास हो रहा है, कारण कि ऊँचे भाव का मतलब ही व्यापारियों के मुनाफ़ों में अधिकता है।

माल बनाने वाला व्यापारी स्वभावतः अपने माल को अधिक से अधिक ऊँचे दाम पर बेचना चाहता है। इधर ग्राहक भी बढ़िया से बढ़िया माल को सस्ते से सस्ते भाव पर खरीदना चाहता है। अस्तु, जब तक व्यापारियों में आपस की लागडाँट बनी रहती है, तब तक कोई भी व्यापारी अपने माल का ज्यादा दाम नहीं पा सकता, कारण कि उसके मुकाबले वाले व्यापारी उसके ग्राहकों को वही माल कम भाव पर देकर उन्हें अपनी ओर करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। किंतु यदि उस व्यापार में उसका एकाधिकार हो, अर्थात् केवल वही व्यापारी उस माल को बनाता और बेचता हो, दूसरा कोई न बेचता हो, तो फिर वह आसानी से माल का भाव बढ़ाकर यथेच्छ मुनाफ़ा कमा सकता है। यही कारण है कि आज अनेकों प्रकार के व्यवसाय में व्यापारियों ने अपना-अपना संगठन कायम कर लिया है। किंतु ग्राहक बेचारा अकेला और अमहाय पड़ता है। इसलिए वही नुकसान में रहता है।

जिन व्यापारों में इस समय बहुत से फर्म अलग अलग मौजूद हैं उनमें भी आपस के समझौते से माल की तैयारी को कम करके, बाज़ार के क्षेत्रों को परस्पर बाँट कर तथा भाव को निश्चित रखकर आपस की लागडाँट को दूर किया जा रहा है। उदाहरणार्थ लोहा, फौलाद और इंजीनियरिंग के व्यवसायों में आज इसी प्रकार के पारस्परिक समझौते से काम लिया जा रहा है।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफ़ेसर टासिग (Prof. Taussig) के मतानुसार व्यवसायों में इस प्रकार के एकाधिकार का विकास किसी जनतंत्रवादी राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। उस पर

सार्वजनिक नियंत्रण का होना ही आवश्यक है। किंतु सार्वजनिक नियंत्रण करने का एक मात्र साधन केवल धारा सभा है। केवल पार्लिमेंट ही व्यापारों के प्रबंध में हस्तक्षेप कर सकती है। किंतु व्यापारियों ने उस पर स्वयं अपना सिक्का जमा रखा है। बड़े बड़े एकाधिकार रखने वाले व्यापारिक सभ इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि कानूनों के द्वारा उनका एकाधिकार किसी समय भी तोड़ा जा सकता है। अतएव वे पार्लिमेंट पर अपना प्रभुत्व कायम रखने के लिए सदा सचेष्ट रहा करते हैं।

पिछले अध्यायों में यह दिखला आये हैं कि अनुदार पत्त किस प्रकार बड़े-बड़े पूँजीपति व्यापारियों से भरा हुआ है। माल पैदा करने में इनकी शक्ति जितनी अधिक बढ़ी हुई है उतनी ही अधिक संख्या में ये मज़दूरों के भी मालिक हैं। इनकी दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ सफलता की मात्रा जनता की सेवा में नहीं, बल्कि मुनाफ़े की रकम में आंकी जाती है।

यह मुनाफ़े की रकम केवल माल बेचने वाली नीति पर ही अवलम्बित नहीं है, बल्कि मज़दूरों से काम लेने वाली नीति पर भी बहुत कुछ अवलम्बित है। अस्तु, देश के शासन में अनुदार पत्त के आधिपत्य का अर्थ यह है कि माल बनाने वाले व्यापारियों और माल खरीदने वाली जनता के बीच जो कुछ निपटारा किया जायगा, वह केवल व्यापारियों के ही स्वार्थी दृष्टिकोण से किया जायगा। इसी प्रकार मालिकों और मज़दूरों के मामलों में भी सर्वेव मालिकों के ही स्वार्थ का ध्यान रखा जायगा। मोटे तौर पर, वर्तमान ब्रिटिश शासन-पद्धति का रूप यों कहा जा सकता है कि अनुदार शासक-दल तो बड़े-बड़े डिबीडेन्ड मारने वाले व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है और शेष विरोधी दल जनता के हितों के लिए लड़ रहे हैं।

अधिकांश व्यापारिक एकाधिकार पर कोई भी कानूनी नियंत्रण नहीं है। केवल कुछ थोड़े से एकाधिकार अवश्य ऐसे हैं जो लोकोप-

योगी कहे जाते हैं और जिनपर कुछ कानूनी बन्धन लगे हुए हैं। उदाहरण के तौर पर रेलवे, बिजलीघर, गैस और पानी के कारखाने इसी प्रकार की एकाधिकारपूर्ण व्यापारिक संस्थाएँ कहे जा सकते हैं। इन के कामों पर कुछ कानूनी नियंत्रण और सरकारी निगरानी आवश्यक रहा करनी है। यद्यपि यह नियंत्रण लोकोपयोगिता के नाम पर किया जाता है, किंतु ध्यान देने में जान पड़ेगा कि इसका भी असली कारण जनता के हित का विचार नहीं, बल्कि बड़े-बड़े व्यापारियों के ही हितों का ख्याल है। यान यह है कि इन चीजों का बहुत बड़ा खर्च व्यापारी कंपनियों में भी होता है। उदाहरणार्थ, रेल को ही लीजिए। यह केवल यात्रियों की ही सुविधा के लिए नहीं काम देती, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा काम व्यापारियों का माल ढोना और पहुँचाना भी है। इसी प्रकार बिजली, गैस और पानी का उपयोग भी बड़े-बड़े व्यापारी कारखानों के लिए बहुत ज्यादा रहा करता है। अस्तु, यदि इन वस्तुओं का मूल्य या किराया बहुत ऊँचा हो जाय अथवा उनमें किसी प्रकार की दुर्बलस्था पैदा हो जाय तो देश के तमाम व्यापारियों के स्वार्थ पर भी उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा। अतएव इन पर कानूनी नियंत्रण रखना आवश्यक समझा गया।

फिर भी ध्यान रहे कि यह लोकोपयोगी कही जाने वाली व्यापारिक संस्थाएँ भी अन्य व्यापारिक कंपनियों की ही तरह संघटित हैं और वास्तव में उन्हीं की सगी बटनें हैं। इनका काम भी उसी प्रकार केवल अपने स्वार्थसाधन की इच्छा से हुआ करता है, जैसा अन्य कंपनियों का। इनके भी हिस्सेदार और टायरेक्टर लोग अधिक में अधिक डिवीडेन्ड कमाने के लिए उसी प्रकार लालायित रहते हैं, जैसे अन्य व्यापारी कंपनियों के। अस्तु, इनपर भी अनुदार सरकार की ओर से केवल उतनी ही निगरानी रखी जाती है, जितने से व्यापारी समुदाय के स्वार्थों की रक्षा तो हो सके किंतु इसके स्वार्थों को अधिक चोट न पहुंचे। तात्पर्य यह है कि इन संस्थाओं पर जो कुछ कानूनी नियंत्रण या

निगरानी रखी जाती है वह केवल बड़े-बड़े व्यापारियों के ही हित की दृष्टि से रखी जाती है। लोकोपयोगिता का विचार तो उसमें केवल प्रासंगिक रूप से ही वर्तमान रहता है।

साधारण बृटिश जनता की हित रक्षा का कहां तक विचार किया जाता है इसका एक परिचय विजली के वर्तमान रेट की भिन्नता से ही मिल सकता है। यह रेट इस समय आधे पेनी (करीब आधे आने) प्रति यूनिट से लेकर एक शिलिंग प्रति यूनिट तक वसूल किया जाता है। वास्तव में यदि इन लोकोपयोगी कही जाने वाली संस्थाओं पर जनता की सेवा के भाव से प्रेरित होकर निगरानी रखी जाती, तो आज यह जितना जबरदस्त मुनाफा कमा रही हैं वह उनके लिए दृष्टिगत सम्भव न होता। किंतु अनुदार सरकारों की दल में इनका भी एक काफी शक्तिशाली प्रतिनिधित्व है। कम से कम इस अनुदार सदस्य केवल पानी और गैस के ही कारखानों के डायरेक्टर हैं, जो इस समय पार्लिमेंट में बैठते हैं। अतः, ऐसी अवस्था में यह कैसा आशा की जा सकती है कि अनुदार सरकार इन लोगों का ख्याल छोड़ कर साधारण प्रजा के स्वार्थों की चिन्ता करेगी।

लोकोपयोगी व्यवसायों के अतिरिक्त बहुत से ऐसे दूसरे व्यापार भी हैं, जिन पर बड़े-बड़े व्यवसाय-संघों ने अपना एकाधिकार (Monopoly) कायम कर लिया है और साथ ही हर प्रकार के कानूनी नियंत्रण से भी वगी हैं। उदाहरणार्थ “विनवर ब्रदर्स लिमिटेड” कंपनी ने प्रायः समस्त बृटिश साम्राज्य का सावुन और मारग्रीन सम्बंधी कारखाने अकेले अपनी मुट्ठी में कर रखा है और प्रायः ३०० भिन्न-भिन्न कंपनियों में भी अपना हाथ रखनी है।

किंतु फिर भी कितने ही व्यवसायों में अभी तक एकाधिकार नहीं स्थापित हो सका, जिसका मुख्य कारण विदेशी माल का मुकाबला है। जब तक दूसरे देशों में आने वाले माल पर भारी महसूल बंटा कर कोई रोक न लगायी जाय, तब तक ये व्यापारी देश में अपना

एकाधिकार नहीं कायम कर सकते। अस्तु, यही कारण है कि इन बड़े-बड़े व्यापारियों की ओर से सरकारी आयात-कर बैठाने के लिए इतना अधिक ज़ोर दिया जा रहा है। इस कार्य में इनको सफलता भी बहुत कुछ प्राप्त हो चुकी है, कारण कि अनुदार सरकार ने शासन भार सम्भालते ही सन् १९३१ से स्वतंत्र व्यापार (Free trade) की नीति को त्याग कर 'संरक्षण-नीति' (Policy of protection) को अख्तियार कर लिया है। करीब एक सौ वर्ष से यह स्वतंत्र व्यापार की नीति इंग्लैंड में बराबर चली आ रही थी, किंतु अनुदार सरकार ने उपरोक्त व्यापारियों के प्रभाव में पड़ कर इसे तिलांजलि देदी और बाहरी माल पर संरक्षण-कर लगाना आरंभ कर दिया।* इसका अर्थ यह है कि ब्रिटिश द्वीप में व्यापार के बड़े-बड़े महारथियों का एकाधिकार कायम करने के लिए जनता की जेब से बड़े हुए मूल्य के रूप में अधिक धन बटोरा जा रहा है। करों का उद्देश्य अब व्यापार में एकाधिकार को कम करना नहीं, बल्कि प्रजा के व्यय से उनमें सहायता पहुँचाना है।

उपरोक्त एकाधिकारी व्यवसायों के अतिरिक्त अनेकों ऐसे व्यवसाय भी हैं, जिनमें बड़े-बड़े व्यापारियों का यद्यपि अभी एकाधिकार तो नहीं कहा जा सकता, किंतु प्रभावशाली अधिकार अवश्य है। ये व्यापारी छोटे-छोटे व्यापारियों के भय से अपने माल का भाव बहुत ऊँचा नहीं बढ़ा सकते, किंतु फिर भी बाज़ार पर इतना अधिकार रखते हैं कि भाव गिरने नहीं पाता। संभव है आगे चल कर कुछ रोज़ में ये लोग भी अपना-अपना एकाधिकार स्थापित कर लें। इस प्रकार की कंपनियों में शराब बनाने वाले कारखाने, पेटेन्ट दवाओं

*किंतु यही सरकार भारतवर्ष में संरक्षण-नीति का विरोध करती है, कारण कि उससे ब्रिटिश व्यापारियों के व्यापार को धक्का लगेगा।

के कारखाने, पेटेन्ट भोजनों के कारखाने इत्यादि मुख्य कहे जा सकते हैं। पार्लिमेंट के कितने ही मेम्बर इनके डायरेक्टर हैं, अतएव इनका भी अनुदार सरकार पर कम प्रभाव नहीं।

सारांश यह है कि अनुदार पद के तमाम राजनैतिक नेता उस वर्ग के मनुष्य हैं, जो देश भर की तमाम चीजों की तैयारी तथा लोकोपयोगी हर प्रकार की सेवाओं को अपने अधिकार में किये हैं, जिससे जनता एकवारगी परावलम्बी बन गयी है। सरकार अवश्य इस विषय में जनता की सहायता कर सकती है, किंतु वह भी इन्हीं राजनैतिक नेताओं के हाथ में है; अतएव उसका भी ध्यान सब से पहले इन्हीं के स्वार्थ-साधन की ओर जाता है। वर्तमान ब्रिटिश सरकार ने अब तक जो कुछ कार्य किये हैं और जो कुछ नहीं किये हैं, उन सबसे यह पूर्णतया सिद्ध हो जाता है कि वह प्रजा के कल्याणार्थ अपने व्यापारी-वर्ग के स्वार्थों को कुचलने के लिए किसी प्रकार तैयार नहीं।

पाँचवाँ अध्याय

बृटिश साम्राज्य में अनुदार-दलवालों का स्वार्थ

“जब तक भारतीयों ने अपनी उत्तरदायित्वपूर्ण बुद्धि के द्वारा स्वयं यह सिद्ध नहीं कर दिया कि पश्चिमीय ढंग की पार्लिमेंटी संस्थाएँ पूर्वीय देशों के लिए भी उपयुक्त हैं, तब तक भारतीय प्रश्नों के विचार के समय वे (अर्थात् पार्लिमेंट के सदस्य) जनतंत्रवादी अथवा पार्लिमेंटेरियन नहीं रह जाते थे।” —मिस्टर ए० टी० लेन्कस-बायड, अनुदार दल के पार्लिमेंटी सदस्य, कामन्स सभा में भाषण देने समय ।

बृटिश पार्लिमेंट बृटिश साम्राज्य की भी पार्लिमेंट है। उसका निरंकुश अधिकार न केवल बृटिश द्वीप पर ही, वरन् बृटिश साम्राज्य के अधिकांश भाग में भी स्थापित है, जिसका कुल रकबा करीब एक करोड़ बीस लाख वर्ग मील और आबादी ५० करोड़ के लगभग है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का एक चौथाई हिस्सा बृटिश साम्राज्य के अंतर्गत समझा जाता है।

बृटिश हाउस आफ कामन्स के निर्वाचन का अधिकार केवल बृटिश द्वीप के ही निवासियों को प्राप्त है। इसी से कुछ लोगों (बृटिश निवासियों) की यह धारणा है कि उसका कार्य और शक्ति भी बृटिश द्वीप तक ही सीमित है।

वास्तव में बृटिश पार्लिमेंट इस समय जितने आदमियों पर हुकूमत कर रही है, उन्हें देखते हुए बृटिश निवासियों की संख्या केवल मुट्ठी भर जान पड़ती है। लेकिन चूँकि बृटिश पार्लिमेंट में केवल बृटिश द्वीप की ही जनता के प्रतिनिधि बैठ सकते हैं, अतएव यह केवल इन्हीं मुट्ठी भर लोगों के लिए जनसत्तात्मक संस्था कही जा

सकती है। तमाम बृटिश साम्राज्य की गौरी प्रजा की संख्या इस समय केवल सात करोड़ है। इनमें से लगभग ३ करोड़ व्यक्ति स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों में हैं, जहाँ इनकी अपनी अपनी अलग पार्लिमेंटें हैं। शेष ४३ करोड़ व्यक्ति बृटिश साम्राज्य शाही पार्लिमेंट की अधीनता में रहते हैं, जिसमें उनका कोई भी प्रतिनिधि नहीं बैठता, जिसके निर्माण में वे कोई भी हाथ नहीं रखते और जिसकी नीति को बदलने के लिए उनके पास कोई कानूनी चारा भी नहीं है। इस बात को खूब अच्छी तरह ध्यान में रख कर तब उन बातों पर विचार करना चाहिए, जिन्हें हम इस अध्याय में आगे दे रहे हैं।

सरकारी उपनिवेशों * की प्रजा और बृटिश प्रजा की दशा में बड़ा भारी अंतर है। उदाहरणार्थ हाउस आफ कामन्स में यदि मजदूरों के मालिकों का आधिपत्य हो जाय तो भी बृटिश मजदूर पदाधिकृत निरुपाय नहीं कहा जा सकता, कारण कि वह भाविष्य में निर्वाचन के समय इन मालिकों की जगह को छीन सकता है। इसके अतिरिक्त कामन्स सभा में उसकी ओर के अनेक प्रतिनिधि भी बैठते हैं जो उसके पक्ष में भरपूर शक्ति से लड़ा करते हैं, यद्यपि यह संच है कि इस समय उनकी संख्या मजदूर-मालिकों और ज़र्मीदारों की संख्या से बहुत दबी हुई है।

किंतु सरकारी उपनिवेशों में तो मजदूरों की अवस्था अत्यंत दयनीय है। यहाँ के मजदूरों के मालिक हर प्रकार से निडर और निरंकुश हैं। यहाँ उन्हें कोई भय इस बात का नहीं है कि तिन मजदूरों से वे काम लेते हैं उनका कोई प्रतिनिधि पार्लिमेंट में बैठकर उनके

* नोट—सरकारी उपनिवेशों में य. ई. कनाडा और आस्ट्रेलिया जैसे स्वतंत्र उपनिवेशों का तात्पर्य नहीं है; केवल ऐसे भूभाग जो 'क्राउन कालोनिया' प्रोटेक्टरेट (Protectorate) अथवा 'मैन्डेटेड राज्य' (Mandated Territories) के नाम से प्रसिद्ध हैं और जो अंग्रेजी शासन के अधीन हैं सरकारी उपनिवेशों के अंतर्गत समझने चाहिए।

विरुद्ध बोलेंगा। उधर बृटिश जनता के लिए भी ये उपनिवेश-निवासी इतनी दूर पड़ जाते हैं कि इन पर मनमाना अत्याचार करते हुए भी इन मज़दूरों के मालिक पार्लिमेंट के निर्वाचन में अपने या अपने दल-वालों के हराये जाने का कोई भय नहीं रखते।

अस्तु, अब इस बात पर विचार करना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर हुकूमत करने में वहाँ के निवा-भियों के प्रति बृटिश शासकों की नीति किन-किन बातों से प्रेरित हुआ करती है।

शायद पहले हमें यह मालूम करना ज़रूरी होगा कि स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों में और सरकारगी उपनिवेशों एवं भारतवर्ष में क्या अंतर है। स्वराज्य प्राप्त उपनिवेशों के लोग अधिकतर उन लोगों की संतान हैं, जो क्रिमी समय बृटिश द्वीप से वहाँ जाकर बस गये थे और जिनके साथ ही साथ बृटिश राजनैतिक गंस्थाएँ भी वहाँ आरंभ से ही पहुँच चुकी थीं। एक मात्र न्यूफ़ाउंडलैंड को छोड़ कर, जिसका शासन-विधान बृटिश सरकार द्वारा छीन लिया गया है और जो बृटिश पूँजीपतियों के दबाव से अब सरकारी उपनिवेश की हैसियत में रख दिया गया है, शेष सभी स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों के पास इस समय अपनी-अपनी स्वतंत्र पार्लिमेंटें मौजूद हैं। अस्तु, इन उपनिवेशों की गोरी प्रजा को तमाम राजनैतिक अधिकार वैसे ही पूर्णतया प्राप्त हैं जैसे अंग्रेजों को इंग्लैंड में प्राप्त हैं। बल्कि आस्ट्रेलिया में तो ये अधिकार अंग्रेजों के अधिकार से भी अधिक बढ़े हुए हैं। फिर भी स्मरण रहे कि ये अधिकार केवल वहाँ की गोरी प्रजा को ही प्राप्त हैं। मूल निवाभियों के अधिकार वहाँ बिल्कुल सीमित हैं। दक्षिणी अफ्रीका के संयुक्त-राज्य में भी यद्यपि काली प्रजा की संख्या अत्यधिक है किंतु उसको वहाँ कोई राजनैतिक अधिकार प्राप्त नहीं।

स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों का इंग्लैंड के साथ यद्यपि वैधानिक बंधन बिल्कुल कमज़ोर है (कारण कि उन्हें अपना सम्बंध इंग्लैंड से

तोड़ कर स्वतंत्र हो जाने का अधिकार हर समय मौजूद है), फिर भी उनका आर्थिक सम्बंध बड़ा मजबूत दीखता है। इंग्लैंड के सरकारी पक्ष का उक्त उपनिवेशों के सरकारी पक्ष के साथ जो आर्थिक सम्बंध है वह महाजन और असामी का सम्बंध कहा जा सकता है, जैसा जे० ए० हाब्सन ने अपनी पुस्तक “साम्राज्य शाही” (Imperialism) में लिखा है : -

“इस समय जैसी परिस्थिति दिखाई देती है उसके अनुसार ग्रेट ब्रिटेन में इस समय व्यवसायी पक्ष का एक त्र्यदस्त संगठन मौजूद है, जो साम्राज्यशाही-सरकार को स्वतंत्र उपनिवेशों के अग्रदूत अपनी नीति कायम रखने के लिए बग़वत उकसाता रहता है। ये उपनिवेश, विशेष कर आस्ट्रेलिया के उपनिवेश, अपनी ज़मीन-पायदाद और तिजारत बहुत अधिक परिमाण में अफ्रीकी महाजन पेशा कंपनियों के पास गिरवी रख चुके हैं। उनकी स्वानें, उनके बैंक तथा दूसरे क्रिम की अनेकों महत्वपूर्ण व्यापारी जायदाद आधिकांश में इस समय ग्रेट ब्रिटेन के ही हाथ में हैं। उनका बहुत सा सरकारी ऋण भी ग्रेट ब्रिटेन से ही लिया गया है। अतएव प्रत्यक्ष है कि ब्रिटिश द्वीप में जिस वर्ग के मनुष्यों का इतना धन इन उपनिवेशों की जायदादों में लगा हुआ है, उनका बहुत कुछ हित और अहित उन उपनिवेशों की राजनीति पर अवलम्बित है, जो कि ब्रिटिश राजनीति में विलकुल भिन्न है और कभी-कभी उसके विरुद्ध दिशा में भी जाया करती है। साथ ही यह भी प्रत्यक्ष है कि ये लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए ब्रिटिश सरकार पर अपना काफ़ी संघटित दबाव डाल सकते हैं...।”

ब्रिटेन के बड़े-बड़े पूंजीपतियों का जो धन उपनिवेशों में लगा हुआ है उसी के बल पर वे उपनिवेशों के शासक दल के ऊपर अपना प्रभाव डाला करते हैं। यह प्रभाव मुख्यतः उन उपनिवेशों के धनी और शक्तिशाली समूहों के द्वारा ही पैदा किया जाता है। इसके अतिरिक्त महाजन और आसामी का सम्बंध होने में ब्रिटिश सरकार

को भी सीधे इन उपनिवेशी सरकारों पर अपना दबाव डालने का मौक़ा मिलता है।

ब्रिटिश अनुदार पार्लिमेंटी सदस्यों का इन उपनिवेशों में स्वयं निजी स्वत्व बहुत व्यापक रूप से मौजूद है। नीचे की सूची से मालूम होगा कि इन सदस्यों में से कितने लोग उपनिवेशी कंपनियों के डायरेक्टर हैं :—

पार्लिमेंट के सरकारी सदस्य और उपनिवेश

उपनिवेश	पार्लिमेंटी सदस्यों की संख्या	कंपनियों की डायरेक्टरी
१- कनाडा ...	६	१२
२ आस्ट्रेलिया ...	११	१३
३- दक्षिणी अफ्रिका ...	१२	१५
४- न्यूज़ीलैंड ...	३	३

अनुदार पार्लिमेंटी मंत्रियों का इस प्रकार उपनिवेशों में व्यापारिक स्वत्व स्वयं ही एक काफ़ी महत्व की बात है। किंतु ज़िम समय हम उन तमाम बैंकों, बीमा कंपनियों तथा महाजन-पेशा संस्थाओं का भी विचार करते हैं, जिनका ज़बर्दस्त प्रतिनिधित्व हम कामन्स सभा में पहले देख आये हैं और जिनका स्वार्थ उपनिवेशों में न केवल उनकी सरकारी ऋण में लगी हुई पूँजी ही के द्वारा माना जा सकता है, बल्कि उन तमाम उपनिवेशी रेलों और कारख़ानों के द्वारा भी अंदाजा जा

सकता है जिनमें उनका स्वत्व है, तब हमें उपनिवेशों के साथ ब्रिटिश पूँजी-पतियों के सम्बंध का असली परिचय मिलता है। जो राजनैतिक दल बृटेन में धन और सम्पत्ति का मालिक है वही स्वभावतः उस धन का प्रतिनिधित्व भी करता है जो बृटेन की ओर से उपनिवेशों तथा अन्य देशों में लगा हुआ है। इस समय बृटेन की जो पूँजी कनाडा और न्यूफ़ाउन्डलैंड में लगी है उसकी रकम लगभग ४४ करोड़ ३० लाख पौंड है और आस्ट्रेलिया तथा न्यूज़ीलैंड में भी उसका करीब ६५ करोड़ १० लाख की रकम लग चुकी है।

फिर भी ब्रिटिश सरकार उपनिवेशी सरकारों पर अपना प्रभाव केवल कुछ ही हद तक डाल सकती है। अभी हाल में न्यूज़ीलैंड पार्लिमेंट की निम्न-सभा का जो चुनाव किया गया था उसमें मज़दूर दल के बहुमत को अंग्रेज़ी अनुदार दल भरसक प्रयत्न करने पर भी न रोक सका। उपनिवेशी नीति को प्रभावित करने का एक तरीका उन लोगों की सहायता से भी अस्ख्यार किया जाता है जिन्होंने उपनिवेशी कंपनियों तथा वहाँ की अन्य शक्तिशाली संस्थाओं को अग्न दे रखा है। साथ ही उस राजनैतिक दल की सहानुभूति और सहायता का भी उन्हें बहुत कुछ भरोसा रहता है जो उपनिवेशों में ब्रिटिश अनुदार दल की छाया पर संघटित किये गये हैं।

इस समय तमाम स्वराज्य भोगी उपनिवेशों में एक मात्र न्यूज़ीलैंड ही ऐसा है जिसकी सरकार में मज़दूर-दल का प्रभुत्व है। अतएव ब्रिटिश पूँजी-पतियों की जब वहाँ कोई दाल गलती न दिग्वाई दी, तब उन्होंने वहाँ की मज़दूर सरकार को धमकी देना आरंभ किया कि अगर वह अपनी व्यापारिक नीति उनके अनुकूल न बनाये गवेगी तो वे भी ओटावा के समझौते (Ottawa Agreement) को रद्द करके अपना बदला चुकावेंगे।

भारतवर्ष और सरकारी उपनिवेश

इस प्रकार बृटेन का शासक दल स्वराज्य-भोगी उपनिवेशों की सरकार पर अपना जोर केवल बाहरी तरीकों से डाल सकता है। कानूनन उसे किसी प्रकार भी नहीं मजबूर कर सकता। परंतु भारतवर्ष और सरकारी उपनिवेशों को तो वे कानूनन और केवल अपनी आज्ञा से ही मजबूर कर सकते हैं। यहाँ उनकी पूरी हुकूमत जारी है और यहाँ के तमाम निवासियों के भाग्य का फैसला केवल साम्राज्यशाही ब्रिटिश पार्लिमेंट की निरंकुश दृष्टि मात्र पर निर्भर रहता है। इसके अतिरिक्त एक ज़बरदस्ती और भी है। वह यह कि जिस पार्लिमेंट में भारतवर्ष एवं सरकारी उपनिवेशों के निवासियों को बैठने का कोई हक नहीं दिया जाता, वहाँ भारतीय तथा उपनिवेशों की अंग्रेज़ी कंपनियों के डायरेक्टर आसानी से जा पहुँचते हैं। वहाँ पहुँच कर वे इन देशों के भाग्य का फैसला अपनी रुचि और अपने स्वार्थ के अनुकूल कराने के लिए हर प्रकार की क्रियाशीलता दिखला सकते हैं। वास्तव में वे भी केवल उसी पक्ष के कल पृष्ठ हैं, जिसके हाथ में इस समय अंग्रेज़ी शासन है, और जिसकी मर्जी के बिना भारतवर्ष एवं सरकारी उपनिवेशों के गवर्नरों तथा अन्य ऊँचे अफसरों की न तो नियुक्ति की जा सकती है और न वे अपने स्थान से हटाये ही जा सकते हैं।

नीचे की सूची से मालूम हो जायगा कि भारतवर्ष तथा सरकारी उपनिवेशों में व्यापार करने वाली कितनी अंग्रेज़ी कंपनियों के डायरेक्टर इस समय ब्रिटिश पार्लिमेंट में अनुदार दल की ओर से सदस्य हैं :—

भारतवर्ष की अंग्रेज़ी कंपनियों के डायरेक्टर

इस समय ब्रिटिश पार्लिमेंट के कम से कम १२ सदस्य १३ ऐसी कंपनियों के डायरेक्टर हैं, जो भारतवर्ष में बैंकिंग, बीमा, रबर, सोना, चाय, रेल, मैंगनीज़, सीमेंट आदि का व्यवसाय कर रही हैं।

सरकारी उपनिवेशों के कंपनी डायरेक्टर

इसी प्रकार मालय, गोल्ड कोस्ट, नायगेरिया, ट्रिनिडाड, गेडेशिया, कीनिया, टंगानायका, बेकुअन लैंड, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, बर्मा, बृटिश गायना, फ्राकलैंड, बर्मा, लंका, बोर्नियो, पैलेस्टाइन नामक सरकारी उपनिवेशों में भी व्यापार करने वाली कम से कम २५ अंग्रेजी कंपनियों के डायरेक्टर पार्लिमेंट के १७ सदस्य हैं। फिर भी इसे यहाँ अंग्रेजी पूँजी-पतियों के स्वत्वों का केवल आंशिक दिग्दर्शन ही समझना चाहिए, कारण कि इसमें उन अनुदार पार्लिमेंटी सदस्यों का विचार नहीं किया गया है, जो इन कंपनियों में अपना स्वत्व बगैर हिस्सेदार के रखते हैं। साथ ही इसमें उन अंग्रेजी बैंकों, बीमा कंपनियों तथा इन्वेस्टमेंट ट्रस्टों की भी गिनती नहीं की गयी, जिनकी बहुत बड़ी रकम भारतवर्ष में तथा सरकारी उपनिवेशों में लगी हुई है और जिनका एक एक डायरेक्टर इस समय पार्लिमेंट में भी बैठता है। कुल पूँजी जो इस समय अंग्रेजों की केवल भारतवर्ष और लड़ा में लगी है करीब ४३ करोड़ ८० लाख पाँड बतलाई जाती है।

यहाँ एक बार हम फिर इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि अंग्रेजों का इन देशों के साथ हर एक सम्बंध केवल धन कमाने और कंपनी के डायरेक्टरों तथा हिस्सेदारों के लिए अधिक से अधिक मुनाफ़ा बटोरने की ही लालसा से स्थापित है और बृटिश पार्लिमेंट में साम्राज्य की ओर से यदि कुछ भी प्रतिनिधित्व पहुँचता है तो वह मुनाफ़े की चिंता में रहने वाले केवल इन्हीं कंपनी डायरेक्टरों का प्रतिनिधित्व दिगवाई देता है। एक अंग्रेज़ विद्वान के शब्दों में:—

“बृटिश-साम्राज्य-शाही के पिता माल उत्पन्न करने वाली, तैयार करने वाली, बेचने वाली तथा जहाजों में भर भर कर ले जाने वाली कंपनियों के डायरेक्टर तथा ऐसी संस्थाओं के मैनेजर हैं जो राष्ट्र की हक़ की हुई बचत को अपने अधिकार में रखती हैं और उनको

मुनाफ़े के कामों में लगाया करती हैं। यही लोग मंत्रिमंडल के सदस्य तथा गाट्टू के मुखिया तक बन सकते हैं।”

अस्तु, भारतवर्ष में तथा बृटिश साम्राज्य के अन्य भागों में जो इम समय जनतंत्रात्मक शासन का अभाव देखा जाता है उसे केवल उस ज़बर्दस्त शक्ति का परिणाम समझना चाहिए जो इन देशों में स्वार्थ रखने वाले अग्रेज़ व्यापारियों के हाथ में दे दी गयी है।

निस्सन्देह भारत निवाशियों को कुछ थोड़े से राजनैतिक अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। बृटिश भारत के करीब १५ प्रतिशत मनुष्य इस समय वोट देने के अधिकारी समझे जाते हैं, किंतु फिर भी उन्हें अभी केवल प्रांतीय धारासभाओं के ही निर्वाचन का अधिकार मिला है। और यह अधिकार भी उन्हें सालों के आन्दोलन के पश्चात् प्राप्त हो सका है। इसमें संदेह नहीं कि ये अधिकार काफी महत्वपूर्ण हैं, किंतु फिर भी ये जनतंत्रात्मक शासनाधिकारों से अभी कहीं दूर हैं। गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, जिसके विरोध में कट्टर अनुदार पार्लिमेंटरी नेताओं ने अपनी जान लड़ा दी थी, भारतवर्ष को स्वराज देने के उद्देश्य में नहीं बनाया गया। प्रमाणस्वरूप इसके द्वारा जो नवीन शासन विधान भारतवर्ष को प्राप्त हुआ है, उस के सम्बंधमें अपने अनुदार भाई बंधुओं को समझाते हुए सर सैमुअल होर्ज़ने बतलाया था कि:—

“भारतवर्ष में गवर्नर-जेनरल, प्रांतीय गवर्नरों तथा अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति अब भी बृटिश सम्राट के ही द्वारा की जायगी। मुरझित सरकारी नौकरियों तथा संघशासन एवं प्रांतीय शासन के बड़े बड़े अफ़सरों की भर्ती एवं भ्रंशण का काम भी अभी पार्लिमेंट के ही अधिकार में रहेगा। इसके अनिश्चित भारतीय सेना, जो कि देश की वास्तविक शक्ति है, अभी संपूर्ण रूप से बृटिश पार्लिमेंट के ही अधीन रहेगी। ये सारी बातें केवल कागज़ी नहीं हैं। शासन के अधिकारियों को इनके सम्बंध में बड़े ज़बर्दस्त अधिकार दे

दिये गये हैं और साथ ही उन अधिकारों को काम में लाने के लिए पूरे-पूरे साधन भी प्रयुक्त कर दिए गये हैं।”

फिर भी ब्रिटिश पार्लिमेंट में अभी ऐसे अनुदार सदस्यों का बहुमत मौजूद है जिनका भारतीय कामनाओं के विरुद्ध, विशेषकर गंध शासन के मामले में हार्दिक द्वेष और असहिष्णुता से भरा हुआ व्यवहार इस देश (इंग्लैंड) के नाम पर धब्बा लगाता है। उदाहरण के तौर पर मेजर-जेनरल सर अल्फ्रेड नॉक्स का निम्नलिखित वाक्य देखिए:-

“भारतवर्ष अभी जनतंत्र शासन के योग्य नहीं हुआ। साधारण भारतीय मतदाता अभी नागरिक अधिकारों के सम्बंध में केवल उतनी बुद्धि रखता है, जितना एक छः वर्ष का बालक।”

ब्रिटिश सरकार पर जैसा दबाव डाला जाता है उर्मी के अनुसार प्रायः उसका रुख भी भारतीय मांगों की तरफ हुआ करता है। पार्लिमेंट में बैठने वाले दस अनुदार सदस्यों का भारत की अंग्रेजी कंपनियों में डायरेक्टर होना उस ज़बर्दस्त आर्थिक स्वार्थ के मुकाबल में बिल्कुल तुच्छ सा है, जो पार्लिमेंट में और पार्लिमेंट के बाहर मौजूद है और जो अनुदार दल की नीति को सदा प्रभावित किया करता है। ये आर्थिक स्वार्थ भारत में केवल अंग्रेजी हुकूमत के कायम रहने से ही कायम रह सकते हैं, और इनके साथ ही एक दूसरे किस्म का स्वार्थ भी मिला हुआ है, जिसका प्रतिनिधित्व पार्लिमेंट में मौजूद है। नमूने के तौर पर एक समुदाय तो यहाँ की ब्रिटिश सेना है, जिसका स्वार्थ भारत में निश्चित रूप से दिखाई देता है:-

“ये लोग निस्सन्देह अपने विश्वास में तथा अपनी नौकरी के स्वार्थवश भी बिल्कुल साम्राज्यवादी हैं, और जो कुछ भी वृद्धि यहाँ की स्थल-सेना जल-सेना एवं आकाश सेना में की जाती है वह ब्रिटिश राजनैतिक शक्ति को भी उतना ही अधिक बढ़ा देती है। भारतवर्ष में ब्रिटिश सत्ता के प्रसार का सबसे बड़ा कारण वस्तुतः यही रहा है।

इन्हीं सैनिकों के साथ उन (अंग्रेज़) अमीरो और बड़े-बड़े ज़मींदारों की भी ज़बर्दस्त महानुभूति मिली हुई है, जो इस देश में अपने लड़कों के लिए ऊँची ऊँची नौकरियाँ दिलाना चाहते हैं।”—हाब्सन साहब।

एक दूसरा समुदाय जो ब्रिटिश साम्राज्य को कायम रखने में अपना स्वार्थ मानता है भारतीय मिविल सर्विस वालों का है। हाब्सन साहब, जिनका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, कहते हैं कि:—

“साम्राज्यशाही के पक्ष का समर्थन करने के लिए विशुद्ध आर्थिक प्रेरणाओं की एक पूरी पल्टन भी खड़ी दिखाई पड़ती है—तमाम नौकरी पेशेवालों और व्यवसायियों की एक भारी बिखरी हुई जमात, जो कि सैनिक और गजनेतिक नौकरियों की वृद्धि में मोटी-मोटी तन्ब्याह वाले ओहदों और लम्बे लम्बे मुनाफ़े वाले रोज़गारों की तलाश किया करती है और सैनिक आक्रमणों में अपने इन्हीं उद्देशों की पूर्ति के लिए नवीन क्षेत्रों के खोजने का आशा रखती है, जिनमें नया पूँजी लगाने का अवसर मिले। इन सभी लोगों को आगे प्रेरित करने वाली तथा मार्ग दिखा देने वाली केन्द्रीय शक्ति पंजीपति की शक्ति है।”

सरकारी उपनिवेशों के पेन्शनयाक्ता अफ़सरों को विना गवर्नर की लिखित स्वीकृति के उपनिवेशों में रोज़गार करने वाली किसी कंपनी के डायरेक्टर बनने का अधिकार नहीं रहता। पेन्शन पाने के पश्चात् प्रथम तीन वर्ष तक तो माभारतः यह आज्ञा नहीं दी जाती, किन्तु तीन वर्ष बीत चुकने के बाद आम तौर से देखा जाता है कि उपनिवेशों के ये पेन्शनयाक्ता अफ़सर वहीं की कंपनियों में डायरेक्टर बन गये हैं और साथ ही अंग्रेज़ी हाउस आफ़ कामन्स में भी ये बहुधा सदस्य होते हुए पाये जाते हैं।

भारतवर्ष में भी आई० सी० एम० के भूतपूर्व ऊँचे पदाधिकारी-गण तथा भारतीय सरकार में ऊँचे दर्जे पर काम करने वाले पेन्शनयाक्ता अफ़सर लोग बहुधा अंग्रेज़ी निर्याचन-क्षेत्रों से खड़े हो कर पार्लिमेंट के मेम्बर हो जाया करते हैं। उदाहरणार्थ सर जान वार्डला

मिल्ने (Sir John Wardlaw Milne, Conservative M. P. in 1922) इस समय भारतवर्ष की कितनी ही रेलवे, बैंकिंग, तथा व्यवसायी कम्पनियों के डायरेक्टर बने हुए हैं, जिनमें बी० बी० ऐन्ड सी० आई रेलवे तथा बैंक आफ वाय्वे भी शामिल हैं। साथ ही वह पार्लिमेंट के सदस्य भी रह चुके हैं तथा भारतवर्ष में निम्नलिखित सरकारी पदों पर काम कर चुके हैं :-

सदस्य	.	वाय्वे म्युनिसिपल कांभिंगशन
सरकारी प्रतिनिधि	...	वाय्वे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ।
ट्रस्टी	..	बम्बई बन्दर ।
चेयरमैन	...	वाय्वे चैनल आफ कामर्स ।
ऐडिशनल मॅम्बर	...	बम्बई की प्रांतीय धारामभा ।
ऐडिशनल मॅम्बर	...	गवर्नरल जनरल आफ इन्डिया कांभिल
प्रेमिडेन्ट	...	गवर्नमेंट आफ इन्डिया की एडवाइजरी वार शिपिंग कमटी ।
लेफ्टिनेन्ट कर्नल	...	इन्डियन डिफेन्स फ़ोर्स ।

किंतु इस समय बृटिश सरकार को भारतवर्ष में जितना अधिकार प्राप्त है उससे कहीं अधिक ताकत उस सरकार को उपनिवेशों में प्राप्त है। इन उपनिवेशों का सम्पूर्ण क्षेत्रफल वाय्वे लायव वर्ग मील तथा आबादी छः करोड़ के लगभग है। बृटिश साम्राज्य-शाही के समर्थकगण बहुधा कहा करते हैं कि हम इन छः करोड़ आदमियों को स्वराज, स्वतंत्रता एवं जनतंत्र-शासन के बृटिश आदर्शों की ओर ले जा रहे हैं। किंतु वास्तविक बात यदि देखी जाय तो इधर कितने ही वर्षों से एक भी उपनिवेश स्वराज की ओर नहीं बढ़ने दिया गया है।

प्रत्युत् माल्टा और माइप्रस के शासन-विधान तो बृटिश राष्ट्रीय सरकार ने छीन कर वापस ले लिये हैं। माग ही लङ्का के शासन-विधान पर भी उसने आघात पहुँचाने की भरपूर चेष्टा की है। लङ्का का शासन-विधान जो कि इंग्लिस्तान की मजदूर सरकार द्वारा दिया गया था, इस समय तमाम सरकारी उपनिवेशों के शासन विधान में सब से अधिक दायित्वपूर्ण है, और कदाचित इसी में साम्राज्यशाही की आँखों में गड़ता भी है। कुल पचास सरकारी उपनिवेशों में से कम से कम पैतालीस उपनिवेश ऐसे हैं, जिन्हें आज तक राजनैतिक अधिकार प्रदान का कोई काग़ज़ी दिखाना तक नहीं किया गया। इस समय भी साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे करोड़ों नागरिक पड़े हुए हैं जिनको अपने यहाँ के शासन में कोई भी मताधिकार नहीं मिला है। जे० ए० हान्सन साहब ने सन् १९०२ में जो निम्नलिखित पंक्तियाँ लिखीं थीं, वे आज भी उसी प्रकार सही उतरती हैं:—

“जिस शासन के नीचे साम्राज्य में हमारे बहुसंख्यक प्रजा-भाइयों को रहना पड़ता है उसका स्वरूप बृटिश आदर्शों के विलकुल ही विपरीत है, कारण कि वह शांति वर्ग की अनुमति पर निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि सम्राज्यी अधिकारियों की निरङ्कुश इच्छा पर निर्धारित किया गया है। निस्सन्देह इसके रूपों में बहुत सी भिन्नताएँ मौजूद हैं, किन्तु सबों का मुख्य लक्ष्य एक ही है, अर्थात् प्रजा की स्वतन्त्रता का अपहरण।”

जिस समय पार्लियामेंट की दोनों सभाओं में सरकारी प्रतिनिधियों के साथ-साथ इन उपनिवेशों के कम्पनी डायरेक्टर लोग बैठते हैं, तो उन्हें देखकर जान स्टुअर्ट मिल के निम्नलिखित शब्द हमारे कानों में गूँजने लगते हैं :—

“किसी देश का शासन यदि वहाँ के लोगों द्वारा हो तो वह एक वास्तविक सत्य है और उसके कुछ अर्थ जान पड़ते हैं। किन्तु एक देश का शासन दूसरे देशवालों द्वारा किया जाना एक ऐसी बात है जो

न कभी होती है और न हो ही सकती है। एक देश के लोग दूसरे देश वालों को अपने बाड़े का पशु अथवा जंगल का शिकार मान कर तो रख सकते हैं और उन्हें अपने धन कमाने का साधन बना कर एक ऐसा इन्सानी मवेशीखाना समझ सकते हैं जिसके आदमियों को अपने सुनाऊ के लिए इस्तेमाल किया जाय, किंतु यदि शासन का वास्तविक अर्थ शासित-वर्ग का हितसाधन है तो यह बिल्कुल असंभव है कि दूसरे देश वाले इसके लिए कुछ भी ध्यान दें।

इस समय सरकारी पक्ष के बहुत से पार्लियमंटी सदस्य ब्रिटिश उपनिवेशों में जो स्थान प्राप्त किये हुए हैं उन्हीं से पता चलता है कि साम्राज्य में शासन वर्ग का कितना अधिक स्वार्थ है। इसके लिए उदाहरण अनेकों दिये जा सकते हैं, किन्तु यहाँ हम केवल दो ही तीन उदाहरणों का उल्लेख करेंगे। नीचे तीन ऐसे उपनिवेशों का हाल दिया जाता है, जिनकी चर्चा इधर समाचार पत्रों में बहुत अधिक सुनाई देती रही है।

जून सन १९३७ में त्रिनिदाद में चीज़ों की महँगी के कारण तथा मज़दूरी बढ़ाने के सम्बन्ध में कई कम्पनियों के इन्कार कर देने पर एक ज़बरदस्त हड़ताल-आन्दोलन खड़ा हो गया था। परिणाम में एक भयंकर दंगा होगया जिसमें वहाँ के बहुत से निवासी तथा कुछ पुलिस वाले भी मरे और घायल हुए।

त्रिनिदाद की कुल वस्ती ४,५०,००० मनुष्यों की है; जिनमें से अधिकांश ह्वशी तथा बहुत से भारतीय भी हैं। सन १९३६ में कुल ब्रिटिश साम्राज्य के तेल का ६२.८% भाग केवल त्रिनिदाद से ही सप्लाई किया गया था। दूसरी उल्लेख योग्य पैदावार यहाँ चीनी की है। ब्रिटिश पार्लियमंट के तीन सरकारी सदस्य यहाँ के मुख्य मुख्य तेल के कारखानों के डायरेक्टर हैं, जिनमें सन १९३७ का डिप्टी-सेन्ट ३०% मे लेकर ४५% तक बाँटा गया था और जिनमें करोड़ों रुपये की पूँजी लगी हुई है। इन सदस्यों के नाम (१) मिस्टर एलन कार्लटन; (२) विगो

डियर-जेनरल सर विलियम अलेक्जेंडर, तथा (३) सर अर्नल्ड ग्रिडले है।

उपरोक्त हड़ताल-सम्बंधी दंगा हो जाने के बाद उसकी चर्चा हंगलिस्तान के अखबारों में तथा पार्लिमेंट में भी की गई गयी। ६ जुलाई सन् १९३७ को त्रिनिदाद के सरकारी कोलोनियल सेक्रेटरी ने वहां की धारमभा में एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने मजदूरों के प्रति कुछ सहानुभूति प्रकट की थी। इस पर मिस्टर कार्लटन ने पार्लिमेंट में सरकार का ध्यान दिलाने हुए कोलोनियल सेक्रेटरी के विचारों को अत्यंत “अभाधारण” (‘Extreme’) बतलाया था। उसके दूसरे ही दिन तारीख २८ जुलाई सन् १९३७ को दंगे की जांच के लिए एक शाही कमीशन नियुक्त किया गया, जिसकी रिपोर्ट सन् १९३७ के फरवरी मास में प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट में भी उक्त कोलोनियल सेक्रेटरी के भाषण की कड़ी आलोचना की गयी। इस भाषण के जो अंश विशेष आपात्ति जनक समझे गये वे इस प्रकार थे :—

“अतीत काल में हमें अपनी कर्तव्य-बुद्धि को केवल पागंड-भरी बातों से ही फुमलाना पड़ा है और मजदूरों को भी कितनी ही वहाने बाज़ियों के द्वारा शांत रखना पड़ा है।”....

“मैं अपनी इस राय को बहुत जोर देकर बतलाना चाहता हूँ कि किसी व्यवसाय में उनके हिस्संदारों को डिविडेन्ड मिलने का उस समय तक कोई अधिकार नहीं है जब तक कि उसके मजदूरों को मजदूरी मुनासिब तौर से न मिल जाय और उनके रहन-सहन में भी उचित दंग का मुधार न कर दिया जाय।”

शाही कमीशन ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की थी उसमें मजदूरों की दशा का इस प्रकार जिक्र किया गया था :—

“संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि उपनिवेशियों के साधारण स्वास्थ्य पर बहुत सी बातों का असर पड़ा करता है, अर्थात् रोग,

पौष्टिक भोजनों का अभाव, जगह की तंगी, खराब मकान इत्यादि किसी एक कारण को अकेले जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।”

उपरोक्त अंग्रेजी कंपनियों इस स्थान से जितना गहरा मुनाफ़ा उठा रही हैं वह ऊपर बतला चुके हैं। फिर भी उनके मज़दूरों की इस समय जो दशा है वह भी ऊपर के उदाहरण से प्रकट है। उनकी यह करणीय दशा एक ज़माने में चली आ रही है, किन्तु आज तक किंगी के कान में जून रेंगी और यदि कदाचित् यह हड़ताल सम्बंधी दंगा न हुआ होता तो अब भी उसकी कोई चर्चा न सुनाई देता।

विनिदाद का 'टैट ऐन्ड लायल्स' ('Tate & Lyle's') नाम का चीनी का कारखाना भी दुनिया भर में सब से प्राग्द्ध समझा जाता है। साम्राज्य के व्यवसायिक साधनों में लाभ उठाने वाली सब से बड़ी कंपनियों में इसकी भी गणना है। इसके डायरेक्टर भी उमी प्रकार ब्रिटिश अनुदार दल के कल पुर्जों हैं, जैसा अन्य कंपनियों के। इसके वर्तमान अध्यक्ष सर लेनार्ड लाइल के उत्तराधिकारी एक अनुदार पार्लियमेंटरी सदस्य के दामाद लगते हैं। अपने कारखाने के मज़दूरों की मज़दूरी बढ़ाने के विषय में आपका कहना है कि दृष्टी मज़दूरों को और अधिक मज़दूरी नहीं दी जा सकती, कारण कि ब्रिटिश मज़दूरों के मुक़ाबले में इनकी विचार-शक्ति बहुत नाचे दर्जे की है। साथ ही वे मज़दूरों के आन्दोलन को केवल साम्यवादियों के भड़काने का परिणाम मानते हैं, जिनके उत्तर में 'टाइम्स' नामक पत्र में लार्ड आलिवर लिखते हैं कि "लाइल साहब कम से कम इतना तो आसानी से समझ सकते हैं कि मरभुग्ने लोगों के अधिक मज़दूरी के हेतु हाथ-तोवा मचाने में बोलशविज़्म की कोई ख़ाम ज़रूरत नहीं है।”

चीनी के इस कारखाने में मज़दूरी बढ़ाने के विरुद्ध एक दूसरी दलील यह दी जाती थी कि कंपनी को कार्फ़ी मुनाफ़ा नहीं हो रहा है। इसके उत्तर में २० अगस्त सन् १९३८ के मेंचस्टर गार्जियन

नामक पत्र में ई० एम० गाइन्डर्स (E. M. Ginders) का एक पत्र प्रकाशित हुआ था, जिसमें लिखा था : -

“अगर कारखानों के मजदूरों की आर्थिक दुर्दशा का एक मात्र कारण यही है कि उनके माल का भाव गिर गया है, तो जिन स्थानों में माल की बिक्री में बेहद मुनाफ़ा मिल रहा है वहाँ के मजदूरों की दशा तो बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। लेकिन यह बात बिल्कुल भ्रूट है इसका प्रमाण त्रिनिदाद के मजदूरों की दशा से ही मिल सकता है, जहाँ तेल की कर्पनिया अपने हिस्सेदारों को बेतहाशा मुनाफ़ा बांट रही हैं। मन्त्र वात, जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता, यह है कि किसी जगह की भी भूमि पर पूर्ण तौर से एकाधिकार स्थापित हो जाने में उन लोगों की दशा, जिनकी ज़मीन छीन ली गई है, स्वभावतः केवल उमी दरजे तक कायम रखी जाती है, जिसमें वे अपने प्राणों को शरीर में अटकाये रह सकें, चाहे फिर उस माल की पैदावार से जितना भी मुनाफ़ा हो। ज़िसमें ये लोभ काम करने हैं।”

अफ्रीका में अंग्रेज़ों के कुछ उपनिवेश गव से बड़े और मालदार हैं। इनमें से बहुतों पुरानी चार्टर प्राप्त कम्पनियों की जायदाद हैं जो बाद में ब्रिटिश सरकार ने उनसे प्राप्त कर ली है। यद्यपि ये जायदाद कम्पनियों के हाथ में ब्रिटिश गवना की ही सहायता से आयी थीं, फिर भी जब इनका शासन और राजनैतिक अधिकार ब्रिटिश सरकार को सौंपा गया तो उसके बदले में इन कम्पनियों को बहुत बड़ी-बड़ी रकमों मुआविज़े के तौर पर दी गयीं। इन अंग्रेज़ी कम्पनियों ने अफ्रीका का मार्ग चलने के समय से ही अपनी घनिष्ठता ब्रिटिश पार्लिमेंट के साथ तथा दक्षिणी अफ्रीका की पार्लिमेंट के साथ खूब अच्छी तरह बढ़ा ली थी और इनके डायरेक्टर सदैव ऊँचे ने ऊँचे ओहदे के अंग्रेज़ जमींदारों, भूतपूर्व मंत्रियों तथा बड़े-बड़े पूँजीपतियों के ही मंडल से भर्ती किये जाते थे। इसी प्रकार जो लोग कम्पनी की नौकरी में खूब धन और प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते थे और फिर कम्पनी के डायरेक्टर

बन जाते थे वे भी ब्रिटिश पार्लिमेंट के अथवा दक्षिणी अफ्रीका की पार्लिमेंट के मेम्बर बन जाते थे ।

इन अंग्रेजी कम्पनियों में से दो सबसे बड़ी थीं, जिनके नाम थे (१) डि बियर्स (De Beers); तथा (२) ब्रिटिश साउथ अफ्रीका कंपनी । डि बियर्स कंपनी दक्षिणी अफ्रीका में हींग की खान का काम करती थी और ब्रिटिश साउथ अफ्रीका कंपनी रोडेशिया (Rhodesia) में सोने की खान का काम करती थी ।

‘डि बियर्स’ की स्थापना सन् १८८८ ई० में तीन ऐसे व्यक्तियों द्वारा की गयी थी जो उन्नीसवीं शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध पूँजीपति माने जाते थे और जिनके नाम थे (१) सीसिल रोड्स (Cecil Rhodes), (२) बार्ने बार्नेटो (Barney Barnato) तथा (३) अल्फ्रेड बीट (Alfred Beit) । दक्षिणी अफ्रीका के किम्बर्ली (Kimberly) प्रांत में पहले बहुत सी अंग्रेजी कंपनियाँ खानों में हीरा निकालने का काम कर रही थीं । किंतु सन् १८८८ ई० में रोड्स माह्व के प्रयत्नों से ये सब कंपनियाँ एक में मिला दी गयीं और इनका नाम “डि बियर्स कन्सोलिडेटेड माइन्स” (De Beers Consolidated Mines) रक्खा गया । स्वयं रोड्स माह्व उनके मैनेजर बने, जिसमें वह एक शाही आमदनी के हकदार हो गये और उनकी शक्ति अब बेहद बढ़ गयी । दक्षिणी अफ्रीका की पार्लिमेंट में अब उन्हें कम से कम चार आदर्शियों को अपनी मर्जी में ही सदस्य बना कर भेजने का हक प्राप्त हो गया ।

१२ मई सन् १८८८ को इस सम्मिलित कंपनी के तमाम हिस्सेदारों की जो एक साधारण मीटिंग हुई थी उसमें रोड्स माह्व ने इस के विषय में कहा था कि :--

“इस कंपनी की सम्पत्ति का मूल्य समस्त ‘गुडवोप’ अंतर्गीय के उपनिवेश की सम्पत्ति के बराबर है । अब हम एक ऐसे व्यवसाय के

मालिक हो गये हैं, जिनमें गवर्नमेंट के अंदर एक दूसरी गवर्नमेंट स्थापित कर दी है।”

इस कंपनी का वर्तमान पूंजा साढ़े चार लाख पौंड में भी ऊपर है, और इसका मुनाफ़ा सन् १९२३ तथा सन् १९२६ के बीच में २०% से लेकर ६०% तक बाँटा गया था। सन् १९२६ से १९३६ तक कोई मुनाफ़ा नहीं बना, किंतु सन् १९३७ में फिर ३०% बाँटा गया। रोड्स साहब के दूसरे हिस्सेदार वार्नेटो के उत्तराधिकारी उनके तीन भतीजे थे, जिनमें से एक में छोटा जैक वार्नेटो जॉल (Jack Barnato Joel) अभी जीवित है और उनका एक लड़का ब्रिटिश पार्लिमेंट का अनुदार पक्ष का आरंभक सदस्य भी है। इस कुटुम्ब के केवल तीन ही आधुनिक इस समय कम से कम पैतालीस कंपनियों के डायरेक्टर हैं जो दक्षिणी अफ्रीका में सोने, हीरे और ताम्बे का खानों का काम कर रही हैं, और जिनका कुल पूंजा ४ करोड़ ३० लाख पौंड में भी ऊपर पहुँचती है। रोड्स साहब के ताम्बे हिस्सेदार अल्फ्रेड वीट अविवाहित अवस्था में मरे थे और क्लगव एक करोड़ पौंड की सम्पत्ति छोड़ गये थे। उनके भतीजे सर अल्फ्रेड वीट इस समय अनुदार पक्ष की शर से ब्रिटिश पार्लिमेंट के सदस्य हैं और ब्रिटिश साउथ अफ्रीका कंपनी से विशेष सम्बंध रखते हैं।

‘डि वियर्स’ के वर्तमान चेरमैन सर अर्नेस्ट ओपेनहीमर (Sir Ernest Oppenheimer) हैं, जो इस समय ३६ कंपनियों के डायरेक्टर हैं। ये कंपनियाँ दक्षिणी अफ्रीका में हीरा, सोना और ताम्बे की खानों का कारबार करती हैं। हीमर साहब के भी एक साढ़े ब्रिटिश पार्लिमेंट में अनुदार पक्ष का आरंभक सदस्य हैं, और स्वयं हीमर साहब दक्षिणी अफ्रीका का पार्लिमेंट के सदस्य हैं।

यहाँ तक तो ‘डि वियर्स’ का वर्णन हुआ। अब ब्रिटिश साउथ अफ्रीका कंपनी का भी हाल संक्षेप में सुन लीजिए। इसकी स्थापना भी उन्हीं विधियों द्वारा की गयी थी जिन्होंने ‘डि वियर्स’ को स्थापित

क्रिया था। किंतु इसके विषय में सरकारी महायत्ना प्राप्त करने के लिए पार्लियामेंट पर भी प्रभाव डाला गया था और कुछ ऐसे उपायों का सहारा लिया गया था, जो किसी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। आयरलेंड में उन दिनों मिस्टर पार्नेल के नेतृत्व में होमरूल का आन्दोलन चल रहा था। अतएव पार्लियामेंट के राष्ट्रीय आयोगीश सदस्यों को अपनी ओर करने के लिए रोडम साहब ने उनके होमरूल फंड में १०,००० पाँड की चेक बतौर चन्दे के दे डाली और अनुदार सरकार ने भी उसे चुपचाप सहन कर लिया। निदान सन १८८६ में ब्रिटिश साउथ अफ्रीका कंपनी के लिए एक रायल चार्टर प्राप्त हो गया जिसमें उसे रोडेशिया प्रदेश के विस्तृत क्षेत्र में अपना पूरा पैग पैलाने का संपूर्ण अधिकार मिल गया।

इस समय इस कंपनी का कारबार तमाम रोडेशिया में फैला हुआ है, जिसके उत्तरी प्रदेश का क्षेत्रफल १,८६००० वर्ग मील है और दक्षिणी प्रदेश का क्षेत्रफल २,६१००० वर्ग मील है। इस सम्पूर्ण भूमि पर उक्त कंपनी को ब्रिटिश चार्टर के अनुसार अपना एकछत्र राज्य करने का अधिकार मिला हुआ था। किंतु सन १८८३ के १२ सितम्बर को दक्षिणी प्रदेश उसके हाथ में ले लिया गया और उसे ब्रिटिश साम्राज्य का एक उपनिवेश घोषित कर दिया गया। पश्चात् ३१ मार्च सन १८२४ को उत्तरी प्रदेश पर भी कंपनी ने अपना शासनाधिकार हटा लिया और वह ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया।

किंतु इनके बदले में कंपनी को ब्रिटिश सरकार से ३०,५०,००० पाँड नकद मिले और साथ ही उसे वहाँ अपने मोने की खानों का कारबार पूर्ववत् जारी रखने का भी पूरा अधिकार दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त देश भर में उसकी जहाँ-जहाँ रेलवे लाइनें फैली हुई हैं उनके सम्बंध में भी उसके कुल अधिकार सुरक्षित कर दिये गये हैं। यही नहीं,

उत्तर-पश्चिमी रोडेशिया में जो भूमि सन् १९६४ ई० तक बेची जायगी उसके मूल्य में भी इस कंपनी का आधा हिस्सा रहेगा ।

इस समय कंपनी के पास लगभग ३५ लाख एकड़ भूमि रोडेशिया तथा बेङ्गुआनालैंड में मौजूद है, तथा करीब २७०८ मील लंबी रेलवे लाइन पर भी यह अपना पूरा अधिकार रखती है । साथ ही रोडेशिया लैंड बैंक की भी मालिक यही कंपनी है । इसके कई डायरेक्टर तथा उनके बंधु-बंधवगण इस समय ब्रिटिश पार्लिमेंट के अनुदार सदस्य हैं, और सरकारी नीति में अपना प्रभावशाली हाथ रखते हैं ।

इस प्रकार ब्रिटिश सरकारी नीति और धन की सहायता से ये कंपनियाँ अफ्रीका के उपनिवेशों में अपना विशाल कारवार फैलाकर मनमाना मुनाफ़ा कमा रही हैं । किंतु क्या इस “सरकारी नीति और धन की सहायता” का कुछ भी अर्थ उन्होंने अपने अफ्रीकन मजदूरों की दशा सुधारने के लिए खर्च किया ? (जन लोगों ने उन्हें इस अपारमित धनराशि का मालिक बनाने में अपनी एड़ी और चोटी का पसीना एक कर दिया, उनका गिरा हुआ अवस्था को सुधारने अथवा उनके कष्टों को दूर करने की क्या कोई भी तदबीर की गई ?

अफ्रीकन निवासियों के साथ इन अंग्रेज़ी कंपनियों का कैसा व्यवहार होता रहा है इसका परिचय एक दूसरी कंपनी के सम्बंध में प्रकाशित सरकारी उपनिवेश की रिपोर्ट से मिलता है, जो सितम्बर मन १९३८ में प्रकाशित हुई थी । इस रिपोर्ट में अफ्रीका के सरकारी उपनिवेशों के निवासियों की जैसी दशा दिखाई गई है वह दृश्य बड़ा ही करुणाजनक है । एक स्थान पर गोरों की बस्ती बसाने के हेतु उनकी भूमि छीनी जाने का वर्णन इस प्रकार दिया हुआ है :—

“करीब १०,००० वर्गमील भूमि की जो स्वीकृति (गोरों के बसने के लिए) दी गयी है उसी से (मूल निवासियों के लिए) ज़मीन की कमी पड़ गई । दुर्भाग्यवश इस स्वीकृति के बाद ही

बहुसंख्यक मनुष्य अपनी भूमि से निकाल बाहर कर दिये गये, यद्यपि उस समय ज़मीन का कोई ज़रूरत न थी और न आज तक ही उसका उपयोग गोरी बस्ती के बसाने के लिए किया गया। परिणामस्वरूप ज़मीन का एक बड़ा विस्तृत भाग बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है, जहाँ किसी समय की खेती के चिन्ह अब भी आकाश में देखे जा सकते हैं। यहाँ के मूल निवासी अपनी भूमि के छिन जाने से अत्यंत दुःखी हैं इसमें ज़रा भी संदेह नहीं।.....”

हाब्सन साहब के शब्दों में “जब तक मूल निवासियों की भूमि पर गोरे खदान वालों तथा जमीन्दारों का अपने व्यक्तिगत व्यवसाय और अदूरदर्शी स्वार्थों के लिए इस प्रकार का आक्रमण होता रहेगा तब तक यह दावा करना कि हम इन निवासियों को आदमी बनाना चाहते हैं या इसी ढंग की कोई और बातें केवल पाखंड प्रदर्शन के सिवाय कुछ नहीं हैं, चाहे वे किसी खदान के डायरेक्टर द्वारा कही जाँय अथवा किसी राजनीतिज्ञ द्वारा हाउस आफ़ कामन्स में घोषित की जाँय।”

सरकारी उपनिवेशों के गवर्नर तथा अन्य अफ़सर लोग अपने उपनिवेश की किमी कंपनी में डायरेक्टर अथवा हिस्सेदार बिना विशेष आज्ञा प्राप्त किये नहीं हो सकते। किंतु यह प्रतिबंध केवल कुछ निश्चित समय के लिए ही रखा गया है। उतना समय बीत जाने पर फिर वे न केवल इन पदों पर हो ही सकते हैं, बल्कि हुआ भी करते हैं। यही नहीं ब्रिटिश कामन्स सभा की मेम्बरी की भी वे उम्मीदवादी कर सकते हैं। कहना न होगा कि ये सब भी केवल उर्मा एक वर्ग के पुत्र हैं, जिनके अन्य अनुदार पार्लियेन्टी सदस्य। सब जान एंडर्सन जो इस समय पार्लियेन्ट के अनुदार सदस्य हैं, मन् १९३२-३७ में यहाँ बंगाल के गवर्नर थे। इसी प्रकार मिस्टर एल० एम० एमरी *

(L. S. Amery) भी जो सन १९२४-२६ में ब्रिटिश मंत्रि-मंडल के अन्दर उपनिवेश मंत्री की हैमियत में और (सन १९२५-२६ में) डोमिनियन सेक्रेटरी की हैमियत में रह चुके हैं, इस समय दक्षिण-पश्चिमी अफ्रिका में सोने की खदान का काम करने वाली एक संस्था के डायरेक्टर हैं तथा आस्ट्रेलिया में भी तीन सोने की खान का काम करने वाली कंपनियों के डायरेक्टर हैं। साथ ही एक ट्रस्ट कंपनी के प्रेसिडेन्ट भी हैं जिसका क़रीब ३५ लाख पाँड कनाडा में ज़मीन और जायदाद के कामों में लगा हुआ है।

विदेशों में भी ब्रिटिश पूँजी

ब्रिटिश पूँजी-पतियों की एक बहुत बड़ी रकम विदेशों में भी लगी हुई है, और स्वभावतः इनमें से अनेकों पूँजीपति ब्रिटिश पार्लिमेंट में सरकारी पक्ष के सदस्य हैं।

नीचे की सूची से प्रकट हो जायगा कि कितने पार्लिमेंटी मेम्बरों का किन-किन देशों में इस समय व्यापारिक स्वार्थ है :—

देशों के नाम	पार्लिमेंटी सदस्यों की संख्या	व्यवसाय	डायरेक्टरशिप की संख्या
स्पेन ...	२	लोहा, खदान व जहाज	२
जुगोस्लाविया ...	१	शीशा (Lead) ..	१
नार्वे ...	२	ब्लैल (Whaling)	२
मिश्र ...	२	नहर व बीमा	२

देश के नाम	पार्लिमेंट की सदस्यों की संख्या	व्यवसाय	डायरेक्टरशिप की संख्या
ईराक ...	१	बीमा ...	१
चीन ...	१	बैंकिंग ...	१
मेक्सिको ...	३	तेल व मिमेंट ...	३
पनामा ...	१	टैकर्स ...	१
कोलम्बिया ...	१	सोना ...	३
बेनेजुला ...	२	तेल ...	२
पेरू (Peru) ...	१	आटा ...	१
चिली (Chile) ...	१	आटा ...	१
ब्राज़िल ...	२	सोना, कढ़वा, रुई, पब्लिक वर्कर्स	३
अर्जेन्टाइन ...	२	फिनान्स, रेलवे ...	२
युरागुवे (Uruguay)	२	फिनान्स ...	२

इनमें से कुछ व्यवसायिक स्वार्थ अभी हाल की महत्वपूर्ण घटनाओं से भी सम्बंध रखते हैं। जून २३ मन् १९३८ को पार्लिमेंट में एक प्रस्ताव किया गया था कि स्पेन के विप्लवकारी जेनरल फ्रैंको के व्यापारी जहाजों पर बृटेन द्वारा रोक लगा दी जावे। इसके उत्तर में उस समय

के प्रधानमंत्री चेम्बरलेन साहब ने कहा कि हमसे ब्रिटिश पूँजी की चार करोड़ पाँड की रकम, जो विलयकारी स्पेन में लगी हुई है, खतरे में पड़ जायगी।

दक्षिणी स्पेन के ह्यूलवा (Huelva) प्रांत में रायो टिन्टो कंपनी (Rio Tinto Co.) को करीब ३२००० एकड़ भूमि माफ़ी में मिली हुई है, जिनमें वह खानों से तांबा और गंधक निकालने का काम करती है। इसके एक डायरेक्टर अर्ल आफ़ बेसबरो (Earl of Bessborough) है, जिनके तीन नातेदार अनुदार पद की ओर से पार्लिमेंट में बैठते हैं। दूसरे डायरेक्टर आनरेबुल आर० एम० प्रेन्टन हैं। इनके भी एक बहनोई कैप्टेन ए० एच० एम० रैम्जे अनुदार पद के पार्लिमेंटो सदस्य हैं। रायो टिन्टो कंपनी जर्मनी के मेटल-गॉसल-शाफ़्ट ए० जी० (Metall Gesellschaft A. G.) नामक फर्म के साथे में एक दूसरी योरोपियन कंपनी पायराइट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Pyrites Corporation Ltd.), के भी मालिक हैं। मेटल-गॉसल शाफ़्ट के लंदन के डायरेक्टर कैप्टेन आलिवर लिट्टेल्टन (Captain Oliver Lyttelton) हैं, जो एक अनुदार पार्लिमेंटो सदस्य हेनरी गेस्ट साहब (Col. Hon. Henry Guest M. P.) तथा वाई काउन्ट विम्बोर्न के साथ विवाहित सम्बंध रखते हैं।

इसी प्रकार एक दूसरी कंपनी 'कॉन्सेट स्पेनिश ओर कंपनी' (Consett Spanish Ore) है जो वहाँ लोहे का काम करती है। इसके भी कई डायरेक्टर ऐसे हैं जिनके बन्धु बान्धव अनुदार पद की ओर से पार्लिमेंट में बैठते हैं। हेनरी गेस्ट साहब (Col. Hon. Henry Guest M. P.) के विषय में 'डायरेक्टरी आफ़ डायरेक्टर्स सन् १९३८' में इस प्रकार परिचय दिया हुआ है कि "वह 'आर्कोनेरा आयरन कं०' (Orconera Iron Co.) के डाय-

रेक्टर हैं, जो अंशतः कान्सेट स्पेनिश कपनों के अधिकार में है और जिसका मुनाफ़ा मग १९३६ तक १०% बाटा गया था।”

मेक्सिको देश में अंग्रेजी तेल के कारखानों का जो कारवार फैला है उसकी रक्षा के लिए भी ब्रिटिश सरकार ने अभी हाल में बड़ी जोरदार नीति अख्तियार की थी। पत्र पत्रिकाओं से एकट होता है कि इस काम में ब्रिटिश सरकार की सहायता करने वाले अनेकों ऐसे बड़े बड़े व्यवसायियों के दल भी थे, जिनका तेल के कारवार में कोई सम्बंध न था। कारण यह है कि ये सब के सब मेक्सिको की, कोर्डनाज़ गवर्नमेंट (Cardenas Government) को नीचे गिराने के लिए लालायित हैं, जो एक बहुत ही उन्नतिशील और प्रगतिशील सरकार कही जा सकती है। ब्रिटिश पार्लियेमेंटी सदस्यों में इस समय कमसे कम एक व्यक्ति ऐसा है जो मेक्सिको में तेल के कारवार में सम्बंध रखता है।

करीब एक अरब पाँड की ब्रिटिश पूंजी दक्षिणी अमेरिका में लगी है और यहां के कंपनी डायरेक्टर भी ब्रिटिश पार्लियेमेंट के बहुसंख्यक सदस्य हैं। पनामा, ब्रेज़िल, कोलम्बिया, पेरू, चिली, वेनेज़ुएला, युरागुबे और अर्जेन्टाइन में कुल मिला कर कम से कम पन्द्रह कंपनियों की डायरेक्टरशिप इस समय पार्लियेमेंटी सदस्यों के हाथ में मौजूद है। इन्हीं में सेन्ट्रल अर्जेन्टाइन रेलवे भी शामिल है, जिनमें कुल ४ करोड़ ३५ लाख पाँड से भी अधिक पूंजी लगी है और जो करीब ३०० मील लंबी रेलवे लाइन पर अपना अधिकार रखती है। सर चार्ल्स बैर्री (Sir Charles Barrie M. P.) इसके एक डायरेक्टर हैं, जो पार्लियेमेंट में भी उदार राष्ट्रीय दल की ओर में सदस्य हैं।

कितनी ही ऐसी कंपनियों के डायरेक्टर भी पार्लियेमेंट के सदस्य हैं, जिनका कारवार मारे ब्रिटिश साम्राज्य में फैला हुआ है और साथ ही जो अन्य देशों में तथा उनके उपनिवेशों में भी व्यवसाय कर रही हैं। लिवर ब्रदर्स ऐन्ड यूनिलिवर लिमिटेड एक ऐसी ही कंपनी है। इसका

उल्लेख्य पहिले एक स्थान पर किया जा चुका है। सन् १९३८ की अंग्रेजी स्टॉक एक्सचेंज इयर-बुक” (Stock Exchange Yearbook, 1938) में इस कंपनी के संबंध में इस प्रकार लिखा है:—

“यह सावुन और माग्गीन के व्यवसाय में समस्त ब्रिटिश साम्राज्य में तथा योरोप एवं पृथ्वी के अन्य भागों में भी अपना कब्जा रखती है। साथ ही वह ३०० से अधिक दूसरी कंपनियों में भी अपना हिस्सा रखती है, जिनमें आस्ट्रेलेशिया, कनाडा, और दक्षिण अफ्रिका के अन्दर शक्तिशाली व्यवसायिक स्वार्थ शामिल हैं.....”

इस कंपनी की पूँजी इस समय ६ करोड़ ७० लाख पौंड से भी अधिक है। साधारण शेयर पर इसका मुनाफ़ा सन् १९३२ से १९३६ तक १५% बाटा गया था।

इस प्रकार साम्राज्य भर में एवं सम्राज्य से बाहर भी अपना व्यवसायिक जाल फैला रखने वाली कंपनियों के डायरेक्टरों तथा सरकारी उपनिवेशों के भूतपूर्व कर्मचारियों का पार्लिमेंट की कामंम सभा में बने रहना आज के लिये कोई नई बात नहीं है। पिछले योरोपीय महायुद्ध के पहिले भी इसका ज़हरीला असर ब्रिटिश राजनैतिक जीवन पर बराबर देखा जाता था :—

“दिन पर दिन इस देश में अर्थात् (इंग्लैंड में) भारतीय साम्राज्य तथा सरकारी उपनिवेशों में लौटे हुए ऐसे मैनिफो और राजनैतिक कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जाती है, जिनके स्वभाव और रहन-सहन में वहाँ की हुकूमत भरी शान शौकत और नवाबी तौर-तरीकों का रंग पैदा हो चुका है। इनके साथ ही अनेकों अंग्रेज व्यापारी, जर्मांदार, इंजीनियर तथा ओवरसीयर आदि जो इन देशों से लौटकर आते हैं वे भी अपने वहाँ के ज़हरीले विचारों, चरित्रों और भावनाओं को अपने साथ ही साथ यहाँ (इंग्लैंड में) लेते आते हैं।

इनमें जो लोग ज्यादा मालदार होते हैं वे अपनी राजनैतिक आकांक्षाओं को अधिक ऊँचा ले जाते हैं और फिर हमारी पार्लियामेंट की सभाओं के अंदर भी वे अपनी साम्राज्यशाही भावनाओं का स्वार्थपूर्ण और गंदी लूत फैलाया करते हैं, तथा अपने साम्राज्यसयधी अनुभवों एवं संबंधों से लाभ उठाकर अपने निजी लाभ के लिए सुनाफे वाली कंपनियों खड़ी करते एवं उनके लिए हर प्रकार की सरकारी रियायतें किया करते हैं।”—हाब्सन

आज भी ये साम्राज्य के जहरीले वातावरण में पले हुए तथा साम्राज्यशाही में अपना स्वार्थ रखने वाले बहुसंख्यक गोर प्रयत्न क्रियाशील दिखाई देते हैं। इन्हीं लोगों का प्रताप है कि आज इंग्लिस्तान में भी 'सेडीशन ऐक्ट (Sedition Act), पब्लिक आर्डर ऐक्ट (Public Order Act), तथा ट्रेड्स डिस्प्यूट ऐक्ट (Trades Disputes Act) जैसे कानून पारित किये गये हैं। उस समय ब्रिटिश अनुदार सरकार का पिछपोपण करने वाले उस प्रकार के कम से कम ७६ मैनिंक जो साम्राज्य में नौकरी करके लौटे हैं, १८८० कंपनी डायरेक्टर, जिनके कारखाने साम्राज्य भर में फैले हैं, तथा कितने ही सरकारी उपनिवेशों के भूतपूर्व गवर्नर पार्लियामेंट के अंदर अपनी क्रियाशीलता साम्राज्यशाही को मजबूत बनाने में प्रयत्न कर रहे हैं। हाब्सन साहब के शब्दों में “जो लोग इस देश (अर्थात् इंग्लिस्तान) के वैधानिक अधिकारों एवं रीतियों को कुचलने तथा प्रजा की स्वतंत्रता पर कुठाराघात करने में यहाँ के नवाबों और अमीरों के उपेक्षापूर्ण और घृणाव्यंजक व्यवहार पर आश्चर्य प्रकट करते हैं, वे कदाचित् उस गौरजिम्मेदार हुकूमत के बढ़ते हुए जहर को ध्यान में नहीं लाते, जो हमारी गुलाम बनाने वाली अमदियानु और अग्रसर साम्राज्य में इस देश (अर्थात् इंग्लिस्तान) में भी बराबर प्रवेश कर रहा है।”

टाइम्स नामक पत्र में मिस्टर हेगलड स्ट्रैनेड के 'बैश्ट इन्डीज़' पर जो तीन लेख निकले हैं उसमें उन्होंने कहा है:—

“अब भी समय है कि हमारे धन का वह हिस्सा, जो साम्राज्यवाद के नाम पर बाहर से बटोरा गया है और जिसे हमारी आत्मा अब बुरा कह रही है, वहाँ वापस भेज दिया जाय। (साम्राज्य की) प्रजा की दशा सुधारने वाली नीति तथा उसके लिए उचित उपाय सीधे इंग्लिस्तान से जारी किए जाँय।.....आज जिस बात की आवश्यकता है वह है एक ऐसी उत्साहपूर्ण नैतिक लहर की जो हाउस आफ़ कामन्स से बहती हुई उपनिवेशी दफ़्तरों को भली भाँति परिप्लुत करदे—ठीक वैसी ही नैतिक लहर जैसी गुलामी की प्रथा बन्द करने के समय दिखाई दी थी।”

इस प्रकार की लहर का स्वागत कौन नहीं करेगा ? किंतु इसके लिए अमली नेताओं की ज़रूरत है और ऐसे अमली नेता, हम जानते हैं, वर्तमान अनुदार दल के सदस्यों में कहीं नहीं हैं, जो साम्राज्य में सेवा के भाव से दिलचस्पी दिखाने वालों का मच्चा प्रतिनिधित्व कर सकें। अस्तु, अब केवल एक ही उपाय है, जैसा कि हाब्समन साहब लिखते हैं:—

“सरकारी सहायता के बल पर राष्ट्र के साधनों को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल करने वाली साम्राज्यवादी शक्तियों का विनाश केवल सच्चे जनतंत्र-शासन की स्थापना के द्वारा किया जा सकता है, जिसमें सार्वजनिक नीति का नियंत्रण केवल प्रजा के हित के लिए उसी के चुने हुए ऐसे प्रतिनिधियों के हाथ में देना चाहिए, जिनपर प्रजा का पूरा अधिकार है” ।

आज दुनिया के तमाम हिस्सों में एकतंत्र शासन और जनतंत्र शासन के बीच एक भयंकर संघर्ष चल रहा है। उपनिवेशी साम्राज्य भी इससे मुक्त नहीं। आज हम सबों के शिर पर एक महायुद्ध की संभावना नाच रही है।* और कोई यह नहीं कह सकता कि इस

* अब यह संभावना वास्तविकता में परिणत हो चुकी है और रणचंडी का प्रलयकारी नृत्य योरोपीय आंगन में एक छोर से दूसरे छोर तक अपना विकराल रूप धारण कर रहा है। अब तक अनेकों देश अपनी स्वतंत्रता को इसकी भेंट कर चुके हैं। आगे क्या होगा ईश्वर जाने। — अनुवादक ।

महायुद्ध का अंतिम निर्णय करने में साम्राज्य के इन उपनिवेशों का भी एक महत्वपूर्ण भाग न रहेगा। किंतु जब इन उपनिवेशों के निवासियों को स्वयं स्वशासन के अधिकार नहीं मिले हैं और न उन्हें देने के लिए बृटिश शासक वर्ग अभी तैयार ही है, तब भला ये जनतन्त्रवाद के युद्ध में क्या हौसला दिखायेंगे? स्वराज और जनतंत्रवाद की रक्षा का जो दावा बृटिश अनुदार पक्ष अब तक करता आ रहा है वह इन उपनिवेश निवासियों की दृष्टि में केवल पाखंडियों का अद्भुत पाखंड मात्र जान पड़ेगा।

अनुदार पक्ष से शासित बृटेन यदि आज किसी संकट में फँस जाय तो विश्वास रखना चाहिए कि सरकारी उपनिवेशों के निवासी उसकी सहायता करने से बिल्कुल इन्कार कर देंगे, और जहाँ कहीं वह अपने को समर्थ देखेंगे वहाँ शासकों से शक्ति छीनने की चेष्टा करेंगे। सारा बृटिश साम्राज्य इस समय डगमग-दशा में दिखाई दे रहा है और कोई भी गहरा धक्का इस अवस्था का अंत कर देने के लिए काफी होगा, जिसमें एक नन्हें से टापू का व्यापारी समुदाय दुनिया के एक बड़े भारी हिस्से पर हुकूमत चला रहा है।

वास्तव में जनतंत्रवाद के युद्ध में बृटिश साम्राज्य की स्थिति बड़ी ही नाज़ुक है, और इसका कारण है भीतरी फूट। फ़ासिज़्म द्वारा भी इसमें आंतरिक भगड़े फैलाये जाने के भय मौजूद हैं। अभी हाल में फिलिस्तीन में जिस प्रकार अरबों की शिकायतों को उभाड़ कर इटली की तानाशाही ने अपना मतलब साधने के लिए गृह-युद्ध छिड़वा दिया था, वह उपरोक्त कथन की पुष्टि के लिए एक काफ़ी उदाहरण है। अस्तु, निश्चय है कि बृटिश साम्राज्य की शक्ति में दिन पर दिन कमज़ोरी आती जायगी, जब तक कि उस कमज़ोरी को मिटाने के लिए कोई वास्तविक उपाय न किया जाय। दूसरे शब्दों में अगर वर्तमान अनियंत्रित शासन के बजाय उसमें सच्चा जनतंत्रशासन नहीं स्थापित किया जाता तो इस साम्राज्य के अलग-अलग टुकड़े हो जाना अनिवार्य है।

बृटिश साम्राज्य की कमज़ोरी से उपनिवेश-निवासियों को भी नुकसान पहुँच सकता है, कारण कि ऐसी दशा में वे फ़ासिज़्म अर्थात् तानाशाही के शिकार आसानी से बन सकते हैं। किंतु अंग्रेजों के लिए तो वह एकबारगी विनाश का ही कारण बन सकता है, कारण कि साम्राज्य के भीतर और बाहर से जितनी अधिक सहायता की उन्हें आज ज़रूरत है उतनी पहले कभी नहीं हुई। और इस कमज़ोरी का सारा उत्तरदायित्व बृटिश अनुदार-दल के व्यापारियों पर है। इन्हीं लोगों ने हमें (अर्थात् अंग्रेजों को) आज करोड़ों आदमियों की सहानुभूति और मित्रता से वंचित कर दिया है। बृटिश अनुदार सरकार के प्रति उपनिवेशी जनता के मन में सिवाय अविश्वास और संदेह के दूसरा कोई भाव पैदा ही नहीं हो सकता। अनुदार दल और पूँजीवाद अब दोनों सदा के लिए एक दूसरे के पर्यायवाची बन गये हैं।

अब जब तक कोई ऐसी बृटिश सरकार स्थापित न हो जो जनतंत्र-वाद में अपना सच्चा विश्वास रखती हो और जो अपने कार्यों से भी यह सिद्ध करने के लिए तैयार हो कि वह साम्राज्य-निवासियों की स्वतंत्रता-प्राप्ति में सहायता देने की सचमुच इच्छुक है, तब तक वह सहानुभूति कदापि नहीं प्राप्त की जा सकती, जिसे अनुदार सरकार ने इस शोक-जनक रीति से अपने हाथों गवाँ दिया है। यदि ऐसी सरकार स्थापित हो जाय तो वह जनतंत्र-राष्ट्रों का एक ऐसा संघ तैयार कर सकती है जो आपस में प्रेम और मित्रता का नाता रखते हुए एक दूसरे के साथ मिल जुल कर रह सके। ऐसे संघ को कोई भी न छोड़ना चाहेगा, यदि उसका संगठन सबों के हित की दृष्टि से किया गया हो और न केवल बृटिश शासकदल के व्यापारियों की ही स्वार्थसेवा के लिए हो। वर्तमान कमज़ोर अंग्रेजी साम्राज्य के स्थान पर एक ऐसा ज़बर्दस्त राष्ट्रों का संघ खड़ा दिखाई देगा, जो सारे संसार की शांति, सुख और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने में बड़ी भारी सहायता पहुँचा सकता है।

छठवां अध्याय

हाउस आफ़ कामन्स में अंग्रेजी सामंतों या नवाबों का घराना

“अंग्रेज़ नवाबी घरानों का मूल रहस्य मुर्दों को जीवितों की मान-मर्यादा का उद्गम स्थान मान लेने में है तथा जीवित मनुष्यों की प्रतिष्ठा को उनके व्यक्तिगत चरित्र और आचरणों पर उतना निर्धारित न करके उनके मरे हुए पूर्वजों की ही हैसियत और कार्यों पर निर्धारित रखने में है। लेकिन चूँकि ये नवाबी घराने शेष जनसमुदाय से बिल्कुल अलग नहीं रह सकते तथा इनकी शाखायें और प्रतिशाखायें अनेक क्षेत्रों में पहुँचती हैं, और चूँकि समाज में इनका गहरा प्रभाव भी सामाजिक सम्बन्धों को सदा प्रभावित करता रहता है, इसलिए तमाम लोगों के मन अब धीरे-धीरे उसी विचारशैली में अभ्यस्त हो गये हैं, जिसे देखकर अन्यथा वे अपना मुँह सिकोड़ लिये होते।”—Lecky, “Rise and Influence of Rationalism,” Vol. I.

अधिकांश अनुदार पार्लिमेंटी सदस्य, जिनका हम पुस्तक में उल्लेख किया जा चुका है, उपाधिधारी व्यक्ति हैं। इनके अतिरिक्त बहुतेरे और भी ऐसे हैं, जिनका उल्लेख नहीं किया गया है और जो अंग्रेजी सामंत घरानों के वंशज हैं। इस समय निम्न-लिखित व्यक्तियों को हम हाउस आफ़ कामन्स में सरकारी कुर्तियों पर बैठे हुए देखते हैं :—

(१) अर्ल विंटरटन (Earl Winterton).

(२) मार्किस आफ़ टिचफील्ड (Marquess of Titchfield).

- (३) मार्किम आफ क्लाइड्सडेल (Marques of Clydesdale).
- (४) वाईकाउन्ट क्रेनबर्न (Viscount Craneborne)
- (५) वाईकाउन्ट कैस्लरीग (Viscount Castlereagh)
- (६) वाईकाउन्ट वुल्मर (Viscount Wolmar)
- (७) लार्ड बैनियल (Lord Baniel)
- (८) लार्ड बर्गले (Lord Burghley)
- (९) लार्ड ऐप्सली (Lord Apsley)
- (१०) लार्ड सी० क्रिश्चन-स्टुअर्ट (Lord C. Crichton-Stuart)
- (११) लार्ड डनग्लास (Lord Dunglass)
- (१२) लार्ड विलियम स्काट (Lord William Scott)
- (१३) लार्ड विलोब डि एरिसबी (Lord Willoughby de Eresby)

ये लोग प्रजावर्ग के मनुष्य नहीं है, किंतु फिर भी ये कामन्स सभा के मेम्बर हैं। ये सब के सब अनुदार दल के लोग हैं। लेकिन यह भी सरकारी पक्ष के केवल कुछ थोड़े ही से इने-गिने उपाधिधारी व्यक्तियों के नाम हैं। इनके अतिरिक्त डेरों बैरोनेट, नाइट तथा आनरेबुल उपाधियों से भी विभूषित लोगों की भीड़ सरकारी कुर्सियों पर बैठ करती है। साथ ही बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो यद्यपि उपाधिधारी तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी नवाबी घरानों के आदमी हैं।

साधारण लोगों में यह विश्वास प्रचलित है कि वर्तमान राजनीति में नवाबी घरानों का प्रभाव बहुत कम रह गया है, किंतु यह केवल एक भ्रम है। रईसों और नवाबों का राजनैतिक प्रभाव केवल लार्डस-सभा तक ही सीमित नहीं है। कामन्स-सभा में तथा मंत्रिमंडल में भी

इस समय बहुत से नवाब लोग मौजूद हैं। मंत्रिमंडल के अंदर इस समय कम से कम एक मार्क्सेस, तीन अर्ल, दो वार्डकाउन्ट, एक बेरन तथा एक बेरनेट दिखाई देते हैं, और यह मंत्रिमंडल केवल कामन्स-सभा की मर्जी पर ही टिका हुआ है।

किंतु इन तमाम उपाधियों का उन गंभीर प्रश्नों से क्या वास्ता है, जिनसे हमें नित्य मुकाबला करना पड़ता है? इस समय राष्ट्र की अनेक ऊँची से ऊँची जगहें इन्हीं पदवीधारी नवाबों से भरी हुई हैं। तब क्या ये नवाब ही अंग्रेज़ी शासन-विधान के सब से उत्तम सरक्षक कहे जा सकते हैं? इन्हें इस प्रकार शक्ति से सम्पन्न ऊँचे-ऊँचे आसनों पर बैठाने वाला अनुदार राजनैतिक दल है, जो अपने पक्ष के कामन्स सभा में बैठनेवाले ४५० मेम्बरों को छोड़ कर परराष्ट्र-सचिव, शिक्षा मंत्री तथा भारत-मंत्री के पदों के लिए लार्ड्स सभा के ही आदमियों को ज्यादा पसंद करती है।

बृटिश अनुदार दल में रईसों और नवाबों का इतना महत्वपूर्ण भाग है कि इनका अध्ययन यहाँ की राजनैतिक संस्थाओं को समझने में बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा।

कामन्स-सभा में इस समय जितने सदस्य उपाधिधारी घरानों के हैं, उनमें से बहुतेरों की उपाधि का इतिहास उन्नीसवीं शताब्दी में मिलता है और कुछ की उपाधियाँ तो इससे भी अधिक पुरानी हैं। शेष अनुदार सदस्यों को अभी हाल में ही उपाधियाँ दी गई हैं, कारण कि इधर हाल की सरकारों ने, और विशेष कर सन् १९३१ के बाद की अनुदार सरकार ने तो उपाधि-वितरण के कार्य में अपनी बेहद उदारता दिखाई है।

पहिले जो कुछ थोड़े से उपाधिधारियों के नाम गिना आये हैं, उन्हें देखने से जान पड़ता है कि कामन्स सभा और लार्ड्स सभा के अनुदार

ठीक है कि वर्तमान ब्रिटिश शासन में लार्डस सभा मध्यकाल की बची हुई एक लाश के समान रह गयी है ? अथवा यह ठीक है कि देश की शासन-नौका को चलाने में उसका भी एक शक्ति-शाली भाग रहता है ? क्या लार्डस सभा और कामन्स सभा में अंग्रेज़ी नवाबों का दोहरा प्रतिनिधित्व इस बात को पूरी तौर से माबित नहीं करता कि इन नवाबों के हाथ में अब भी एक ज़बर्दस्त ताक़त और राजनैतिक जिम्मेदारी मौजूद है ? लेकिन क्या जनतंत्रात्मक संस्थाओं के प्रति भी उन्हें अपनी कुछ जिम्मेदारी का ज्ञान है, अथवा उनका एक मात्र उद्देश केवल आहदां और अपने स्वार्थों की रक्षा करना भर है ?

इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमें इस सामंतमंडल के उस भाग का विश्लेषण करना होगा, जिसका अधिकतर संबन्ध कामन्स सभा से है, किंतु यह कार्य केवल पुराने इतिहास में घुसने से ही पूरा हो सकता है।

ब्रिटिश सामन्तवाद का जन्म अंग्रेज़ी 'फ़्यूडलिज़्म' (Feudalism) अर्थात् जागीरदारी के ज़माने में हुआ था। 'फ़्यूडलिज़्म' का शुद्ध अर्थ है 'जमींदारों का शासन', और जो उपाधियाँ इन जमींदारों अथवा जागीरदारों को दी जाती थीं, वे केवल उनकी राजनैतिक एवं आर्थिक शक्तियों को ही सूचित करने के लिए हुआ करती थीं। फ़्यूडल सिद्धांत के अनुसार इंग्लिस्तान की सारी भूमि का स्वामी वहाँ का राजा समझा जाता था, और बाकी जितने जागीरदार या जमींदार थे वे केवल उसके आसामी थे। राजा के बाद जागीरदारों और जमींदारों की एक के नीचे एक शृंखलाबद्ध श्रेणियाँ सी बनी हुई थीं, जिससे एक छोटे-से छोटे भूमि के टुकड़े का भी मालिक किसी न किसी व्यक्ति का मालगुज़ार हुआ करता था और इन सबों का प्रधान जमींदार केवल राजा समझा जाता था। उपाधियों की प्राप्ति केवल

उन्हीं लोगों को मिलती थी जिनके पास बहुत ज्यादा ज़मीन हुआ करती थी ।

ये अंग्रेज़ी नवाब (या ताल्लुकेदार) लोग सदैव एक दूसरे से तथा राजा के साथ भी लड़ते-झगड़ते रहते थे, किंतु फिर भी इनकी स्थिति में किसी प्रकार की कमज़ोरी नहीं आने पायी । मध्यकाल के पिछले भाग तक उपरोक्त उपाधियाँ न केवल ज़मीन के ही अधिकार को सूचित करती थीं, बल्कि राजनैतिक अधिकारों की भी सूचक थीं ।

नये नवाबों की भर्ती किसी एक पीढ़ी में बहुत ही थोड़ी हुआ करती थी और वह भी केवल भूमि की प्राप्ति से ही हो सकती थी । आगे चल कर यद्यपि भूमि की शर्त इसके लिए बनी हुई थी, किंतु अब यह भूमि बड़े-बड़े व्यापारियों और व्यवसायियों के हाथ में आने लगी, जो भारतवर्ष तथा अन्य बाहरी देशों को लूट-लूट कर धनकुबेर बन रहे थे, और जिन्होंने इंग्लैंड आकर अपने लिए ज़मीन तथा पार्लिमेंट की मेम्बरी प्राप्त करने में पानी की तरह धन बहाना आरंभ कर दिया था । इससे भूमि का मूल्य इतना अधिक बढ़ा कि वहाँ के पुराने खान्दानी नवाबों के लिए भी एक खासी समस्या पैदा हो गयी. कारण कि उन बेचारों को केवल अपनी खान्दानी बँधी हुई आमदनी का ही भरोसा था और इसलिए वे पार्लिमेंट में अपनी ताकत कायम रखने के हेतु इन नये नवाबों के बराबर पैसे नहीं खर्च कर सकते थे । बाद में ज्यों-ज्यों अंग्रेज़ी व्यापारियों का नये-नये उपनिवेशों में लोहा मोना, ताम्बा, कोयला, तेल आदि की खानों, बैंकों, बीमा कंपनियों और दूसरे प्रकार के कारखानों का कारवार बढ़ने लगा, त्यों-त्यों उनके राजनैतिक स्तब्ध और शक्ति में भी वृद्धि होती गयी । आजकल जो बहुत से अंग्रेज़ नवाब दिखाई देते हैं उनकी भर्ती प्रायः इन्हीं बड़े-बड़े व्यवसायियों में से की गयी है ।

बृटिश राज्य-क्रांति के समय से कामन्स सभा की शक्ति देश भर में प्रधान हो गयी । अस्तु, अब मंत्री लोग भी राजा के प्रति उत्तरदायी

न होकर कामन्स सभा के प्रति उत्तरदायी हो गये। किंतु कामन्स सभा की शक्ति के बढ़ने से अंग्रेजी नवाबों की शक्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं आने पायी। प्रत्युत् अब उन्हें और भी स्वच्छन्दता मिल गयी, कारण कि पहले तो उन्हें सदा राजा की कृपादृष्टि पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे उनकी स्थिति बहुत स्थिर नहीं कही जा सकती थी, किंतु अब कामन्स सभा में अधिकार जमाना उनके लिए विशेष कठिन न था; और इसलिए शासन की सारी शक्ति उन्हीं की हाथ में आ गयी। गवर्नमेंट के तमाम विभागों पर इन्हीं नवाबों का आधिपत्य दिखाई देने लगा। पार्लिमेंट की दोनों सभाओं पर इनका प्रभाव था ही। अतएव तमाम सरकारी नियुक्तियाँ सब इन्हीं के हाथ की चीज़ हो गयीं। स्थानीय शासन तथा केन्द्रीय शासन में हर जगह इन्हीं के नातेदार और रिश्तेदार भरे जाने लगे। इस प्रकार ममस्त देश एकबारगी इनके पंजे के नीचे आ गया।

परम्परा के अधिकारों का सम्पूर्ण ढाँचा ज़मीन और जायदाद का सूचक है। और हर एक काल में किसी न किसी ढंग की जायदाद ही नवाबी सनद और उपाधियों की प्राप्ति के लिए सब से बड़ी योग्यता समझी जाती रही है। पहले ज़माने में इन उपाधियों और सनदों का देने वाला राजा था, और यद्यपि आज भी सिद्धांततः इनका वितरण उसीके नाम से किया जाता है, किंतु, जैसा कि सब को विदित है, इन उपाधियों एवं सनदों की सूची अब सदैव उन लोगों के हाथ से तैयार हुआ करती है, जिनके हाथ में देश का शासन है। किंतु आज भी जो नवाबी की सनद बड़े-बड़े व्यापारिक महारथियों को दी जाती है, उसका मूलाधार वास्तव में वही है जो सोलहवीं शताब्दी में बड़े-बड़े ज़मीन्दारों और ताल्लुकेदारों को नवाब बनाने में था।

इंगलिस्तान के जो सब से पुराने नवाबी वंश हैं उनकी अधिकतर सम्पत्ति वस्तुतः भूमि ही है। ड्यूक आफ बुक्लू (Duke of Buccleuch) और ड्यूक आफ डेवान शायर (Duke of

Devonshire) इस वर्ग के सबसे प्रसिद्ध वंश कहे जा सकते हैं। किंतु उन्नीसवीं शताब्दी में जायदाद और सम्पत्ति का रूप बदल गया। अतएव उस समय से नवाबों की भर्ती बड़े-बड़े व्यवसायिक नेताओं में से की जाने लगी।

जिस समय सम्पत्ति का मुख्य स्वरूप भूमि के रूप में था, उस समय यहाँ के नवाब लोग जमींदार और ताल्लुकदार हुआ करते थे। किंतु जब यहाँ व्यवसायों का महत्व बढ़ा, तब ये लोग बड़े से बड़े व्यवसाय-पतियों के वर्ग में पाये जाने लगे। इस समय अधिकांश नये-नये व्यवसाय के डायरेक्टरों में नवाबों की संख्या मौजूद है। हर एक पीढ़ी के नये नवाब पुराने नवाबों के साथ इस प्रकार हिल-मिल कर एक हो गये हैं कि उनमें अब कुछ भी अंतर नहीं दिखाई देता।

यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि आरंभ में कुछ दिनों तक प्राचीन वंश के नवाब नये रंगरूटों के प्रति हार्दिक घृणा और विरोध-भाव दिखाया करते थे। किंतु बाद में जब उन्होंने समय के बहाव को देखा तब अपना रुख भी उसी के अनुकूल बना लिया। जो कुछ थोड़े से लोग अपने हठ पर अड़े रहे वे राजनैतिक क्षेत्र में पीछे ढकेल दिये गये और उनकी जगह नये-नये व्यापारी-नवाबों ने लेली। माधारण तौर पर प्राचीन वंश वालों ने विजयी पक्ष का साथ पकड़ने में ही अपनी कुशल समझी। अब वे इस समय सब एक हैं और मुख्यतः बड़े-बड़े व्यवसायों का नेतृत्व अपने हाथ में रखते हैं तथा अनुदार पक्ष के मुख्य स्तंभ हैं।

अनुदार पक्ष वास्तव में लार्ड्स सभा का दल है, कामन्स सभा का नहीं। किंतु फिर भी इसने अपना प्रभाव केवल लार्ड्स सभा तक ही परिमित नहीं रखा। कामन्स सभा में भी यह अपना पूरा प्रभाव बनाये रखने के लिए सदा से सचेष्ट रहा है। बेजहाट (Bagehot) नामक लेखक इस सम्बंध में टीका करते हुए लिखता है:—

“बड़े-बड़े सामंत लोग अपना प्रभाव हाउस आफ़ लार्ड्स के बजाय हाउस आफ़ कामन्स में जमाने के लिए अधिक क्रियाशील रहते थे।

कोई भी देहात का नवाब यदि इस ढंग से अपने प्रांत के दो सदस्य बनाने का आधा श्रेय और ज़िले के दो सदस्य बनाने का पूरा श्रेय अपने हाथ में रखता हो तथा सरकारी मदद्यों को भी बहुधा स्थान पर बैठा सके, तो वह उस व्यक्ति से कहीं ज्यादा वशक्तिशाली समझा जायगा जो केवल अपनी लार्ड्स सभा में बैठ कर चान्मलर के भाषणों को ही सुनता रहे। जिस समय ये नवाब लोग प्रथम श्रेणी की शक्ति में दाखिल थे उस समय भी हाउस आफ़ लार्ड्स की शक्ति द्वितीय श्रेणी की समझी जाती थी, कारण कि जो नवाब सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते थे और जिनका समाज पर विशेष रूप से प्रभाव रहता था वे प्रायः अपनी लार्ड्स सभा की उतनी चिंता नहीं करते थे, जितनी की निर्वाचित सभा (अर्थात् हाउस आफ़ कामन्स) की, जहाँ वह इसी अप्रत्यक्ष रूप में अपनी राजनैतिक शक्ति के अधिकांश प्रभाव को प्रकट किया करते थे।”

बेजहाट का उपरोक्त वर्णन नवाबी प्रभाव के बावत आज भी हाउस आफ़ कामन्स में उतना ही सच्चा साबित होता है जितना कि पूर्व काल में। अन्यत्र यही लेखक फिर लिखता है:—

“नवाबी घराने के मुख्य वंशजों एवं उनके बंधुबंधवों में से जितने सदस्य पार्लिमेंट के अंदर पहुँचते हैं उनकी संख्या उस अनुपात से कहीं ज्यादा बढ़कर है जो सम्पूर्ण ब्रिटिश जनता की संख्या में और कुल नवाबों की संख्या में दिखाई देता है। उनकी विचारशैली भी बिल्कुल वही नवाबी पद्धति की सी हुआ करती है, जिसमें उनका जन्म हुआ है।”

आज भी पार्लिमेंट के अनुदार पक्ष का अधिकतर भाग इन्हीं नवाबी घराने के वंशजों और उनके भाई-बंधुओं से भरा है, जैसा कि नीचे दी हुई सूची से विदित होगा :—

कामन्स सभा के अनुदार पक्षीय नवाब और नाइट सदस्य		
स्वयं पियर (Peer) या नवाब	१
नवाबी (Peerage) के उत्तराधिकारी	१८
नवाबों के छोटे पुत्र	१३

नवाबों के दामाद	२५
नवाब सहयोगी	२४
नवाबों के विवाह द्वारा संबंधी	१२
जमीन्दार वर्ग	५५

			१४८
बेरेनेट लोग (Baronets)	२४

			१७२
नाइट वर्ग (Knights)	६४

			२३६

टोटल २३६

उपाधियाँ केवल आज से ही नहीं सदा से धन का प्रदर्शन चिन्ह रहती आयी हैं। किंतु बहुधा इस चिन्ह को ही लोग भूल से वास्तविक वस्तु समझ लिया करते हैं। सच तो यह है कि धन का सवाल उपाधि से पहले आता है, और आधुनिक ढंग के सामाजिक संगठन में धन का ही अर्थ राजनैतिक सत्ता है। राजनैतिक सत्ता वास्तव में कामन्स सभा के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है और यही कारण है कि अंग्रेजी नवाबों ने ब्रिटिश समाज में अपना रुतवा कायम रखने के लिए इस सभा को अपना एक मुख्य साधन बना रखा है।

फ़िस्टी (O. F. Christie in his "The Transition from Aristocracy") नामक लेखक ने इसके संबंध में लिखा है:

“ये लोग केवल धनिक ही नहीं थे.....राजनैतिक शक्ति में भी ज़बरदस्त थे। देश के वे ही शासक थे, और उनकी शक्ति का मुख्य रहस्य यह था कि वे पार्लियामेंट में अपनी ओर के सदस्य बहुत बड़ी संख्या में बनवा लिया करते थे।”

अभी तक हमने यह दिखाया है कि अंग्रेजी नवाब बेहद मालदार होते हैं और उनकी सम्पत्ति साधारणतः सर्वोच्च कोटि के व्यवसायों में लगी हुई है। अब हम यह दिखाना चाहते हैं कि अमीर ही लोग समय

पाकर नवाबी रुतबे तक पहुँचा दिये जाते हैं। वास्तव में उपाधियों का मुख्य तात्पर्य राजनैतिक दृष्टि से अल्प-संख्यक अमीरों के संगठन को सुरक्षित रखना तथा सुदृढ़ बनाना ही है। अस्तु, आजकल उपाधियों के वितरण का केवल “बड़े-बड़े आदमियों” की “सार्वजनिक सेवा” के लिए सम्मान-प्रदर्शन की रस्म-अदाई मात्र नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि उसे सरकारी पत्र के सब से ऊँचे स्थानों में ऐसे लोगों की भर्ती सम्भनी चाहिए, जिन्होंने ब्रिटिश साम्प्रतिक और व्यावसायिक क्षेत्र में नेतृत्व का स्थान प्राप्त कर लिया है।

अपने उपरोक्त कथन की पुष्टि में हम कुछ ऐसे लोगों का व्यौरा देंगे, जो अभी हाल में सन् १९३१ के बाद, अर्थात् वर्तमान ब्रिटिश राष्ट्रीय सरकार के ही शासन-काल में, नवाबों के दर्जे में भर्ती किये गये हैं।

इस प्रकार का व्यौरा कई दृष्टियों से उपयोगी जान पड़ता है। प्रथम तो इस से यह विदित हो जायगा कि जनता में से किस प्रकार के आदमी नवाबी दर्जे में भर्ती किये जाते हैं। दूसरे, इसके द्वारा वर्तमान ब्रिटिश सरकार के रंगरूप का सम्भने में भी बहुत कुछ सहायता मिलेगी, कारण कि जैसे लोगों को वह सम्मानित करना पसंद करती है उन्हीं के अनुकूल उसका स्वाभाव भी होगा।

सन् १९३१ से अब तक वर्तमान ब्रिटिश सरकार द्वारा कुल ६० मनुष्यों को नवाबी उपाधियाँ बाँटी गई हैं। इस संख्या में वे लोग भी सम्मिलित हैं जो यद्यपि नवाब पहले ही से बने हुए थे किंतु जिनकी उपाधियाँ अब और ऊँची कर दी गयी हैं। इन ६० मनुष्यों में से ६० ऐसे हैं जो व्यापारी कंपनियों के डायरेक्टर हैं। जिन कंपनियों के ये डायरेक्टर हैं उनकी कुल संख्या करीब ४२० से भी ऊपर है। इनमें से ४२ व्यक्ति बैंकों तथा बीमा कंपनियों के डायरेक्टर हैं, जिनकी संख्या ८६ है। ये लोग अब लार्डस सभा में बैठते हैं। (इनके अतिरिक्त अनुदार पत्र के १६ अन्य बैंक-डायरेक्टर तथा ४३ बीमा-कंपनी के डायरेक्टर

कामन्स सभा में भी बैठते हैं। व्योरा के लिये नीचे बैंक आफ़ इंग्लैंड तथा अन्य पाँच मुख्य बैंकों के उन डायरेक्टरों की सूची दी जाती है, जिन्हें सन् १९३१ के बाद नवाबी (Peerage) का खिताब दिया गया है। स्मरण रहे कि इनमें ऐसे लोग भी सम्मिलित हैं जो पहले ही से नवाब (Peers) थे किंतु जिनकी पदवी अब और ऊँची कर दी गयी है।

नये नवाबों की सूची

बैंक	हाउस आफ़ लार्ड्स
बैंक आफ़ इंग्लैंड ...	{ लार्ड सेंट जस्ट (१९३५) { लार्ड स्टाम्प (१९३८)
लायड्स बैंक ...	चेयरमैन : लार्ड वार्डिंग्टन (१९३६)
(सदस्य कैपिटल काउन्टीज़ बैंक कमिटी)	{ वार्डकाउन्ट वीयर (१९३८) { वार्डकाउन्ट ब्लोडस्लो (१९३५) { वार्डकाउन्ट हार्न आफ़ स्लैमेनन (१९३७)
नैशनल प्राविंशल बैंक .	{ लार्ड रिवरडेल (१९३५) { लार्ड पेन्डर (१९३७) { लार्ड पेरी (१९३८)
मिडलैंड बैंक ...	{ लार्ड डेविम (१९३२) { लार्ड विग्राम (१९३५) { लार्ड मैकगाउन (१९३७)
वेस्टमिनिस्टर बैंक ...	{ मार्क्वैस आफ़ वेलिंग्टन (१९३६) { वार्डकाउन्ट रन्मीमैन (१९३७)
ब्राक्लेज बैंक ...	लार्ड ईसेन्डन (१९३२)

उपरोक्त सूची से यह न समझना चाहिए कि इन बैंकों के बोर्ड आफ़ डायरेक्टरों में केवल इतने ही पियर (Peer) या नवाब हैं। ये तो केवल उन लोगों के नाम हैं जिन्हें सन् १९३१ के बाद नवाबी का पद प्राप्त हुआ है।

मेन-लाइन रेलवेज के भी नौ मौजूद: डायरेक्टरों को नवाबों का मद सन १९३१ के बाद ही दिया गया है। (साथ ही स्मरण रहे कि इन रेलवे कम्पनियों के नौ डायरेक्टर कामन्स सभा के भी मेम्बर हैं।

अन्य व्यवसायिक नेताओं के नाम जिन्हें सन १९३१ के बाद नवाब की उपाधि मिली है इस प्रकार हैं :—

१—शराब के कारखाने

नवाबों के नाम	कारखाने
लार्ड ब्लैकफोर्ड (१९३५) ...	इन्ड कृप ऐन्ड एल्साप तथा अन्य।
लार्ड ब्रोकेट (१९३३) ...	पीटर वाकर्म तथा मात अन्य।
लार्ड डेनहम (१९३७)	डिपुटी चेयरमैन : वेन्मिक्न्म वाट फोर्ड त्रियुरी।
लार्ड मायन (१९३२) ...	आर्थर गाइनेस सन ऐंड कम्पनी।
(इनके अतिरिक्त कामन्स सभा में भी ११ शराब के कारखाने वाले मेम्बर हैं)	

२—कोयला

लार्ड डेविस (१९३२) ...	चेयरमैन : टैफ़ मर्थर स्टीम कोल तथा अन्य।
लार्ड रैकिलर (१९३२) ...	कार्ल्टन मेन कोलियरीज़।
लार्ड ब्रासी (१९३८) ...	पावेल डफरिन वेल्श एसोशियेटेड कोलियरीज़।

(इनके अतिरिक्त कामन्स सभा में भी १४ सदस्य कोयले के कारखानों के मालिक हैं।)

३—प्रेस

लार्ड इलिफ़ (१९३३) ..	डेली टेलीग्राफ़
लार्ड केम्ब्ले (१९३६) ...	चेयरमैन: एलायड न्यूज़पेपर्स (डेली स्केच, सन्डे टाइम्स इत्यादि)

लार्ड साउथवुड (१९३७) ...	}	चेयरमैन तथा मैनेजिंग डाय-
		रेक्टर : ओट्टमस प्रेस (डेली
		हेराल्ड इत्यादि)
		चेयरमैन : स्पोर्टिंग ऐन्ड ड्रैमै-
		टिक इत्यादि

(कामन्स सभा के भी करीब १४ अनुदार सदस्य प्रेस से सम्बन्ध रखते हैं ।)

४— मोटर के कारखाने

लार्ड आस्टिन (१९३६) ... चेयरमैन: आस्टिन मोटर कंपनी ।
 वाईकाउन्ट नफील्ड (१९३८).. चेयरमैन: मारिस मोटर्स ।
 लार्ड पेरी (१९३८) ... चेयरमैन: फोर्ड मोटर कंपनी ।

(कामन्स सभा के भी करीब ७ अनुदार सदस्यों का मोटर के व्यवसाय से घनिष्ठ सम्बन्ध है ।)

५— रासायनिक वस्तुएँ

लार्ड मैकगाउन (१९३७) ... चेयरमैन { इम्पारियल केमिकल
 वाईकाउन्ट वीयर (१९३८) ... { इन्डस्ट्रीज़
 लार्ड सेल्सन (१९३२) ... चेयरमैन : एनोज़ (दवा)

कामन्स सभा में इस व्यवसाय से सम्बन्ध रखने वाले अनुदार सदस्यों की बहुत बड़ी संख्या है ।

६—जहाज़रानी

वाईकाउन्ट ब्लेडिस्लो (१९३५) ... पी० एन्ड ओ०
 वाई काउन्ट रन्सीमैन (१९३७) ... मूर लाइन इत्यादि ।
 लार्ड ईमेन्डन (१९३२) ... चेयरमैन : फ़र्नेस, विथी ऐन्ड
 कंपनी ।

कनार्ड व्हाइट स्टार लिमिटेड ।

(कामन्स सभा में इस व्यवसाय से सम्बंध रखने वाले लगभग १८ अनुदार सदस्य हैं ।)

७—बेतार का तार इत्यादि

लार्ड पेन्डर (१९३७) ... गवर्नर तथा मैनेजिं डायरेक्टरः
केब्रुल ऐन्ड वायरलेस लिमिटेड
(तथा कोडक लिमिटेड)

(कामन्स सभा में भी इसी कंपनी का एक डायरेक्टर अनुदार सदस्य है)।

८—तेल

लार्ड कैडमैन (१९३७) ... चेयरमैन : एंग्लो ईरानियन
आयल कम्पनी ।

९—बिस्कुट

लार्ड पामर (१९३३) ... हन्टले ऐन्ड पामर ।

१०—बिजली

लार्ड एल्टिस्ले (१९३४) ... एडमंडसन्स एलेक्ट्रिसिटी कार्पो-
रेशन तथा अन्य ।

११—एलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग

लार्ड हर्स्ट (१९३४) ... चेयरमैन : जेनरल एलेक्ट्रिक
कंपनी तथा अन्य ।

ये कुल नवाब केवल सन् १९३१ से लेकर सन् १९३८ तक के अन्दर ही बनाये गये हैं। अस्तु, जब गत वर्ष के इस थोड़े से समय में ही इतने अधिक व्यवसाय-यतियों की संख्या नवाबों के वर्ग में शामिल की जा सकती है तो यह आसानी से सोचा जा सकता है कि ब्रिटिश राष्ट्र की सम्पत्ति पर ब्रिटिश नवाबों का कितना भारी अधिकार

है। साथ ही यह भी प्रत्यक्ष है कि एक वास्तविक सम्पत्तिशाली व्यक्ति के लिए इंग्लिस्तान में नवाब बनकर हाउस आफ़ लार्ड्स में बैठने की कितनी भारी संभावना है।

इन नवीन उपाधि-प्राप्त नवाबों में से बहुतेरे तो ऐसे हैं जो दर्जनों भिन्न-भिन्न कंपनियों के डायरेक्टर हैं। उदाहरण के तौर पर वाईकाउन्ट ग्रीनवुड का नाम लिया जा सकता है, जो सन् १९३३ से अनुदार दल के कोषाध्यक्ष हैं और जिन्हें नवाबी की उपाधि सन् १९३७ में दी गई है। यह निम्नलिखित कंपनियों के डायरेक्टर अथवा चेयरमैन हैं :—

पद	कंपनियों के नाम
चेयरमैन :	एयरंटेड ब्रेड कंपनी
चेयरमैन :	एग्रिकल्चरल मार्गेंज कंपनी आफ़ पैलेस्टाइन
चेयरमैन :	वाउज़फील्ड स्टील कंपनी
डायरेक्टर :	ब्रिटिश स्ट्रक्चरल स्टील कंपनी
डिप्युटी चेयरमैन :	डार्लिंग्टन रोलिंग मिल्स कंपनी
डायरेक्टर :	डार्मन लांग (अफ्रिका)
चेयरमैन :	डार्मन लांग ऐन्ड कंपनी
डायरेक्टर :	ला डिवेंचर कापॉरेशन
चेयरमैन :	ल्युई बर्जर ऐन्ड मन्स
डायरेक्टर :	मांटेगु बर्टन
डायरेक्टर :	पियर्सन ऐन्ड डार्मन लांग
डायरेक्टर :	फ़ेनिक्स एश्योरेंस कंपनी
चेयरमैन :	रेडपाथ ब्राउन ऐन्ड कंपनी
डायरेक्टर :	{ सोमाइटी इंटरनेशनल ड' एनजी { हाइड्रो एलक्ट्रिक (मिडो)

पद	कंपनियों के नाम
चेयरमैन :	टीज़ माइड ब्रिज ऐन्ड एंजीनियरिंग वर्क
चेयरमैन :	अप्टन कॉलियरी कम्पनी

कुछ लोगों को नवारी रुतवा उनकी दानशीलता अथवा किसी पेशे में सफलता के कारण भी दिया गया है। इनमें से एक उल्लेखनीय नाम लार्ड होर्डर का है, जो डाक्टरी पेशे के एक प्रसिद्ध प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं। दानशीलता के लिए उपाधि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में दो नाम उल्लेखयोग्य हैं। प्रथम तो वार्डकाउन्ट नफ्रील्ड का, जिन्होंने अपनी विशाल सम्पत्ति का एक बहुत बड़ा भाग सार्वजनिक हित के कार्यों में दे डाला है। नवीन आक्सफोर्ड कालेज की स्थापना, अस्पतालों तथा वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए उन्होंने काफी रकम दी है। दूसरा नाम लार्ड डूवीन का है, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में अपने देश को कला सम्बन्धी बहुमूल्य वस्तुओं का एक ऐसा खज़ाना अर्पित कर दिया जैसा कदाचित् अभी तक किसी भी रईस ने नहीं किया।

इनके अतिरिक्त बहुत से कानूनदाँ (जैसे लार्ड माधम जो आजकल ब्रिटिश सरकार के लार्ड चान्सलर हैं) तथा कितने ही सैनिक, नाविक एवं राजनैतिक कर्मचारी भी हैं। प्राचीन प्रथा के अनुसार इन तमाम पेशों के मुख्य-मुख्य व्यक्तियों को नवाब (Peer) की उपाधि से विभूषित कर दिया जाता है। अनेक राजनैतिक नेता भी इन्हीं में शामिल हैं यथा:—अर्ल वाल्डविन, लार्ड रशक्लिफ, दो राष्ट्रीय मज़दूर पक्ष के पार्लिमेंटी सदस्य, एक लिबरल, और एक मज़दूर दल का पार्लिमेंटी सदस्य।

इसमें से केवल दो एक व्यक्तियों को छोड़ कर शेष सब के सब नवीन उपाधिधारी नवाब अनुदार पक्ष के ही प्रतिनिधि हैं, जिससे इन

उपाधियों के प्रगाढ़ राजनैतिक स्वरूप का सच्चा परिचय मिल जाता है। यही नहीं, इन ६० नवाबों में से कम से कम ४८ व्यक्ति ऐसे हैं जो पहिले कामन्स सभा के भी सदस्य रह चुके हैं। अस्तु, यों समझना चाहिए कि ये उपाधियाँ पूर्ण राष्ट्रीय होने के बजाय केवल अनुदार दल वालों द्वारा अनुदार दल वालों में ही बाँट दी जाती हैं। अर्थात् लार्ड्स सभा के नवाब लोग इधर तो अपने भाई-बधुओं को कामन्स सभा में भेजते हैं और उधर अपने राजनैतिक सहायकों को लार्ड्स सभा में भाँ बर्ती करते हैं।

हाउस आफ़ कामन्स में सरकारो पन्न के 'नाइट' उपाधिधारी कुल सदस्य इस समय ७७ हैं, जिनमें से ४० को उपाधि वर्तमान राष्ट्रीय सरकार द्वारा मिला थी और १० को वह भूतपूर्व अनुदार सरकार द्वारा दी गयी थी। उपाधियाँ पाने वालों के नाम प्रधान मंत्री चुनता है, किंतु इस काम में वह कामन्स सभा के उन तमाम अनुदार पत्नीय रईसों के प्रति उत्तरदायी भी रहता है, जिन पर उपाधियों की इस प्रकार वर्षा की जाती है।

जैसा कि पहिले कह आये हैं, बेरन, अर्ल या ड्यूक की उपाधि व्यवसायिक क्रांति के पहिले ज़मीन और जायदाद के ही अधिकार की सूचक थी। अवश्य कभी-कभी किसी प्रसिद्ध जज अथवा सैनिक को भी यह उपाधि दे दी जाती थी, किंतु उस अवस्था में उपाधि के साथ-साथ कुछ ज़मीन अथवा धन भी उस ज़रूर दिया जाता था। आज भी जैसा कि हम ऊपर देख आये हैं यह बेरन, वाईकाउन्ट अथवा अर्ल की उपाधि जायदाद और सम्पत्ति की पूर्ववत् सूचक है, किंतु अब वह जायदाद और सम्पत्ति भूमि के रूप में नहीं बल्कि व्यवसायिक सम्पत्ति के रूप में दिखाई देने लगी है। यद्यपि यह सच है कि उपाधि प्राप्त होने के समय नवाब लोग अब भी प्राचीन प्रथा के अनुसार कुछ भूमि खरीद लिया करते हैं, किंतु आजकल उनकी उपाधि जिस सम्पत्ति

की परिचायक है वह भूमि की सम्पत्ति नहीं है, बल्कि व्यवसायिक सम्पत्ति है।

अस्तु, जो उपाधियाँ आज लोगों को ब्रिटिश सरकार द्वारा दी जाया करती हैं वे वास्तव में धन और जायदाद के ही सम्मानार्थ हैं। एक अनुदार पत्नीय सदस्य जब यह लिखता है कि “हमें अपने गर्मियों के लिए अभिमान करना चाहिए न कि लज्जा”, तो वह केवल श्लेष शब्दों में उसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है जिसका व्यवहार प्रधान मन्त्री अपने उस कार्य द्वारा कर दिग्वाता है जिसमें वह बड़े-बड़े बैंक वालों, शराब वालों, गोलाबारूद के कारखाने वालों एवं जहाज के मालिकों को नवाव बनाये जाने की सम्राट में सिफारिश किया करता है। अस्तु, उपाधि-प्रदान की वर्तमान शैली का अर्थ वास्तव में जनता में यह कहना है कि “अमुक धनवान की तुम सब लोग इसलिए इज्जत करो, कि वह धनवान है”।

अधिकतर लोग नवावों के भिन्न-भिन्न दरजों में एवं राजकीय अवसरों पर पहने जाने वाले उनके लियामों से तो अच्छी तरह परिचित रहते हैं किंतु यह नहीं जानते कि कौन नवाव कितनी कम्पनियों का डिरेक्टर है। बात यह है कि मध्यकाल की तड़क-भड़क और दिखावे का पुराना ढंग अंग्रेजी नवावों में अब तक आश्चर्यजनक रीति से बराबर मौजूद है। किंतु पुराने ज़माने में इन नवावों के छोटे-बड़े अलग-अलग दरजे उनकी ज़मींदारी की हैमियत में रखे गये थे। उदाहरणार्थ एक ड्यूक (Duke) का पद यह बतलाता था कि उसकी ज़मींदारी एक अर्ल (Earl) की ज़मींदारी से बड़ी है। इसी प्रकार एक अर्ल का पद एक बेरन (Baron) के दरजे में अधिक श्रेष्ठ ज़मींदारी का सूचक था। यही हाल और वाक्की दरजों का भी था। आधुनिक अवस्था में यद्यपि यह सच है कि एक ड्यूक की भूमि साधारणतः एक अर्ल अथवा बेरन की भूमि से अब भी अधिक हुआ

करती है, किंतु उनको क्रमागत दरजों में रखना और भाँति-भाँति की उपाधियों से सजाना अब बिल फुल अर्थहीन हो गया है।

फिर भी इनसे एक मतलब अवश्य निकलता है। वर्तमान बृटिश समाज में, जो पूर्ण जनतंत्रवाद की प्राप्ति के लिए निरन्तर प्रयत्नशील दिखाई देता है, अमीरों की इज्जत करने वाले भिद्दांत के साधारण रूप में स्वीकृत हो जाने की विशेष आशा नहीं की जा सकती। इसी प्रकार प्राचीन काल में भी गरीब किमानों और मजदूरों की निगाह में कोई तब तक इज्जत पाने की आशा नहीं कर सकता था जब तक वह ऊपरी तड़क-भड़क और उपाधियों की सजावट से मजा हुआ न हो। अस्तु, उपाधियों की यह सजावट और ऊपरी तड़क-भड़क कम से कम साधारण मनुष्य के चित्त को तो अपनी ओर आकर्षित रखने में समर्थ रहती ही है। सब जानते हैं कि एक बीमा कंपनी के डायरेक्टर अथवा शराबवाले की अपेक्षा एक अर्थ अथवा धन की कहानी अधिक मनोरंजक और रोमांचकारी हुआ करती है।

अस्तु, इस महान आकर्षण को कायम रखने के लिए एक ज़बर्दस्त प्रचारकर्त्री मशीन बराबर काम किया करती है। इसका कुछ हिस्सा तो "आंतरिक" उपयोग के लिए हुआ करता है—जैसे अधिक खर्चालि स्वजातीय पत्र और पत्रिकाएँ आदि और—कुछ साधारण जनता में इन अमीरों के वैभव और स्थायित्व का विश्वास उत्पन्न करने के लिए काम में लाया जाता है। प्रमाण के तौर पर स्वयं अर्थ विंटरटन (Earl Winterton), जो किसी समय 'वर्ल्ड' नामक पत्र का सम्पादन किया करते थे और जो इस सम्पादन-कार्य को अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति मानते हैं, इस पत्र के उद्देश्यों और कार्यों का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में करते हैं :—

“[ये पत्र] अपने मान का प्रदर्शन एक ऐसे समाज के सामने किया करते थे जो इज्जतदार होता हुआ भी नितान्त अव्यय और

अहंकारी था। यह समाज वास्तव में उन लोगों से बना था जिन्हें अपने सम्बंध को बातें पढ़ने का विशेष चाव था और जो राजकीय घराने के लोगों की बाबत हर एक जानने योग्य बातों का जानने के लिये नित्य बेचैन रहा करते थे। इन लोगों के बढ़पन का कारण केवल उनका जन्म था, अथवा कोई विशेष कार्य था, अथवा ये दोनों ही थे।”

समाज के पछड़े हुए लोगों में एक (उपाधिहीन) धनवान की अपेक्षा एक उपाधिधारी के प्रति सम्मान-भाव पैदा करना ज्यादा आसान है। वाल्टर बेग्हाट (Bagehot) नाम का लेखक, जो अमीरों और नवाबों का सदा से हिमायती रहा है, इस बात को अच्छी तरह जानता था। अतएव उसने लिखा है :—

“नवाबी ओहदे का मुख्य कार्य साधारण प्रजा पर रोब जमाना है.....।”

उपाधियाँ मनुष्य को धनिकों के समाज में, जहाँ उसे सदा रहना पड़ता है, एक प्रकार का गौरव प्रदान करती हैं। साथ ही यह उसके प्रभाव को भी उन चापलूसों के हृदय बढ़ा दिया करती हैं, जो वैसा ही धन और उपाधि प्राप्त करने के लिए सदा लालायित रहते हैं। साथ ही ये इस बात की भी सूचक हैं कि उपाधि प्राप्त करने वाला मनुष्य शासकों के वर्ग में भर्ती कर लिया गया। इस प्रकार उपाधिधारी व्यक्तियों की यह देवसेना शासकवर्ग को सुसंघटित रखने में सदा सहायक हुआ करती हैं, साथ ही समाज के सहस्रों उम्मीदवारों की आँखों में अपने लटकते हुये तमगों और सनदों का जादू डालकर उन्हें अन्त तक अपना आज्ञाकारी गुलाम भी बना रखती है। इसके अतिरिक्त ये उपाधियाँ एवं उच्चवर्ग की तमाम सामाजिक रीतियाँ धनिकवर्ग के हृदय में एक ऐसी भावना पैदा कर देती है जिसका सिद्धांत होता है “धनिकों का गौरव”। राजनैतिक दृष्टि से यही सिद्धांत धनिकों के शासन के रूप में प्रकट हुआ करता है, जो, जैसा कि हम

ऊपर देख आये हैं, अनुदार राजनीति का वास्तविक उद्देश्य और ध्येय है।

हाउस आफ़ लार्ड्स, जिसमें यह उपाधिधारी नवाबी पल्टन बैठा करती है, वैधानिक रूप से यद्यपि पूर्वापेक्षा बहुत कुछ शक्तिहीन बना दिया गया है, किंतु फिर भी अभी किस प्रस्ताव पर अड़झला लगाने की कानूनी शक्ति उसमें बहुत कुछ विद्यमान है। एकमात्र आर्थिक प्रस्ताव (Money Bill) को छोड़ कर अन्य सब प्रकार के प्रस्तावों को यदि वह चाहे तो कम से कम दो वर्ष तक के लिए रोक सकता है अस्तु, एक जनतंत्रवादी अथवा मज़दूर सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह इस लार्ड्स सभा का मूलाच्छेद करने का पूर्ण निश्चय कर ले। यद्यपि यह सच है कि कामन्स सभा का अध्यक्ष यदि चाहे तो अब भी किसी बिल को अपने विशेषाधिकार से पास कर के उसे लार्ड्स सभा के विरोध करने पर भी कानून का रूप दे सकता है, किन्तु फिर भी लार्ड्स सभा की वर्तमान आर्थिक शक्ति और उसका अनेक प्रभावशाली पत्र-पत्रिकाओं पर अधिकार देखकर यह कहना पड़ता है कि किसी भी जनतंत्रवादी सरकार के लिए उसके विरोध का सामना करना कठिन हो जायगा, जब तक कि वह सरकार लार्ड्स सभा को सदा के लिए मिटा देने पर ही अपनी सम्पूर्ण शक्ति से न तुल जाय।

लार्ड रोज़वरी के निम्न लिखित वाक्य, जो सन १८६४ में महारानी विक्टोरिया को लिखे गये थे, इस समय भी उतने ही सच जान पड़ते हैं जितने की उस समय :—

“जिम समय शासन का अधिकार अनुदार पक्ष के हाथ में होता है, उस समय हाउस आफ़ लार्ड्स का मानों अस्तित्व ही नहीं रहता; जो कुछ भी अनुदार सरकार हाउस आफ़ कामन्स में पास कर देती है उसे वह बिना कुछ पूँछ-ताँछ किये चुपचाप स्वीकार कर लेता है। किंतु जिस क्षण शासन की बागडोर उदार सरकार के हाथ में आ जाती है, उमी क्षण से यह निर्जीव संस्था एक बारगी सजीव हो उठती

हैं, और फिर अपनी सारी शक्ति सरकारी पक्ष का विरोध करने में ही लगा दिया करती है।”

किंगी जनतंत्रवादी देश के अन्दर एक ऐसी शासन-मंस्था का होना ही विलक्षण बात है जो बड़े-बड़े ज़र्मीदारों, ताल्लुकदारों, कोयले के व्यापारियों, बैंकरो एवं व्यापारिक महारथियों से मिलकर बनी हो। निस्सन्देह एक मज़दूर सरकार यदि चाहे तो अपने मज़दूर-पक्षीय सदस्यों को काफ़ी संख्या में नवाबी का स्तवा देकर लार्ड्स गभा में बैठा सकती है और इस प्रकार वहाँ के अनुदार पक्षीय बहुमत को नीचे गिरा सकती है। यही नहीं, इस बात की यदि एक धमकी मात्र भी दे दी जाय तो भी वह अपना पूरा अमर दिग्वा सकती है। सन १६०७ में हावर्ड एवान्स ने लिखा था :—

“हम मानते हैं कि गाइनेस (Guinness) बड़ी अच्छी चीज़ें बेचता है और बास तथा ऐल्सप (Bass & Allsoph) का कारखाना भी बहुत बढ़िया शराब बेचता है। लेकिन क्या यह भी कोई ऐसा कारण है कि लार्ड आर्डिलान और आईवीग तथा बर्टन और हिन्डलिप (Lords Ardilann and Iveagh and Burton and Hindlip) और उनके तमाम उत्तराधिकारी लोग इस बात के हक़दार समझे जाँय कि वे संपूर्ण बृटिश प्रजा के प्रतिनिधियों द्वारा पास किये गये प्रस्तावों पर अपनी कलम चलावें। ग्लिन्स (Glyns) और मिल्स (Mills) और लायड जोन्स (Lloyd-Jones) आदि ने लम्बार्ड स्ट्रीट में बड़ी भारी रक़म कमा ली है; तो क्या इससे वह हमारे राष्ट्रीय धन के वास्तविक पैदा करने वाले करोड़ों मज़दूरों पर नादिरशाही करेंगे? अब और कब तक यह सहनशील बृटिश जनता अपनी उन्नति के पहियों में इस प्रकार के रोड़े बर्दाशत करती जायगी? आओ जान मार्ले की इस प्राचीन उद्घोषणा को एक बार फिर गुंजरित कर दो कि :—“इसका सुधार हो

या अंत हो !” और अपनी लड़ाई को तब तक जारी रखो जब तक कोई अंतिम निपटारा न हो जाय ।”

पिछले पचास वर्षों में ब्रिटिश जनता के एक बहुत बड़े भाग में लार्ड्स सभा तथा उसकी उपाधियों के प्रति कुछ घृणा का सा भाव पैदा हो रहा है, जो एक प्रकार से कल्याणकारी ही कहा जा सकता है। फिर भी कुछ अंश तक यह घृणा भी ठीक नहीं जान पड़ती, कारण कि लार्ड्स सभा तथा उसकी तमाम उपाधियाँ केवल पिछले ज़माने के बचे हुए चिन्ह मात्र हैं, जो हमारे इस आधुनिक युग के लिए विलक्षण प्रतीत होते हैं। परन्तु इन उपाधियों के पीछे धन, जायदाद और अधिकारों की एक ऐसी ज़बरदस्त ताकत छिपी हुई है, जिसका अदाज़ा बहुत कम लोगों को है, और वही ताकत वास्तव में ब्रिटिश जनतन्त्रवाद पर शासन किया करती है। अनेक शताब्दियों तक ये उपाधियाँ इंग्लिस्तान पर हुकूमत रखने वाले भूमिपतियों की शक्ति की सूचक थीं, किंतु अब ये भूमिपतियों के साथ-साथ उन व्यवसायपतियों की शक्ति की भी सूचक हैं, जो अनुदार दल के नाम में इंग्लिस्तान पर शासन किया करते हैं।

प्रायः सभी महत्वपूर्ण उपाधियाँ परंपरागत हुआ करती हैं। यह वास्तव में सम्पत्ति के उस परम्परागत स्वभाव की सूचना है, जो ब्रिटिश समाज की आर्थिक और राजनैतिक प्रणाली का मूल स्वरूप कहा जा सकता है।

इस समय शासकवर्ग के अधिकतर भाग की सम्पत्ति और हैसियत उसके पूर्वजों में ही उत्तराधिकार के रूप में मिली है। बड़े-बड़े अंग्रेज़ धनिकों में से प्रतिशत करीब ८० अंग्रेज़ इस समय ऐसे हैं, जिनका सम्पत्ति उन्हें उत्तराधिकार के रूप में ही प्राप्त हुई है। केवल २० प्रतिशत बड़े व्यापारी यह गर्व कर सकते हैं कि वह अपने पैरों आप खड़े हुए हैं। यही हाल उपाधिधारी घरानों का भी है। वर्तमान लार्ड्स सभा के तमाम सदस्यों में इस समय केवल ४१ ही प्रतिशत व्यक्ति

ऐसे कहे जा सकते हैं, जिनकी उपाधियाँ इमी बीसवीं शताब्दी में प्राप्त हुई हैं। शेष सब पुरानी हैं और परम्परा के क्रम से आई हुई हैं। किन्तु यह संख्या भी इस समय कुछ विशेष रूप में अधिक हो गयी है, कारण कि पिछले सात आठ वर्षों में बहुत अधिक व्यवसाय पतियों पर यह उपाधि-वर्षा कर दी गयी थी। वस्तुतः हर पीढ़ी में जितने आदमियों को ये उपाधियाँ बांटी जानी हैं उनकी संख्या अपेक्षाकृत बहुत थोड़ी है।

ऊपर जो २० प्रतिशत अपने पैरों आप खड़े होने वाले धनिकों का हिस्सा बतलाया गया है, उनमें भी बहुत थोड़े ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति केवल एक ही पीढ़ी में प्राप्त कर ली हो। अधिकांश को तो आरम्भ में पैत्रिक सम्पत्ति ही प्राप्त हुई थी, यद्यपि उसी को आगे चलकर उन्होंने बहुत अधिक बढ़ा लिया। इस प्रकार प्रत्यक्ष है कि आर्थिक दृष्टि में यह वर्ग सदा उत्तग्राधिकार पर ही निर्भर रहता है। परम्परागत उपाधियों पर उसकी विचित्र भक्ति, अपनी वंशावला के अध्ययन में उसका बेहद उत्साह तथा बर्क के 'पियरेज' (Burke's 'Peerage') जैम भारी भारी ग्रंथों का प्रकाशन ये सब इस बात के अविचल प्रमाण कहे जा सकते हैं कि इस वर्ग का अस्तित्व उत्तराधिकार के सिद्धांत पर ही निर्भर है।

धन की इज्जत के साथ वैसी ही इज्जत परम्परागत अधिकारों की भी होनी ही चाहिए। ब्रिटिश शासक घरानों की परम्परागत रुढ़ियों की निरंतरता उनकी परम्परागत सम्पत्ति के साथ ही साथ दिखाई देती है। जिन म्कलों में उनकी शिक्षा होती है, जिस प्रकार की जीवनशैली उनके लड़कों के लिये निश्चित की जाती है और विशेष कर जिस प्रकार की राजनैतिक विचारधारा में वे लोग बहते रहते हैं उन सबों में इसी प्राचीन रुढ़ि-पालन का सिद्धांत दिखाई देता है।

अन्यत्र यह दिखा चुके हैं कि किस प्रकार शताब्दियों से नवाबी घरानों की संतान निरन्तर एक शृङ्खला के रूप में कामन्स सभा की

कुर्सियों पर अपना अधिकार जमाये हुए है। साथ ही यह भी हम देख आये हैं कि पिछले दो सौ वर्षों से किस प्रकार इन्हीं धरानों के आदमी मंत्रिमंडल में भी अपना अधिकार जमाये रहते हैं। व्यवसायिक क्रांति के द्वारा बृटिश समाज में अनेकों महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गये, जिसमें उसकी विचारशैली में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। लेकिन एक बात जो अब तक नहीं बदली वह यह है कि ये नवाब अब भी अपने धन और अधिकारों की रक्षा के लिए देश को अपनी राजनैतिक अधीनता में रखना उसी प्रकार आवश्यक समझते हैं जैसा पहले।

असल, आजकल भी बृटिश सरकार की नीति को प्रेरित करने वाली मुख्य वस्तु यही “शामक धराने” की विचार धारा है। म्लेंडस्टन के शब्दों में हम समय भी “बृटिश प्रजा की वास्तविक रुचि को कुचलने के लिए बलवानों, नवाबों, धनिकों और न जाने किन-किन लोगों का एक मुट्ठा जत्था मौजूद है।”

अस्तु, हर एक जनतन्त्रवादी को चाहिए कि वह उपाधियों के अन्दर सदैव अपने जनतन्त्रवाद की प्रतिपक्षता का अनुभव करे; उपाधिधारी नवाबों की नीयत को अत्यन्त गन्देह की दृष्टि से देखे; और उसी प्रकार उनकी लिखी हुई बातों एवं कहे हुए शब्दों पर भी अपना पूर्ण अविश्वास रखे। आज जब कि मंगार में जनतन्त्रवाद अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, कुछ थोड़े से इन गिने इमानदार और माहमी आदमी अवश्य ऐसे हो सकते हैं जो अपने को प्रजा के ही पक्ष में बनाये रखें। किंतु अधिकतर मंगल्या तो हर एक देश में केवल उन्हीं नवाबों और मामंतों की दिग्वाडि देनी है जो आज अनियंत्रित राज्य और ताना-शाही का साथ दे रहे हैं।

सातवाँ अध्याय

अनुदार राजनीतिज्ञों की सामाजिक व्युत्पत्ति

पिछले अध्याय में जिन नवाबों की चर्चा की गयी है, वे कामन्स सभा के अनुदार पक्षीय सदस्यों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बाल्कि यों कदा जा सकता है कि सरकारी नेताओं पर उनका प्रभाव बड़ा जबरदस्त है।

कामन्स सभा के तमाम अनुदार-पक्षीय सदस्यों में इन उपाधिधारी नवाबों और उनके बन्धु-बान्धवों की संख्या इस समय लगभग आधी होगी। इस प्रकार मंत्रिमंडल में भी तथा उपमंत्रियों एवं अन्य ऊँचे कर्मचारियों के पद पर इनकी संख्या कुल भिना कर आधी से कुछ कम कही जा सकती है।

इससे प्रकट है कि एक काफ़ी संख्या ऐसे अनुदार सदस्यों की भी है जो न तो अभी नवाब बनाये गये हैं और न नवाबी घराने में कोई वैनादिक सम्बन्ध ही रखते हैं। इनका विचार पिछले अध्याय में नहीं किया गया। फिर भी कामन्स सभा में अनुदार-पक्षीय प्रतिनिधित्व के मूल स्वरूप का गन्ना जान प्राप्त करने के लिये इन सबों का ही विचार करना आवश्यक होगा। पिछले अध्याय में केवल उन्हीं पार्लिमेंटरी अनुदार सदस्यों की चर्चा की गई है, जिनकी प्रतिष्ठा और पद नवाबी वंश में जन्म पाने के कारण प्राप्त हुए हैं। साथ ही धन और सम्पत्ति के उत्तराधिकार के साथ साथ अनुदार पक्षीय रूढ़ियों का किस प्रकार एक स्थायी लगाव चला आता है यह भी पिछले अध्याय में दिखाया जा चुका है। अब यहाँ सम्पूर्ण अनुदार पार्लिमेंटरी सदस्यों का वास्तविक स्वरूप समझने के लिये यह आवश्यक जान पड़ता है कि

उन सबों के वश पर भी एक दृष्टि डाल ली जाय, जिसमें उनका जन्म हुआ है।

इस समय कामन्स सभा के अनुदार सदस्यों में से करीब ३०० व्यक्तियों के पिताश्रीों का परिचय आसानी से मिल सकता है। शेष सदस्यों के सम्बन्ध में उनकी शिक्षा सम्पत्ति और पेशों का विचार करते हुये जान पड़ता है कि वे सब भा प्रायः इसी नमूने के लोग हैं। नीचे ३०० उक्त सदस्यों के पिताश्रीों को उनके पेशों के अनुसार विभक्त करके प्रतिशत के आंकड़ों में रखा गया है :-

अनुदार पार्लियेटी सदस्यों के पिताश्रीों के पेशे

१—कारखाने, बँके और व्यापार	...	२६	प्रति शत।
२—ज़मीन और जायदाद के मालिक	...	२०	” ”
३—सेना में अफसर	...	१६	” ”
४—पेशेवर राजनैतिक लोग	...	१५	” ”
५—रादड़ी (Church)	...	७	” ”
६—ऊँचे दर्जे के हाकिम और राजनैतिक कर्मचारी	...	५	” ”
७—अध्यापक, डाक्टर, मार्लिमिटर, कारीगर इत्यादि पेशे वाले	...	८	” ”

इनमें से उपाधिधारी नवाबों के धरने प्रथम दो दर्जों में, अर्थात् 'कारखाने, बँके और व्यापार' तथा 'ज़मीन और जायदाद के मालिक' के वर्ग में सम्मिलित हैं। इनके अनिश्चित चौथे वर्ग अर्थात् 'पेशेवर राजनैतिक लोग' में भी अधिकतर यही ज़र्मांदार एवं नवाब लोग भरे पड़े हैं, कारण कि पिछली पीढ़ी में आजकल की अपेक्षा यह और भी अधिक कठिन था कि कोई व्यक्ति बिना किसी खान्दानी जायदाद की ताकत रहे, अनुदार पक्ष की ओर से राजनैतिक पेशा प्राप्त कर सके। अस्तु, एक मात्र अध्यापक, डाक्टर, मार्लिमिटर, कारीगर आदि पेशे के आदमियों

को छोड़कर शेष सभी वर्ग के पिताओं में अपार धनराशि की उपस्थिति दिखाई देती है। केवल अध्यापक, डाक्टर, सालिसिटर आदि पेशे वालों में अवश्य कुछ थोड़े ही से ऐसे आदमी हैं जो भारी धनवान कहे जा सकते हैं। पादड़ियों, हा कर्मों एवं राजकर्मचारियों में भी सब नहीं तो अधिकांश व्यक्ति अवश्य धनवान हैं। साथ ही कुछ नवाबी घराने के लोग भी हाकिमों और राज कर्मचारियों के वर्ग में पाये जाते हैं।

‘कारखाने, बैंक और व्यापार’ के वर्ग में ऐसे-ऐसे प्रसिद्ध नाम मौजूद हैं जैसे: बिर्ड (‘कम्पर्ट’ अर्थात् पके हुये अन्डे और दूध से मिलकर बने ग्वाअविशेष के व्यवसायी), कोर्टाल्ड (‘रेयन’ के व्यवसायी), कामली (मोटर-व्यवसायी), ग्रेटेन (वियर शराब), निकोलसन (जिन), गेस्ट (लोहा और फौनाद), हैम्ब्रो (बैंकिंग), चीट और जोल (सोना और जवाहिरात), केजर (जहाजरानी), इत्यादि। ये सब के सब अतुल सम्पत्तिशाली घराने हैं।

व्यापार समिति (Board of Trade) के पार्लिमेंटरी सेक्रेटरी तथा विदेशी व्यापार-विभाग के संचव मिस्टर आर० एम० हडसन को अपने पिता गवर्ट वनियम हडसन से १,५०,००० पाँड उत्तराधिकार में मिले थे। पोलैंड, रूम, नार्वे तथा अन्य योरोपीय देशों के साथ व्यापारिक समझौता कराने में इनका हाथ विशेष रूप से रहा है।

कोर्टाल्ड (Courtaulds) घराने के संबन्ध में भी जो निम्नलिखित रिपोर्ट एक दैनिक पत्र में छपी थी वह इन बड़े-बड़े घरानों की अतुल धनराशि का एक खासा नमूना कहा जा सकता है :—

**“१९,००,००० पाँड का मुनाफ़ा केवल तीन दिन में !
कोर्टाल्ड वंश की आमदनी”**

“कोर्टाल्ड वंश के १,२०,००,००० पाँड बोनस बाँटने की खबर ने कल (लंदन के) स्ट्राक एक्सचेंज में बड़ी भारी हलचल पैदा कर दी। ऐसी हलचल कदाचित् इधर कई साल से देखने में नहीं आई

थी। दलाल लोग शहर को जाने वाली ट्रेनों की तरफ दौड़ पड़ें, और शेयर बाज़ार खुलने के पहिले ही लोगों की एक भारी भीड़ शेयरों का सौदा करने में जुटी हुई थी। दलाल लोग अर्दातियों के पास तक पहुँचने के लिये धक्कामुक्की कर रहे थे। इसी प्रकार स्टाक एक्सचेंज बंद हो जाने के बाद भी लगभग तीन घंटे तक शेयरों की लेवा-बेंचो जारी रही।.....इस प्रकार शेयरों के मूल्य में जो वृद्धि हुई उसमें कोर्टाल्ड घराने के लोगों ने खूब लाभ उठाया। इनमें से सोमरसेट हाउस के रजिस्ट्रारों में दर्ज अठारह व्यक्तियों के पास १२,०७,६७८ साधारण शेयर और ६,८७,४०६ प्रिफरेंस शेयर मौजूद हैं। इनका आदि मूल्य केवल १ पौंड प्रति शेयर था, किन्तु कल रात्रि में उनकी कीमत बढ़कर कुल १,१०,००,००० पौंड की हो गई।”

कामन्स सभा में इस घराने के वर्तमान सदस्य मेजर जान सिवेल कोर्टाल्ड (Major John Sewell Courtauld) हैं। इनके अतिरिक्त मेजर राल्फ रेंनर तथा मि० आर० ए० बटलर भी, जो इस समय कामन्स सभा के मेम्बर हैं इसी घराने में ब्यादे हैं।

कुछ इने-गिने अपवादों को छोड़ कर शेष सभी पार्लिमेंटी अनुदार सदस्यों की वर्तमान ऊँची स्थिति केवल ऊँचे घरानों में जन्म पाने के कारण ही दिखाई देती है। साथ ही ये इने-गिने अपवाद भी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि एक ‘खाने-पीने में खुश’ मध्य श्रेणी के गनुष्य के लिए इस प्रभावशाली दल में स्थान पाना अत्यंत कठिन काम है। ये मध्य श्रेणी के ‘खाने-पीने में खुश’ पिता लोग अधिकतर अध्यापक डाक्टर, इंजीनियर, कारीगर आदि पेशे वालों में ही पाये जाते हैं, और इनकी संख्या कुल आदमियों में ८ प्रतिशत में अधिक नहीं है।

कुल ३०० से अधिक पार्लिमेंटी मेम्बरों में केवल एक ही व्यक्ति हमें ऐसा मिला है, जिसके पिता मचमुच ‘गरीब’ कहे जा सकते थे।

इस व्यक्ति का नाम 'सर वाल्टर वोमस्लै' (Sir Walter Womersley M. P.) है, जो इस समय असिस्टेन्ट पोस्ट मास्टर जेनरल है, और जिसको दम वर्ष की अवस्था में अपनी जीविका के लिए एक कारखाने के अंदर मज़दूरी करनी पड़ती थी। इसी से इस समय उसको लोग 'पार्लिमेंट में अनुदार पक्ष का अकेला मज़दूर' कहा करते हैं। इसके अतिरिक्त और भी तीन चार व्यक्ति ऐसे हैं, जिनके विषय में यह कहा जा सकता है कि वे अपने पैरों आपही खड़े हुए हैं। यद्यपि इस समय ये धनवान हैं, किंतु फिर भी इनको अपने जन्म का कोई वास्तविक लाभ नहीं मिला था।

इस प्रकार के व्यक्तियों की इतनी अल्प संख्या अनुदार पक्ष में होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कारण कि पेशेवर लोगों के लड़के, जिन्हें यदि धन का लाभ नहीं तो ऊँची शिक्षा का लाभ तो अवश्य मिला था, इस अनुदार पक्ष में बहुत कम भर्ती हो सके हैं। तारीख १४ मार्च सन् १९३६ के 'इवनिंग स्टैन्डर्ड' (Evening Standard) नामक पत्र में श्री ए० डफ़ क़पर नामक एक अनुदार पार्लिमेंटी सदस्य स्वयं लिखते हैं :—

“एक निर्धन मनुष्य के लिए, यदि वह अनुदार पक्ष का है तो, कामन्स सभा में पहुँचना उतना ही कठिन है जितना कि एक ऊँट का सूँ के नाके में घुसना। इससे यह तात्पर्य नहीं कि यह बात बिल्कुल ही असंभव है। वास्तव में इसकी संभावना केवल उतनी ही कही जा सकती है जितनी कि एक अमीर आदमी के लिए स्वर्ग द्वार तक पहुँचने की संभावना। दोनों ही अवस्थाओं में प्रवेश के लिए गहरी अड़चन है।”

पार्लिमेंट के अनुदार पक्षीय सदस्यों की उत्पत्ति का यह संक्षिप्त वर्णन एक बार फिर उसी बात को प्रमाणित करता है, जिसकी चर्चा पिछले अध्यायों में कर आये हैं, अर्थात् अनुदार पक्ष वास्तव में धनाढ्यों का पक्ष है। ब्रिटिश जाति के केवल मुट्ठीभर लोग शासन की बागडोर पर अपना सम्पूर्ण अधिकार एक ऐसी राजनैतिक पार्टी द्वारा

जमाये हुए हैं, जो हर एक बात को केवल उनकी ही आँखों से देखती हैं और हर एक मामले में सदा उनके ही हितों को सोचा करती हैं इस वर्ग के लोगों की सारी प्रतिष्ठा और हैसियत केवल उनके पूर्वजों की कमाई हुई सम्पत्ति और जायदाद पर ही निर्भर है। प्रोफेसर कैन्नन (Prof. Cannan) सन् १९१२ के 'एकनामिक आउटलुक' (Economic Outlook) नाम पत्र में लिखते हैं :—

“जो सम्पत्त लोगों ने वसीयत और उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त की है उसकी असमानता ही समाज की साम्पत्तिक असमानता का सब से ज़बर्दस्त कारण है।”

धनी घरानों का एक छोटा सा समूह अपनी सत्ता को पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रखे हैं। अपने वंशजों को यह न केवल परम्परा से धन ही प्रदान करता है बल्कि अपने उस अनुदार दल का प्रबंध भी उनके हाथों में दे जाता है, जो उनके धन और अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक ज़बर्दस्त हथियार बना हुआ है।

इस धनिक समूह के पुत्रों की शिक्षा-दीक्षा के लिए अलग से एक शानदार प्रबंध किया गया है। एटन (Eton) और हैरो (Harrow) के स्कूल, जहाँ इनकी शिक्षा होती है, ब्रिटिश द्वीप के सब से शानदार और खर्चीले स्कूल कहे जा सकते हैं। यहाँ पर एक-एक लड़के की शिक्षा के लिए लगभग ३०० पौंड से कम सालाना खर्च नहीं पड़ा करता। करीब २३० पौंड तो इन स्कूलों में केवल वार्षिक फीम ही दे देनी पड़ती है। अस्तु, जब तक कोई आदमी बहुत ही अमीर न हो तब तक वह इन दोनों में से किसी स्कूल में अपने पुत्रों को पढ़ाने की आशा नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ये स्कूल केवल उन बड़े-बड़े अमीर अनुदार नेताओं के ही मतलब के हैं, जिनका ज़बर्दस्त पंजा देश की तमाम राजनैतिक मंस्थाओं पर अपना मज़बूत अधिकार क़ायम किये हैं।

२८ अक्तूबर सन् १९३८ को इवनिंग न्यूज़ नामक पत्र लिखता है :—

“मिस्टर चेम्बरलेन के मंत्रिमंडल में परिवर्तन होने के कारण दो पुराने ‘एटोनियन’ (‘Etonians’ अर्थात् एटन स्कूल के पुराने छात्रों) की बृद्धि हुई है। अर्ल स्टैनहोप और अर्ल डि-ला-वार अब अपने स्कूल के पुराने मित्रगण वाईकाउन्ट हेल्शम, जो कि कौंसिल के लार्डप्रेसिडेन्ट हैं, लार्ड हलीफ़क्स, जो इस समय पर राष्ट्र सचिव हैं, बोर्ड आफ़ ट्रेड के मिस्टर आलिवर स्टैनली तथा डची आफ़ लैंकेस्टर के चान्सलर अर्ल विंटरटन के साथ आ मिले हैं। इस प्रकार अब मंत्रिमंडल में एटन वालों का ही बहुमत है। रगबी के प्रतिनिधि-स्वयं प्रधान मंत्री हैं और हैरो के प्रतिनिधि सर सैमुअल होर तथा मार्क्स आफ़ ज़ेटलैंड हैं। आशा है कि कैप्टेन यूवान वॉलेस (Captain Euan Wallace) के आगमन से हैरो वालों की संख्या अभी और बढ़ेगी।”

लार्ड बाल्डविन भी हैरो के पुराने छात्र हैं। उन्होंने एक बार कहा था :—

“जिस समय गवर्नमेंट बनाने का मुझे निमंत्रण मिला तो सब से पहला विचार जो मेरे मन में उत्पन्न हुआ यह था कि मेरी सरकार एक ऐसी सरकार हो, जिसके लिए हैरो को लज्जित होना न पड़े।”

अनुदार दल पर ‘एटन’ और ‘हैरो’ के प्राचीन छात्रों का अधिकार कई पीढ़ियों से बराबर चला आ रहा है। नीचे की सूची से विदित हो जायगा कि पिछले ३० वर्षों में इन दोनों स्कूलों के कितने प्रतिनिधि पार्लिमेंट के अनुदार सदस्य रहे हैं :—

सन्	कुल अनुदार पार्लिमेंटी सदस्यों की संख्या	एटन और हैरो वालों की संख्या
१९०५	३८६	१४४ = ३७ प्रति शत
१९०६	१५७	६७ = ४३ " "
१९०८	४१५	१२८ = ३१ " "
१९०९	४१५	१२५ = ३० " "

बहुत से अनुदार पक्षीय सदस्यों ने कहाँ शिक्षा पायी थी इसका पता नहीं लग सका। किंतु यह निश्चय है कि एटन और हैरो वालों के जो आँकड़े ऊपर दिये गये हैं उनसे उनकी वास्तविक संख्या ज़रूर कुछ अधिक ही थी। साथ ही पार्लिमेंट के अंदर अनुदार पक्षियों में हैरो की अपेक्षा एटन वालों की ही प्रधानता अधिक दिखाई देती रही है। सन् १९३८ में एटन वालों की संख्या १०१ थी और हैरो की केवल २४।

कुल ब्रिटिश जनता में केवल ०.१% लोग एटन या हैरो में पढ़ते हैं। किंतु अनुदार पार्लिमेंटी सदस्यों में लगभग ३०% लोग यहीं से शिक्षा पाये हुए हैं। इतनी ऊँची फीस देने की सामर्थ्य भी ब्रिटिश जनता के केवल ०.१% से अधिक व्यक्तियों में नहीं है।

अस्तु, प्रत्यक्ष है कि ये ही स्कूल अनुदार दल के भावी राजनीतियों की ट्रेनिंग के अत्यंत महत्वपूर्ण केन्द्र हैं। इनकी गणना वस्तुतः उन तमाम संस्थाओं के सिलसिले में की जा सकती है जो अनुदार नेताओं की विचारशैली को बनाने और स्थिर करने में भाग लिया करती हैं। ये स्कूल इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनके विषय में कुछ और अधिक परिचय देना ज़रूरी जान पड़ता है।

इन स्कूलों का प्रबंध किसके हाथ में है? एटन का प्रबंध १० "फ़ेलो" (Fellows) से बना हुआ एक बोर्ड करता है। और हैरो

का प्रबंध १० गवर्नरों के एक बोर्ड द्वारा किया जाता है। इन दोनों बोर्डों के सदस्य बैंक ऑफ इंग्लैंड के डिरेक्टर हैं : मिस्टर कैसिल लबक एटन के बोर्ड में और लार्ड सेंट जस्ट हैरो के बोर्ड में। अन्य पाँच बड़े बैंकों में से भी बांक्लेज़ बैंक के डिरेक्टर सर हेरल्ड स्नैग तथा नैशनल प्राविंशल बैंक के ज्वाइन्ट डिप्युटी चेयरमैन आन० जैस्पर रिडले एटन के फेलो हैं।

साथ ही इनमें से प्रत्येक स्कूल के बोर्ड में अनुदार मंत्रिमंडल का एक मंत्री भी रहा करता है : एटन में इस समय वाइकउन्ट हलीफक्स हैं, तथा हैरो में मार्क्ससे ऑफ ज़ोटलैंड हैं। इनके अतिरिक्त हैरो के बोर्ड में अनुदार मंत्रिमंडल के दो भूतपूर्व मंत्री भी अर्थात् एल० एस० एमरी साहब तथा लार्ड बाल्डविन हैं। एटन के फेलोज़ में भी 'दि टाइम्स' पत्र के सम्पादक ज़ाफ़े डायसन साहब हैं।

दोनों स्कूलों के संचालक वर्ग में कुछ थोड़े से विद्वानों को भी जगह दी जाती है, जिनमें से एक या दो इस समय उन्नतिशील विचार के भी लोग हैं। अस्तु, प्रकट है कि इन दोनों स्कूलों की शिक्षा नीति एवं प्रबंध का सम्पूर्ण भार अनुदार दल के मुख्य-मुख्य नेताओं के ही हाथ में रहा करता है।

वास्तव में हैरो और एटन ब्रिटिश अनुदार नीति के दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा-केंद्र हैं। आजकल के अनुदार नेताओं में से अधिकांश की शिक्षा उनके पूर्वजों के समान इन्हीं संस्थाओं में हुई थी; और अब उनके पुत्र भी उसी रूढ़ि के अनुसार यहीं तैयार हो रहे हैं।

यह बात नहीं है कि इन स्कूलों की पढ़ाई देश भर में सब से महँगी केवल आकस्मिक रूप से हो। वास्तव में यह ढंग इंग्लिस्तान के कुछ थोड़े से कुवेर-पुत्रों को प्रजा-वर्ग के अन्य साधारण लड़कों से अलग रखने के लिए ही जान बूझ कर निकाला गया है, और इन्हीं थोड़े से धन-कुवेरों में हमारे अनुदार दल के नेता लोग भी पये जाते हैं।

विचित्रता तो यह है कि एटन और हैरो दोनों ही स्कूलों की स्थापना आरंभ में केवल 'सुयोग्य और चरित्रवान' तथा 'गरीब और असमर्थ' बालकों के लिए की गयी थी फिर भी उनके अमीर प्रबंधकों ने अपना स्वार्थ साधन करने के लिए चालबाज़ी का रास्ता पकड़ा और विधान के शब्दों को तोड़-मरोड़ कर तथा उनका मनमाना अर्थ लगा कर अपना मनोरथ सिद्ध किया। उदाहरण के तौर पर 'गरीब और असमर्थ' बालक का अर्थ यह लगाया गया कि बालक के माता-पिता या अभिभावक कं गरीब होने की ज़रूरत नहीं; केवल बालक ही के धनहीन होने से मतलब है। इस प्रकार के विचित अर्थ से बड़े से बड़े धन-कुबेर का पुत्र भी 'गरीब और असमर्थ' की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। इसी ढंग से और भी कितने ही शब्दों की दुर्दशा की गयी और फिर अपना मतलब सिद्ध किया गया।

पार्लिमेंट के अन्य अनुदार सदस्यों में से, जिनकी शिक्षा एटन या हैरो के स्कूलों में नहीं हुई, करीब २३ ऐसे हैं जिन्होंने घर पर प्राइवेट अध्यापकों से पढ़ा है। इस प्रकार की शिक्षा भी अत्यधिक महँगी हुआ करती है। शेष में से १५४ व्यक्तियों ने ऐमे स्कूलों में शिक्षा पायी है, जो साधारण स्कूलों की अपेक्षा अधिक महँगे कहे जा सकते हैं। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा के लिए स्कूल का चुनाव उसकी वशंगत रूढ़ि के विचार से ही किया जाता है। कुछ के पिता अपने पुत्रों को एटन या हैरो में केवल धार्मिक विचार से ही नहीं भेजते और किसी कैथोलिक सम्प्रदाय के स्कूल में पढ़ाते हैं।

अब स्कूलों के बाद विश्वविद्यालयों का नम्बर आता है। केवल २७२ अनुदार पार्लिमेंटी सदस्यों से उनके विश्वविद्यालयों के नाम मिल सके हैं। इनमें से १८८ व्यक्ति तो आक्सफ़ोर्ड अथवा केंब्रिज के विद्यार्थी रह चुके हैं; ५० ने प्रांतीय विश्वविद्यालयों में अथवा विदेशी विश्वविद्यालयों में शिक्षा पायी थी और शेष ३४ व्यक्ति रायल मिलिटरी एवं नेवेल कालिजों से निकले हुए हैं।

अस्तु, यहाँ भी हम देखते हैं कि शिक्षा की जो सुहूलियतें अनुदार-पक्षीय लोगों को प्राप्त हैं वह ६८% ब्रिटिश जनता को नसीब नहीं। अधिकांश अनुदार-पक्षीय नेताओं का आक्मफ़ोर्ड ग्रथवा कैम्ब्रिज के विश्व-विद्यालयों में पढ़ना केवल इसलिए संभव हो सका कि उनके माता पिता धनवान थें। उनकी शिक्षा-सम्बन्धी सुविधायें वस्तुतः उनकी योग्यता के कारण नहीं, बल्कि उनकी ऊँची हैसियत के कारण प्राप्त हुई हैं। यदि मय नहीं तो इनमें से बहुसंख्यक लोग ज़रूर ऐमे दिखाई देते हैं, जिनका मानसिक विकास उम दर्जे तक नहीं पहुँच सका, जिससे यह कहा जा सके कि उनका आक्सफ़ोर्ड या कैम्ब्रिज में जाकर १००० पाँड के खर्च से विद्यालाम करना उचित था। बात यह है कि मनुष्य के चुनाव के लिए उसके धन के विचार और उसकी योग्यता के विचार में बड़ा बेपरीत्य पड़ जाता है।

यह बात नहीं है कि अनुदार दल वालों में योग्यता की कमी कुछ विशेष रूप से पायी जाती हो। जिस प्रकार साधारण जनता में अधिकतर साधारण बुद्धि वालों की ही संख्या दिखाई देती है उसी प्रकार अनुदार दल के लोगों में भी इन्हीं साधारण लोगों की संख्या बहुतायत से मौजूद है। निस्सन्देह कुछ अनुदार दल के मदस्य पार्लिमेंट में ऐसे भी मौजूद हैं, जिनका चुनाव उनकी योग्यता के ही लिहाज़ से किया गया है; लेकिन इस प्रकार के लोगों की संख्या बहुत थोड़ी है। धन और वंश का विचार ही सर्वत्र प्रधान दिखाई देता है, और इसके साथ ही साथ शिक्षा के प्रति एक प्रकार की उपेक्षा का भाव भी यहाँ व्यापक रूप से मौजूद है।

अर्ल विन्टर्टन अपनी 'युद्ध के पहले' (Pre-war) नामक पुस्तक में लिखते हैं कि अनुदार वर्ग की 'दिलचस्पी किसी ऐसी बात चीत में नहीं दीखती जिसमें मानसिक योग्यता की आवश्यकता रहती है'। मिस्टर एम० आर० हेली हचिन्सन एम० पी० भी यद्यपि

एटन तथा आक्सफोर्ड में शिक्षा-लाभ कर चुके हैं, किन्तु शिक्षा के प्रति अपने विचार इस प्रकार प्रकट करते हैं :—

“अधिकांश लोग ज़रूरत से ज्यादा पुस्तकें पढ़ा करतें हैं। माधारण पठन पाठन के लिये बाइबिल, विशेषकर उसका Ecclesiastes and Proverbs वाला अंश तथा शेक्सपियर के नाटक, मुख्यतः जूलियस सीज़र और देनरी पाँचवें को पढ़ लेने से ही हमारी सारी आवश्यकता पूरी हो सकती है।”

हम यह नहीं कहते कि अनुदार दल के सभी लोग हेली हचिन्सन के से विचार रखते हैं। लेकिन फिर भी उसके अधिकतर भाग की विचारशैली माधारणतया हेली हचिन्सन की ही विचारशैली के नमूने पर है, और मंत्रिमंडल में भी कम से कम एक सदस्य इसी विचार के हैं, इसमें ज़रा संदेह नहीं।

किन्तु अनुदार पार्लिमेंटरी सदस्यों के लिए यह उतना आवश्यक भी नहीं है कि वे सब के सब अपने माथ में स्वतन्त्र बुद्धि ही रखें। केवल अनुदार पक्ष के मिट्टांतों में अविचल अंधी भक्ति ही उनके लिए काफी होती है, कारण कि अनुदार शासकों का समूह अपने इन अनुयायियों से हर एक मामले पर बुद्धिपूर्वक विचार करने के बजाय केवल आँख मूँद कर अपनी आज्ञाओं का पालन ही ज्यादा उचित समझता है

अब इन अनुदार पार्लिमेंटरी सदस्यों की जीविका पर भी एक नज़र डालना है। पहिले दिखला आये हैं कि इनमें से एक बहुत बड़ी संख्या बड़े-बड़े व्यापारियों एवं कम्पनी-डिरेक्टरों की है। लगभग १८१ अनुदार सदस्य इस समय अनेक कम्पनियों के डिरेक्टर हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से ऐसे लोग हैं, जो अपने जीवन के किमी न किमी समय में बड़ी-बड़ी लिमिटेड कम्पनियों के डिरेक्टर रह चुके हैं। स्थूल रूप से यह कहा जा सकता है कि अपनी पारिवारिक

सम्पत्ति को पालना-पोसना और बढ़ाना ही धनिक परिवार के पुत्रों का खाम पेशा है। कितने लोग केवल अपनी रियासत और ज़मींदारी के प्रबन्ध में ही लगे रहते हैं। यद्यपि यह ठीक-ठीक नहीं बतलाया जा सकता कि पार्लिमेंट के कितने अनुदार सदस्यों के पास इस समय ज़मीन और रियासत है, अथवा कितने लोग मुख्यतः अपनी ज़मींदारी के प्रबन्ध में लगे हुये हैं, फिर भी इनमें से कम में कम बीस आदमी तो ऐंसे अवश्य हैं जो अपने को स्वयं ज़मींदार कहते हैं और जिनकी जीविका के लिये इधर भिन्न ज़मींदारी के कोई दूसरा काम नहीं दिखाई देता। किन्तु यदि अनुदार पार्लिमेंटी सदस्यों की वरसियतों का अध्ययन किया जाय तो जान पड़ेगा कि उनमें ज़मींदारों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। कुछ न कुछ भूमि तो अधिकांश व्यक्तियों के पास है, किन्तु जिन लोगों की जीविका मुख्यतः भूमि की ही आय पर निर्भर है उनकी संख्या भी पचास या साठ से कम न होगी।

यद्यपि अपनी पारिवारिक सम्पत्ति का प्रबन्ध ही अधिकतर पार्लिमेंटी अनुदार सदस्यों का मुख्य रोज़गार है, फिर भी लगभग २०० व्यक्ति ऐसे हैं जिनके और दूसरे-दूसरे भी रोज़गार हैं। इन सबों के अलग-अलग व्यौर तो बतलाना कठिन है, किन्तु फिर भी बहुतां के व्यौर मालूम कर लिये गये हैं, जो इस प्रकार हैं :—

रेग्युलर सेना में अफसर	६६
वैरिस्टर	७८
सिविल सर्विस के भूतपूर्व अफसर	१६

इन सब पेशों में एक बात, जो अत्यन्त महत्वपूर्ण दीखती है, यह है कि इन सबों का राष्ट्र सेवा से घना सम्बन्ध है। उदाहरणार्थ सिविल सर्विस के द्वारा शासन की संपूर्ण मशीन चालू रहती है; न्याय-विभाग की तमाम ऊँची ऊँची जगहों पर, अर्थात् ऊँची से ऊँची अदालत-अपील के जजों से लेकर साधारण वेतनभोगी मजिस्ट्रेटों तक के पदों पर

बॉरस्टरो का ही एक मात्र अधिकार रहता है; तथा फौजी अफसरों के हाथ में राष्ट्र की अंतिम और सब से ज़बर्दस्त ताकत रहा करती है।

अस्तु, इन पेशों को 'हुकूमत के पेशे' भी कह सकते हैं, इसलिए कि देश की हुकूमत में इन्हीं पेशेवालों का मुख्य भाग रहता है और इसलिए भी कि देश के हाकिम अनुदार दल वाले इन्हीं पेशों को पसन्द किया करते हैं। वास्तव में धनिकों के इस समूह ने बृटिश प्रजा पर अपना अधिकार दोहरे रूप में जमा रखा है। एक तो पार्लियामेंट की कुर्शियों पर कब्ज़ा कर के और दूसरे, सरकारी नौकरियों के मुख्य-मुख्य पदों पर अपना अधिकार जमा कर। दूसरे देश के एक दर्शक ने इसी बात का संक्षेप में इस प्रकार वर्णित किया है :—

“(इस धनिक) ‘समाज’ की वास्तविक शक्ति कुछ वैधानिक अधिकारों में नहीं, बल्कि शासन की संपूर्ण मशीन पर अपना अधिकार जमा लेने में है। राज्य के तमाम महत्वपूर्ण पदों पर जो नियुक्तियाँ की जाती हैं उन सबों पर इसी दल का प्रभाव रहता है और इसलिए केवल वे ही व्यक्ति इन पदों के योग्य समझे जाते हैं, जो अपने जन्म से ही इस समाज के आदमी हैं। × × × × अधिकारशासन और कानूनी अफसर, थिसप, तथा तमाम प्रतिष्ठित चर्चों के ऊँचे-ऊँचे पादड़ी एवं स्थल और जल सेना के ऊँचे-ऊँचे अफसर सब इसी दल के आदमियों में से भर्ती किये जाते हैं। × × × गिनिल सर्विस में भी इन्हीं नवाबों के उपाधिहीन छोटे बेटों, भतीजों, भाइयों तथा दूर के रिश्तेदारों का भरमार की जाती है।”

निस्सन्देह यह नहीं कहा जा सकता कि सभी बैरिस्टर, सेना के अफसर अथवा गिनिल सर्विस के कर्मचारी लोग धनिक वर्ग से ही लिये गये हैं। उपरोक्त वर्णन में कुछ थोड़ी सी अत्युक्ति ज़रूर है, कारण कि इन पदों पर बहुत से लोग मध्य श्रेणी के आदमियों में से भी अवश्य भर्ती किये जाते हैं। किंतु फिर भी जो पद अत्यन्त ऊँचे और बहुत ही

महत्वपूर्ण समझे जाते हैं उन सब पर अधिकतर धनी घराने के लोगों का कब्ज़ा है ।

सेना पर अनुदार पक्ष का अधिकार एक विशेष महत्व का विषय है । लोगों की यह धारणा अत्यंत भ्रमपूर्ण है कि बृटिश सेना राजनीति से बिल्कुल अलग रखी जाती है । वास्तव में पार्लिमेंट के अंदर बहुसंख्यक भूतपूर्व सैनिक अफ़सरों की उपस्थिति तो यह सिद्ध करती है कि यह सेना अनुदार पक्ष के लिये तैयार करने के लिए एक सुन्दर शिक्षा-भूमि है ।

यह भ्रूट है कि सेना को हर प्रकार की राजनीति से अलग रखा जाता है । वास्तविक तब यह है कि अनुदार राजनीति के विनाय और कोई दूसरे प्रकार की राजनीति वहाँ नहीं पहुँचने दी जाती । सेना को भड़काने के विरुद्ध जो कानून बनाये गये हैं उनका प्रयोजन सेना को राजनीति से अलग रखना नहीं है, बल्कि सेना में अनुदार राजनीति की शिक्षा को सुरक्षित बनाना है । अनुदारपक्षीय सैनिक अफ़सर भी यह खूब अच्छी तरह जानते हैं कि सेना में विरोधी दल की राजनीति के प्रचार को रोकने के लिये इस प्रकार के सैनिक कानून का उपयोग किस ढंग से करना चाहिए ।

अस्तु, दूसरे देशों में जनतंत्रवाद के विरुद्ध जो बृटिश सेना इस्तेमाल की जाती है वह इसी ढंग की सेना है, जिसपर धनी नवायों की मंडली ने अपना पूरा अधिकार जमा रखा है । इसका एक ताज़ा उदाहरण स्पेन का गृहयुद्ध है । बलवे का सघंटन अफ़सरों के समुदाय ने किया था और उनकी सहायता स्पेन के तमाम धनिक ज़र्मीदार और व्यापारियों ने की थी । अस्तु, बृटिश अनुदार-पक्षीय सेना की सहानुभूति भी स्वभावतः बलवाइयों के ही पक्ष में दिखाई पड़ी । प्रमाण-स्वरूप 'जनरल आफ़ दि रायल यूनाइटेड सर्विसेज़ इन्स्टिट्यूट (Journal of Royal United Services Institute) नामक पत्र अपने एक सम्पादकीय लेख में लिखता है :—

“प्रायः सभी सेनाएँ स्वभाव से परिवर्तन-विरोधी और देशभक्त

संस्थाएँ हुआ करती हैं, और देश की प्रतिष्ठा तथा एकता को कायम रखना ही उनका मुख्य अभीष्ट होता है। स्पेन में प्रजातंत्र शासन के कारण जो अधःपतन तेज़ी के साथ दिखाई दे रहा था, उसने सेना के अधिकांश अफ़सरों तथा अन्य देशभक्त सैनिकों को चौकन्ना बना दिया। स्पेन की रक्षा यदि हो सकती थी तो वह इसी सेना के हाथ से हो सकती थी अस्तु, मोराको स्थित स्पेनी सेना ने जेनरल फ्रांको की अधीनता में विद्रोह का झंडा सबसे पहले खड़ा किया।”

स्मरण रहे कि अभी बहुत समय नहीं हुआ कि आयरलैंड में भी एक इसी प्रकार का विद्रोह ब्रिटिश सेना के एक भाग ने अनुदार पक्षीय नेताओं के इशारे पर उठाने की चेष्टा की थी, जिससे पार्लियामेंट में आयरिश होमरूल बिल न पास हो सके। इन दोनों ही बलवों में एक धनिष्ठ समानता दिखाई देती है :—

“सर एडवर्ड कार्मन के जर्मन राइफलों से सुसज्जित उल्स्टर के स्वयंसेवक ही इधर डेढ़ सौ वर्षों में ब्रिटिश राज्य के अंदर पहली बार बगावत करने वाले निकले। इनका मुकाबला एक ऐसी सरकार को करना पड़ा, जो सन् १६३६ की स्पेनी सरकार के सदृश ही रंग्युलर सेना पर पूरा भरोसा नहीं कर सकती थी और संभव था कि कदाचित् वह इस बलवे को वहीं दबा देने में असमर्थ सिद्ध होती।”

पार्लियामेंट में तथा मंत्रि-मंडल में भी कुछ ऐसे अनुदार सदस्य मौजूद हैं, जिन्होंने ने कुराग (Curragh rebellion) के बलवाइयों का साथ दिया था। प्रमाण-स्वरूप स्वयं अर्ल विंस्टन ही इस बात को अपने जीवन-चरित में स्वीकार करते हैं। कैप्टेन विक्टर कैजेलेट तथा सर आर्नल्ड विल्मन जैसे भूतपूर्व सैनिक तथा वर्तमान पार्लियामेंटी अनुदार सदस्य इस समय जेनरल फ्रांको के मंत्र से ज़वर्दस्त समर्थकों में समझे जाते हैं।

सरकारी नौकरियों पर धनिक अनुदार पक्ष का जो अधिकार जमा हुआ है उससे उसका राजनैतिक प्रभाव अत्यंत स्थायी बन गया है।

अस्तु, जिस समय पार्लिमेंट में इस पक्ष का बहुमत न भी हो उस समय भी देश के शासन में उसका प्रभाव बराबर काम करता ही रहेगा। वास्तव में अनुदार पक्ष को शक्ति पार्लिमेंट की कुर्सियों के साथ-साथ सरकारी आहदा पर भी अधिकार जमा लेने से ही कायम रह सकी है। इन दोनों ही पर इस समय प्रजावर्ग की इस नन्हीं भी संकुचित विचारों वाली धनिक मंडली का अधिकार कायम है।

ऊपर जिन पेशों को हम 'हुकूमत के पेशे' के नाम से परिचित करा आये हैं उनके मुकाबले में अब मध्य श्रेणी के पेशों का पार्लिमेंटी अनुदार दल में कितना प्रतिनिधित्व है इसे भी नीचे की सूची में देखिए :—

१—सालिसिटर	१०
२—पत्रकार	..		१५
३—डाक्टर	६
४—एकाउन्टेन्ट	८
५—स्कूल मास्टर	४
६—विद्वान् वर्ग (भिन्न भिन्न विषय में)	...		६
७—शिल्पकार	२
८—दांत बनाने वाले	१

ब्रिटिश जनता में कम्पनी-डायरेक्टरों और डाक्टरों की संख्या लगभग एक सी है। किंतु अनुदार पक्ष में डाक्टरों के प्रतिनिधि केवल ६ हैं जब कि डायरेक्टरों की प्रतिनिधि-संख्या १८१ है। इसी प्रकार स्कूल-मास्टरों की संख्या ब्रिटिश जनसमूह में सेनापतियों की संख्या से कहीं ज्यादा बढ़कर है, किंतु अनुदार दल में उनकी गिनती केवल ४ है और सेनापतियों की ७६। वैज्ञानिकों, युनिवर्सिटी-प्रोफेसरों तथा लेक्चरर लोगों की भी संख्या उच्च राजकर्मचारियों की अपेक्षा कहीं ज्यादा है, किंतु फिर भी राज-कर्मचारियों की तादाद अनुदार पक्ष में इन लोगों की दूनी से भी

अधिक है। डाक्टर, पत्र सम्पादक, सालिसिटर, युनीवर्सिटी के अध्यापकगण, शिल्पकार, दाँत बनानवाले इत्यादि मध्य श्रेणी के तमाम पेशाओं के जितने आदमी अनुदार पार्लिमेंटरी दल में मौजूद हैं उनकी कुल संख्या मिलाकर भी अकेली बीमा कर्पणियों के आदमियों की संख्या से विशेष अधिक नहीं होती।

किंतु मध्यश्रेणी की ऊपर जो संख्याएँ दी गयीं हैं वे वास्तविक स कुछ अधिक ही हैं, कारण कि उनमें बहुत से ऐसे डाक्टर भी शामिल कर लिये गये हैं जो अब डाक्टरा नहीं करते। पत्र सम्पादक और सालिसिटर लोगों में भी अब कितने ही कम्पनी डायरेक्टर हो गये हैं। इनके अतिरिक्त १२ एंजीनियर भी हैं जो अब कम्पनियों के डायरेक्टर हो गये हैं और इसलिए उनके नाम नहीं शामिल किये गये।

किंतु फिर भी मध्यश्रेणी का प्रतिनिधित्व अनुदार दल में कुछ कम नहीं कहा जा सकता। वास्तव में कम्पनी डायरेक्टरों, भूतपूर्व सैनिकों, वैरिस्टरों, भूतपूर्व राजकर्मचारियों, जमादारों इत्यादि का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत उसमें इतना अधिक है कि उनके मुकाबले में मध्यश्रेणी का प्रतिनिधित्व बहुत कम जान पड़ता है। मध्यश्रेणी के पेशेवर लोग इंग्लिस्तान के विशेषतः वर्ग कहे जा सकते हैं, किंतु अनुदार दल में धनिकों के प्रतिनिधित्व का महत्व कायम रखने के लिए इन विशेषज्ञों के प्रतिनिधित्व को बिल्कुल दबा दिया जाता है।

इसमें भी अधिक एक और उल्लेखनीय बात यह है कि जहाँ अनुदार पार्लिमेंटरी सदस्यों में मज़दूर-मालिकों की संख्या इतनी अधिकता के साथ मौजूद है वहाँ मज़दूरवर्ग का एक भी प्रतिनिधि नहीं दिखाई देता। ब्रिटिश द्वीप की कुल जनसंख्या में ६० प्रतिशत से भी अधिक लोग ऐसे हैं, जो किसी न किसी प्रकार की नौकरी करके अपनी जीविका चलाते हैं। इनमें श्रमिक, दल्लरों में काम करने वाले, सेल्म-मैन, कारखानों के फ़ोरमैन, सुपरिन्टेन्डेन्ट भिन्न-भिन्न प्रकार के विशेषज्ञ

इत्यादि सब शामिल हैं। वास्तव में इन्हीं के मिले हुए समूह को हम ब्रिटिश जनता के नाम से पुकार सकते हैं। इनमें का एक भी आदमी इस समय अनुदार पक्ष में नहीं दीखता। केवल इनके मालिक ही मालिक उममें दिग्वाइ देते हैं। इस प्रकार अनुदार दल एक प्रकार का निराला दल है, जो देश के प्रायः सभी मुख्य मुख्य पेशे वालों को पार्लिमेंट में अनुदार पक्षीय सदस्य होने से रोकता है।

अनुदार पक्षीय वोटों को, बल्कि अनुदार पक्ष के साधारण सदस्यों तक को, अनुदार दल की नीति स्थिर करने में कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। अतएव अनुदार दल की कान्फरेंसों में यदि उत्साह का बिल्कुल अभाव दिग्वाइ दे तो उममें आश्चर्य ही क्या है? स्वयं पीटर हावर्ड साहब, जो मन् १९३७ में स्कारबारो की अनुदार कान्फरेंस में एक प्रतिनिधि की हैमियत से उपस्थित थे, और जो बोर्नमाउथ की मज़दूर कान्फरेन्स में भी गन्डे एक्सप्रेस (Sunday Express) नामक पत्र के संवाददाता की हैमियत से गये हुए थे, इन दोनों कान्फरेंसों की तुलना करते हुए इस प्रकार लिखते हैं:—

“भूल में मत पड़िए। इन वार्षिक अधिवेशनों में साम्यवादियों ने अनुदारों को मात कर दिया है। बोर्नमाउथ मंत्री था और स्कारबारो निर्जीन। पार्लिमेंट का प्रायः प्रत्येक मज़दूर सदस्य और ट्रेड यूनियनों का हर एक नेता बोर्नमाउथ पहुँचा हुआ था; किंतु अनुदार पक्ष के ३७० पार्लिमेंटी सदस्यों में से ५ प्रतिशत भी लोग स्कारबारो नहीं गये। बोर्नमाउथ—अवल दर्जे की वक्तृत्व-शक्ति। स्कारबारो—मध्यम श्रेणी के व्याख्यान। साम्यवादी प्रधान श्रीयुत् ऐटली साहब हर एक व्याख्यान को सुनते हुए आदि से अंत तक मंच पर बैठे रहे। किंतु स्कारबारो में चेम्बरलेन साहब केवल एक ही व्याख्यान के समय मौजूद रहे और उस व्याख्यान के भी देने वाले स्वयं वही थे।

“जिस समय एक अनुदार डेलीगेट मंच पर खड़ा बोल रहा था, उस समय मैंने मंच पर बैठने वाले १६ नेताओं को ‘क्रासवर्ड पज़ल’

(Cross-word Puzzles) अर्थात् पहेलियाँ हल करते पाया। किंतु बोर्नमाउथ में लोगों की दिलचस्पी प्रत्येक भाषण में प्रकट हो रही थी। स्कारबरो में जब कोई साधारण दर्जे का डेलीगेट बोलता था तो उसके शब्द सभामंडप से उठ-उठ कर शराबखाने की तरफ जाने वालों की पदध्वनि में डूब जाते थे।

“बोर्नमाउथ में वाद विवाद की मात्रा अत्यधिक दिखाई दे रही थी किंतु स्कारबरो में वाद विवाद बिल्कुल ही नहीं। जब तक मैं वहाँ था किसी भी प्रस्ताव के विरुद्ध एक भी वोट नहीं दिखाई पड़ी। क्या इसी का अर्थ टोरी प्रतिनिधियों की प्रत्येक विषय पर सहमति है ? नहीं। इसका अर्थ है केवल यह कि जिन-जिन विषयों पर टोरी दल वाले भिन्न-भिन्न राय रखते थे, वे टोरी कांग्रेस में विचार के लिए रखे ही नहीं गये। अनुदारों की एक गुप्त समिति होती है, जो हर एक ऐसे प्रस्ताव को अलग कर देती है जिसपर मतभेद जान पड़ता है।

‘बोर्नमाउथ से प्रतिनिधिगण उत्साह से भरे हुए वापस गये। स्कारबरो से प्रतिनिधिगण केवल घर लौटने के लिए उत्सुक थे।’

अनुदार दल के साधारण सदस्य और समर्थक लोग भी वास्तविक अनुदार मंडली से सर्वथा अलग रखे जाते हैं। बहुधा अनुदार दल की नीति लंदन के खर्चीले क्लबों में ही तय की जाया करती है, किंतु उनमें अधिकांश अनुदार पक्ष के समर्थक प्रवेश नहीं कर सकते, चाहे वे उतना खर्च उठाने के लिए तैयार भी हों जाँय। उदाहरणार्थ आधे से ज्यादा पार्लिमेंट के अनुदार पक्षीय सदस्य कार्ल्टन क्लब के मंम्बर हैं, जिसका प्रवेश शुल्क ४० पाँड और वार्षिक चन्दा १७ गिनी है। अन्य सदस्य सिटी आफ लंदन क्लब के मंम्बर हैं। इसका प्रवेश-शुल्क १०० गिनी है और सालाना चन्दा १५ गिनी है। इस प्रकार प्रायः सभी अनुदार दल के पार्लिमेंटी सदस्य किसी न किसी खर्चीले क्लब के मेम्बर बने हैं, जिनमें से उपरोक्त दोनों क्लबों में इनकी संख्या

सबसे ज्यादा है। इनके अतिरिक्त प्रांतीय क्लबों, नौका-क्लबों तथा गाल्फ-क्लबों में भी इनकी संख्या मौजूद है। अधिकांश लंदन क्लबों में, जहाँ ये लोग जाया करते हैं, प्रवेश-शुल्क की एक गहरी रकम के अतिरिक्त कम से कम १२ से १८ पौंड तक सालाना ऊपरी खर्च बैठता है।

वास्तव में ये क्लब भी इस धनिक समुदाय के जीवन की सामाजिक पृथकता के एक भाग हैं। इस प्रकार के सामाजिक जीवन से शासक समूह और भी सुगठित बन जाता है और इसी समूह के हाथ में अनुदार दल की तमाम नीतियों का निर्णय भी रहता है। अस्तु, नवाबी की छाप इस शासक श्रेणी के जीवन के अंग-प्रत्यंग पर बैठ गयी है।

नवाबी उपाधियों और इनके महत्व एवं राजनैतिक प्रभावों के विषय में पहिले लिखा जा चुका है। किंतु इनके अतिरिक्त अनुदार वर्ग में एक और भी समुदाय है, जो अपने विचार, सामाजिक कर्तव्य, मन बहलाने के ढंग इत्यादि के कारण साधारण ब्रिटिश समाज से बिल्कुल अलग दिखाई देता है।

लगभग १०० अनुदार पक्ष के पार्लिमेंटरी सदस्यों का जी बहलाने का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना, चिड़िया मारना और जंगलों में शिकार करना है। कहना न होगा कि ये तोनों ही बड़े खर्चोंले मन-बहलाव हैं। इनके अतिरिक्त कम से कम ३० व्यक्ति नौका-क्लबों के भी मेम्बर हैं। संक्षेप में एकमात्र गाल्फ को छोड़ कर, जो कि इनमें बहुत कम खेला जाता है, शायद ही कोई ऐसा खेल इनका है जो सर्व साधारण का खेल कहा जा सके।

लगभग आधे अनुदार पार्लिमेंटरी मेम्बरों के पास अपने रहने के लिए दो-दो महल हैं, और बहुतों के पास तो तीन-तीन भी हैं। इनके अतिरिक्त एक बहुत बड़ी रकम दावतों में भी खर्च की जाया करती है। इन दावतों में अनुदार-पक्ष के मज़दूरों की तो कौन कहे मध्यश्रेणी के इज्जत-

दार लोग भी कितनी संख्या में पहुँच सकते हैं यह स्वयं मोचा जा सकता है ।

वास्तव में जैसे लोगों के बीच में मनुष्य उठता-बैठता और रहा करता है, वैसे ही ढंग की उसकी विचार-शैली भी बन जाया करती है । पार्लियमेंट के अनुदार-पक्षीय सदस्यों का साथ बड़ी-बड़ी लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टरों से है, अपने ही समान अपने अमीरी क्लबों के अमीर मेम्बरों से है, तथा चिड़ियों पर निशान लगानेवाले, मछली पकड़ने वाले और शिकार करने वाले मित्रों से है । अस्तु, बस यही समाज उनकी अनुदार नीति और विचार शैली को भी स्थिर करता है । उन लोगों के रहन-सहन का ढंग ही ऐसा है जो उन्हें साधारण मनुष्य के जीवन-प्रश्नों को समझने के लिए विल्कुल अयोग्य बना दे । उनके राजनैतिक विचार एकमात्र उसी वर्ग के स्वार्थों को प्रकट कर सकते हैं जिसमें वह रहता है ।



आठवां अध्याय

अनुदार दक्षिण पार्श्व

“स्पेन यदि फ्रांकों के हाथ में आ गया, तो जिब्राल्टर के लिए खतरा है, और उपनिवेशों से फ्रांसीसी सेनाओं को भी बुलाना बोलियारिक द्वीपों की किले बंदी के कारण प्रायः असंभव हो जायगा। यदि ऐसी अवस्था आ गयी, तो जर्मनी फ्रान्स की वह दुर्दशा करेगा जैसी कदाचित् किसी देश ने आज तक अपने तमाम इतिहास में न देखी होगी.....।

“जापान से यह पूरी आशा की जा सकती है कि वह हांकांग पर अपना अधिकार करने का अवसर कदापि हाथ से न जाने देगा और इस का अर्थ वास्तव में वही होगा जो इंग्लैंड को सुदूर पूर्व से निकाल बाहर करने का हो सकता है। इंग्लैंड को सब कुछ सहना पड़ेगा जो जर्मनी और इटली उसे सहावेगा। सारी दुनिया आज इंग्लैंड की वर्तमान नपुंसकता पर हँस रही है। सन् १९१४ के पूर्व वह इस अवस्था को बर्दाश्त करने के लिए कदापि तैयार न हुआ होता। इंग्लैंड हम समय अपने भयंकर शस्त्रीकरण द्वारा जर्मनी और इटली से आगे बढ़ने के प्रयत्न में है। किंतु शस्त्रास्त्रों में हमलोग इतने आगे बढ़े हुए हैं कि हमें कोई नहीं पा सकता।”—ता: ८ एप्रिल सन् १९३८ के मैचेस्टर गार्जियन में प्रकाशित प्रोफेसर मैक्स ग्रुएन (Professor Max Gruen, Nazi authority) के एक व्याख्यान से उद्धृत।

देश की रक्षा की सारी जिम्मेदारी वर्तमान सरकार पर है। लेकिन बृटेन की रक्षा उसकी सैनिक-शक्ति पर उतनी अधिक निर्भर नहीं जितनी

कि उन महत्वपूर्ण स्थानों के अधिकार पर है, जिनके द्वारा उसके व्यापारिक जहाजों का मार्ग सुरक्षित रह सकता है। इसके अतिरिक्त मित्रों की शक्ति पर भी उसे बहुत कुछ भरोसा रहा करता है। मित्रों की मैनिंक शक्ति में यदि कुछ हानि पट्टुच जाय तो उसका अर्थ यही होगा कि बृटेन की शक्ति में भी उतनी ही कमी आ गयी। इस अध्याय में हम पार्लिमेंट के अनुदार सदस्यों का रुख वृटिश द्वीप की रक्षा के सवाल पर क्या है इसका विचार करेंगे। इस समय वृटिश सरकार जर्मन खतरों के विरुद्ध बड़े ज़ोरों से तैयारी कर रही है। किंतु अनुदार पक्षीय लोग इस खतरों को किम दृष्टि से देखते हैं यही यहां देखना है। विकहैम स्टीड (Wickham Steed) का कहना है कि जर्मनी में हमें जो कुछ भय है वह उसके भीतरी शासन से है। अस्तु, अनुदार दल वाले इस शासन को किम दृष्टि से देखते हैं ?

यदि हम कुछ अनुदार नेताओं के पिछले भाषणों पर दृष्टि डालें तो जान पड़ेगा कि वे नाज़ी जर्मनी के बढ़ते हुए खतरों से बिल्कुल ही बेसुध रहते आये हैं। उदाहरणार्थ सन १९३३ में एक अनुदार पार्लिमेंटी सदस्य सर थामस मोर (Sir Thomas Moor M. P.) का कहना था :—

“किंतु हर हिटलर को यदि मैं कुछ भी अपने निजी अनुभव से समझ सकता हूँ तो शांति और न्याय ही उसकी नीति के मूलमंत्र हैं।”—Sunday Dispatch, Oct. 22, 1933.

उस समय तो सर थामस मोर यहाँ तक आगे बढ़े हुए थे कि वह जर्मनी को उसके प्राचीन उपनिवेश वापस देकर उसकी शक्ति को और मज़बूत बनाने की राय दे रहे थे। यूनियनिस्ट कैंनवासिंग कोर (Unionist Canvassing Corps) में भाषण करते हुए एक बार उन्होंने कहा था कि “जर्मनी को पश्चिमी अफ्रिका में कुछ पुराने उपनिवेश लौटा देने चाहिए, जिससे उसकी शक्ति के प्रयुक्त होने

के लिए एक मार्ग खुल जाय ।”—Daily Herald, 20th July, 1933.

सन १९३४ में भी सर टामस मोर जनता को इसी प्रकार शांति का झूठा सपना दिखा रहे थे । तारीख १८ फ़रवरी को उनका एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसका शीर्षक था “हिटलर को एक मौका दो ।” इसमें उन्होंने लिखा था कि “मैंने अपना सब प्रकार से संतोष कर लिया है कि हर हिटलर एक बहुत ही सच्चा और ईमानदार आदमी है ।” कदाचित् सर टामस ने हर हिटलर का लिखा हुआ “मीन कैम्फ़” (Mein Kampf) नहीं पढ़ा, जिसमें वह कहता है:—

“असत्य पर विश्वास जमाने के लिए एक निश्चित साधन उस असत्य का आकार है । . . . कारण कि जन सधारण का विशाल समूह अपने हृदय की पुरानी सिध्दाई में एक छोटे असत्य की अपेक्षा एक बड़े असत्य का जल्दी शिकार बन जाता है ।”

अन्य पार्लिमेंटी अनुदार सदस्य भी आगे वाले योरोपीय युद्ध के भय से विलकुल बेफ़िक्र थे और मध्य योरोप में जनतंत्र शासन के नाश को बुरा न समझ कर उसी रास्ते पर अपने देश को भी चलने के लिए मलाह दे रहे थे । उदाहरणार्थ सन १९३४ में सर आर्नल्ड विल्सन नामक एक अनुदार पक्षीय पार्लिमेंट के सदस्य ने जर्मनी के सम्बंध में अपने विचार रेडियो द्वारा प्रकट किये थे । इस पर ‘मिंचेस्टर गार्जियन’ पत्र की टिप्पणी इस प्रकार निकली थी :—

“नवीन शासन का यह गुण-गान आज तक हमने जो कुछ सुना था उसमें सब से चोखा निकला । सर आर्नल्ड विल्सन को कहीं एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो असंतुष्ट हो । × × जो कुछ उन्होंने सिद्ध करना चाहा वह यह था कि जर्मनी में सैनिकता कहीं भी नहीं है । अंग्रेज़ श्रोताओं पर उनकी इस सलाह का कदाचित् कुछ भी प्रभाव न पड़ेगा कि हमें जर्मन पद्धति का अध्ययन करके और

उसे काट-छाँट कर स्वयं अपने काम में लाना चाहिए ।—(मई २४, १९२४) ।

सन १९३५ में भी, जिस समय जर्मनी का शस्त्रीकरण बहुत कुछ आगे बढ़ चुका था, सर आर्नल्ड को साम्राज्य के लिए भय की कोई संभावना नहीं दिखाई दी :—

“अपनी निज की जर्मन यात्राओं में उन्हें यह भाग्ण हो गयी थी कि किसी भी बड़े राष्ट्र से हमारे लिए युद्ध की इतनी कम संभावना नहीं है जितनी जर्मनी में ।”—३ री मई सन १९३५ के टाइम्स नामक पत्र से उद्धृत ।

म्यूनिख का समझौता हो चुकने के बाद भी आर्नल्ड विल्सन हमें यही समझाते रहे कि “वह इस बात पर विश्वास नहीं करते कि जर्मनी की नीयत ब्रूटेन अथवा ब्रूटिश सम्राज्य में मुक्तावला करने की है ।” और दिसम्बर सन १९३८ में उन्होंने यह भी कहा कि जर्मनी को समझौते के तौर पर उसके पुगने उपनिवेश वापस कर देने चाहिए ।

यहाँ तक कि जिस समय चेकोस्लोवाकिया पर जर्मन सेना का अधिकार हो जाने के कारण समस्त इंगलिस्तान में प्रतिवाद का एक तूफान सा उमड़ उठा था और म्यूनिख समझौते के पक्षपातियों तक के नेत्र खुल गये थे, उस समय भी कितने अनुदार-पक्षीय लोग यही राग अलाप रहे थे कि हिटलर की नीति से इस देश (अर्थात् इंग्लैंड) को कोई भय नहीं है । मिस्टर एनीमले सोमरविल (Annesley Somerville, Conservative M. P.) ने कामन्स सभा की एक बहस में, जो चेकोस्लोवाकिया पर जर्मन अधिकार हो जाने के बाद ही की गयी थी, इस प्रकार कहा था :—

“हमें चाहिए कि हिटलर को हम जितना वह दक्षिण-पूर्वीय योरोप में आगे बढ़ सकता है बढ़ने दें । व्यापार में हमारा हिस्सा फिर भी बना रहेगा.....इससे निश्चय है कि उसके मार्ग में विरोध और कठि-

नाइयाँ स्वयं बढ़ जाँयगी । किंतु जितना ही अधिक हम उसका विरोध करेंगे उतना अधिक उसका विरोध कमज़ोर पड़ जायगा ।”

एक दूसरे अनुदार सदस्य मिस्टर एस० एस्० डे चेरर ने भी इसी अवसर पर कहा था :—

“मेरा ऐसा खयाल नहीं है कि हिट्लर का इरादा इस देश की हुकूमत से मुकाबला करने का है !”—मार्च १५ सन् १९३६ को होने वाली कामन्स सभा की बहस में ।

२४ फ़रवरी सन् १९३७ को एक मज़ेदार रस्म-अदाई की गयी थी । इसमें “जर्मन राजदूत ने चमड़ा बेचने वालों की कम्पनी के ओर से सर क्लाड हॉलिस (Sir Claude Hollis, G. C. M. G., C. B. E.) द्वारा अर्पित किये गये एक भंडे को स्वीकार किया था । इस रस्म अदाई में फ़ेलोशिप के चेररमैन लार्ड माउन्ट टेम्पल का भी पूरा सहयोग था ।”

ऊपर जिस ‘फ़ेलोशिप’ का उल्लेख किया गया है वह एंग्लो-जर्मन फ़ेलोशिप है । सर टामस मोर एम० पी०, लार्ड रंडिसडेल तथा लार्ड माउन्ट टेम्पल सभी इस संख्या के मेम्बर हैं ।

“एंग्लो-जर्मन फ़ेलोशिप का उत्पत्ति नाज़ी शासन की स्थापना के बाद हुई है और न्यूनाधिक रूप में वह पुरानी एंग्लो-जर्मन सोसाइटी का स्थानापन्न है, जिसके अध्यक्ष लार्ड रीडिंग थे । नाज़ी-विद्रोह के पश्चात् इसका काम काज सब बंद हो गया था । इसके अंग्रेज़ सदस्यों में श्रीयुत् अर्नेस्ट टेनेन्ट हैं, जो उसके एक अवैतनिक मंत्री हैं, तथा मार्क्स आफ़ क्लाइन्सडेल और कई एक सिटी बैकर हैं, जिनमें मिस्टर सैमुअल गाइनेस का भी एक नाम है ।”—‘इवनिंग स्टैन्डर्ड’ (नवम्बर २८, सन् १९३५) ।

पुरानी एंग्लो-जर्मन सोसाइटी के बंद हो जाने का कारण यह था कि नाज़ी पक्ष इसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखता था और इसके कितने ही सदस्य भी हिट्लर के तरीकों को पसंद नहीं करते थे ।

अब उसके स्थानापन्न एंग्लो-जर्मन फ़ेलोशिप के उद्देश्य इसके वार्षिक रिपोर्ट में इस प्रकार बतलाये गये हैं:—

“यह बात ठीक है कि एंग्लो-जर्मन फ़ेलोशिप का कार्य राजनैतिक दलबंदी से बिल्कुल अलग है। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों जातियों में भ्रातृभाव की वृद्धि करना ही है, किंतु फिर भी उद्देश्य चाहे जितना अराजनैतिक हो, परंतु उसकी पूर्ति का महत्वपूर्ण परिणाम उनका नीति पर पड़ना अवश्यंभावी है।”

इसी की प्रतिमहयोगी संस्था, जो जर्मनी में स्थापित है, अंग्रेज़ी सदस्यों को दावते दिया करती है और साथ ही उन्हें “उग आन्दोलन के समझने में सहायता देती है, जो इन समय जर्मनी के जीवन को एक नये मार्ग में ढाल रहा है और उन्हें यह दिखाना चाहती है कि वहाँ के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किस प्रकार की सुधार करने वाली शक्तियाँ इस समय काम कर रही हैं।”

न्यूज़ रिव्यू (News Review) अपने एक लेख में उक्त फ़ेलोशिप के अंग्रेज़ी सदस्यों का वर्णन इस प्रकार करता है:—

“..... (ये सदस्य) बड़े-बड़े ब्रिटिश व्यवसायपतियों के प्रसिद्ध नेता हैं, जिनका यह दावा है कि हिटलर का पन्ना न्याय की दृष्टि से “लाजवाब” है, और जिन्होंने लंदन में बड़े-बड़े अमीरी दंग पर मुमजित क्लब भी खोल रखे हैं, जहाँ नाज़ीवाद का प्रचार किया जाता है, तथा जर्मन राष्ट्रीय-समाजवाद (National Socialism) के मंत्रियों को दावते दी जाती हैं।”

—२३ जनवरी १९३६।

लार्ड लंडनडरी अपनी पुस्तक ‘हम और जर्मनी’ (‘Ourselves and Germany’) की भूमिका में अपने लिए लिखते हैं:—

‘पाँच मातृ से अधिक हुए जब से और विशेषकर सेन १९३५ से जब मैंने वायुमंत्रि (Air-ministry) के पद से इस्तीफ़ा दिया

था, मैं इस देश (अर्थात् इंग्लैंड) के लोगों को बराबर समझाता रहा कि जर्मनी और उसकी समस्याओं के विषय में समझदारी से काम लेना चाहिए ।”

नाज़ी और फ़ासिस्ट सरकारों ने अपनी-अपनी प्रजाओं को अन्य देशवासियों के सम्पर्क से बिल्कुल अलग कर रखा है । जब से नाज़ी-शासन का प्रारंभ हुआ, वैज्ञानिक और सामाजिक अध्ययन सम्बंधी अनेक संस्थाओं, शांति-परिषदों तथा अन्य सभी प्रकार की संभाओं ने अपनी-अपनी जर्मन शाखाएँ और सहयोगी समितियाँ तोड़ दीं । बात यह है कि वाह्यजगत् से किसी भी प्रकार के सम्बंध के लिए, जिसपर नाज़ी सरकार का आधिपत्य नहीं है, जर्मन में मनाही कर दी गयी है । किंतु एंग्लो-जर्मन फ़ेलोशिप से नाज़ी सरकार की विशेष सहानुभूति है, कारण कि इस संस्था में नाज़ी दल के ऐसे-ऐसे बड़े और प्रसिद्ध नेता मेहमान रहा करते हैं, जैसे—हर वान रिबेनट्राय; फील्ड मार्शलवान ब्लाम वर्ग; हरवान शैमर अन्ड ओस्टन (Herr Von Tschammer-und Osten); डाक्टर अन्स्ट वोर्मान इत्यादि ।

बदले में फ़ेलोशिप के भी अनेक सदस्य नाज़ी नेताओं के यहाँ मेहमान रह चुके हैं । उदाहरणार्थ लार्ड लंडनडरी ही जर्मनी में कई बार जाकर हिट्लर और जेनरल गेरिंग (Goering) के मेहमान रहे हैं । इनके अतिरिक्त जिन सदस्यों ने हिट्लर से भेंट की है इनमें लार्ड माउन्ट टेम्पल, सर बैरी डामवाइल, लार्ड ब्रोकेट, लार्ड स्टम्प, लार्ड मैकगाउन तथा लार्ड लोथियन के नाम भी गिनाये जा सकते हैं ।

अस्तु, उक्त संस्था का दो जातियों में भ्रातृभाव उत्पन्न करने का उद्देश्य मुख्यतः नाज़ी दल और अनुदार दल के कुछ नेताओं एवं व्यवसाय-पतियों के भ्रातृभाव में फलता-फूलता दिखाई पड़ता है ।

नाज़ी पक्ष एंग्लो-जर्मन फ़ेलोशिप के साथ क्यों इतनी अधिक सहानुभूति रखता है यह जानना कठिन नहीं । सब से पहले तो फ़ेलोशिप

यद्यपि अपने किसी नियम द्वारा नाज़ी सरकार की वाह्य अथवा आन्तरिक नीति का समर्थन करने के लिये वाध्य नहीं है, फिर भी वह उसके लिए इंग्लिस्तान में एक ऐसा व्याख्यान-मंच प्रयुक्त करता है, जहाँ से नाज़ी दल के नेतागण अपने सिद्धांतों का प्रचार कर सकें और अपनी शासन-पद्धति के लिए बृटिश जनता की सहानुभूति प्राप्त कर सकें। इसके १९३६-३७ के वार्षिक रिपोर्ट को तथा दैनिक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित रिपोर्टों को देखने से पता चलता है कि समय-समय पर इस संस्था ने इंग्लैंड में अनेक नाज़ी नेताओं के लिए सभाएँ संघटित की हैं और व्याख्यान कराये हैं। साथ ही अंग्रेज़ सदस्य भी जब-जब जर्मनी की सभाओं में गये हैं तो वहाँ हिट्लर, गेरिंग तथा अन्य नाज़ी नेताओं द्वारा उनकी आवभगत की गयी है।

दूसरा कारण इसके साथ नाज़ी सहानुभूति का यह है कि जर्मनी में नाज़ी पक्ष का प्रचार करने के लिए भी ऐंग्लो-जर्मन फ़ेलोशिप के सदस्यों के नाम से लाभ उठाने का अवसर मिलता है। उदाहरणार्थ, सन् १९३८ में नाज़ी वार्षिकोत्सव के समय पर प्रसिद्ध जर्मन पत्र Berliner Tageblatt में बृटिश नेवल इन्टेलिजेंस के डायरेक्टर सर बैरी डामविल तथा मार्क्स आफ़ लंडनडरी के बधाई सवांद छापे गये थे। स्वयं वान रिवन ट्राप ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि जर्मनी को राजनैतिक क्षेत्र में ऐंग्लो जर्मन फ़ेलोशिप से अत्यधिक सहायता मिली है।

नाज़ी सरकार को यह कहने का अवसर मिल गया है कि उसके पुराने उपनिवेशों को लौटाने का समर्थन कितने ही इंग्लैंड तक के नेता कर रहे हैं और इसी दलील से वह बृटिश सरकार पर भी बराबर अपना दबाव डालने का प्रयत्न करती रही। जिन अंग्रेज़ नेताओं के नाम से वह लाभ उठा रही थी, वे अनुदार पक्ष के पार्लियमंटी सदस्य एवं नवाब-मंडली के ही लोग थे।

अब ऐंग्लो-जर्मन फ़ेलोशिप का कुछ विशेष वृत्तांत देने एवं उसके सदस्यों की सूची प्रकट करने के पूर्व हम यह बतला देना चाहते हैं कि यह संस्था इंग्लिस्तान में अपने ढंग की केवल एक ही संस्था नहीं है। वस्तुतः इस देश में इस प्रकार की संस्थाओं की एक पूरी माला मी दिग्वाई देती है, जिनमें से यह भी एक है। अवश्य ही इसके स्थान सब से ऊँचा है, किंतु फिर भी स्थिति को पूरी तौर से समझने के लिए कुछ अन्य संस्थाओं के भी नाम दे देना आवश्यक जान पड़ता है निम्नलिखित संस्थाओं के नाम विशेष उल्लेख-योग्य जान पड़ते हैं:—

- (१) ऐंग्लो-जर्मन केमरेड शाफ्ट (Anglo-German Kamerad Schaft);
- (२) ऐंग्लो-जर्मन सर्किल (Anglo-German Circle).
- (३) ऐंग्लो-जर्मन एकेडमिक ब्यूरो (Anglo-German Academic Bureau),
- (४) दि लिंक (The Link).

इनमें सब से अधिक महत्वपूर्ण संस्था 'दि लिंक' है।

“..... एडमिरल सर बेरी डामविल, जो कि हर हिट्लर, हर वान रिबनट्राप, हर हिमलर तथा नवीन जर्मनी के अन्य नेताओं के दोस्त हैं, इस समय अपनी व्यक्तिगत मित्रता को बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसी से इसका नाम 'लिंक' (कड़ी) पड़ा। लिंक का निर्माण कई महीनों तक होता रहा। सर बेरी डामविल हिट्लर के यहाँ दो बार मेहमान रह चुके। अभी एक सप्ताह के लिए वह हर हिमलर के साथ हरिणों का शिकार खेलने गये थे।

“परिणाम यह हुआ कि केवल इंग्लैंड में ही इस संस्था का जोर नहीं बढ़ा, बल्कि जर्मनी में भी एक संस्था इसी ढंग की क्रायम कर दी गयी है।

“दि लिंक सर बैरी डामविल की पैदा की हुई चीज़ है । वही इसके जन्मदाता और अध्यात् हैं । कल उन्होंने मुझसे कहा था कि इंग्लैंड में यद्यपि ऐंजो-जर्मन संस्थाएँ बहुत सी हैं, किंतु उनके आपस में कोई सहयोग नहीं दीखता । यही कारण है कि हममें से कुछ लोगों को एक ऐसी संस्था स्थापित करने की आवश्यकता जान पड़ी जो वास्तव में लोकप्रिय हो । . . . लगभग एक हजार सदस्य तो हमारी इसी मभा के अब तक हो चुके हैं और इसकी शाखाएँ भी बर्मिंघम, माउथेन्ड, चेल्सी, तथा बेज़वाटर में खुल गयी हैं । इनके अनिरीक्त और भी शाखाएँ बेलफ़ास्ट, क्रायडन, मालन, अक्सफ़ोर्ड, एबर्डीन तथा केपटाउन में खुलने जा रही हैं ।

“हमें आशा है कि लंदन तथा देश के अन्य भागों में स्थित जर्मन लोग इस मभा के सदस्य हो जायेंगे । हममें वे अग्रज सदस्यों के साथ सामाजिक उत्सवों में, व्याख्यानो में तथा मिनेमा में मुलाकात कर सकेंगे ।

“..... हर हिटलर स्वयं इस आन्दोलन में अत्यंत दिलचस्पी रखते हैं ।”

—आब्मर्वर (Observer), २० नवम्बर मन १९३७ ।

यह सर बैरी डामविल माह्य अभी मंग १९३६ में ही मकारी नौकरी से रिटायर्ड हुए हैं । इसके पहले यह निम्नलिखित पदों पर काम कर चुके हैं:—

(१) कमिटी आफ़ इम्पीरियल डिफ़ेन्स के उपमंत्री, १९१२ से १९१४ तक ।

(२) डायरेक्टर आफ़ नेवल इन्टेलिजेन्स, १९२७-३० ।

(२) वार कालेज में कमांडिंग वाइस-प्रेडमिगल, १९३२-३४ ।

इस समय यह ‘दि लिंक’ के चेयरमैन हैं । अन्य सदस्यों की नामावली इस प्रकार है :—

(१) मर रेमन्ड बीजले वाइस चेयरमैन ।

(२) लार्ड रेंडमडे

(३) लार्ड मेम्पिल

(४) मी० ई० कैरोल

(५) प्रो० ए० पी० लागी

(६) ए० ई० आर० डायर

(७) आर्किबाल्ड क्रॉड

..... कौमिल (कार्य कारिणी)
के मदस्य ।

ऊपर जिन कौमिल के सदस्यों का नाम लिखा गया है वे सब ऐंग्लो-जर्मन फ़ेलोशिप के भी मेम्बर हैं । मिस्टर मी० ई० कैरोल 'ऐंग्लो-जर्मन रिव्यू' (Anglo-German Review) के सम्पादक भी हैं, जो 'दि लिंक' का मुख-पत्र है और जिसका भुकाव सदैव नाज़ी पक्ष की ही आंग दिशा में होता रहा है, तथा जिसे जर्मन विज्ञापन-दाताओं से भी भरपूर सहायता मिलनी रही है । यह पत्र हिट्लर और जर्मन-पत्रकारों का पक्ष लेकर बृटिश राजनीतियों को सदैव खरी-खोटी मुनाता रहा । चर्चिल साहब को भी इमने दुनिया का "निश्चयात्मक रूप से सब से भारी युद्ध-व्यमायी" बतलाया । अन्धनी एडेन साहब के विषय में इसने कहा था कि "परराष्ट्र-माच्य-पद के लिए यदि सब से दुर्भाग्य पूर्ण चुनाव किसी व्यक्ति का आज तक किया गया है तो वह इन्हीं का है ।"

जनतंत्रवादी सस्थाओं पर इस पत्र का बुरी तरह से आक्रमण होता रहा । चेकोस्लौ-वाकिया के प्रश्न पर साइनर मुसोलिनी ने एक बार कहा था :—

“मुझे विश्वास नहीं कि योरोप एक सड़े अंडे को पकाने के लिए अपने घर में आग लगा देगा।”

सड़े अंडे से यहाँ तात्पर्य चेकोस्लोवाकिया का है। इस कथन को उक्त पत्र ने 'सुंदर विचार' शीर्षक देकर छपा था और हमें 'महीने का सबसे शुद्ध भावनापूर्ण विचार' बतलाया था। डाक्टर बीनेस (Dr. Benes) पर इस पत्र की विशेष कृपा होती रही और उन्हें यह अपनी गालियों और कटूक्तियों में सदा ही मन्मानित करता रहा। यह डाक्टर बीनेस वही महापुरुष थे, जिन्होंने चेकोस्लोवाकिया जनतंत्र-शासन की नौका को उस समय भी सुरक्षित रखा था, जिस समय अन्य मध्य योरोपीय देशों में तानाशाही स्थापित हो चुकी थी।

सन १९३२ में यह पत्र लिथुआनिया के विरुद्ध जर्मन भांगों का समर्थन कर रहा था। अमेरिका की भाँ इन्होंने म्युंनक कांड के समय उसकी उचित मलाह के लिए हँसी उड़ाई थी तथा लार्ड वाल्डाइन ने जिस समय जर्मन यहूदियों और अन्य भागों हुए लोगों के पक्ष में अपनी अपील प्रकाशित की थी तब इन्होंने उनकी भी खबर ली थी। दिसम्बर सन् १९३२ में इन्होंने अनेक ऐंम लेख विशेषज्ञों से लिखवा कर प्रकाशित किये जिनके द्वारा इंग्लिस्तान के पत्रों और भाषणों की स्वतंत्रता पर ताला लगाने की भिफ़ारिश की गयी थी। एक लेख में मेजर जेनरल सर वाइन्डम चाइल्ड्स (Major-General Sir Wyndham Childs) ने कुछ ऐसी विधियाँ तजवीज़ की थीं जिनमें योरोपीय डिक्टेटों के विरुद्ध आक्षेप करने के लिए अग्नेयी पत्रों पर मानहानि का क़ानून प्रयुक्त किया जा सकता था। जनतंत्रवाद पर तो इस पत्र का आक्रमण ग्वुल्लमग्वुल्ला और मर्दव बुरी तरह से होता रहा। राष्ट्रसंघ (League of Nations) के सम्बंध में इन्होंने लिखा था :—

“राष्ट्रसंघ-स्थापन की कल्पनाकुछ ऐसे 'विचारवानों' के

मस्तिष्क की उपज थी जो ब्रिटेन और अमेरिका की दुर्भाग्यमूर्तियाँ कहे जा सकते हैं।'

कामन्स सभा के अनेक अनुदात्तपक्षीय सदस्यों ने एंग्लो-जर्मन रिब्यू का पक्ष समर्थन करने और उसकी जर्मनी के साथ समझौते वाली नीति की प्रशंसा करने के लिए अपने-अपने मंदेश भेजे थे, जिनमें से निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम विशेष उल्लेख योग्य हैं :—

- (१) जाफ्रे हचिन्सन (Mr. Geoffrey Hutchinson);
- (२) टामस मैग्ने (Mr. Thomas Magnay);
- (३) सर हेनरी पेज क्रॉफ्ट (Sir Henry Page Croft);
- (४) सर जे वार्डला मिलने (Sir J. Wardlaw-Milne);
- (५) मिम थेलमा कैज़लेट (Miss Thelma Cazolet);
- (६) सर टामस मोर (Sir Thomas Moore);
- (७) सर अर्नेस्ट बेनेट (Sir Ernest Bennet);
- (८) कैप्टेन ए० एच० एम० रेम्ज़े (Capt. A. H. M. Ramsay);
- (९) सर फ्रैंक सैंडर्सन (Sir Frank Sanderson);
- (१०) सर जे० स्मिडली क्रूक (Sir J. Smedley Crook);

इनके अतिरिक्त लार्ड्स सभा के भी बहुत से सदस्य इनमें शामिल थे।

एंग्लो जर्मन रिब्यू का मुद्रण और प्रकाशन लिंक हाउस, स्ट्रैंड, लन्दन (W.C. 2) में हुआ करता है।

इस प्रकार एक ओर तो ब्रिटिश सरकार नाज़ी शक्ति का नुक्काबला करने के लिए प्रचंड मैनिफेस्ट तैयारियों कर रही थी और दूसरी ओर उसके कितने ही अनुदार नेता ऐमी-ऐमी मंस्थाओं के सदस्य बने हुए थे तथा उनकी सहायता करते थे, जो इंग्लिस्तान में नाज़ीवाद का प्रचार करने के लिए सब प्रकार के साधन प्रयुक्त कर रही थीं।

एंग्लो जर्मन फ़ेलोशिप, जैसा कि पहिले लिख आये हैं, इस प्रकार की संस्थाओं में सब से महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी सभाओं द्वारा बड़े-बड़े नाज़ी नेता जर्मनी की वाह्य और आंतरिक नीति की खूबियों का इंग्लिस्तान में प्रचार किया करते थे।* उनके लेखों और ग्रंथों की भी इसी संस्था द्वारा इंग्लिस्तान में प्रसिद्ध की जाती थी। फ़ासिस्ट फ़िल्मों का भी प्रदर्शन होता था। तथा "जर्मन शिक्षा विभागों" का व्याख्यान भी अग्रेज़ अध्यापकों के लिए कराया जाता था। न्यूरम्बर्ग के नाज़ी कांग्रेस में इस संस्था के तमाम सदस्यों को निमन्त्रित किया जाता था।

हाउस आफ़ कामन्स के अनुदार पक्षीय सदस्यों में से तीन व्याक्त इस संस्था की कार्य-कारिणी कार्डान्सल के मन्बर और लगभग २५ व्यक्ति इसके साधारण मन्बर हैं। हाउस आफ़ लार्ड्स के सदस्यों में तो इन मन्बरों की संख्या और भी अधिक है। इनके आंतरिक बहुत से अन्य नवावी घरानों के आदमी भी इस संस्था के मन्बर हैं। लार्ड हर्लीफ़क्स† भी इस संस्था में आतिथ रूप से रह चुके हैं।

उपरोक्त सदस्यों में से अधिकांश बड़े-बड़े व्यवसायपतियों, ताल्लु-केदारों, जर्मादारों एवं बृटिश नवाबों के ही नाम हैं। इससे केवल उक्त संस्था को शाक्त की विशालता ही नहीं प्रकट होती, बल्कि यह भी विदित होता है कि बृटिश समाज का कौन सा वर्ग ऐसा है जो नाज़ी पक्ष का मित्र है और जिसके लिए उक्त संस्था एक मधुदन क्षेत्र तैयार कर रही है।

*नोट - अब जर्मनी के साथ युद्ध छिड़ जाने के कारण यह प्रचार-कार्य स्वभावतः बंद है।

† यह लार्ड हर्लीफ़क्स वही है जो भागतवर्ष में लार्ड अविन के नाम से पहिले वाइसराय रह चुके हैं।

नाज़ी पक्ष का खुल्लमखुल्ला समर्थन करने वाले केवल मुट्टी भर ही अंग्रेज़ हैं, किंतु म्यूनिख की समझौते वाली सरकारी नीति ने यह मित्र कर दिया है कि इन्हीं मुट्टीभर लोगों का अंग्रेज़ी हुकूमत पर कितना ज़बरदस्त प्रभाव है। अधिकांश अनुदार-पक्षीय पार्लिमेंट के सदस्यों ने भी इस सरकारी नीति का समर्थन कर के प्रकट कर दिया कि वास्तव में वे भी इन्हीं मुट्टी भर लोगों की विचारशैली के अनुकरण करने वाले हैं। केवल २० अनुदार सदस्य ऐसे थे जो इस प्रश्न पर कामन्स सभा में वोट लिये जाने के समय तटस्थ रहे। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी थे, जिनको फ़ामिस्ट शत्रु की कृपादृष्टि की अपेक्षा साम्राज्य-रक्षा की ही अधिक चिंता थी।

अनेक अनुदार सदस्य केवल जर्मनी के ही नहीं, वरन् उसके मित्रों के भी हिमायती हैं। ये मित्र इटली, जापान, और फ्रांको-शासित स्पेन हैं। इन्हीं पर जर्मनी को सब से बड़ा भरोसा है। हर हिटलर का कहना है कि “वह मित्रता, जिसका उद्देश्य भावी युद्ध न हो, बिल्कुल अर्थहीन और अनुपयोगी है। अस्तु, प्रकट है कि रोम, बर्लिन और टोकियो की मित्रता युद्ध में एक साथ रहने वाली मित्रता है। फ्रांको को भी इन्होंने अपना मित्र बना रखा है, कारण कि स्पेन की भौगोलिक स्थिति बृटेन और फ्रांस के लिए मार्मिक होने कारण के इनके लिए भी महत्वपूर्ण है। अस्तु, अनुदार पक्ष के पार्लिमेंटी सदस्यों में जर्मनी के साथ-साथ इटली, स्पेन और जापान के भी हिमायती पाये जाते हैं।

उदाहरणार्थ, वाई काउन्ट ईशर (Viscount Esher), जो कि ऐंग्लो जर्मन फ़ेलोशिप के भी एक सदस्य हैं, चीन पर जापानी आक्रमण का समर्थन इस प्रकार करते हैं :—

“.....जापान को अपनी व्यवसायी जनता का हितरक्षण करने के लिए एक बहुत बड़े व्यापार-क्षेत्र की ज़रूरत थी। अतएव उत्तरीय चीन के अ विकास प्राप्त क्षेत्र की ओर उसकी दृष्टि जाना बिल्कुल स्वाभाविक था।”—दि टाइम्स, जुलाई १, १९३८।

इटली के हिमायतियों ने 'इटली-मित्रमंडल' (Friend of Italy) नामक इंग्लैंड में एक अलग संस्था ही बना ली है। इस संस्था के अवैतनिक सभापति और कर्ता धर्ता सर हैरी ब्रिटेन (Sir Harry Britain) हैं, जो एंग्लो जर्मन फ़ेलोशिप के भी एक सदस्य हैं। इसी फ़ेलोशिप के एक दूसरे सदस्य लॉर्ड माटिसोन (Lord Mattison) ने भी हाउस आफ़ लॉर्ड्स में अवीमिनिया पर इटली के आक्रमण का समर्थन इस प्रकार किया था :—

“एक ओर रक्त के प्यासे कगड़ों अत्याचारी (अर्थात् अवीमिनियन) थे, जिनकी सहायता के लिए शास्त्रास्त्र भेजने का प्रस्ताव किया जा रहा था, और दूसरी ओर वह आदरणीय और दयावान (इटैलियन) सेना थी, जो अपने एक लाख या डेढ़ लाख आदमियों की उदरपूर्ति का प्रश्न सामने रहते हुए भी यह कह रही थी कि जो लोग उसकी शरण में आयेंगे वे भी उसके भोजन में हिस्से पायेंगे।..... यह एक बड़ी नीच बात थी कि इन झूठे और पाशवी मनुष्यों के लिए तो हथियारों की खानगी होने दी जाय और उन दूसरे लोगों के लिए इसकी मनाही कर दी जाय, जो एक आदरणीय कार्य में लगे हुए थे।”—टाइम्स २६ अक्टूबर १९३५।

एक दूसरे अनुदार पार्लियमंटी सदस्य सर आर्नल्ड विल्सन भी इसी प्रकार अवीमिनिया को इटली के हाथ में पूरी तौर से छोड़ देने के लिए जोर दे रहे थे।

जर्मनी और इटली को जो सब से बड़ी चिंता इधर कुछ वर्षों से व्याकुल कर रही थी, वह वस्तुतः कुछ नये-नये और श्रेष्ठतर जहाज़ी अड्डों को प्राप्त करने की चिंता थी, जैसा कि मैनिंक विद्या सम्बंधी एक जर्मन ग्रंथ (German “Handbook of Modern Science”, 1936) में कहा भी है :—

“बड़ी-बड़ी नौसैनिक शक्ति राष्ट्रों की विदेशी नीति के स्थिर करने में जहाज़ी अड्डों की प्राप्ति का प्रश्न एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कभी-कभी निर्णयात्मक भाग लिया करता है !”

यह प्रश्न रोम-बर्लिन गुट्ट की नीति को स्पेन में मुख्यतः संचालित कर रहा था एक प्रसिद्ध इटैलियन जनरल (General Ambrogio Borlotti, quoted in 'Il Mediterraneo', February, 1938) का स्वयं कहना है :—

“हमें स्पेनियों पर अपना प्रभाव जमा रखना ज़रूरी है, नहीं तो हम भूमध्य-सागर को कदापि मुसोलिनी के शब्दों में 'इटली की झील' नहीं बना सकते। अस्तु, यही कारण है कि आज हम फ्रांको की मदद कर रहे हैं।”

अंग्रेज़ों की कुछ अनुदार मंडली फ्रांकों को किसी प्रकार का लालच देकर फुसला लेने की बात सोचती है, किंतु यह केवल उनका भ्रम ही भ्रम है। एक रोम का पत्र (Relazioni-Internazionali) अपने १२ फ़रवरी सन् १९३६ के अंक में इस प्रकार के विचारवालों की खिल्ली उड़ा कर लिखता है :—

“जनतंत्रवादी महाशयो ! हम आनन्दपूर्वक आप को बतला देना चाहते हैं कि आपकी रिश्वत देने वाली इस आखिरी कोशिश का भी बदला हम पूरी तौर से ले लेने वाले हैं। कारण यह कि छुरी की बंट अब हमारे ही हाथ में है। स्पेन की यह विजय फ्रांसिस्ट-विजय है, यह बात तुमको सदा ध्यान में रखनी होगी।”

जर्मनी और इटली स्पेन में जाकर केवल इसलिए लड़ेंगे कि वहाँ वे अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकें और सैनिक एवं व्यापारिक दृष्टि से कुछ लाभ उठा सकें। अस्तु, जो लाभ वे वहाँ प्राप्त कर चुके हैं, उसकी रक्षा के लिए भी वे अब अवश्य ही लड़ेंगे। ब्रिटिश सरकार को यह बात कितनी ही बार याद रखा दी गयी थी कि अगर जनतंत्र-

वादी शक्तियाँ उस समय तक चुपचाप बैठी रहेंगी जब तक कि फ्रांको स्पेन में निश्चितरूप से विजयी न हो जाय, तो फिर उस देश से जर्मनी और इटली के पैरों को उखाड़ना एक कठिन समस्या हो जायगी। इस सम्बंध में प्रोफ़ेसर ब्रायलो (जो आक्सफ़ोर्ड युनिवर्सिटी में अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून के प्रोफ़ेसर हैं), कैप्टेन बी० एच० लिडेल हार्ट (जो लंदन के टाइम्स पत्र के सैनिक संवाद-दाता हैं), तथा मिस्टर जे० एमिलिन जोन्स (जो कार्डिफ़ चैम्बर आफ़ कामर्स के अध्यक्ष हैं) के हस्ताक्षर से जो बयान निकला था, उसमें से निम्न लिखित उद्धरण ध्यान देने योग्य है :—

“एक फ़ासिस्ट स्पेन इटली के साथ मैत्री जोड़ कर हमारे सामुद्रिक आवागमन को असम्भव नहीं तो कष्टसंभव अवश्य बना देगा। उस समय जिब्राल्टर में हमारा समुद्री अड्डा कायम न रह सकेगा और इंगलिस्तान से लेकर सिकन्दरिया तक, लगभग ३००० मील की दूरी में, हमारे पास एक भी समुद्री अड्डा न रह जायगा। इसके साथ ही स्पेन के पूर्वीय तटों पर स्थित तथा बेलियारिक द्वीपों के सामुद्रिक और हवाई अड्डे हमारे लिए भूमध्य सागर से होकर आने-जाने का मार्ग खुला रखने और वहाँ अपनी शक्ति को सुरक्षित रखने के काम में भारी अड़चन पैदा कर देंगे। फ्रांस के लिए भी इसी तरह अपने अफ्रीकन उपनिवेशों के साथ आमद-रफ्त कायम रखना भयपूर्ण बन जायगा। उत्तमाशा अंतरीप (Cape of Good Hope) से घूम कर जो दूसरा रास्ता पूर्व को जाने वाला है वह भी उस समय खतरे से खाली न रहेगा, जब स्पेन के पश्चिमी तटों और कनारी द्वीपों की हवाई सेना और जलमग्न नौकाएँ अपना-अपना आक्रमण आरम्भ कर देंगी। उधर फ्रांस को भी अपनी तीनों ओर की स्थल-सीमाओं को बचाने की चिन्ता पड़ जायगी, कारण कि उसके तीनों ओर शत्रुओं का एक घेरा सा बन जायगा। अस्तु, सैनिक दृष्टि से स्पेन का मित्र बना रहना ही हमारे लिए वांछनीय है, उसकी

साम्राज्यशाही के कर्णधार

तटस्थता हमारे लिए नितांत आवश्यक है ।

किंतु फ्रांको, जो इस समय अपनी युद्ध सामग्री एवं सैनिक सहायता के लिए पूर्णतया इटली और जर्मनी पर निर्भर है, योरोपियन युद्ध के समय अपने को, इच्छा रहते हुए भी किसी प्रकार उनसे तटस्थ न रख सकेगा ।”

इस प्रकार की जोखिम इंग्लिशतान के लिए जेनेरल फ्रांको की विजय से होते हुए भी पार्लिमेंट के कितने ही अनुदार-पक्षीय सदस्य स्पेनी युद्ध के समय फ्रांको की प्रत्येक जीत का स्वागत किया करते थे और कहते थे कि :—

“हम तो ईश्वर से मना रहे हैं कि स्पेन में विजयश्री फ्रांको के ही हाथ लगे, और जितनी ही जल्दी यह विजय मिले उतना ही अच्छा है ।”

—सर आर्नल्ड विल्सन एम० पी० का कथन मेंचेस्टर गार्जियन पत्र के ११ जून सन् १९३८ के अंक से उद्धृत ।

यही नहीं, इन अनुदार नेताओं ने फ्रांको का पक्ष समर्थन करने, उसकी लोकप्रियता बढ़ाने एवं उसे सहायता देने के लिए भी इंग्लैंड में तीन-तीन संस्थाएँ कायम कर रखी थीं, जिनके नाम थे :—

- (१) राष्ट्रीय स्पेन-मित्र-मंडल (Friends of National Spain);
- (२) स्पेनी बाल-स्वदेशागमन-समिति (Spanish Childrens Reparation Committee);
- (३) संयुक्त ईसाई मोर्चा (The United Christian Front);

इन संस्थाओं की संचालक समितियों में पार्लिमेंट के निम्नलिखित अनुदार पक्षीय नेतागण सदस्य बने हुए थे :—

- (१) कैप्टेन विक्टर कैज़ेलेट (Captain Victor Cazalet);
- (२) सर हेनरी पेज क्रॉफ्ट (Sir Henry Page Croft);

- (३) मिस्टर ए० टी० लेनक्स-बायड (Mr. A. T. Lennox Boyd);
- (४) मि० आर० ग्रांट फेरिस (Mr. R. Grant Ferris);
- (५) सर नायने स्टुअर्ट सैन्डमैन (Sir Nairne Stewart Sandman);
- (६) मि० अल्फ्रेड डेनविल (Mr. Alfred Denville);
- (७) कैप्टे० ए० एच० एम० रैम्से (Capt. A. H. M. Ramsay);
- (८) वाईकाउन्ट वुल्मर (Viscount Walmer);
- (९) लेफ्ट० कर्नल सी० आई० कर् (Lt.-Col. C. I. Kerr);
- (१०) कैप्टेन जे० एच० एफ० मैक् ईवेन (Capt. J. H. F. McEven);
- (११) वाईकाउन्ट कैसलरीग (Viscount Castlereagh);

किंतु जनरल फ्रांको के प्रति पार्लिमेंटी सदस्यों की सहानुभूति केवल इन्हीं व्यक्तियों तक सीमित नहीं है। अनुदार दल में इस प्रकार के लोगों की एक काफी अच्छी संख्या मौजूद है। उदाहरणार्थ हेनरी चैनन (Mr. Henry Channon) नामक एक अनुदार सदस्य का एक सभा में कहना था—

“फ्रांको का मैं स्वयं एक ज़बरदस्त पक्षपाती हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसी की जीत हो।”

जार्ज बाल्फोर नाम के एक दूसरे अनुदार-पक्षीय नेता ने भी कहा था—

“स्पेन के लिए फ्रांको एक बड़ा भारी काम कर रहा है।”

इसी प्रकार ए० सी० क्रासली, सर अल्फ्रेड नाक्स, पैट्रिक डोनर आदि अनेक अनुदार सदस्यों के भी बयान दिये जा सकते हैं। इन सब पर जर्मन और इटैलियन लेखकों के सिंहनाद, जनरल फ्रांको और उसके अधीनस्थ सेनापतियों के भाषण, तथा स्वयं इंग्लैंड के विशेषज्ञों की चेतावनियाँ तक अपना कुछ अमर पैदा न कर सकीं। स्वदेश और स्वराष्ट्र की हितचिंता इनकी प्रतिक्रियात्मक चित्तवृत्ति की कठोरता के सामने विलकुल लाचार थी।

बृटिश सरकार स्पेन के गृहयुद्ध में अपनी नितान्त तटस्थता का विज्ञापन करती फिरती थी और इधर उसके चट्टे-वट्टे इस तटस्थता को ताक पर रक्वकर फ्रांको का पक्ष समर्थन करने में लगे थे और उसकी जय जयकार मनाया करते थे।

प्रतिक्रियात्मक स्वार्थ ने राजनैतिक बुद्धि को विलकुल अंधा कर दिया था, नहीं तो यह असंभव था कि ये राजनैतिक नेता इटली के प्रमुख व्यक्ति जनरल एटोरे ग्रासेट्टी (General Ettore Gra-ssetti) के निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान में न लाते, जो उसने मिलन-विश्वविद्यालय के एक सैनिक भाषण में कहा था:—

“सार्डीनिया और सिसली के पश्चिमी समुद्र तटों के साथ वेलियारिक द्वीपों की प्रणाली हमारे हाथ में एक ऐसी शक्ति दे देती है जिससे अंग्रेजों की जिब्राल्टर-माल्टा प्रणाली विलकुल बेकार हो जाती है। इस प्रकार पामा दि मेजोरिका (Pama de Majorirca) में इटली का प्रभाव और मलीला (Melilla) तथा स्यूटा (Ceuta) में जर्मनी का प्रभाव एक साथ मिलकर रोम-वर्लिन-गुट्ट की तत्काल को पश्चिम भूमध्य सागर तक फैला देते हैं, जिससे बृटिश प्रणाली की नस अपने मूलस्थान जिब्राल्टर में ही कट जाती है।

पार्लिमेंट के एक अनुदार सदस्य कैप्टेन विक्टर कैज़लेट (Cap-tain Victor Cazalet M. P.) ने फ्रांको को “हमारे पक्ष का वर्तमान नेता” कह कर पुकारा था। किंतु फ्रांको जिस पक्ष का

प्रतिनिधि है वह वास्तव में हिट्लर और मुसोलिनी का पक्ष है। बृटेन हिट्लर और मुसोलिनी को अपना शत्रु समझता है, किंतु वे अनुदार नेता उनके पक्ष को स्वयं अपना पक्ष मानते हैं।

बृटिश सरकार की ओर से यह कभी नहीं कहा गया कि "हम फ्रांको के हिमायती हैं"। वह केवल यही कहती आयी है कि 'फ्रांको के विरुद्ध स्पेनी प्रजातंत्र को सहायता देना हमारे लिए भयजनक होगा।' इसी प्रकार उमने यह भी कभी नहीं कहा कि 'हम हिट्लर के सहायक हैं।' केवल यही कहती आयी कि "चेकोस्लोवाकिया का पक्ष लेना हमारे लिए खतरे का काम है।" किंतु बहुत से अनुदार-पक्षीय पार्लिमेंट के सदस्य इस प्रकार उमाव-फिराव वाली बातें न कह कर विलकुल माफ़-माफ़ यह कह रहे थे कि 'हम हिट्लर, मुसोलिनी और फ्रांको के सहायक हैं'; और फिर भी वे ऊँचे-ऊँचे सरकारी अधिकारी पर पैठा दिये जाते थे तथा उपाधियों से विभूषित किये जाते थे। इस प्रकार उनके कहे हुए शब्द सरकारी दावे को विलकुल भूटा भिन्न कर देते हैं और सरकारी नीयत की भी अमलियत बतला देते हैं।

चेकोस्लोवाकिया बृटेन और फ्रांस का एक मित्र था, किंतु आज वही नाज़ी जर्मनी का एक टुकड़ा है। उसकी सेना में १,८०,००० सिपाही हर समय तैयार रहते थे और युद्ध के समय उसकी संख्या अनिवार्य सैनिक-भर्तों के द्वारा साढ़े बारह लाख तक पहुंचाई जा सकती थी। एक हजार से अधिक उसके पास लड़ाकू और बम बरगाने वाले हवाई जहाज़ भी थे और शस्त्रास्त्र के कारखाने तो उसके पास इतने ज़बरदस्त थे कि इटली के कारखानों से वे तिगुने बड़े कहे जा सकते थे। म्यूनिख समझौते के पहिले ये सब बृटेन और फ्रांस के लिये भली भांति काम में लाये जा सकते थे, किंतु आज वही जर्मन सेना की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। 'शूबर लाइन' (Schoeber Line) की क्लिन्वन्नी, जिसमें ८,००००००० पाँड का व्यय किया गया था, अब जर्मनी के राज्यांतर्गत है, प्रसिद्ध स्कोडा का फ़ौजी कारखाना जर्मनों के हाथ में है,

और रामायनिक वस्तुओं का तैयार करने वाला वह कारखाना भी, जो योरोप का दूसरा सबसे बड़ा रामायनिक कारखाना कहा जाता है, इस समय जर्मनी के अधीन है।

इन सब हानियों की पूरी ज़िम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की 'म्यूनिक्-समझौते वाली नीति' पर ही है। इसी नीति ने बृटेन को मध्य योरोप में उसके एकमात्र मित्र चेकोस्लोवाकिया से वंचित कर दिया है और इसी ने जर्मनी की सैनिक शक्ति को भी बेतरह बढ़ा दिया है। फिर भी अनुदार दल के नेताओं ने म्यूनिक् के इस समझौते को अपने पक्ष की एक भारी जीत मानी और उसका स्वागत किया तथा उसके लिये खुशियां मनाईं।

रूस भी सन् १९१४ के योरोपीय महायुद्ध में इंग्लैंड का एक मित्र था और पूर्वीय मोर्चे पर अपनी लगभग २० लाख सेना को जर्मनी के विरुद्ध बराबर तीन वर्ष तक लड़ाता रहा। उक्त समय यदि रूस इस प्रकार गहायता न देता तो इंग्लैंड और फ्रांस न जाने किस दशा को पहुंच गये होते। किंतु फिर भी अनुदार दल वाले आज उसी के साथ सहयोग करने के विरोधी हैं। वर्तमान युद्ध की नाजुक परिस्थिति भी उन्हें इसके लिए प्रेरित नहीं कर पाती। कारण प्रत्यक्ष है। वे रूस की वर्तमान शासन पद्धति को नापसंद करते हैं और उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। अतएव वे रूस के साथ आसद्धर्म के तौर पर भी कोई सैनिक मित्रता नहीं रखना चाहते—उस रूस के साथ जो आज सन् १९१४ की अपेक्षा कई गुणा शक्तिशाली है और युद्ध की सूरत में कायापलट पैदा कर सकता है। कोई दूसरी सरकार यदि ऐसी नाजुक स्थिति में होती तो मित्र पैदा करने के लिए तमाम दुनिया की खाक छान डालती, किंतु अनुदार ब्रिटिश सरकार की चित्तवृत्ति पर अनुदारता का बहुत ठोस आवरण चढ़ा हुआ है।

इस अनुदार चित्तवृत्ति की अंधता का प्रमाण अन्य बातों से भी बराबर प्रकट होता रहा है। जिस समय जर्मनी में हिटलर की सैनिक

तैयारियाँ की जा रही थीं, उस समय भी अनुदार ब्रिटिश सरकार ने उसे रोकने के लिये कोई उपाय नहीं किया। पिछले महायुद्ध में जनतंत्रवाद के नाम पर कैसर के साम्राज्य-स्वप्न को नष्ट करने के लिये करोड़ों आदमियों का खून बहा दिया गया था। किंतु आज हिटलर ने आगे से ज्यादा योरोप का जनतंत्रवाद अपने पैरों में कुचल डाला, और फिर भी अनुदार ब्रिटिश सरकार के कान में जू तक न रेंगी। यहाँ तक कि स्वयं एक अनुदार नेता मिस्टर चर्चिल तक को कहना पड़ा कि—

“राजनैतिक क्षेत्र में हिटलर का जिस समय आगमन हुआ था, उस समय जर्मनी मित्रों के पैरों पर लोट रहा था। अब कदाचित् यह दिन भी आने वाला है, जब योरोप का गचा-गुचा हिस्सा भी जर्मनी के पैरों पर लोटता दिखाई दे।

“पिछले महायुद्ध के बाद और विशेषकर पिछले तीन वर्षों में ब्रिटिश और फ्रेंच सरकारों ने जो सुस्ती और जो मूर्खता दिखलाई है, उसके बिना हिटलर की यह सफलता, या उसका किसी राजनैतिक शक्ति के रूप में जीवित रहना ही, कदापि संभव न हो सकता। हिटलर के पहिले जो कई एक दूसरी सरकारें जर्मनी में पार्लिमेंट की पदांत पर स्थापित की गयी थीं उनमें से एक के साथ भी समझौता करने का कोई सच्चा प्रयत्न नहीं किया गया।”

—नवम्बर १९३५

जर्मनी की जनतंत्रवादी सरकारों से अंग्रेज़ अनुदार शासकों ने कुछभी सहयोग या समझौता करने की कोशिश न की। प्रत्युत् हिटलर की उदीयमान शक्ति को मराहना कर कर के उमें बगवग प्रोत्साहित किया जाता रहा। राजनैतिक मामलों में अनुदार अंग्रेज़ शासकों की विचारशैली हिटलर की विचारशैली से बहुत कुछ मिलती-जुलती भी है, और इसी लिए उनमें एक पारस्परिक सहानुभूति का भाव पाया जाता है। अस्तु, इसी सहानुभूति के कारण इन अंग्रेज़ शासकों की

जिनका नाम अब बदल कर 'नागरिक सेवा समिति' (Citizen Service League) रख दिया गया है।

(२) नौसेनिक समिति (Navy League),

(३) उपनिवेश-समिति (Colonial League),

इन सब संस्थाओं के विचार बृटिश साम्राज्यशाही की रक्षा के विषय में तो प्रायः एकसे हैं और ये सभी उसकी आवश्यकता पर बराबर जोर भी देने रहते हैं, किंतु सैनिक दृष्टि से जो स्थान बृटेन के लिए मार्मिक कहे जा सकते हैं उनकी रक्षा के लिए इनमें अनेक प्रकार के मतभेद हैं।

इस प्रकार एक ओर तो अनुदारों की एक भारी संख्या बृटिश शासन पर अपना अधिकार जमाये है और जर्मनी तथा इटली को प्रसन्न रखने की नीति का पालन करती रही है, दूसरी ओर एक थोड़ासी संख्या ऐसे अनुदार लोगों की है जो सरकार की विदेशी नीति के विरोध हैं। किंतु दोनों ही अनुदायों में इतने प्रकार के विचार और मतभेद भरे हुए हैं कि सम्पूर्ण दृश्य केवल गड़बड़ी और उन्नतन से पूर्ण दिखाई देता है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि बृटिश सरकार की विदेशी नीति का विरोध करने वाले मुख्यतः उस वर्ग के लोगों में से हैं, जिनका बृटिश साम्राज्य में चारों ओर आर्थिक और व्यवसायिक स्वार्थ फैला हुआ है, या जो स्थल और सामुद्रिक सेना से संबंध रखते हैं अथवा जो कुछ थोड़े से स्वतंत्र विचार रखने वाले राजनीतिज्ञ पुरुष हैं। इसके विपरीत सरकार को खुशामद से भरी हुई विदेशी नीति का समर्थन करने वाले वे लोग हैं जो बड़े-बड़े व्यवसाय-पति और बैंकर हैं, तथा ऐसी व्यापारिक संस्थाएँ हैं जो या तो स्वयं सामूहिकरूप से अथवा जिनके डायरेक्टर गण व्यक्तिगतरूप से एंग्लो-जर्मन फ़ेलोशिप के सदस्य हैं। इनमें से जो व्यापारिक

संस्थाएँ सामूहिक रूप से इस फ़ेलोशिप के सदस्य हैं उनके नाम इस प्रकार हैं :—

बैंक

- (१) गाइनेस मेहोन ऐंड कंपनी (Guinness, Mahon & Co).
- (२) लैज़ार्ड बदर्स (Lazard Bros).
- (३) जे० हेनरी श्रूंडर ऐन्ड कंपनी (J. Henry Schroder & Co).

लोहे और इस्पात के कारबार

- (१) फ़र्थ-वाइकर्स स्टेनलेस स्टील्स (Firth-Vickers Stainless Steels).
- (२) सी० टेनेन्ट, सन्स ऐन्ड कंपनी, लिमिटेड (C. Tettnant, Sons Co., Ltd.)

अन्य बड़े फ़र्म

- (१) यूनिलिवर्स (Unilevers, Capital £ 67,000,000).
- (२) टामस कुक ऐंड सन (Thos. Cook & Son, Capital £ 1500,000),
- (३) कम्बाइन्ड इजिप्शियन मिल्स (Combined Egyptian Mills, Capital £ 2,500,000)
- (४) डनलप रबर क० (Dunlop Rubber Co., Capital over £ 12,500,000).
- (५) मेक् डौगल्लस Mc. Dougalls, Capital of holding Company nearly £ 2,500,000).

इनके अतिरिक्त कितने ही अन्य छोटे फर्म भी, जिनमें लाखों पाउण्ड की पूँजी लगी हुई है, इसी फ़्लोशिप के सदस्य हैं।

जिन व्यापारिक मंस्थाओं के डायरेक्टर अथवा प्रतिनिधि लोग व्यक्तिगत रूप से फ़्लोशिप के सदस्य हैं, उनकी सूची नीचे दी जाती है :—

(क) बैंक

- (१) बैंक आफ़ इंग्लैंड ।
- (२) मिड लैंड बैंक ।
- (३) लायड्स बैंक ।
- (४) बार्क्लेज़ बैंक
- (५) नैशनल बैंक आफ़ स्काटलैंड
- (६) जे० हेनरी श्रूडर ऐंड क० (J. Henry Schrider & Co.).
- (७) लैज़ार्ड ब्रदर्स । (Lazard Bros).
- (८) नैशनल बैंक आफ़ आस्ट्रेलिया ।
- (९) ब्रिटिश लिनेन बैंक ।
- (१०) रैली ब्रदर्स ।
- (११) काउट्स ऐन्ड क० (Coutts & Co).
- (१२) नैशनल बैंक आफ़ इंडिफ़्ट ।

(ख) बीमा कंपनी

- (१) कर्मशियल यूनियन ऐश्योरेन्स ।
- (२) लंदन एश्योरेन्स ।
- (३) ईगल स्टार (Eagle Star) ।
- (४) फ़ेनिकम एश्योरेन्स ।
- (५) लन्दन ऐन्ड लैंकशायर ।

(६) गार्जियन एश्योरेन्स ।

(७) नैशनल एम्प्लायर्स म्यूचुअल जेनरल एश्योरेन्स इत्यादि,
इत्यादि ।

(ग) अन्य फ़र्म

(१) लीवर ब्रदर्स ऐन्ड यूनि लीवर (पूँजी ६,७०,००,००० पौंड) ।

(२) इम्पीरियल केमिकल इन्डस्ट्रीज़ ।

(३) लंदन मिडलैड ऐन्ड स्काटिश रेलवे ।

(४) लंदन ऐन्ड नार्थ ईस्टर्न रेलवे ।

(५) शेल ट्रान्सपोर्ट ऐन्ड ट्रेडिंग कंपनी ।

(६) ऐंग्लो ईरानियन आयल क० ।

(७) टेट ऐन्ड लाइल ।

(८) हडसन बे ऐन्ड क० (Hudson's Bay Co.),

(९) डिस्टिलर्स क० (Distillers Co.) ।

(१०) गैस, लाइड ऐन्ड कोक क० ।

(११) दि डनलप रबर क० ।

(१२) पी० ऐन्ड आ० स्टीम नेविगेशन क० ।

(१३) वा० एस० ए० ।

(१४) इम्पीरियल एयरवेज़ ।

(१५) टेलीग्राफ़ कन्स्ट्रक्शन ऐन्ड मन्टिनेंस ।

(१६) टामस फ़र्म ऐन्ड जानब्राउन ।

(१७) विलियम वियर्ड मोर ।

(१८) कन्सेट स्पैनिश आर क० ।

इन कंपनियों के डायरेक्टर व्यक्तिगत रूप से फ़ेलोशिप के सदस्य हैं, अतएव इनके दूसरे डायरेक्टरों को जो सदस्य नहीं हैं अथवा स्वयं कंपनी को उसमें सम्मिलित नहीं समझना चाहिए । हाँ इनमें से कुछ कंपनियाँ ऐसी अवश्य हैं जो स्वयं सामूहिक रूप से भी फ़ेलोशिप की सदस्य है ।

यद्यपि बृटिश सरकार की 'ग्युशामद भरी' विदेशी नीति का समर्थन करने वालों की ऐसी ज़बरदस्त पल्टन मौजूद थी, किंतु फिर भी उनके विरोधियों की संख्या बराबर बढ़ती ही जा रही थी। बहुत से बड़े बड़े व्यवसायपति, जिनका कारबार साम्राज्य में चारों ओर फैला हुआ है, इस दुर्बल नीति का विरोध करने लगे। किंतु फिर भी इनका विरोध अधिकांश में कुछ खाम-खाम प्रश्नों पर ही हुआ करता था। जर्मनी को उपनिवेश लौटा देने के विरोधी संख्या में बहुत ज्यादा थे। किंतु फिर भी साम्राज्य की रक्षा के लिए रूस की सोवियट सरकार से मैत्री स्थापित करने या इसी प्रकार के अन्य आवश्यक उपायों का अवलम्ब लेने के पक्ष में एक भी अनुदार सदस्य अथवा व्यापारी फ़र्म देखने में नहीं आता था।

इस प्रकार हिट्लर और मुसोलिनी को बृटिश पार्लिमेंट के अंदर केवल अपने महायुक्तों का ही भरोसा न था। विरोधियों के पारस्परिक मतभेद और फूट का भी उन्हें पूरा पूरा लाभ मिलता था। स्पेन में हिट्लर और मुसोलिनी को जो सफलता प्राप्त हुई वह वहाँ के उन दक्षिणपन्थी राजनैतिक दलों की महायुक्तता से हुई, जो उन्हीं के से भिद्धान्तों को मानने वाले थे। चेकोस्लोवेकिया में भी हिट्लर को दक्षिण मार्गी सूडेटन-जर्मन और चेक लोगों की सहायता से ही सफलता मिली। अब बृटिश जनतंत्रवाद और साम्राज्य-रक्षा के प्रश्न को जो आपात पट्टा है वह भी इन्हीं दक्षिण-पन्थी अनुदार अंग्रेजों की नीति का फल है। जिन देशों को हिट्लर जीतना चाहता है, उन्हीं के राजनीतिज्ञों में वह पहले अपनी मित्र-संख्या बढ़ा लिया करता है।

फ़ासिस्टवाद या तानाशाही का पक्षपात ही अनुदार दल के अंग्रेजों को बृटिश सरकार की गृहनीति और विदेशी नीति का समर्थन करने के लिए प्रेरित करता रहा है। किंतु फ़ासिस्टवाद के प्रति यह सहानुभूति उनके मन में जनतंत्रवाद के भय के कारण ही उत्पन्न

हुई है। अनुदार-दल-वालों को गदा यह भय लगा रहता है कि कहीं जनतंत्रवाद का सिद्धांत उनके धन, अधिकार और राजनैतिक शक्ति को छीनने के लिए न प्रयुक्त किया जाय और उनको यह भी विश्वास हो गया है कि योरोप के किसी भी देश में एक शक्ति-शाली प्रजातंत्र-शासन की स्थापना उनके अधिकारों और उनकी शक्तियों को कमजोर बना देगी। योरोप की तानाशाही को जो सहायता वे पहुँचाया करते हैं वह वास्तव में वहाँ के धनी और सम्पत्तिशाली समूह की ही सहायता है। वे जानते हैं कि यदि योरोप में तानाशाही को सफलता न प्राप्त होगी तो इंग्लिस्तान के भी जर्मियों, नवाबों और पूँजीपतियों की खैर नहीं है। अस्तु, योरोपीय तानाशाही के प्रति उनकी खुशामदाना नीति वास्तव में आत्मरक्षा की स्वाभाविक प्रेरणा से ही उद्भूत हुई है।

अपने राजनैतिक दल की शक्ति को सुरक्षित रखने के लिए इन अनुदार अंग्रेजों ने अपने देश की और समस्त बृटिश साम्राज्य की रक्षा को जोखिम में डाल दिया है। वे हिटलर और मुसोलिनी की शक्ति को कुचलना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि इनकी तानाशाही के स्थान पर कोई प्रजातंत्रात्मक शक्ति न आये। वे बृटिश साम्राज्य को खतरों में डाल देना उतना बुरा नहीं समझते थे, जितना योरोप में किसी जनतंत्रात्मक शक्ति की सहायता करना बुरा समझते थे।

कुछ समय तक तो इन अनुदार अंग्रेजों को यह विश्वास था कि हिटलर अपने साम्राज्य-विस्तार के लिए पश्चिम की ओर न बढ़ कर पूर्व की ओर (अर्थात् रूस की ओर) बढ़ेगा। प्रमाणस्वरूप २० जुलाई सन् १९३६ के न्यूज़ क्रानिकल नामक पत्र में लार्ड माउन्ट टेम्पल (Lord Maunt Temple) का निम्न-लिखित कथन उद्धृत किया जा सकता है, जो उन्होंने १९३६ में फ़्लोरेंस की एक दावत के समय कहा था :—

“यदि आगे कोई युद्ध छिड़ेगा तो—मुझे वह नहीं कहना चाहिए जो मैं कहने जा रहा था—आशा है कि युद्ध के सामीदार बदल दिये जायँगे।”

इसी प्रकार सर आर्नल्ड विल्सन ने भी तारीख ११ जून सन् १९३८ के मँचेस्टर गार्जियन नामक पत्र में कहा था कि :—

“एकता की आवश्यकता। सब से अधिक है और आज संसार को भय वास्तव में जर्मनी या इटली से नहीं है, बल्कि रूस से है।”

कहना न होगा कि आज ये सारे स्वप्न भूठे प्रमाणित हो चुके हैं। पूर्व की ओर अर्थात् रूस के विरुद्ध आगे बढ़ने में जर्मनी के लिए क्या-क्या कठिनाइयाँ हैं इसे भी हिट्लर स्वयं बतला चुका है :—

“(१) रूस में अठारह करोड़ आदमियों पर अधिकार करने का सवाल पैदा होता है।

(२) रूस भौगोलिक रूप में भी आक्रमण से सुरक्षित है।

(३) सैनिक घेरे (blockade) से भी रूस का गला नहीं घोंटा जा सकता।

(४) इसके व्यवसाय-क्षेत्र हवाई आक्रमण से बरी हैं, कारण कि अधिकांश मुख्य-मुख्य व्यवसाय-क्षेत्र सीमा प्रांत से ४००० से लेकर ६००० किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित हैं।

“रूस के हाथ में खूब संघटित व्यापार है और उसकी स्थल-सेना टैंक-सेना तथा हवाई सेना भी पृथ्वी भर में सब से अधिक शक्ति-शाली है। ये बातें ऐसी हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।”—
Quoted in “Ourselves and Germany” 1938
by the Marquess of Londonderry, Penguin
Edition P. 88.

इस प्रकार जर्मनी के लिए रूस के विरुद्ध पूर्व की ओर बढ़ने की संभावना किसी समय भी अधिक न थी। पश्चिम में उसके लिए विशेष सुविधाएँ थीं, कारण कि वहाँ न केवल उसे इटली और फ्रांको-शासित स्पेन से तथा इटली और स्पेन के उपनिवेशों से ही सहायता मिलने की आशा थी, बल्कि पश्चिमी राष्ट्रों के उन राजनैतिक दलों का भी उसे बहुत बड़ा भरोसा था, जो हिट्लर से सहानुभूति रखते थे और देश को उसके हाथ में एक प्रकार से सौंपने के लिए तैयार थे।

जनतंत्रवादी देशों पर संकट पड़ने का मुख्य कारण उनकी आंतरिक अनेकता और शत्रुदल की एकता ही थी। यदि ब्रिटिश सरकार फ्रासिस्टवाद के अभ्युदय से भयभीत तमाम छोटे-बड़े जनतंत्रवादी देशों को एकत्र कर के उन्हें मैत्री द्वारा भली-भाँति संघटित कर लेता और फ्रांस के साथ-साथ रूस को भी अपना दोस्त बना लेता, जिसकी श्रेष्ठतर शक्ति का स्वयं हिट्लर भी कायल था, यदि चीन को वह अन्न और शस्त्र से सहायता पहुँचा कर जापान की शक्ति को कुंठित कर देता, और फ्रांस तथा रूसी सरकार की मदद से योरोप के उन छोटे-छोटे राष्ट्रों को भी अपने साथ मिला लेता, जो नाज़ी जर्मनी के अधिकार में उस समय तक नहीं आये थे, तो उसकी जल, थल और आकाश में ऐसी ज़बरदस्त शक्ति स्थापित हो गयी होती, कि उनके मुकाबले में हिट्लर को युद्ध छेड़ने का साहस कदापि न हुआ होता। साथ ही इटली और जर्मनी में भी फ्रासिस्ट और नाज़ी दल की शक्ति, जो अपनी बढ़ती हुई सफलता के कारण बराबर जोर पकड़ती जा रही है, उस समय ढीली और कमजोर पड़ जाती।

—:०:—

नवा अध्याय

सम्पत्ति और स्वदेश

पिछले अध्यायों से यह विदित हो गया होगा कि ब्रिटिश पार्लिमेंट के अनुदार दल में किस प्रकार के लोग भरे हैं। उनका जन्म, उनका वंश, उनकी शिक्षा, उनकी ज़मीन-जायदाद, उनकी व्यवसायिक सम्पत्ति, उनके पेशे और रोज़गार गवनों की जाँच करने से बस यही पता चलता है कि यह वर्ग ब्रिटिश द्वीप की शासक जाति का प्रतिनिधि है।

अनुदार पक्ष की सरकारी नीति वास्तव में अनुदार राजनैतिक नेताओं के सामूहिक हितों और विचारों का ही परिणाम है। उनके विचारों के परस्पर संघर्षण और कतर-व्यौत से जो सरकारी नीति स्थिर की जाती है, उसका मुख्य आधार इस वर्ग का सामूहिक स्वार्थ ही रहा करता है। अतएव अनुदार राजनैतियों का अध्ययन करने के लिए उनके इन्हीं सामूहिक स्वार्थों का अध्ययन सब से महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि इनमें कुछ इने-गिने लोग अपवाद स्वरूप भी पड़े हों अथवा एक या दो व्यक्ति अपने सिद्धांत के ऐसे पक्के हों कि अपने निजी स्वार्थों की परवाह न करके केवल सही रास्ते पर ही चलना चाहते हों, किंतु ऐशों का उस दल में बहुत ही अल्पमत रहता है इस कारण उनकी वहाँ पूँछ नहीं हुआ करती।

अनुदार दलवालों की अपार धन-सम्पत्ति, उनमें व्यापारिक कमाई की अपरिमित लालसा बृटेन और ब्रिटिश साम्राज्य में पैला हुआ उनका ज़मीन और जायदाद में भारी स्वार्थ तथा वंश परम्परागत रूढ़ियों और अधिकारों पर उनकी नितांत निर्भरता आदि कुछ ऐसी

बातें हैं जो उनमें सर्वत्र सामान्य रूप से पायी जाती है, और जो पग-पग पर सरकारी नीति को भी निश्चित करने में अपना ज़बर्दस्त प्रभाव रखती है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि किसी भी राजनैतिक दल के लिए, जिसके प्रतिनिधि समाज के किसी विशिष्ट वर्ग से चुने गये हों, यह एक विलकुल स्वाभाविक बात है कि वह अपनी रीति-नीति को सदा उसी वर्ग की इच्छाओं के अनुकूल बनाये रहे। यह सच है कि अंग्रेज़ी शासन-विधान में इसको उक्त गति नीति को अंग्रेज़ी जनता की इच्छाओं से बहुत कुछ नरम हो जाना पड़ता है। परंतु फिर भी अंग्रेज़ी पत्र-पत्रिकाओं पर अनुदार-पक्ष का व्यापक प्रभुत्व होने तथा प्रचार सम्बंधी अन्य कितने ही साधन उसके हाथों में रहने के कारण वह अंग्रेज़ी जनता के विचारों को भी अपने अनुकूल ही मोड़ लिया करता है।

अनुदार नेताओं का समान स्वार्थ उन्हें परस्पर ऐक्य में बाँध रखता है। इधर अनेक वर्षों से अनुदारों ने प्रायः सभी महत्वपूर्ण विषयों पर पार्लिमेंट के भीतर और बाहर अपनी अद्भुत एकता प्रदर्शित की है। इसी ऐक्य से उनके समान स्वार्थों की ज़बर्दस्त शक्ति का पता लगता है। अब हाल में इस दल के अंदर जो कुछ थोड़ा-बहुत मतभेद दिखाई देने लगे हैं वह भी वास्तव में कुछ भयंकर परिस्थितियों के दबाव से ही पैदा हुए हैं। कम से कम चेकोस्लावेकिया पर जर्मनों का अधिकार होने के समय तक तो प्रायः सभी अनुदार-पक्षीय जन अपने नेताओं के पक्षपोषण में विलकुल एक बने हुए थे।

पिछले अध्याय में हम देख आये हैं कि अंग्रेज़ी अनुदार-दल की विदेशी नीति प्रायः वैसी ही रही है, जैसी कि एक शक्ति-शाली धनिकों के समूह से स्वभावतः आशा की जा सकती थी। जेनरल फ्रांको, मुसोलिनी, हिट्लर एवं जापान के मिकाडों तक का समर्थन वे केवल इसलिए करते रहे कि वे उन्हें अन्य-देशीय धनिक वर्ग का संरक्षक समझा करते थे। उनका विश्वास था कि पृथ्वी के किसी भी

भाग में डिक्टेटरों की पराजय अथवा जनतंत्रवाद की विजय अंग्रेजी अनुदार दल के हक में अच्छी न होगी और उनकी शक्ति को इंग्लिस्तान में तथा साम्राज्य के अन्दर ज़रूर कमज़ोर बना देगी। अस्तु, वे इन डिक्टेटरों की भरपूर सहायता करने में लगे हुए थे।

जेनरल फ्रांको, मुगोलिनी और हिट्लर की कार्यशैली अंग्रेजी अनुदारों की कार्यशैली से बिल्कुल भिन्न है। फिर भी बहुत से अनुदार दल वाले इस कार्यशैली की सगहना किया करते हैं। इससे जनता के पक्ष वालों को मचेत हो जाना चाहिए और इन अनुदारों के हाथ में इतनी शक्ति न देनी चाहिए कि वे भी उक्त डिक्टेटरों की नक़ल करने लग जाँय। अभी से जब कभी अनुदारों के मार्ग में अड़चने आती हैं तो वे तानाशाही तरीक़ों को ही काम में लाने की सलाह दिया करते हैं। यद्यपि यह सच है कि इंगलिस्तान में यकायक फ़ासिस्ट राज्य का स्थापित होना जल्दी संभव नहीं, फिर भी एंग्लो जर्मन फ़ेलोशिप जैसी संस्थाओं का वहाँ स्थापित होना ही इस बात का परिचायक है कि बहुत से अनुदार दल वाले इंगलिस्तान में भी फ़ासिस्ट शासन क़ायम करने की चिन्ता में लगे हुये हैं।

अवश्य ही ऐसे लोगों की संख्या बृटिश जनता में केवल मुट्ठी भर है। यदि पार्लिमेंट में ये लोग अपने प्रतिनिधियों के बहुमत से किसी प्रकार का फ़ासिस्ट राज्य क़ायम करने की चेष्टा भी करें, तो किस शक्ति के आधार पर करेंगे? यदि शासन की बागडोर अनुदार दल के हाथ में हुई तो सरकारी सेना और पुलिस से ये अवश्य सहायता ले सकते हैं। किन्तु फ़ासिस्ट राज्य योरोप में केवल सेना और पुलिस के बल पर क़ायम नहीं है। कितने ही अन्य प्रकार के ऐसे विश्वासनीय और प्रभावशाली राजनैतिक साधनों का भी उसे पूरा भरोसा है, जो बृटिश अनुदारदल को अभी प्राप्त नहीं हैं।

इटली और जर्मनी में फ़ासिस्ट राज्य की स्थापना वहाँ के किसी प्राचीन राजनैतिक दल द्वारा नहीं की गयी थी। उदाहरणार्थ नाज़ी दल को ही देखिए। यह एक बिल्कुल ही नई पार्टी है, और इसने पहिले किसी समय भी शासन का कार्य भार नहीं सम्भाला। जर्मनी की जनता को अपने राज्य-शासन के प्रति अनेक प्रकार की शिकायतें थीं। इसी समय एक नये-नये क्रांतिकारी, उत्साह से शराबोर राजनैतिक दल के रूप में नाज़ी पार्टी का उदय हुआ था, जिसने तमाम पुराने-धुराने चूद्र राजनीतियों को नीचे ढकेल कर, जर्मन जनता की तमाम शिकायतों को दूर करने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। किन्तु इंग्लिस्तान में अनुदार दल न तो कोई नया दल है और न क्रांतिकारी होने अथवा नये विचार रखने का ही दावा कर सकता है। जो कुछ पुराने-धुराने राजनीतिज्ञ भी अंग्रेज़ी शासन की खराबियों के जिम्मेदार हैं, वे वस्तुतः इसी वर्ग के आदमी हैं। अस्तु, बृटिश जनता के कष्टों को दूर करने के लिए यह अपनी कार्यशैली के प्रति उनके मन में कोई विश्वास पैदा कर सके ऐसी सम्भावना नहीं जान पड़ती।

शक्ति प्राप्त करने के पूर्व हिटलर ने एक नवीन उत्साह से पूर्ण जबर्दस्त जन समूह को अपने पक्ष में कर लिया था। सन् १९३२ के अन्त तक नाज़ी पार्टी में लगभग दस लाख सदस्य बन चुके थे। सन् १९३२ में नाज़ी दल ने बर्लिन में जो समारोह किया था, उसमें भी कम से कम २,५०,००० सदस्य एकत्र हुए थे। अपने लाखों आदमियों को नाज़ी दल ने बिल्कुल मैनिफ़ेस्टो पर शस्त्रों से सुसजित और सुशिक्षित भी कर रखा था।

यहाँ बृटिश अनुदार दल के पास कोई ऐसी निज़ी शक्ति नहीं है, जिसकी नाज़ी मेना से तुलना की जा सके। यद्यपि कई एक मंडलियाँ अवश्य हैं, किन्तु कोई भी महत्वपूर्ण राजनैतिक फ़ासिस्ट दल अभी तक इंग्लिस्तान में नहीं कायम हो सका है। बृटिश

फ़ासिस्ट संघ (British Union of Fascists) भी इधर हाल में शक्तिशाली होने के बजाय कुछ कमज़ोर ही पड़ गया है।

इसके अतिरिक्त जिन चालबाज़ियों से हिटलर ने जर्मनी के एक ज़बर्दस्त जन समूह को अपने पक्ष में कर लिया था, वे भी अब पुरानी पड़ गयी हैं, और लोग अब उनसे सावधान हो गये हैं, कारण कि उन्होंने जर्मनी और इटली के लोगों पर उनका परिणाम अब काफ़ी तौर से देख लिया है। अस्तु, ब्रिटिश फ़ासिस्ट संघ की शक्ति के ह्रास का कारण केवल मज़दूर दल का संघटित विरोध ही नहीं था, बल्कि ब्रिटिश जनता के मन की वह स्वाभाविक घृणा भी थी, फ़ासिस्टों के योरोपीय कारनामों से उनके मन में आप से आप पैदा हो गई थी।

अंग्रेज़ी फ़ासिस्टों के लिए हिटलर की तरह कोई नवीन कार्यक्रम भी ब्रिटिश जनता के सामने रखना कठिन है। हिटलर अपनी पार्टी को 'सोशलिस्ट' और 'मज़दूर' पार्टी कह कर पुकारता था। किंतु इंग्लैंड में यदि इस प्रकार के किसी नाम से अब फ़ासिस्ट नीति का परिचालन किया जाय, तो लोग उमसे धोखे में नहीं पड़ सकते। हिटलर यह कह सकता था कि जर्मनों की तमाम मुसीबतें वासैलीज़ की संधि के ही कारण पैदा हुई हैं, कारण कि इस से उनके राज्य का अंग-भंग कर दिया गया था और उनके उपनिवेश एवं शस्त्रास्त्र छीन लिये गये थे। किंतु अंग्रेज़ी फ़ासिस्टों के लिए ऐसा कोई भी बहाना सामने नहीं दीखता।

इसके अतिरिक्त योरोप में होने वाली आधुनिक घटनाएँ भी ब्रिटिश जनता के हृदय को फ़ासिस्ट मत के विरुद्ध दिन पर दिन कठोर बनाती जा रही हैं, और अब वह संभव नहीं है कि अंग्रेज़ी जनता धोखे में आ कर किसी ऐसे आन्दोलन का समर्थन करे जो वास्तव में फ़ासिस्ट आन्दोलन का ही एक दूसरा रूप हो।

इस प्रकार इंग्लिस्तान में फ़ासिस्टवाद जारी करने के लिए अनेक कठिनाइयाँ हैं। संभव है कि लोगों को फ़ासिस्टवाद के लिए तैयार करने का उपाय तो धीरे धीरे काम में लाया जा सके, किंतु उमका वहाँ जारी करना अभी खतरे से खाली नहीं। हिट्लर ने केवल दो ही महीने में जर्मनी की तमाम जनतंत्रवादी संस्थाओं का मूलोच्छेद कर डाला था। इस दो महीने के भीतर उसने न केवल तमाम राजनैतिक दलों को ही नष्ट कर दिया था, बल्कि विद्वानों की तमाम सभाओं, सामाजिक क्लबों, खेल-कूद की संस्थाओं, परोपकारी संस्थाओं, तथा तमाम दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्रपत्रिकाओं के कर्मचारियों तक को निकाल कर उनके स्थान पर ऐसे आर्दमी नियुक्त किये थे, जिन्होंने नाज़ी मिद्वांतों के अनुसार ही कार्य करने की शपथ ले ली थी। एकमात्र चर्च को ही कुछ समय के लिए अछूता छोड़ दिया था, जिसमें केवल वही एक ऐसी संस्था बच गयी थी, जो अपने कर्मचारियों को स्वयं चुनकर नियुक्त कर सकती थी। किंतु आगे चल कर यहाँ भी जनतंत्रवाद का बचा खुचा अंश रहने देना नाज़ियों का भयजनक जान पड़ने लगा। अतएव प्रोटेस्टेंट चर्च का अब यह अधिकार छीन लिया गया है। केवल कैथोलिक चर्च बच रहा है, किंतु वह भी बहुत तंग हालत में दिखाई देता है।

अंग्रेज़ शासक-समुदाय यद्यपि विदेशों में अपने फ़ासिस्ट दंगत को प्रोत्साहित करने में काफ़ी सफल हुआ है, किंतु इंग्लिस्तान में उसे फ़ासिस्ट की भूमि तक तैयार करने में कोई विशेष सफलता नहीं मिली।

अंग्रेज़ फ़ासिस्टों के मार्ग में और भी बहुतेरी कठिनाइयाँ हैं। अंग्रेज़ी हुकूमत का सम्बंध केवल ब्रिटिश द्वीप के ही ४,५०,००००० आदिमियों से नहीं है। भारतवर्ष तथा उपनिवेशी साम्राज्य के भी ४५,००००००० व्यक्तियों को उस सम्हालना है इसके अतिरिक्त

स्वराज्य प्राप्त उपनिवेशों के साथ भी उसे अपना सम्बंध बनाये रखना है। साथ ही अनुदार अंग्रेजों को साम्राज्य के प्रायः हर एक भाग में अपनी ज़मीन—जायदाद और व्यवसायों की भी रक्षा करना आवश्यक है।

वर्तमान अंग्रेज़ी सैनिक तैयारियों का प्रत्यक्ष उद्देश्य बृटिश साम्राज्य की रक्षा करता है, यद्यपि अनुदार दल वाले और जनतंत्रवादी लोग दोनों ही यह अच्छी तरह जानते हैं कि यही सेना और हथियार किसी दिन स्वदेश अथवा विदेश के जनतंत्रवाद को भी कुचलने के लिए काम में लाये जा सकते हैं। किंतु साम्राज्य की भी रक्षा केवल हथियारों से ही नहीं की जा सकती। लाखों सिपाहियों मल्लाहों, उड़ाकुओं एवं कारखाने में काम करने वालों की भी इसके लिए बड़ी ज़रूरत रहा करती है। यह सच है कि बृटिश साम्राज्य में जहाँ ४५ करोड़ आदमियों की बस्ती है, सैनिकों और सिपाहियों की कमी नहीं पड़ सकती, किंतु फिर भी ध्यान रहे कि पिछले महायुद्ध में भारतवर्ष की “आंतरिक अवस्था” के कारण भारतीय सेना की भर्ती में बड़ी रुकावटें पड़ी थीं। आज भी भारतवर्ष, पैलेस्टाइन वेस्ट-इन्डोज़ तथा अन्य अंग्रेजी उपनिवेशों में अंग्रेज़ी हुकूमत कायम रखने के लिए सहस्रों बृटिश सैनिकों की आवश्यकता रहा करती है। इन देशों के प्रजा वर्ग में बृटिश साम्राज्य को बचाने की चिंता बहुत ही धीमी दिखाई देती है। जनतंत्र-शासन का इन देशों में अभाव होने के कारण यहाँ के निवासियों के सामने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके हेतु वे लड़ने में प्रोत्साहित हों और अपने प्राणों की बाज़ी खुशी-खुशी लगा सकें। प्रत्युत् संभावना ऐसी जान पड़ती है कि युद्ध के अवसर पर बृटिश साम्राज्य के कितने ही हिस्सों में लोग बृटिश अनुदार शासन का जुआ अपनी गर्दन पर से उतार फेंकने के लिए यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हथियार तक उठा लेंगे। इस अवस्था को रोकने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि इन लोगों को जन-

तंत्रात्मक शासन की रियायतें दी जायें और युद्ध में परस्पर सहायता कर के साम्राज्य की रक्षा करने के लिए इनसे मैत्री स्थापित की जाय ।

नाज़ीशाही से बचने के लिए जनतंत्रवाद को ही मज़बूत करने की ज़रूरत है । अतएव बृटिश शासक दल के मामले इस समय एक कठिन समस्या आपड़ी है । यदि वे साम्राज्य की रक्षा करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि जनतंत्रात्मक शासन की रियायतों द्वारा साम्राज्य की प्रजा को संतुष्ट किया जाय और साथ ही अन्य जनतंत्रवादी देशों के साथ भी मैत्री-संबंध स्थापित किया जाय, तथा स्वदेश में जनतंत्रवाद पर चोट करने की आदत छोड़ दी जाय । किंतु अनुदार दल में कितने ही ऐसे पार्लियमेंटी सदस्य हैं जो अंग्रेज़ी जनतंत्रवाद को कुचलने के लिए हिट्लर तक से सहायता लेने को तैयार हैं । साथ ही कुछ ऐसे भी हैं जो हिट्लर से लड़ने के लिए प्रजा का सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं । संक्षेप में अनुदार शासकों की समस्या इस प्रकार कही जा सकती है कि वे बृटिश जनता और हिट्लर दोनों में एक साथ नहीं लड़ सकते और न इस प्रकार लड़ने से उन्हें सफलता की कोई आशा ही हो सकती है । एक के साथ लड़ने के लिए दूसरे की सहायता और सहयोग प्राप्त करना उनके लिए आवश्यक है ।

इधर साम्राज्य में और इंग्लिस्तान में भी अनुदारों की नीति, सिद्धांत और नीयत पर बहुत कम लोगों को विश्वास है । साम्राज्य के लोग जानते हैं कि अनुदार सरकार साम्राज्य की रक्षा केवल इसलिए करना चाहती है कि उसे अपनी सम्पत्ति, जायदाद, और अधिकारों को बचाने की फ़िक्र है यदि बृटेन में आज कोई जनतंत्रवादी सरकार मौजूद होती तो साम्राज्य रक्षा के लिए उसे भारतवर्ष से तथा उपनिवेशों से विश्वासपूर्ण सहयोग और सहायता आसानी से मिल सकती । एक उन्नतिशील बृटिश सरकार साम्राज्य के हर एक हिस्से को जनतंत्रात्मक अधिकार व्यापक रूप से प्रदान कर के सम्पूर्ण प्रजा का विश्वास और सहयोग अपने हाथ में कर सकती थी और उस अवस्था में एक मंगठित

भारत के दिग्गज विद्वान, प्रसिद्ध देश-भक्त और महान
राजनीतिज्ञ डा० बी० पट्टाभि सीतारामैया लिखित
अनुपम पुस्तकें एक बार अवश्य पढ़िये

म० गाँधी का समाजवाद

जो पश्चिमी सभ्यता अपने को सर्व श्रेष्ठ बताती थी और दुनिया को पश्चिमी सभ्यता पर ही चलने तथा मानने को बाध्य कर रही थी आज उस सभ्यता का यह दुष्परिणाम है कि चारों ओर जुल्मों का जोर हो रहा है। एक देश दूसरे देश को गुलाम बनाए रखने का जोर प्रयत्न कर रहा है। चारों ओर भूख के कारण बच्चे, स्त्रियाँ, वृद्ध त्राहि त्राहि कर रहे हैं, निरन्तर युद्ध के कारण जनता में कोहरा मचा है, ऐसी पश्चिमी सभ्यता का अर्थ दिवाला निकलने ही वाला है और अब यह साबित हो गया है कि विश्व-शान्ति पश्चिमी सभ्यता ही कर सकती है।

श्रीयुत डा० पट्टाभि सीतारामैया ने म० गाँधी के सिद्धान्त बताते हुये यह साबित कर दिया है कि शान्ति तो अहिंसा, असहयोग और स्वावलम्बन से ही हो सकती है।

पुस्तक पढ़ते ही पश्चिमी सभ्यता के सर्वनाश की ओर बढ़ते जाने का पूरा चित्र आँख के सामने खिंच जाता है। साथ ही इस सर्वनाश का इलाज भी हमारी सभ्यता में दिखाई देता है। (मूल्य १॥)

चर्खे की उपयोगिता, १२)

हाथ के उद्योग धंधों के कारण भारत के शत प्रतिशत आदमी काम काजी थे। घर घर मनुष्य अपनी आवश्यकीय वस्तुएँ पैदा कर लेता था, आपस में परिवर्तन करके सब अपना काम चलाया करते थे, आज मशीनों ने भारत को अपने आधीन कर रक्खा है।

लेखक ने इस छोटी सी पुस्तक में म० गांधी के सिद्धान्तों की समालोचना करते हुए यह दिखाया है कि चर्खा पेट भर सकता है, किन्तु आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं कर सकता।

“भारत का आर्थिक शोषण”

पुस्तक के सम्बन्ध में

“भारत में अंग्रेजी राज” के यशस्वी लेखक, कर्मवीर

श्रीयुत सुन्दरलाल जी लिखते हैं—

“कांग्रेस वर्किंग कमेटी के योग्य मेम्बर डाक्टर बी० पट्टाभि सीतारामैया देश के बड़े से बड़े राजनैतिक नेताओं में से हैं। वह अर्थ शास्त्र और राजनीति शास्त्र के भी पूरे परिदृष्ट हैं। उन्होंने अंग्रेजी में इन विषयों पर कई छोटी छोटी अच्छी किताबें लिखी हैं। उनकी *The Economic Conquest of India or The British Empire Ltd.* अभी हाल में प्रकाशित हुई है। इसमें उन्होंने पिछले १५० वर्ष के अन्दर हिन्दुस्तान में अंग्रेजों की आर्थिक नीति का खाका खींचा है और नमक के महसूल, कपड़े के व्यापार, रुई की चुंगी, श्रोटावा का मशहूर समझौता, रेल, जहाज, कोयला, सिक्के, नोट, टकमाल, विदेशों के साथ हुडियावन, बट्टा, डाक महसूल, बङ्क, चेक, बीमा कम्पनियां, बिजली, फौज वगैरा के बारे में अंग्रेजों की नीति जो शुरु से रही है और जो अब तक है उसे साफ २ और तफसील के साथ २ बयान करते हुये यह दिखाया है कि किस तरह इन सब महकमों के इन्तिजाम में भारत के साथ खुला अन्याय किया जाता है और किस तरह इस देश से ज्यादा से ज्यादा धन लूटना ही अंग्रेजी राज्य का सब से बड़ा उद्देश्य है। इस आर्थिक नीति का नतीजा है कि केवल एक कपड़े के ही धन्धे में जब कि सन् १८०३ तक एक गज कपड़ा भी विलायत से भारत में न आता था इस समय हमारा यह धंधा करीब करीब चौपट है, हमारे करोड़ों कारीगर भूखों मरते हैं और हमारा बाजार विलायती कपड़ों से पटा पड़ा है। लेखक ने यह भी दिखाया है कि सन् १९३५ में जो नया

कानून पास हुआ है इसके अनुसार कहा जाता है कि शासन के नये अधिकार भारतवासियों को दिये गये हैं उसमें भारत की इन आर्थिक बेड़ियों को और ज्यादा जोरों के साथ कस दिया गया है। और आइन्दा के लिये इसका पूरा हन्तजाम कर दिया गया है कि हिन्दुस्तान का अपना व्यापार या अपने उद्योग धन्ये उससे ज्यादा बनपने न पावें जितना कि अंग्रेजी कौम के लिये जरूरी है और भारत की यह भयंकर लूट बराबर जारी रहे। मेरी यह पक्की राय है और जबरदस्त ख्वाहिश है कि हर भारतवासी जो अंग्रेजी पढ़ सकता है इस पुस्तक को पढ़ लें। जो अंग्रेजी नहीं जानते वह किसी हिन्दुस्तानी भाषा में उसका अनुवाद पढ़ सकें तो जरूर पढ़ें।”

लाठी शिक्षक १)

पहलवानों करना आज-कल के नवयुवकों के लिए बड़ा कठिन काम हो गया है जो बिना कलफ और अस्त्री किए हुए कपड़े नहीं पहन सकते वे शरीर में मिट्टी क्यों लगने देंगे, उन्हें लाठी चलाना जरूर ही सीखना चाहिये, पतली छड़ी भी लाठी चलाने वालों का साथ देगी, अगर लाठी चलाना वह जानता हो तो।

स्त्रियों के खेल और व्यायाम २)

भूमिका लेखिका—श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित

हिन्दू जाति में आज-कल स्त्रियों को कठिन असोध्य, संक्रामक रोगों से घिरी हुई पायेंगे, गिरे हुए स्वास्थ्य से कमजोर संतान पैदा होती है, स्त्रियां बिगड़े हुए स्वास्थ्य को कैसे सुधारें, बच्चे होने के बाद भी स्वस्थ कैसे रहें, स्त्रियों की दिनचर्या क्या हो, इस पुस्तक में बताया गया है।

शहीदों की टोली (जप्त) १॥)

भारत में जब से अंग्रेज़ आए, उस समय से लेकर आज तक कितने क्रान्तिकारियों को फाँसी हुई है किस अपराध में फाँसी हुई इस पुस्तक में फाँसी पाये हुए क्रान्तिकारियों का वर्णन है ।

विवाह समस्या १)

लेखक महात्मा गांधी

नव-विवाहित स्त्री-पुरुषों को तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए, स्त्री-पुरुषों के जीवन में होने वाली तमाम कठिनाइयों को महात्मा जी ने उदाहरण देकर समझाया है ।

बिस्मिल की शायरी १॥॥)

[लेखक कविवर 'बिस्मिल, इलाहाबादी]

व्यंग शायरी पढ़ने लायक है, दरबारियों को और उपदेशकों के लिए तो बहुत ही लाभ की पुस्तक है जहां चाहे वहां सटीक बैठती है, हाज़िर जवाबी के लिए बहुत बढ़िया मसाला है ।

दर्दे दिल २॥)

कविवर 'बिस्मिल' इसके सम्पादक हैं । भारत के मशहूर से मशहूर शायरों के इसमें दिल पर चुनीदा अशार है ।

तीरे नज़र १॥=)

सम्पादक 'कविवर बिस्मिल'

नज़र पर मशहूर-मशहूर शायरों के अशार हैं ।

नूह की शायरी १॥)

'नूह' साहब को इस जमाने में कौन नहीं जानता है, इनके करीब-करीब तीन या चार सौ के लगभग शागिर्द हैं, हर शहर में आप को इनके शागिर्द मिलेंगे, अशार पढ़ने योग्य हैं ।

मातृ-भाषा-मंदिर दारागंज, प्रयाग ।

